खण्ड-293, अंक-8
मंगलवार, 21 पौष, शक संवत् 1893
(11 जनवरी, 1972 ई0)

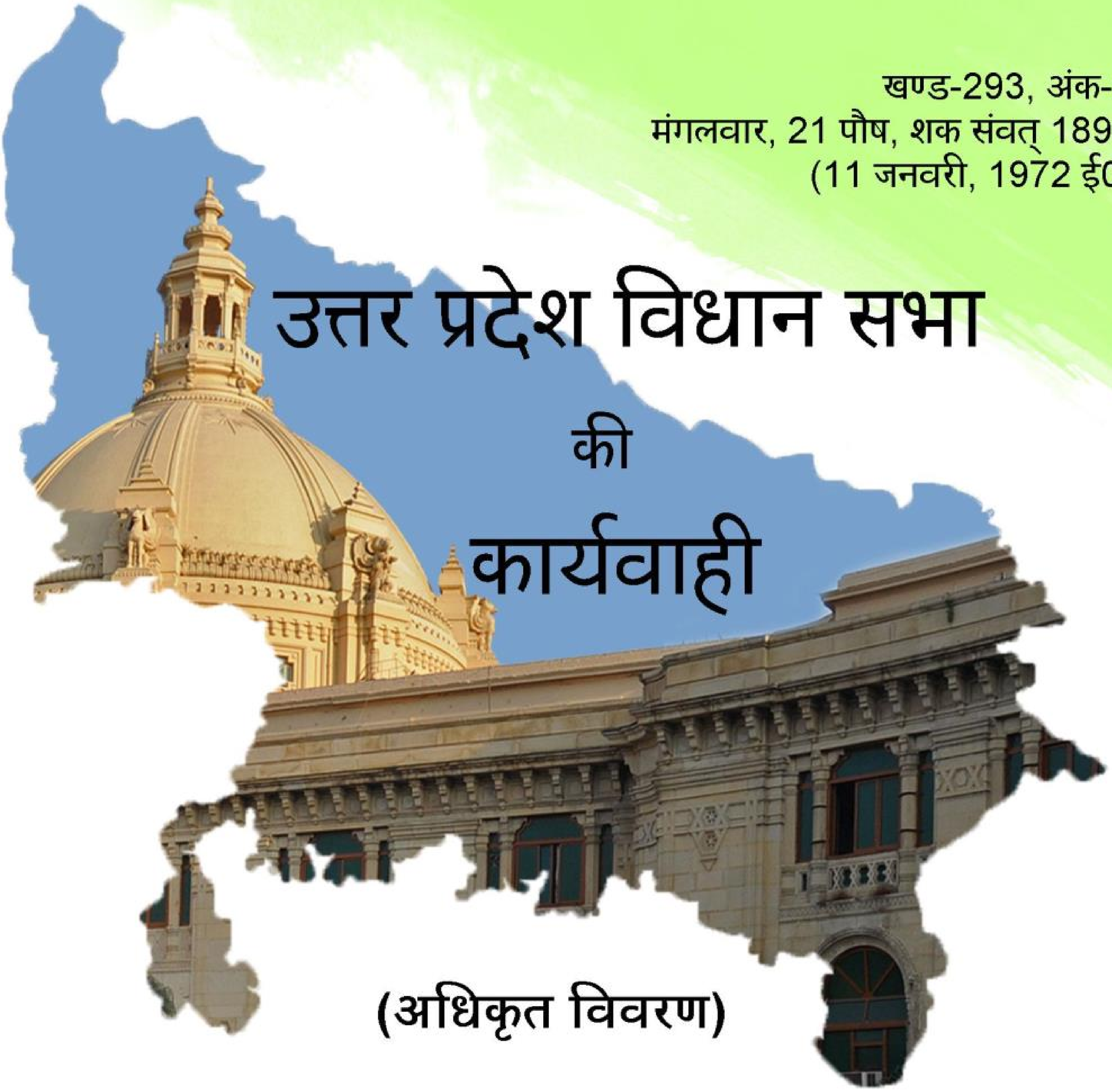

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१५–५१९
प्रश्नोत्तर	५१९–५७२
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहिति विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५७२–५७३
मारवाड़ी कालेज कानपुर में अध्यापकों पर गुंडों द्वारा आक्रमण तथा स्थानीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सत्याग्रह के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५७३–५७४
राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के संबंध में जानकारी ..	५७४–५७५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	५७५–५७६
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विचार जारी) ..	५७६–५७७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	५७७–५७९
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पारित) ..	५७९–६१५
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ (विचारोपरान्त पारित) ..	६१५–६४८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६४८–६४९
टाइम्स आफ इंडिया के विरुद्ध श्री चरण सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	६४९–६५०
नत्थियां	६५१–६७३

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 11 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---359

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशा राम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह,
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सन्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

लोक सभा सचिवालय

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन,श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद जन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती

सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य तथा सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 11 जनवरी, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रबी की फसल के लिये बीज तथा खाद की उचित दरों पर सरकार द्वारा व्यवस्था

**1—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछली रबी और मौजूदा खरीफ की फसलें प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से नष्ट हो गई हैं जिसके फलस्वरूप प्रदेश के किसानों की आर्थिक कठिनाइयां चरम सीमा पर पहुंच गई हैं, कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे किसान को बीज एवं खाद काफी मात्रा में और न्यूनतम कीमतों पर जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके? यदि हां, तो वह क्या है?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां। रबी बीजों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कृषि विभाग के पास फार्मों को पैदावार स्थानीय क्रय से उपलब्ध स्टाक के अलावा लगभग 3 लाख कुन्तल गेहूं भारतीय खाद्य निगम से क्रय करके सस्ती दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

खाद की व्यवस्था के सम्बन्ध में कृषि विभाग तथा अन्य वितरण एजेंसियों द्वारा 2.4 लाख मैट्रिक टन नत्रजन, 1 लाख मैट्रिक टन फास्फोरस तथा 17 हजार मट्रिक टन पोटाश के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर मे सम्बन्धित, मेरा प्रश्न मान्यवर, यह था कि कोई ऐसी योजना सरकार बना रही है जिससे किसान को बीज और खाद काफी मात्रा में और न्यूनतम कीमतों पर जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। तो इसके उत्तर में मन्त्री जी ने कीमतों का कोई विवरण नहीं दिया कि पहले क्या बाजार भाव था और क्या अब दिया जा रहा है। इसी तरह से खाद सम्बन्ध में भी कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। यदि मन्त्री जी के पास हो तो व सदन को बता दें कि गेहूं का बाजार भाव क्या था और बीज के लिये किसानों को किस दर पर उपलब्ध कराया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, रबी के बीजों के लिये सस्ती दरों से सम्बन्धित जो सवाल था उसके सम्बन्ध में उत्तर यह दिया गया कि "जी हां"। दूसरा जो सवाल है उसके सम्बन्ध में यह है कि गेहूं की बुआई के लिये बीज काफी मात्रा में वितरित किया गया। एक एकड़ से कम वाले काश्तकारों को 20 किलो मुफ्त और 20 किलो तकावी पर बीज दिया गया। आधा एकड़ वाले काश्तकारों को 20 किलो मुफ्त बीज बांटा गया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो बीज भंडारों से बीज बांटा गया वह शुद्ध नहीं था यानी उसमें मिली जुली कई वैराइटीज थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, गेहूं की कई किस्में होती हैं। सभी तरह के किस्मों का बीज बांटा गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी हीरा गेहूं की कीमत बतायेंगे कि उन्होंने इस गेहूं की किस्म को किस रेट पर बांटा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

रेट तो मुझे याद नहीं है कि किस रेट पर दिया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीज में जो गड़बड़ी हुई, वह तो हुई ही किन्तु खाद भी सरकार ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई जिससे खेती को बहुत बड़ी क्षति पहुंची ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अब खाद की कहीं कमी नहीं है.. (व्यवधान)
आप सुन लें मेरा पूरा जवाब। पिछली रबी की बोआई में खाद हर मंडल में और हर जिले में भेजी गई किन्तु उस समय लड़ाई चल रही थी जिससे कुछ वैगन्स की भी शार्टेज रही। इस वजह से हर जगह खाद पहुंचाने में विलम्ब हुआ। उसके लिये सरकार ने ट्रैक्टर्स से खाद पहुंचाने की व्यवस्था की। किन्तु अब इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी जिलों में खाद पहुंचाई जा रही है और पहुंच रही है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा कि जब बीज की कमी मालूम हुयी तो खाद्य निगम को गेहूं की खरीद करके 3 लाख क्विंटल भेजा गया। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं

कि यह तो वही गेहूं था जो कि खाने के लिये भेजा गया था और जो कि बहुत ही खराब और सड़ा हुआ था ? वह गेहूं बीज के लिये कतई उपयुक्त नहीं था ? और उसके साथ यह भी बतायें कि किस रेट से खाद निगम ने खरीदी और लोगों को किस रेट पर दिया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

यह शिकायत कहीं से नहीं आई है कि बीज जमा नहीं। वह अच्छे किस्म का वितरण किया गया था और अच्छे ढंग से वह किया गया। रेट खाद निगम ने 78 रुपया प्रति क्विंटल क्रय किया था और 90-95 प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मन्त्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है खाद की जबकि दूसरे प्रदेशों से दिसम्बर के अन्त में यह खाद मंगाया है और किसानों को बोने के वक्त नहीं पहुंचाया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह तो जवाब दे दिया कि चूंकि वैगन नहीं मिले इसलिए पूरी मात्रा में सब जगह को नहीं पहुंचा पाये लेकिन बोने के समय मिल गया और पहुंच रहा है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

क्या देवरिया जनपद में इस तरह के आदेश थे कि जब काश्तकारों को बीज के साथ खाद दी जायगी तो एक किलो भी पडरौना तहसील में खाद दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का सवाल है कि देवरिया में दी गयी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

खाद देने को तो कहा नहीं है।

श्री राम सिंह खन्ना--

हमेशा फसल के बोने के वक्त खाद उपलब्ध रहती थी लेकिन इस वक्त गेहूं बोने के समय खाद उपलब्ध नहीं थी और क्या यह सही है कि किसानों ने ब्लैक मार्केट से और दूसरी एजेंसियों से खरीदी और इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह कहना गलत है कि बोने के वक्त खाद नहीं थी। शार्टेज कहीं-कहीं अवश्य थी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस पर बहस करवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि आपकी मैंने इच्छा देख ली। आप सूचना देंगे तो मैं चर्चा का समय दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दो घंटे की इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला मुरादाबाद)--

जरा इधर भी नजरे इनायत हो जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मैंने देख लिया कि सब की इच्छा है और इसी का अहसास करके मैंने यह कहा।

हरदुआगंज 'ए' पावर स्टेशन, कासिमपुर में स्टाक में कमी

**2--श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज 'ए' पावर स्टेशन (ओपरेशन ऐंड मेन्टिनेंस सर्किल) कासिमपुर में स्टाक की कमी और 30.59 लाख रुपये की शार्टेज का पता शासन को लगा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

जी हां। हरदुआगंज 'ए' पावर स्टेशन (आपरेशन ऐंड मेंटीनेंस सर्किल) कासिमपुर में स्टाक की कथित कमी तथा अन्य शार्टेज का विद्युत् परिषद् को पता लगा है और मामले में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मन्त्री जी ने यह कहा सदन में कि 30,59,000 का स्टाक कम पाया गया, लेकिन अभी केवल वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो किस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, कासिमपुर के एस०ई० के अनुरोध पर ही आडिट पार्टी नियुक्त की गई थी और कुछ शार्टेज कोयले की तथा स्टोर की फिजीकल वेरीफिकेशन के आधार पर जो कमियां मालूम हुई और जो आडिट पार्टी की रिपोर्ट आई है उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच कब से शुरू हुई?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

यह जांच 8-5-70 से 21-8-70 तक आडिट पार्टी करती रही।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या आडिट पार्टी ने किसी विशेष अधिकारी की जिम्मेदारी बताई है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

आडिट पार्टी ने कुछ तो ऐसे आर्टीकिल की शार्टेज बताई जैसे कोयला है उसकी 1964 से लेकर 1970 तक है और कुछ फिजीकल वेरीफिकेशन के आधार पर स्टोर में शार्टेज और सरप्लस स्टोर में बताई जिसके लिये इन्क्वायरी होना जरूरी था और वह की जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा मतलब यह था कि हर साल फिजीकल वेरीफिकेशन होना चाहिये था और जिसको आडिट पार्टी ने देखा होगा। उसने किसी व्यक्ति को जिम्मेदार पाया, यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, ऐसे आर्टीकिल्स जैसे कोयला है वह वैगन से आने पर रिसता है, कुछ उठाने में कम होता है। इस तरह की रिपोर्ट है, इसके बारे में इंक्यायरी करना आवश्यक होता है और उसके अलावा कुछ शार्टेज और सरप्लस स्टोर में भी था तो उसका वेरीफिकेशन अन्य अधिकारी से कराया गया और रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जब प्रति वर्ष फिजीकल वेरीफिकेशन हो जाता है और 64–70 तक कमी होती चली गई तो सरकार का ध्यान इधर पहले क्यों नहीं गया और सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह मामला पहले से ही विचाराधीन था और विभागीय अधिकारियों के अनुरोध पर ही स्पेशल आडिट कराया गया था।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हर जगह इस तरह से सरकारी रुपये का लाखों का घाटा मैं देखता हूं, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो इस तरह की शिकायतें आती हैं उन पर कार्यवाही की जाती है। यह जो आडिट कराया गया है विभागीय अधिकारियों के अनुरोध पर ही कराया गया है। कोयले की शार्टेज 64–70 तक है यह ऐसा आर्टीकिल है कि जिम्मेदारी के लिये स्पेशल वेरीफिकेशन कराना जरूरी है।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि यह जिम्मेदारी 30 लाख 59 हजार की किस को दी जाये और दूसरी तरफ वे स्वीकार करते हैं कि यह आडिट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कराया गया। मैं जानना चाहूंगा कि जब बिजली की दर बढ़ रही है और इधर अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये का गबन किया जा रहा है तो उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया, चेयरमैन से आग्रह किया जाय या कोई विशेष अधिकारी स्थान पर जाकर इन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जो आडिट प्रणाली होती है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है उससे सम्मानित सदस्य भलीभांति अवगत हैं और उन्हें पब्लिक एकाउंट्स कमेटी तथा एस्टीमेट्स कमेटी का भी अनुभव है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि कुछ आइटम्स की शार्टेज मिली और कुछ की सरप्लस मिली तो विशेष आडिट विभाग का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कराया अब उसके आधार पर विस्तृत वेरीफिकेशन हो रहा है। अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि कितना गबन हुआ और किसने किया। केवल आडिट रिपोर्ट से यह फाइनल नहीं हो जाता। पूरी जांच करायी जा रही है। और इन्वेन्ट्री कंट्रोल सिस्टम, जो एक टेक्नीकल कार्यवाही है, वह भी की जा रही है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सब से पहले शार्टेज का पता कब चला और पहली कार्यवाही कब की गयी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

आडिट की पहली रिपोर्ट 17-11-70 को आयी और उससे ही इर्रेग्युलेरिटीज और शार्टेज का पता चला।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह इंक्वायरी कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जैसा कि मैंने अनुरोध किया आडिट रिपोर्ट मिल जाने के बाद कम्प्लायेन्स रिपोर्ट 25-2-71 को मांगी गयी है।

श्री त्रिवणी सहाय--

70 से आज 72 तक बराबर इंक्वायरी चल रही है दो साल के अन्दर भी आप किसी फाइनल नतीज पर नहीं पहुंचे हैं। क्या मंत्री जी जांच पड़ताल खत्म हो जाने का कोई समय निश्चित करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स हो जाने के बाद किसी को भी स्पेयर नहीं किया जायगा।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

64 से अब तक कुल कितने कोल की शार्टेज पायी गयी और प्रति वर्ष का कितना-कितना कोयला शार्ट था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

लगभग 10.73 लाख की कमी कोयले में पायी गयी तथा और स्टोर के बारे में भी इर्रेग्युलेरिटीज पायी गयीं।

श्री रामगोपाल संड--

अभी तक तो मंत्री जी 30.59 लाख रुपये के कोयले की कमी बता रहे थे लेकिन जब पारसनाथ जी न प्रश्न किया तो बताया कि 11 लाख रुपया का कोयला और उसके अलावा बिजली का सामान, यंत्र, अच्छी अच्छी मशीनें भी वहां से गायब हैं। माननीय मंत्री जी स आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं स्थान पर जा कर 31 लाख रुपये के गबन की छानबीन करें और आगे आने वाले किसी सेशन में उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य के आग्रह को मान कर मैं माननीय राजस्व मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे स्वतः इस बात को देखें।

सिविल अस्पताल, लखनऊ में मन्नोज नामक बच्चे की मृत्यु

**3--श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 30-12-71 को सिविल अस्पताल, लखनऊ में चिल्ड्रन वार्ड में एक वर्षीय मन्नोज नाम क बच्चे की मृत्यु डाक्टर के स्थान पर नर्स के फुल आक्सीजन देने के कारण हुई है? यदि हां, तो आक्सीजन देने का काम डाक्टर के बजाय नर्स से क्यों लिया गया?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

जी हां। सिविल अस्पताल, लखनऊ के चिल्ड्रेन वार्ड में भर्ती मन्नोज नाम के बच्चे जिसकी आयु लगभग 10 महीने की थी की मृत्यु 30 दिसम्बर, 1971 को हो गई। यह बच्चा "पियोजनिक मेनिनजाइटिस" के रोग से पीड़ित था और बच्चे की मृत्यु का कारण "कारडियो रिस्पेरेटरी फेल्योर" था न कि आक्सीजन देने के कारण। आक्सीजन तो रोगी बालक को सही और उचित ढंग से चिकित्सक की देख-रेख में स्टाफ नर्स द्वारा दिया गया था। वह नर्स पूर्णतया प्रशिक्षण प्राप्त है, जिनको नर्सेज ट्रेनिंग के "सिलेबस" के अनुसार आक्सीजन देने का भी प्रशिक्षण प्राप्त है। आक्सीजन देने का काम प्रायः ऐसे चिकित्सालयों में, जहां परिचारिका सेवा उपलब्ध हैं, चिकित्सक के आदेशानुसार नर्स द्वारा ही दिया जाता है।

श्री दर्लासगार यादव---

जितना आक्सीजन दिया जाना चाहिये था उतना दिया गया क्या इसकी जांच बच्चे की मृत्यु के उपरान्त की गई?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

आक्सीजन बिल्कुल निश्चित मात्रा में दिया जाता है। उस पर मीटर लगा रहता है। ठीक तरीके से दिया गया। प्रशिक्षित नर्स के द्वारा दिया गया।

श्री रामधारी शास्त्री---

वह बच्चा अस्पताल में किस दिन भर्ती हुआ और उसको किस दिन कितनी मात्रा में आक्सीजन दिया गया?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

लड़का 15 दिसम्बर, 1971 को दोपहर में भर्ती किया गया और उसकी हालत 30 दिसम्बर, 1971 को खराब हुई। उस दिन उसको दोपहर में एक दफा 11 बज आक्सीजन दिया गया, दूसरी मर्तबा डेढ़ बजे आक्सीजन दिया गया। शाम को 4.15 बजे फिर हालत खराब हुई तो पुनः आक्सीजन दिया गया और 5.15 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। आक्सीजन बिल्कुल ठीक दिया गया और जो कुछ भी अच्छे से अच्छा उपचार हो सकता था वह किया गया।

श्री रामधारी शास्त्री---

आक्सीजन कितनी मात्रा में दिया गया था?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामधारी शास्त्री---

प्रश्न में ही पूछा गया है कि आक्सीजन की मात्रा ज्यादा दी गयी। प्रश्न यह है कि क्या आक्सीजन ज्यादा दे दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो बता दिया कि मीटर लगा रहता है।

श्री रामधारी शास्त्री---

तो कितनी मात्रा में दिया गया? जब निश्चित आरोप है कि आक्सीजन ज्यादा दिया गया तो बताना चाहिये कि कितनी मात्रा में आक्सीजन दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह टेक्निकल है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

आप उचित जवाब दिलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बांकेलाल--

प्रश्न को आप स्वतः समझ रहे हैं और उत्तर उनका स्वतः जान रहे हैं। जो प्रश्न किया गया उसका सही उत्तर नहीं मिला। अगर आक्सीजन ज्यादा मात्रा में दिया गया तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। उत्तर सही नहीं आ रहा है। आप इसीलिये उस कुर्सी पर आसीन हैं कि सही उत्तर मंत्रियों से दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका कुछ नहीं लिखा जायगा

श्री बांकेलाल--

नहीं लिखा जायगा तो कोई परवाह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से अगर कोई माननीय सदस्य बार-बार रुकावट डालेंगे और प्रश्नों के समय को नष्ट करने की कोशिश करेंगे ...

श्री बांके लाल--

आप स्वतः समय को नष्ट करने के इच्छुक हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री रियासत हुसैन--

15 दिसम्बर को बच्चा जब भरती हुआ तो कौन से दिन डाक्टर ने उसका मुआयना करके यह तजवीज किया कि इसको आक्सीजन देना जरूरी है और कितनी मात्रा में जरूरी है? क्या उसी समय और उसी मात्रा में आक्सीजन नर्स ने दिया या उससे कुछ कम-बेशी दिया?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

यह तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 15 दिसम्बर को बच्चा वहां पर भर्ती हुआ और एक बहुत ही विशेषज्ञ डाक्टर की देखरेख में उसका अच्छे से अच्छा इलाज होता रहा। लेकिन 30 तारीख को उसकी हालत खराब हुई और उस दिन एक दफा 11 बजे आक्सीजन दिया गया, फिर डेढ़ बजे और शाम को 4.15 बजे फिर आक्सीजन दिया गया। आक्सीजन बिल्कुल सही और निश्चित मात्रा में प्रशिक्षित नर्स के द्वारा डाक्टर की देखरेख में बिल्कुल सही तरीके से दिया गया।

श्री राम गोपाल संड---

क्या मंत्री जी इस बात की गम्भीरता को देखते हुये कि मनोज कुमार अपने माता-पिता का इकलौता लड़का था, इस मामले की एक उच्चय स्तरीय जांच करायेंगे क्योंकि यह आक्षेप किया गया है कि आक्सीजन देने में अधिक केयर नहीं की गई है ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्री रामधारी शास्त्री---

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आक्सीजन सही और निश्चित मात्रा में दी गई तो वह मात्रा कितनी थी जो दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह कैसे यह बता सकते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

क्या यह जांच उन्हीं लोगों से तो नहीं करायी गई है कि जिन के खिलाफ यह गलत मात्रा में आक्सीजन देने का आरोप है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

उसकी जांच करायी गई है और मैं यह भी माननीय शास्त्री जी को स्पष्ट कर दूं कि अगर आक्सीजन ज्यादा भी दी जाय तो वह फैल जाती है उससे कोई मरता नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी इस विषय में किन्हीं एक्सपर्ट की राय लेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है और जो मात्रा दी गई वह उचित थी या नहीं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

उत्तर देने से पहले ही मैं पूरी एक्सपर्ट्स की राय और यह किताब लेकर आया हूं और आप जो पूछें वह मैं अभी बता सकता हूं, स्थिति यह है कि यह वास्तव में स्वाभाविक मौत हुई है, वह बच्चा केवल दस मास का बच्चा था और उसका बहुत उचित इलाज हुआ है। जहां तक अधिक आक्सीजन दिये जाने की बात है मैंने एक्सपर्ट्स से पूछ लिया है, उनका कहना है कि ज्यादा आक्सीजन दी जाय तो वह फैल जायगी और उससे कोई मर नहीं सकता। दूसरे जहां तक नर्स द्वारा आक्सीजन दिये जाने की बात है तो सब जगह नर्स ही आक्सीजन देती हैं और सिलेबस में उनके प्रशिक्षण में आक्सीजन दिया जाना भी शामिल है और किताब में यह लिखा हुआ है, नर्स ही आक्सीजन लगाती हैं इसमें कोई सन्देह या शिकायत की गुंजायश नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा सन् १९७१-७२ के लिये बनाई गयी योजनायें

*1--श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने सन् 1971-72 के लिये क्या योजनायें बनायी हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ ने वर्ष 1971-72 के लिये निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करने का कार्यक्रम बनाया है :--

1--नेहरू नगर योजना संख्या 2, देहरादून।

2--निरंजनपुर टी स्टेट्स गृहस्थान योजना, देहरादून।

3--मोहनपुरी गृहस्थान योजना, मेरठ।

4--विकासपुरी गृहस्थान योजना, लिसारी गेट, मेरठ।

5--गढ़मुक्तेश्वर रोड तथा हापुड़ रोड के बीच की भूमि पर योजना संख्या 3-मेरठ।

6--आइजटनगर गृहस्थान योजना, ब्लाक-सी, बरेली।

7--आइजट नगर गृहस्थान योजना, ब्लाक-डी, बरेली।

8--बेतिया हाता (कोर्ट आफ वार्ड्स) गृहस्थान योजना, गोरखपुर।

9--सूखाकुंड गृहस्थान योजना, गोरखपुर।

10--घटवासन गृहस्थान योजना, आगरा।

*2--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[3रे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न 1 नियम 29 (4) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में श्री रोहित सिन्हा की माता की कथित लापरवाही के कारण मृत्यु

*3--चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री रोहित सिन्हा, सिविल इंजीनियर, इलाहाबाद का दिनांक 15 सितम्बर, 1971 का अपनी मां के प्रति किये गये अभद्र व्यवहार एवं लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु से सम्बन्धित कोई पत्र इंचार्ज मेडिकल कालेज (इमरजेन्सी वार्ड), इलाहाबाद के विरुद्ध प्राप्त हुआ, यदि हां, तो सम्बन्धित डाक्टर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या हम यह समझें कि यह प्रश्न स्थगित हो रहा है? क्या यह दोबारा फिर आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष--

15 दिन बाद यह फिर आयेगा।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

इसको स्थगित कर दिया जाय, सूचना आने पर दी जायगी।

[11 जनवरी, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री कल्याण सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम में अनियमिततायें

*2—श्री राम सिंह खन्ना—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 अक्तूबर, 1971 को उनकी प्रेस कान्फ्रेंस में प्रेस के प्रतिनिधियों ने एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के कार्यों में जिन अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान दिलाया था वह क्या-क्या है और उनकी जांच से क्या तथ्य मिले ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

6 अक्तूबर, 1971 की प्रेस कान्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के कार्यों में हुई निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया था :

(1) बहुत सी नियुक्तियां सिफारिशों पर गलत व्यक्तियों की गई, और

(2) सिफारिशों पर ऐसे व्यक्तियों को ट्रैक्टर दिए गए जिनका ट्रैक्टर पाने का हक नहीं था।

उक्त अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

श्री राम सिंह खन्ना—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस के माध्यम से की जा रही है और किस-किस के खिलाफ की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

8 दिसम्बर, 1971 को यह मामला सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी के पास ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि जो ओरिजनल पार्ट्स होते हैं, वे निकाल लेते हैं और उनके स्थान पर इंडियन लगा देते हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री राम सिंह खन्ना—

किन-किन लोगों के खिलाफ यह जांच की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रेस कान्फ्रेंस में जो मूल बातें की गयी थीं, उनके सम्बन्ध में सारी जांच करायी जा रही है इसके बारे में भी जांच करायी जा रही है कि नियुक्ति किस प्रकार से किन लोगों ने की और ट्रैक्टर्स किस की सिफारिश से, किन अधिकारियों ने और किन कर्मचारियों ने गलत लोगों को दिए गये। इन सारी बातों की जांच विजीलेंस द्वारा करायी जा रही है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे प्रेस कान्फ्रेंस में जो सवालात किए गये, उनके आधार पर अथवा आप को कोई सूचना पहले भी मिली जिसके आधार पर यह विजीलेन्स द्वारा इन्क्वायरी करा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रेस कान्फ्रेंस में जो 2 मूलभूत शिकायतें थीं उनके सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

क्षेत्र समिति, भोजीपुरा की बैठक में पौष्टिक आहार योजना की पुष्टि तथा पौष्टिक आहार पर व्यय

*3—श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भोजीपुरा विकास क्षेत्र समिति, जिला बरेली ने अपनी बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में पौष्टिक आहार योजना की पुष्टि की ? यदि नहीं, तो उसके सम्बन्धित अनुदान को किस मद में तथा क्यों खर्च कर दिया गया ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

क्षेत्र समिति भोजीपुरा की बैठक दिनांक 11-9-71 में गत बैठक दिनांक 31-1-71 की कार्यवाही की पुष्टि के समय कुछ सदस्यों ने कार्यवाही के प्रस्ताव 13 जिसमें लिखा था 'अन्त में क्षेत्र विकास अधिकारी ने पौष्टिक आहार कार्यक्रम के बारे में सदस्यों को अवगत कराया' पर आपत्ति की । कुछ सदस्यों की राय थी कि यह कार्यवाही सम्पन्न हुई जब कि कुछ को एतराज था कि कार्यवाही नहीं हुई । अतः यह तय पाया कि इस अंश को छोड़ कर शेष कार्यवाही की पुष्टि की जाये । अतः इस बैठक में पौष्टिक आहार योजना की पुष्टि मतभेद के कारण नहीं हुई ।

पौष्टिक आहार पर हुआ व्यय खण्ड स्तर पर 'पोषण आहार समन्वय समिति' में पारित प्रस्तावों के अनुरूप ही हुआ ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मीटिंग हुई थी उसमें कोरम पूरा था या नहीं या यह स्थगित कर दी गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है । आपका प्रश्न है कि क्या बैठक में पौष्टिक आहार योजना के कार्यक्रम के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

श्रीमन्, जो उत्तर दिया गया है वह मेरे प्रश्न से भिन्न है । वह इसलिए कि इसमें यह कहा गया है कि वहां के जिला नियोजन अधिकारी ने इसकी पुष्टि से अवगत कराया । कुछ सदस्य कहते हैं कि यह विषय आया और कुछ कहते हैं कि नहीं । क्या यह मीटिंग उस दिन हुयी, या नहीं जिस दिन यह अवगत कराया गया था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, 11 सितम्बर को मीटिंग हुयी या नहीं, यह उत्तर के साथ स्पष्ट है कि मीटिंग हुयी और इस कार्यवाही में कुछ सदस्यों को जिस प्रश्न पर आपत्ति थी पौष्टिक आहार योजना के संबंध में, उसे छोड़कर शेष कार्यवाही की पुष्टि भी की गयी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मेरा कहना यह है कि 11 सितम्बर को पिछली मीटिंग जो हुयी थी, उसकी कार्यवाही की पुष्टि हुयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न उत्तरित है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

जिस मीटिंग में यह प्रश्न आया था उससे अवगत कराया गया था । क्या उसके पहले जिसकी पुष्टि 11 सितम्बर को हुई वह मीटिंग हुई या नहीं हुई ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, दो मीटिंगों का प्रश्न है। पहली मीटिंग 31 जनवरी को हुई और उसकी पुष्टि 11 सितम्बर में हुई। 31 जनवरी को जो मीटिंग हुई वह निश्चित रूप से हुई उसकी कोई कार्यवाही निश्चित लिखी गई और वह कार्यवाही 11 सितम्बर की मीटिंग में पुष्टि हुई उसमें कुछ आपत्ति हुई जितना आपत्ति का अंश था विवाद का अंश छोड़ कर शेष कार्यवाही स्वीकार की गई। इसलिये स्पष्ट है कि दोनों मीटिंग्स हुई।

भूतपूर्व विकास क्षेत्र अधिकारी, भोजीपुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*4---श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व विकास क्षेत्र अधिकारी जिन्होंने 20 सितम्बर, 1969 से 15 अक्तूबर, सन् 1970 तक भोजीपुरा विकास अधिकारी के पद पर कार्य किया था, के विरुद्ध जनता के कितने शिकायती-पत्र उक्त अवधि में शासन को प्राप्त हुए और क्या उन शिकायती-पत्रों की जांच करने वर्तमान नियोजन अधिकारी इसी बीच में ग्राम आटा-मान्डा गये थे? यदि हां, तो उस जांच की क्या प्रगति हुई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

कथित अवधि में दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए। शिकायतों पर अतिरिक्त जिलाधीश, (नियोजन) बरेली द्वारा जांच की गई थी। शिकायतों पर कोई बल अथवा सार नहीं पाया गया।

वर्तमान अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) बरेली ने प्रसंगत क्षेत्र विकास अधिकारी के कार्यकाल में ग्राम आटामांडा की कोई यात्रा नहीं की।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

वे जो दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं व किन व्यक्तियों के हैं कहां के हैं और क्या शिकायत प्राप्त हुई है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

एक शिकायती पत्र ब्लाक प्रमुख का है और दूसरा है वहां के विधान सभा के सदस्य का जिनका नाम श्री भानु प्रताप सिंह है और ब्लाक प्रमुख का नाम श्री लालता प्रसाद है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

उन्होंने क्या शिकायत की है? मान्यवर, इन दोनों पत्रों में शिकायत लगभग एक समान है। यह कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी को अपने विषय का ज्ञान नहीं है। यह कहा गया है कि कोई स्वीकृति लिये बिना ब्लाक प्रमुख के दौरे पर गये और यह भी कहा गया कि वह प्रमुख का कहना नहीं मानते। इन सभी शिकायतों की जांच वहां के जिला नियोजन अधिकारी ने की है और इन शिकायतों को उन्होंने गलत पाया।

श्री हर नारायण (जिला पीलीभीत)---

क्या माननीय उपाध्यक्ष जी आप मंत्री जी से इस बात को स्पष्ट करा देंगे कि विधायक की कोई शिकायत है तो उसकी जांच का क्या औचित्य है कि विधायक की कही हुई बात को न माना जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री हिम्मत सिंह—

श्रीमन्, जिन अधिकारियों ने जांच की थी उन्होंने ब्लाक प्रमुख और विधायक के भी बयान लिये या नहीं ? ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप शिकायत करें या जनता के प्रतिनिधि .....

(व्यवधान)

आप सवाल का जवाब तो देने दें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैं किस का उत्तर दूं ?

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि ब्लाक प्रमुख और जिस विधायक ने शिकायत की थी उनसे भी पूछा गया या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

विधायक और ब्लाक प्रमुख ने जो शिकायत की थी अपने शिकायती पत्रों में उन्होंने जिन शिकायतों का उल्लेख किया था उनके लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को जांचा गया और उनको भी सूचना दी गई जिस समय जांच करने के लिये नियोजन अधिकारी गये थे।

श्री रियासत हुसैन—

जो ब्लाक प्रमुख और विधायक महोदय की शिकायतें हैं उनमें यह भी शिकायत है कि जिस मीटिंग की पुष्टि की गई थी सितम्बर की मीटिंग में वह मीटिंग हुई ही नहीं और उसमें जो भी कार्यवाही की गई है वह फर्जी कार्यवाही बी० डी० ओ० साहब ने अपने से ही करके अगली मीटिंग में पुष्टि करा ली। अगर हां, तो इसकी जांच की गई है उसमें जरूरी नहीं था कि प्रमुख और विधायक दोनों को पूछा जाता कि इसमें प्रमाण क्या है। अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह सम्भवत. तीसरे प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है जो समाप्त हो गया है। चौथे प्रश्न में पुष्टि का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की सूचना पर फिर से इसकी जांच करवा सकता हूं कि आया यह मीटिंग हुई या नहीं। लेकिन अभी तक जो सूचना है वह यह कि मीटिंग हुई।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

जब मीटिंग होती है, जिसमें विधायक शामिल हों, और प्रमुख भी हों, तो उन्हें सूचना दी जानी है। मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी और यहां यह अंकित है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इसकी जांच समुचित माध्यम से करायेंगे और मुझे भी तथ्यों को प्रस्तुत करने का मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं है, आप को सूचना तो गयी थी।

मंत्री द्वारा गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि माननीय विधायक और ब्लाक प्रमुख को सूचना दी लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं और यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

विशेषाधिकार प्रश्न नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह---

विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिये है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना दी गयी और विधायक कह रहे हैं कि सूचना नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी को जो सूचना है वे उसी के आधार पर बतला रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय विधायक उसका खंडन कर रहे हैं। मैं आपको विशेषाधिकार भंग की सूचना दे रहा हूं।

श्री बांके लाल---

मंत्री जी यहां इस प्रकार की गलत बयानी करते हैं, इसका उत्तर प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप अगर शान्त रहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा।

श्री नौनिहाल सिंह---

मंत्रीजी क्या इसकी दुबारा जांच करवा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये तो उन्होंने कहा। मंत्री जी जो सूचना दे रहे हैं वह उसी आधार पर दे रहे हैं जो सूचना उनके पास है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। मंत्री जी यह देख लें कि माननीय विधायक को कोई सूचना गयी या नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अपने कक्ष में बुला लें और उन्हें समझा दें।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह---

आपने जो व्यवस्था दी है उसे वापस कर लीजिये और सोच समझ कर व्यवस्था दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा नहीं है। मान लीजिये डाक से भेजा हो और वह न मिली हो।

श्री मैनेजर सिंह---

मानने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस चीज का कैसे फैसला हो। आप बहुत सी बातों में कहते हैं कि सूचना नहीं मिली।

श्री मैनेजर सिंह--

आप देख कर निर्णय दें कि मंत्री जी ने गलत बयानी की है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

गलत बयानी का कहां सवाल है ?

श्री मैनेजर सिंह--

यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं आपको सूचना देता हूं।

श्री बांके लाल---

आप रोज यहां सुनते हैं। आप विवेक से काम लें। मंत्री लोग गलत उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

विधायक कह रहे हैं कि वह मीटिंग नहीं हुई। यह आपके सामने गलत बयानी कर रहे हैं और आप अपनी व्यवस्था अलग दे रहे हैं। यह क्या बात है ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

हमारा एक निवेदन यह है कि यह बड़ा अहम प्रश्न है। प्रश्नों के बाद इस सवाल को आप ले लें और सभी माननीय सदस्यों की राय सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस सवाल को नहीं लूंगा। इस तरह से अगर प्रश्नों के घंटे में रुकावट डालेंगे तो ठीक नहीं है। अगर गलत बयानी हुई तो क्या उसकी ओर संकेत करने का यह अवसर है ? अगर गलत बयानी की है तो आप लिखकर दें, वे शुद्ध करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं लिखित दे दूंगा। आप व्यवस्था न दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह का आग्रह इस समय नहीं करना चाहिये। अगर एक बांकेलाल जी होंगे तो काम चल जायेगा, लेकिन अनेक हो गये तो काम नहीं चलेगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाने की योजना

*5--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य राज्यों की तरह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिये डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाने की सरकार की कोई योजना है या किसी व्यक्ति या संस्था जो फिल्म बनाने के लिये सहायता देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन-किन आधारों पर डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*6---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*7—श्री कल्याण सिंह तथा श्री सियाराम—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

एटा जिले की जलेसर तथा गंजडुडवारा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों को पारितोषिक

*8—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिला की किन-किन नगरपालिकाओं में एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को वर्ष 1969–70, 1970–71 व 1971–72 में नकद पुरस्कार ग्रेच्युटी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये गये हैं ? तथा जिन्हें नकद पुरस्कार ग्रेच्युटी स्वीकृत की गई है उनके नाम क्या हैं और कितना धन दिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

एटा जिले की नगरपालिका जलेसर तथा गंजडुंडवारा में क्रमशः नियुक्त अधिशासी अधिकारी को क्रमशः वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में पारितोषिक एवं नकद पुरस्कार सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा दिया गया जिसकी स्वीकृति आयुक्त, आगरा डिवीजन से प्राप्त की गई। उक्त अधिकारी का नाम श्री ई० यू० दानिशमन्दी है। उनको वर्ष 1969–70 में रु० 249.70 मूल्य की एक कलाई घड़ी तथा वर्ष 1970–71 में 500 रु० नकद पुरस्कार के रूप में दिया गया है।

*9—मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

यू०पी० स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जमा की गई कस्टम ड्यूटी

*10—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल करपोरेशन, लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सन् 1968–69 में कई लाख रुपया एकमुश्त कस्टम ड्यूटी का जमा किया गया और हिसाब लगाकर जो बाद को शेष रुपया मिलता था उसके सम्बन्ध में कोई अपील न दायर करने के फलस्वरूप कारपोरेशन को लगभग ढाई लाख रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो निगम एवं सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यू० पी० स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1968–69 में एक मुश्त कोई धन कस्टम ड्यूटी का जमा नहीं किया गया।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रश्न के दो खण्ड हैं—पहला यह है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० लखनऊ द्वारा सन् 1968–69 में कई लाख रुपया एकमुश्त कस्टम ड्यूटी का जमा किया गया—इसका उत्तर तो दिया गया कि एकमुश्त जमा नहीं किया गया। इसका दूसरा खण्ड है और हिसाब लगा कर जो बाद को शष रुपया मिलना था उसके सम्बन्ध में कोई अपील न दायर करने के फलस्वरूप कारपोरशन को लगभग ढाई लाख रुपय की हानि हुई ? यदि हां, तो निगम एवं सरकार न सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? इसका जवाब नहीं आया, वह कृपया मंत्री जी से दिलवायें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया कि एकमुश्त कस्टम ड्यूटी नहीं जमा की गई। मान्यवर, दूसरे खंड के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—

एकमुश्त आपने कहा—यह जमा नहीं हुआ। कोई दूसरा प्रश्न करें।

श्री हरिवंश सहाय—

अगर एक बार जमा नहीं किया गया तो कई बार तो जमा किया और उसके बाद कितनी हानि हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं समझा।

श्री हरिवंश सहाय—

आप मंत्री जी से कह दें कि दूसरे प्रश्न का उत्तर फिर से दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने पूछा कि एकमुश्त जमा की गई है—उत्तर दिया गया कि नहीं जमा की गई है, तो दूसरे खंड का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रामकरन सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह कृपया बतायें कि अगर एकमुश्त जमा नहीं हुआ तो क्या कई किश्तों में जमा हुआ है और उसके कारण एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को हानि उठानी पड़ रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कई किस्तों में कस्टम ड्यूटी जमा की गई है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि एग्रो के लिये कस्टम ड्यूटी कुछ एजेंसीज के मार्फत जमा की जाती है और गत वर्षों में इन एजेंसीज ने बहुत बड़ी रकम कस्टम ड्यूटी जमा करने के लिये प्राप्त कर ली और वह कस्टम ड्यूटी जमा नहीं की और उन पर धनराशि शेष है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह तो अलग से सवाल है। इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि जमा की गई है उसकी वजह से भी लाखों रुपया सरकार को नुकसान हो रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, कस्टम ड्यूटी के रूप में 12 जून, 1970 तक 3,07,084.93 पै० अधिक जमा कर लिय गय हैं। इसके लिये अपील की गई है जिस पर कार्यवाही हो रही है।

गोरखपुर के ब्लाक खोराबार में गबन, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता की शिकायत

*11--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार में गबन, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि से सम्बन्धित कोई सूचना 29, जुलाई, 1971 ई० को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच पहले ही कराई गई थी। जांच के उपरान्त आरोप सिद्ध नहीं हुए। अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बी०डी०ओ० खोराबार, जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*12--श्री फिरंगी प्रसद विशारद--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जांच कराने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन), गोरखपुर के कार्यालय के पत्र संख्या 894/शिकायती-70-71, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के अनुसार बी० डी० ओ०, खोराबार गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच दिनांक 10 नवम्बर, 1970 को हुयी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

दिनांक 10-1-1970 को की गई जांच से बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र में जी० ओ० का उद्धरण दिया गया है जिसके आधार पर इस बी० डी० ओ० का तीन-चार-बार ट्रांसफर हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी के संबंधी श्री त्रिपाठी वहां के ब्लाक प्रमुख हैं उनके आने पर सारे ट्रांसफर किये गये वह रोके गये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, समधी या किसी दूसरे रिश्तेदारी का तो मुझे पता नहीं केवल यह पता है कि बी० डी० ओ० के ट्रांसफर के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बी० डी० ओ० साहब उस जिले में 11 वर्ष से हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, इस ब्लाक में तीन साल से और उस जिले में 10 साल से हैं।

श्री रामकरन सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। मंत्री जी ने बताया कि आर्डर दिय जा चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आर्डर्स स्टैंड करते हैं या कैन्सिल हुये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर पहले आदेश एक बार बीच में कैंसिल हुये थे लेकिन अब आदेश ट्रांसफर के फाइनल दे दिये गये हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस बी० डी० ओ० के खिलाफ ए० डी० ओ० महिला विद्या त्रिपाठी के एबार्शन का केस इस सम्बन्ध में लगा हुआ था जो वहां के लोकल अखबारों में निकला था उसकी गम्भीरता को देखते हुये मंत्री जी उनका ट्रांसफर अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन कर दिया कि बी०डी०ओ० के ट्रांसफर के आदेश दे दिये गये हैं और बहुत शीघ्र ही उनका ट्रांसफर हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहली दफा ट्रांसफर हुआ उसके बाद कैंसिल हुआ और दुबारा हुआ तो फिर कैंसिल किया गया। तो यह किन कारणों से कैंसिल किया गया।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर पहली बार ट्रांसफर हुआ था तो यहां के कुछ आदरणीय विधायकों ने यह कहा कि इनको तीन साल पूरे नहीं हो रहे हैं, पहले इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसको फिलहाल रोक दिया जाय। जब बाद में शिकायतों का पता चला तो हमने आदेश कर दिया कि वह वहां नहीं रहेंगे और अन्यत्र ट्रांसफर कर दिये जायेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बी०डी०ओ० के विरुद्ध शिकायतें कौन-कौन सी हैं और उनकी जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं और अब तक उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) कर रहे हैं। मान्यवर, उनके खिलाफ एक शिकायत तो यह थी कि इण्टर कालेज बरही में जो पम्पिंग सेट उन्होंने लगवाया उसके कुल पुर्जे पुराने थे। दूसरे उसने जो कुयें की बोरिंग कराई उसमें टोटी के बजाय जाली दिखाई। तीसरे किसी किसान को खाद फ्री दी गई थी उसके नाम में खाद दिखा दी। इन शिकायतों की अलग-अलग जांच की गई और यह तीनों शिकायतें निराधार पायी गयीं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मा० मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर उस पर उचित कार्यवाही करेंगे। मेरी यह सूचना है। ब्लाक में यूनीसेफ की स्कीम के अन्तर्गत बोरिंग करवाई गई है। इसमें बड़ी भारी धांधली हुई है। प्रधानों को लालच देकर निजी पम्पिंग सेट भी लगवाये गये हैं। इसी प्रकार से 6 हजार रुपये की खाद ब्लाक में गई। ग्राम सेवक ने फर्जी नाम डलवाकर उस खाद का रुपया अपनी जेब में रख लिया। इसी प्रकार से और भी कई शिकायतें हैं। क्या मंत्री जी इन सभी चीजों की जांच करवायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जो शिकायतें माननीय सदस्य ने बताई हैं उन्हीं सबकी तो जांच करवाई गई हैं। जांच के उपरान्त वे सभी निराधार पाई गई।

श्री कल्पनाथ सिंह---

वहां का बी० डी० ओ० इतना प्रभावशाली है कि उसने अपना ट्रान्सफर शासन से कैन्सिल करवा लिया। क्या यह नहीं हो सकता कि उसका प्रभाव ए०डी०एम०पी० या अन्य और अधिकारियों पर भी उसी प्रकार प्रभावकारी रूप में पड़ी हो। क्या मंत्री महोदय फिर से सारे मामले की जांच किसी निष्पक्ष मशीनरी के जरिये करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसकी फिर से जांच करवा ली जायेगी।

नगरपालिका बलिया के अधिशासी अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

*13---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन ने नव-निर्वाचित चेयरमैन को चार्ज देने के कुछ दिन पूर्व एक्जीक्यूटिव आफिसर तथा अन्य कर्मचारियों की अवैध ढंग से नियुक्ति की है ? यदि हां, तो किन-किन की और स अवैध नियुक्ति का निरस्त करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, बलिया ने वर्तमान पालिकाध्यक्ष को चार्ज देने के पूर्व अधिशाशी अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक तथा अन्य 11 कर्मचारियों (सूची संलग्न) की नियुक्तियां की थीं जिनमें अधिशासी अधिकारी एवं शिक्षा अधीक्षक के पदों पर क्रमशः सर्वश्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल तथा रामजी सिंह की अस्थायी नियुक्ति शासन द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अन्य नियुक्तियों की वैधता अथवा अवैधता के प्रश्न पर जिला मजिस्ट्रेट बलिया से रिपोर्ट मांगी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1203 पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र कुमार शुक्ला और रामजी सिंह दोनों की जिस समय नियुक्ति हुई है उस समय उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है। जो सेवा नियम हैं उसमें नियम 9 यह है कि उसके बाहर उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। फिर किस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

दफा 31 के अन्तर्गत उनको यह अधिकार है कि वह छः सप्ताह के लिये नियुक्तियां कर सकते हैं। उसी की तहत में इनकी यह नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि इनकी इस नियम के अन्तर्गत नियुक्तियों की स्वीकृत दे दी जाय जिसको सरकार ने मान लिया और उनको आयु से भी छूट दे दी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शुक्ल जी ने 31.8.71 को चार्ज दे दिया जिसकी सूचना अध्यक्ष ने आपको दे भी दी। 6 सप्ताह समाप्त होने के बाद फिर से उनको रख लिया गया।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

बात यह कि पत्रावली तो चलती रहती है और जिस समय वह पत्रावली सरकार के पास आई उस समय उसने उनको यह छूट दे दी।

श्री मैनेजर सिंह--

जो आयु में छूट शासन ने दी तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि किस नियम के अन्तर्गत और कौन से सेक्शन में है जिसके तहत में शासन को छूट देने का अधिकार है? 6 सप्ताह हो गया था फिर इन्टरिम आदेश देने का कहां पर अधिकार है। डिसकन्टीन्यू को कन्टीन्यू कर दिया?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

नियम 41 के अन्तर्गत शासन को छूट देने का अधिकार है। अध्यक्ष ने छूट देने के लिये शासन से प्रार्थना की थी जिसको सरकार ने मान लिया और उनको छूट दे दी गई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, जब 31-8-71 को उनसे चार्ज ले लिया गया था तो फिर सितम्बर में उन्हें कैसे नियुक्त किया गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, 20 जुलाई 71 को उसकी स्वीकृति शासन ने दी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि 31-8-71 को उनका टर्म समाप्त हो गया। उनको हटा दिया गया। फिर सरकार ने आदेश सितम्बर में भेजा कि उनको रखा जाय, तो यह बीच में गैप रहा और आप कहते हैं कि स्वीकृति हुई.....

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न क्या है?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जब 31-8-71 को वह हट गए तो फिर सरकार ने किस नियम के अनुसार नियुक्त कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकार है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन् दफा 41 के अन्दर अधिकार है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समाप्त हो गया।

यू० पी० एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा विदेशों से आयात की गई डिस्कों का वितरण

*14—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1969–70 में यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने विदेशों से आयात की गई डिस्कों आया था ? यदि हां, तो कितना और इनका वितरण किन-किन फर्मों को कितना-कितना किस-किस आधार पर किया गया और क्या सरकार को इसके वितरण के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं की जानकारी हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

वर्ष 1969–70 यू० पी० एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा 13,500 डिस्कें विदेशों से आयात की गई । संलग्न तालिका में दी हुई फर्मों को उनके द्वारा वर्ष 1968–69 में जमा किए गए बिक्री-कर के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित संख्या में डिस्कें वितरित की गईं । डिस्को के वितरण के संबंध मे स्वतन्त्र भारत के 4–4–71 के अंक में यह प्रकाशित हुआ था कि डिस्कें कुछ जाली फर्मों को बितरित किया गया था परन्तु जांच पर यह शिकायत निराधार पाई गई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1204 पर) ।

*15—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पहले गुरुवार म तारांकित प्रश्न 11 के अन्तर्गत उत्तरित]

वाटर एवं सीवेज बोर्ड की स्थापना के संबंध में विधेयक

*16—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाटर एवं सीवेज बोर्ड की स्थापना के विषय में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसके सम्बन्ध में सदन के समक्ष बिल प्रस्तुत करने में देर किन कारणों से हुई है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

विधेयक का आलेख्य तैयार किया जा चुका है और उसका विधीक्षण कार्य जारी है । बिल की महत्ता और बृहदता को देखते हुये समय लगना स्वाभाविक है । अतः देर के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

मंडी समितियों के शासन द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के कार्यकाल का समाप्त किया जाना

*17—श्री राम सिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों एवं किस विशेष परिस्थिति में वर्तमान मन्डी समितियों के गैर-सरकारी पदाधिकारियों का कार्यकाल तुरन्त समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान मन्डी समितियों का कार्यकाल मार्च, सन् 1972 तक बढ़ाने में सरकार को क्या कठिनाई थी ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1965 से 1970 तक प्रदेश को 250 प्रधान कृषि उत्पादन मंडियों में से 84 मंडियां उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित की जा चुकी है । अब तक इनसे

[डाक्टर सीताराम]

संबंधित किसी भी मंडी समिति का चुनाव नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रथम समितियों का सामान्य कार्यकाल केवल एक वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह जनहित में प्रथम समिति का कार्यकाल बढ़ा दे। वर्षों से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम समितियों का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। सरकार ने जनहित में यह निर्णय किया है कि वह गांव पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद शीघ्रातिशीघ्र मंडी समितियों का भी निर्वाचन करा दे। प्रस्तावित निर्वाचन निष्पक्ष वातावरण में कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त कर समितियां, उसके सभापतियों एवं उप सभापतियों के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधित जिलाधिकारियों में निहित कर दिये गये हैं।

इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील के केन्द्र पर अस्पताल

*18--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील के केन्द्र पर कोई राजकीय चिकित्सालय है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नया चिकित्सालय खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। वहां एक जिला परिषद् का अस्पताल है, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध कर दिया गया है। किसी और नये अस्पताल की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है।

*19--श्री रामगोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बस्ती बफर गोदाम में रेलवे द्वारा मंगाई गई खादों में कमी

*20--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती), श्री रामरकन सिंह तथा श्री महावीर सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती बफर गोदाम में कितनी खाद (1968-69, 1969-70, 1970-71) में आई, इनमें से कितनी खाद घटी जिसका रेलवे से क्लेम किया गया और क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम--

बस्ती बफर गोदाम में कथित वर्षों में 23445-3-57 मेट्रिक टन खाद आयी जिसमें 442-2-80 मेट्रिक टन खाद जिसका मूल्य रु० 3,88,667.92 होता है कम हो गयी और इसका क्लेम रेलवे से किया गया। इसमें से रु० 91,449.34 का क्लेम रेलवे ने निरस्त कर दिया। रुपया 1,07,843.05 का क्लेम रेलवे तथा फर्म से प्राप्त हो गया है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडल के सीड स्टोरों में गबन तथा अनियमिततायें

*21--श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री महावीर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डल में 15 अक्तूबर, सन् 1971 तक किन जिलों के सीड स्टोरों पर कितने-कितने रुपये की अनियमिततायें तथा गबन पाया गया है और उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और कितने लोगों के विरुद्ध अभी जांच-पड़ताल चल रही है?

डाक्टर सीताराम--

15 अक्तूबर, सन् 1971 तक गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडल के निम्नलिखित जिले में उनके सम्मुख अंकित धनराशि की अनियमिततायें तथा गबन के मामले पाये गये हैं।

मंडल का नाम		जिले का नाम		मामलों की संख्या	धनराशि
					रु०
गोरखपुर	..	1--गोरखपुर	..	7	2,39,281.30
		2--देवरिया	..	6	71,118.52
		3--आजमगढ़	..	8	3,89,446.12
		4--बस्ती	..	10	4,28,096.79
फैजाबाद	..	1--बहराइच	..	5	10,57,256.13
		2--बाराबंकी	..	8	1,33,806.86
		3--फैजाबाद	..	22	4,38,514.75
		4--गोण्डा	..	22	8,29,737.18
		5--सुल्तानपुर	..	7	2,87,132.28
		6--प्रतापगढ़	..	4	1,47,110.00

इन मामलों से संबंधित 78 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अपराधिक कार्यवाही की ज रही है तथा 21 मामलों में विभागीय जांच-पड़ताल चल रही है।

शाहजहांपुर जिला परिषद् में गबन

*22--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के जिला परिषद् में 80 हजार के गबन के कागजात पकड़े गये हैं और जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा भी 1 जनवरी, 1970 से 15 अक्तूबर, 1971 तक अनेक बार शासन का ध्यान जिला परिषद् में गबन और अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

शाहजहांपुर के जिला परिषद् में 80 हजार के गबन के कोई भी कागजात नहीं पकड़े गये हैं और न ही जिला अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा इस संबंध में प्रश्नगत अवधि में शासन का ध्यान ही आकर्षित किया गया है।

कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हल्द्वानी विकास क्षेत्र अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

*23--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 1971 को नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के क्रम पर, क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हल्द्वानी के क्षेत्र में विकास अधिकारी ने संबंधित मामले में अब अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है या नहीं ? इस जांच प्रतिवेदन को भेजने में इतना विलम्ब होने का मुख्य कारण क्या था ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जांच प्रतिवेदन को देर से प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह था कि तकावी की बकाया का समस्त संबंधित काश्तकारों से सत्यापन कराना आवश्यक था जिसे पूरा करने में काफी समय लग गया।

क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी की श्री गंगा राम तकावी कुर्क अमीन के विरुद्ध गबन तथा कार्य से अनुपस्थित रहने की शिकायत

*24—श्री इन्द्रलाल—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिस तकावी कुर्क अमीन (कृषि) की क्षेत्र विकास अधिकारी हल्द्वानी ने शिकायत की थी यह शिकायतें क्या थीं और इस पर क्या निर्णय हुआ तथा संबंधित क्षेत्र विकास अधिकारी कहां किस पर पर कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी ने श्री गंगा राम तकावी अमीन के विरुद्ध अस्थायी गबन करने, कार्य से अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी । यह दोनों आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध हुये और श्री गंगा राम को उनके सीड स्टोर कामदार के मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया, निलम्बन काल का आधा वेतन दिया गया और उनकी चरित्र पुस्तिका में भत्सर्नात्मक उल्लेख भी किया गया ।

तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी अब दोगड्डा विकास क्षेत्र, जिला पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हैं ।

जिला परिषद्, फतेहपुर के प्रबन्ध में ग्राम कोड़ा तहसील बिन्दकी में हाट (बाजार) का लगना

*25—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कोड़ा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में मध्यवर्तियों से शासन को प्राप्त सार्वजनिक प्रयोगनीय भूमि के कुछ गांटों में एक वृहत हाट (बाजार)लगता है जिससे अनुमानतः एक लाख रुपया से अधिक आय है ?यदि हां, तो वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 में वर्षवार कितनी आय हुई तथा यह भी बतायेंगे कि हाट के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व किन पर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, फतेहपुर के प्रबन्ध में ग्राम कोड़ा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में कोई हाट (बाजार) नहीं लगता है ।

वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 में वर्ष वार आय का प्रश्न नहीं उठता ।

हाट के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व जिला परिषद् पर नहीं है ।

*26—श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

परगनाधीश तिलहर, जिला शाहजहांपुर को तहसीलदार व पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों के विरुद्ध संस्तुति

*27—श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक परगनाधिकारी तिलहर, जिला शाहजहांपुर के तहसीलदार तिलहर व जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कितने प्रधानों को निलम्बित करने हेतु संस्तुति प्राप्त हुई और कितन प्रधान निलम्बित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

परगनाधिकारी तिलहर जिला शाहजहांपुर को तहसीलदार तिलहर व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा केवल तीन प्रधानों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने व उन्हें निलम्बित करने की संस्तुति प्राप्त हुई थी।

चूंकि नियमानुसार किसी प्रधान को जांच के दौरान निलम्बित नहीं किया जा सकता है। अतएव किसी को निलम्बित नहीं किया गया।

ग्राम सभा नगरिया खुर्द, परगना खेड़ा बझेड़ा विकास क्षेत्र, जैतीपुर के पास खेती योग्य भूमि

*28—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा नगरिया खुर्द विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहांपुर के पास कितनी खेती की भूमि है और पिछले तीन वर्षों में उससे ग्राम सभा को कितनी आमदनी हुई तथा ग्राम सभा में स्कूल निर्माण हेतु जगह पड़ी है अथवा किसी ने उस पर कब्जा करके मकान बना लिया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम सभा नगरिया खुर्द परगना खेड़ा बझेड़ा विकास क्षेत्र जैतीपुर के पास खेती की कोई भूमि नहीं है। अतः ग्राम सभा को इससे आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता।

इस ग्राम सभा में खसरा प्लाट 42 क्षेत्रफल 0.05 एकड़ पर प्राइमरी पाठशाला बनी हुई है स्कूल की भूमि पर किसी व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा नहीं है, न स्कूल भूमि पर किसी ने निजी मकान बनाया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमिहीनों को घर बनवाने के लिये अनुदान

*29—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने भूमिहीनों को घर बनाने के लिये बिना किसी शर्त के अनुदान देने हेतु कोई धनराशि दी है? यदि हां, तो वह क्या है और अब तक उस कार्य में क्या प्रगति हुयी है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन, श्री बी० डी० सानवाल के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच

*30—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब श्री बी०डी० सानवाल, एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन थे तब उनके कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु कोई कमेटी नियुक्त हुयी थी। यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन व्यक्ति थे और उसने क्या रिपोर्ट दी? क्या सरकार रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—

सरकार द्वारा कोई कमेटी नियुक्त नहीं हुई थी।

उन्नाव में जिला संयुक्त अस्पताल के भवन का निर्माण

*31—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि उन्नाव शहर में जिला संयुक्त चिकित्सालय बनाने हेतु 40 लाख रुपया सरकार द्वारा 1969–70 के बजट में स्वीकृत हो चुका है और जमीन भी ले ली गई है । यदि हां, तो अस्पताल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उन्नाव में, जिला संयुक्त अस्पतल के भवन के निर्माण के लिये 1969–70 के बजट में कोई प्राविधान नहीं था । उक्त अस्पताल के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है और न कब्जा लिया गया है । अर्जित भूमि के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि भूमि भवन निर्माण के योग्य नहीं है । उपयुक्त भूमि के मिलने पर इस दिशा में कार्यवाही की जायेगी ।

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचित तथा नामजद सदस्य

*32—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुनर्गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ? उनमें से कितने निर्वाचित व कितने नामजद सदस्य हैं और नामजदगी किस आधार पर की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की सूची संलग्न है । इनमें से पहले सात सदस्य नामजद तथा अंतिम आठ सदस्य निर्वाचित हैं । उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम की धारा 4 के खंड (क) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सात होम्योपैथ्स नामजद किये जाने होते हैं । नामजदगी का कोई विशिष्ट आधार नहीं होता । नामजदगी शासन ने अपने विवेक से की ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1205 पर)

ग्राम हरसाऊ, जटवाड़ा कलां तथा बौहजा, गाजियाबाद की भूमि का मुआवजा

*33—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजियाबाद ने ग्राम हरसाऊ की दिनांक 28 दिसम्बर, 1963 तथा ग्राम जटवाडा कलां व ग्राम बौहजा की दिनांक 12 अक्तूबर, 1964 को धारा 4 में गजट होने वाली भूमि का मुआवजा किन-किन तिथियों के किन-किन दरों से घोषित किया ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि गाजियाबाद सुधार मंडल द्वारा 1963 में विकसित कर लिये गये नवयुग मार्केट की भूमि के प्लाटों से जो कि 1964 के आरम्भ में 111 रु० प्रति वर्ग गज तक नीलामी द्वारा बिके थे उससे तीनों ग्रामों की भूमि कितनी-कितनी दूर पड़ती थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी गाजियाबाद ने ग्राम हरसाऊ की भूमि का अभिनिर्णय 30 अप्रैल, 1968 को निम्नलिखित दरों से दिया:—

(1) सड़क के समानान्तर 100 गज चौड़ाई की पट्टी का मुआवजा रु० 2.50 प्रति वर्ग गज ।

(2) सड़क के समानान्तर 100 गज चौड़ाई की पट्टी के बाद वाली भूमि का मुआवजा रु० 1.90 प्रति वग गज ।

ग्राम जटवाड़ा कलां तथा ग्राम बौहजा की भूमि का अभिनिर्णय क्रमशः 23 सितम्बर, 1969 को तथा 23 जनवरी, 1970 को निम्नलिखित दरों से दिया गया:—

(1) सड़क के समानान्तर 100 गज चौड़ाई की पट्टी का मुआवजा रु० 2 प्रति वर्ग गज ।

(2) सड़क के समानान्तर 100 गज चौड़ाई की पट्टी के बाद वाली भूमि का मुआवजा रु० 1.50 प्रति वर्ग गज ।

नवयुग मार्केट की भूमि से ग्राम हरसाऊ की प्रश्नगत भूमि लगभग 3 मील, ग्राम जटवाड़ा कलां की 0.1 मील से 0.3 मील तथा ग्राम बौहजा की लगभग 0.3 मील दूर है ।

बुलन्दशहर जिले में ब्लाक डिबोई व दानपुर में रसायनिक खाद का वितरण

*34—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में ब्लाक डिबोई व दानपुर में 1971 में रसायनिक खाद बांटी गई है । यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक डिबोई, जिला बुलन्दशहर में कृषि बीज भंडारों द्वारा बांटा गया बाजरे का बीज

*35—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक डिबोई, जिला बुलन्दशहर में खरीफ 1971 में बाजरा का बीज कृषकों को बांटा गया था, जो नहीं उपजा ? यदि हां, तो जो किसान प्रभावित हुये हैं । क्या उनको मुआवजा दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

खरीफ 1971 में डिबोई विकास क्षेत्र, जिला बुलन्दशहर में कृषि बीज भंडारों द्वारा कृषकों को वितरित बाजरा के बीज की जमाव शक्ति 85 प्रतिशत अथवा अधिक थी । एसी स्थिति में उक्त बीज के न जमने पर तथा उसके लिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद सुधार मंडल द्वारा नवयुग मार्केट में डाक-तार विभाग को एलाट किया गया प्लाट

*36—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजियाबाद सुधार मंडल ने कामर्शियल सेक्टर नवयुग मार्केट म सस्ती दरों पर प्लाट डाक-तार विभाग को एलाट किया था तथा शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि में इस प्लाट पर निर्माण-कार्य न किये जाने पर इस प्लाट का आवंटन रद्द करने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

गाजियाबाद सुधार मंडल ने नवयुग माकट में एक प्लाट डाक तार विभाग को बाजार दर पर एलाट किया था । उसका पट्टा 11 जून, 1971 को निष्पादित तथा पंजीकृत हुआ है । पट्ट की शर्तों के अनुसार डाक-तार विभाग नीचे की मंजिल बनाने के लिये 10 जून, 1974 तक तथा ऊपर की मंजिलें बनाने के लिये 10 जून, 1976 तक बाध्य है । अतः एलाटमेंट रद्द करने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले के लिये नई किस्म के आलू के बीज का वितरण

*37—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के लिए इस वर्ष 1971 के लिये नई किस्म के आलू के बीज का कितना एलाटमेंट हुआ था। वह किस किस्म के आलू का बीज था। उस बीज को फर्रुखाबाद जिले में कितने किसानों में वितरित किया गया। क्या यह भी सही है कि फर्रुखाबाद में किसानों की मांग रहने के बावजूद भी काफी आलू का बीज इटावा भेज दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1971 में 1964 कुंटल नई किस्म के आल के बीज फर्रुखाबाद जनपद में वितरित हुआ।

उपरोक्त बीज कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी चमत्कार, कुफरी अलंकार व कुफरी शीतमान के थे। आधारित बीज फर्रुखाबाद जनपद के 68 कृषकों में वितरित किया गया तथा अनुमोदित व प्रमाणित बीज लगभग 300 कृषकों में वितरित किया गया।

जी हां।

कानपुर जनपद की मंडियों का गठन

*38—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की कौन-कौन मंडियों को मंडी अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है। क्या उन मंडियों में मंडी समितियों का विधिवत् गठन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

कानपुर जनपद को पुखराया मंडी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत विनियमित मंडियों के रूप में दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) आध्यादेश, 1971 के प्राविधान के अनुसार सभी मंडी समितियों, उसके सभापतियों एवं उप सभापतियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य संबंधित जिलाधिकारियों में निहित हो गये हैं। कानपुर जिले को रूरा, बरोपाल तथा चौबेपुर कलां मंडियों के मंडी क्षेत्र को घोषणा से संबंधित अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ राजकीय मुद्रणालय को भेजी जा चुकी है। इन तीनों मंडियों के क्षेत्रों की घोषणा दिनांक 20 जनवरी, 1972 से प्रभावी होगी। इस दिनांक से संबंधित जिलाधिकारी इन मंडी क्षेत्रों के प्रसंग में मंडी समिति, उसके सभापति तथा उप सभापति के कर्त्तव्य एवं अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खोले गये आयुर्वेदिक चिकित्सालय

*39—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय किन-किन जनपदों में किन स्थानों पर खोले गये हैं तथा इन चिकित्सालयों की स्थापना का क्या आधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस वर्ष प्रदेश में कुल 31 आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये जिनकी सूची संलग्न है।

नये चिकित्सालयों के लिये स्थानों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है।

1—निकटतम औषधालयों की दूरी पांच मील से अधिक हो ।

2—स्थान के पांच मील के घेर की जन-संख्या ।

3—भवन की उपलब्धता तथा यातायात की सुविधा ।

4—उत्तराखंड में जिलों के संबंधित जिला अधिकारी की संस्तुति तथा अन्य जिलों में जिला परिषद् की संस्तुति ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1206 पर)

*40—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न 31 के अन्तर्गत उत्तरित]

जौनपुर जनपद की ग्राम सभाओं को छोटे नलकूपों के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि

*41—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1970–71 में शासन द्वारा जौनपुर जनपद की ग्राम सभाओं को स्माल नलकूप के निर्माण हेतु ऋण की कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसका प्रयोग धर्मापुर, जलालपुर, केराकत विकास खंड के किन-किन ग्रामों में कितना-कितना किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

जौनपुर जनपद की ग्राम सभाओं को छोटे नलकूपों के निर्माण हेतु वर्ष 1970–71 में रु० 70,000 की धनराशि ऋण मद में आवंटित की गयी थी । विकास खंड धर्मापुर की ग्राम सभा धनेजा तथा लखनपुर को क्रमशः 9,000–9,000 की धनराशि दी गयी । विकास खंड जलालपुर व केराकत की किसी भी ग्राम सभा ने वर्ष 1970–71 में ऋण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था अतः इन विकास खंडों की ग्राम सभाओं को ऋण प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आगरा जिला अस्पताल में सिविल डिफेन्स के गोदाम का निर्माण

*42—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला अस्पताल में जो 25 हजार रुपया सिविल डिफेंस का गोदाम बनाने को मंजूर था वह अब तक बनकर तैयार हो गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो यह गोदाम कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्नगत निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त धन

*43—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मकान बनाने हेतु आवास एवं विकास परिषद् उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से वितरित वित्तीय वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में कितना रुपया प्राप्त हुआ ? उसमें से कितना रुपया परिषद् द्वारा इस हेतु खर्च किया गया तथा कितना भारत सरकार को वापस कर दिया गया तथा क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आवास एवं विकास परिषद् उत्तर प्रदेश प्रदेश को वित्तीय वर्ष 1969–70 तथा 1970-71 में मकानों के निर्माणार्थ भारत सरकार से कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई ।

*44—श्री हुकुमसिंह परिहार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोंडा जिले के कृषि अधिकारी द्वारा कर्मचारियों का निलम्बन

*45—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग, गोंडा में कृषि तथा प्रयोजनक अधिकारी ने जनवरी, 1971 से नवम्बर 15, सन् 1971 तक 38 कर्मचारियों को मुअत्तल कर रखा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें कोई चार्जशीट भी दी गई या नहीं और इस अवधि में उन्हें सस्पेंशन भत्ता कुल कितना दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

कृषि विभाग गोंडा में जिला कृषि अधिकारी, गोंडा द्वारा जनवरी, 1971 से 15 नवम्बर, 1971 तक 11 कर्मचारियों को, सरकारी स्टाक के अपहरण तथा उनके द्वारा राजकीय कार्य में उदासीनता दिखाने के अभियोग में, निलम्बित किया गया है । प्रायोजना अधिकारी गोंडा द्वारा किसी भी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया गया है ।

उपरोक्त निलम्बित कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा चुकी है और शेष 8 कर्मचारियों को, जो स्टोरों के इंचार्ज रहे हैं, चार्जशीट नहीं दी जा सकी है, क्योंकि उनके कार्यकाल की गड़बड़ियों की जांच जिला स्तरीय लेखा सहायकों द्वारा उनकी लेखा पुस्तकों से की जा रही है ।

उक्त निलम्बित कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों को 30 नवम्बर, 1971 तक का कुल रु० 4,693.19 के निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है । एक कर्मचारी को फरार रहने के कारण, अभी तक निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

*46—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[4थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा रिजर्व कोटे से दिये गये ट्रैक्टरों का आवंटन

*47—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने किस-किस व्यक्ति को सरकार के 5 प्रतिशत रिजर्व कोटे से कौन-कौन से ट्रैक्टर पहली जनवरी, सन् 1971 से 30 नवम्बर, सन् 1971 तक दिये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यू० पी० स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने 1 जनवरी, 1971 से 30 नवम्बर, 1971 तक 5 प्रतिशत रिजर्व कोटे से संलग्न तालिका में दिये व्यक्तियों को उनके सम्मुख उल्लिखित मक के ट्रैक्टर दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1207 पर)

आजमगढ़ जनपद के पंचायत मंत्रियों के वेतन के भुगतान में विलम्ब

*48—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में वे कौन-कौन से ऐसे पंचायत मंत्री हैं जिनके वेतन का भुगतान 6 माह या इससे अधिक दिनों से अभी तक नहीं हुआ है ? क्या उक्त अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों के आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए उक्त बकाया वेतन का भुगतान सरकार अविलम्ब करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आजमगढ़ जनपद के ऐसे पंचायत मंत्रियों की सूचना संलग्न है जिनकी थोड़ी-थोड़ी अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। यह अवशेष 6 माह से पुराने के हैं। भुगतान न होने का कारण प्रत्येक के सामने उल्लिखित हैं।

इनके शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1208 पर।)

*49–51—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

*52—श्री त्रिवेदी सहाय—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बदायूं जिले में लघु विकास योजना का कार्यान्वयन

*53—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लघु किसान विकास योजना बदायूं जिले के किस-किस विकास खंड में लागू है तथा क्या जिलाधिकारी, बदायूं ने उक्त योजना को उझियानी विकास खंड में भी प्रारम्भ करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

लघु कृषक विकास योजना बदायूं जिले के आसफपुर, बिसौली, गुन्नौर, सहसवान, बिनावर, वजीरगंज और अम्बियापुर विकास खंडों में लागू है।

जिलाधिकारी, बदायूं ने उझानी विकास खंड को परियोजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यह प्रस्ताव भारत सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भजा गया है।

*54–55—श्री रामधारी शास्त्री—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न 33–34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषदों के लिये परामर्शदात्री समितियों का गठन

*56—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला परिषदों के कार्य के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन समितियों में कौन-कौन होंगे और इनके गठन का आधार क्या होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (घ) के अधीन सभी जिला परिषदों में परामर्शदात्री समिति गठित की गई है जिसमें, जिले के समस्त विधायक, जिला पुलिस अधीक्षक तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सात गैर-सरकारी व्यक्ति सदस्य होंगे तथा जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे।

अर्चना प्रिंटिंग प्रेस, लालबाग, लखनऊ तथा आजाद ट्रेडिंग कम्पनी, बुलन्दशहर के प्रेसों में स्वास्थय विभाग के छपवाये गये फर्जी फार्म

*57—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 28 नवम्बर, 65 में श्री एन०एस० चौपड़ा, अनुसचिव उ० प्र० शासन की ओर से जी० ओ० सं० 3851—पी० एस० XVIII—जी—231—पी० एस०—65 द्वारा अर्चना प्रिंटिंग प्रेस, लालबाग, लखनऊ एवं आजाद ट्रेडिंग कम्पनी, बुलन्दशहर के प्रेसों में स्वास्थ्य विभाग के कितने मूल्य के कितने फार्म छपवाये गये हैं और क्या यह सही है कि यह जी० ओ० फर्जी था ? यदि हां, तो कौन कर्मचारी तथा अधिकारी दोषी पाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां,

जी० ओ० 3851 पी एस/18—जी—231—पी एस—65, दिनांक 28 नवम्बर, 1965 फर्जी पाया गया।

इस जी० ओ० के अन्तर्गत कितने फार्म छपवाये गये इसकी सूचना जिलों से एकत्रित की जा रही है। फैजाबाद, बस्ती, रामपुर, जौनपुर और इलाहाबाद को छोड़कर बाकी जिलों से जो सूचना उपलब्ध हुई है। उससे यह विदित होता है कि रु० 1,47,186.93 के मूल्य के फार्म इस जी० ओ० के अन्तर्गत छपवाये गये थे। इस मामले पर अभी सी० आई० डी० की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण यह कहना कि कौन कर्मचारी तथा अधिकारी इस मामले में दोषी पाये गये, सम्भव नहीं है।

स्वास्थ्य निदेशक ने जो विभागीय जांच की थी उससे वे इस निर्णय पर आये थे कि एक लिपिक श्री धर्मपाल इस मामले में दोषी है और निदेशक ने उन्हें निलम्बित भी कर दिया है।

*58—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले की बांसगांव विकास खण्ड के गांवों में हैन्ड पाइप तथा व्यक्तिगत नलकूप

1—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1969 से 30 सितम्बर, 1971 तक गोरखपुर जिले के बांसगांव विकास खंड में किन-किन गांवों में हैंड पाइप लगाये गये, किन-किन व्यक्तियों के नाम पर यह हैन्ड पाइप दिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1213 पर)

पर्वतीय जिलों की पेयजल योजना के लिये धन

2—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त विकास खंडों में कितने व्यक्तिगत नलकूप 1 जनवरी 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक किन व्यक्तियों के नाम स्वीकृत हुए ह उनके नाम क्या हैं ? उन्हें कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

विकास खंड बांसगांव, जिला गोरखपुर में 1 जनवरी, 1970 से 30 सितम्बर 1971 तक भूमि विकास बैंक के माध्यम से 44 व्यक्तियों को व्यक्तिगत नलकूप हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है जिसकी कृषकवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1216 पर)

गढ़वाल जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत मोटर सड़कें

3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों की पेयजल समस्याओं का समाधान करने के लिये कितने वर्षों का प्लान सरकार ने तैयार किया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

पर्वतीय जिलों की पेयजल व्यवस्था के लिये अलग से कोई प्लान नहीं बनाया गया है । इन जिलों की पेयजल योजनाओं के लिये प्रतिवर्ष अन्य जिलों की पेयजल योजनाओं के साथ आय-व्ययक में धन का प्राविधान किया जाता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों में प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों की पेयजल योजनाओं के लिये 294.634 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिये 134.84 लाख रुपये का प्राविधान है ।

गढ़वाल जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत मोटर सड़कें

4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में 'क्रैश प्रोग्राम' के अन्तर्गत कौन-कौन मोटर सड़कें बनायी जा रही हैं और भविष्य में कौन-कौन सड़क इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

त्वरित योजना के अन्तर्गत गढ़वाल जिले की तीन वर्ष की 37.50 लाख की परियोजना म निम्नलिखित मोटर सड़कें वर्ष 1971–72 से वर्ष 1973–74 तक बनाई जायेंगी:—

1—नैनीडांडा–धूमाकोट मोटर मार्ग ।

2—मरोडा-व्यासघाट मोटर मार्ग ।

3—अदवानी-मण्डनेश्वर मोटर मार्ग ।

4—चौवटाखाल देवराजखाल मोटर मार्ग।

5—सुंगरखाल्यू-सीकूखाल मोटर मार्ग ।

दो सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिनके नाम निम्न हैं:—

1—धूमाकोट नैनीडांडा ।

2—अदवानी-कजलीखाल-मुन्डनेश्वर

इलाहाबाद जनपद में जच्चा-बच्चा केन्द्र

5—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में कितने जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं और किन-किन स्थानों पर और सन् 1971 में कितने नये केन्द्र खोलन जा रही है ? इन्हें किन स्थानों पर खोला जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद इलाहाबाद में 108 जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं। केन्द्रों की सूची संलग्न है। सन् 1971 में कोई नया जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं था।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1218 पर)

जौनपुर जिले के विकास खन्ड धर्मापुरा, जलालपुर तथा केराकत में बाढ़ से प्रभावित भागों में बीज का वितरण

6—श्री उमानाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के विकास खंड धर्मापुर, जलालपुर, केराकत में सितम्बर, 1971 में आई बाढ़ से प्रभावित भागों में कितने बीज तथा खाद का वितरण किया गया ?

डाक्तर सीताराम—

जौनपुर जिले के विकास खंड धर्मापुर, जलालपुर तथा केराकत में सितम्बर, 1971 में आई बाढ़ से प्रभावित भागों में कृषि विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा 1,495 मैट्रिक टन खाद तथा 4,140 कुन्तल बीज का वितरण किया गया।

जिला परिषद्, बस्ती द्वारा नार्मल स्कूल के मैदान में बनी दूकानों का आवंटन

7—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री कृष्णदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बस्ती द्वारा नार्मल स्कूल,बस्ती के मैदान में क्वार्टरों का जो निर्माण गत वर्षों से हो रहा था वह बनकर तैयार हो गया ? यदि हां, तो 15 सितम्बर, 1971 तक किराये पर लेने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र आये ? और कितने को आवंटित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। उक्त दुकानों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

15 सितम्बर 1971 तक कुल 11 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। सभी को दुकानें दे दी गईं।

8—श्री कल्याण सिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर तीसरे मंगलवार के लिये स्थानान्तरित]

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में भर्ती मंत्रियों तथा विधान सभा के सदस्यों पर दवा आदि की बकाया धनराशि

9—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर, लखनऊ एलोपैथिक अस्पताल में 1970 तथा नवम्बर 1971 तक कितने मंत्री व एम०एल०ए० किस रोग के मातहत भर्ती हुए और उन पर क्या कोई अस्पताल में भर्ती रहने व दवाई आदि का खर्चा बाकी रह गया है ? यदि हां, तो किस पर और कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न सूची 'अ' तथा 'ब' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 1219 पर)

उन्नाव जिले के हसनगंज एलोपैथिक अस्पताल में रजिस्टर्ड रोगी तथा औषधियों पर व्यय

10—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत हसनगंज एलोपैथिक अस्पताल में सन् 1965 से नवम्बर, 1971 तक प्रत्येक वर्ष में कितने रोगी दर्ज रजिस्टर हुए तथा औषधियों के हेतु प्रत्येक वर्ष कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1228 पर)

गोंडा जिले में पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान तथा लघु सिंचाई कार्यों के लिये आवंटित धन

11—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में कूप निर्माण के लिए 2 लाख रुपया अनुदान (1971-72) के लिये स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो वह धन वितरित किया गया या नहीं ? यदि हां, तो उपरोक्त आधार पर कूप निर्माण के लिये सम्पूर्ण जिले से कितने प्रार्थना-पत्र नियोजन विभाग को दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 तक प्राप्त हुए उनमें से कितनों को 23 अक्तूबर, 1971 तक पैसा दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

(1) वर्ष 1971-72 में सुगम पेयजल योजना में कूप निर्माण हेतु कोई अनुदान गोंडा जिले में प्राप्त नहीं हुआ, अतएव उसके वितरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(2) 1969-70 से 23 अक्तूबर, 1971 तक पेयजल योजना के अन्तर्गत गोंडा में कूप निर्माण के लिये 417 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें स 335 प्रार्थना-पत्रों पर अनुदान स्वीकृत किया गया, तथा 74 प्राथना-पत्रों पर रु० 43,789.00 भुगतान किया गया ।

(3) लघु सिंचाई कार्यों के हेतु 1971–72 में गोंडा जनपद को रू० 80,000 का आवंटन किया गया है। इस आवंटन के विरुद्ध अभी तक गोंडा जनपद में कोई भी व्यय नहीं हुआ है।

गोंडा जिले में वितरित बीज तथा उर्वरक

12—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में गोंडा जिले को किस-किस प्रकार का कितना-कितना खाद एवं बीज दिया गया तथा इनमें से कितना मुफ्त व कितना ऋण के रुप में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

चालू वर्ष में गोंडा जिले में खरीफ में धान, मक्का, ज्वार तथा तिलहन बीज कुल मिला कर 748 कुन्तल तथा रबी में गेहूं, मटर और चना, का बीज कुल मिलाकर 16683 कुन्तल उपलब्ध किया गया।

खरीफ में किसानों को मुफ्त बीज नहीं दिया गया। 58 कुन्तल तकावी पर दिया गया। रबी में 6862 कुन्तल गेहूं मुफ्त दिया गया तथा 6061 कुन्तल गेहूं, चना और मटर का बीज तकावी पर दिया गया।

इस जिले में इस वर्ष 2208 टन नत्रजन, 545 टन फास्फोरस तथा 823 टन पोटाश उर्वरक उपलब्ध था। 2320 टन उर्वरक तकावी पर वितरित किया गया। कोई उर्वरक मुफ्त नहीं बांटा गया।

परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

13—श्री रामनिरोहर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1970 से अब तक कितने परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और उसमें कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आवश्यक सूचना जिलों से एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

गाजियाबाद नगरपालिका के शिक्षा अधीक्षक की नियुक्ति

14—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या गाजियाबाद नगरपालिका में शिक्षा अधीक्षक के पद पर अस्थायी नियुक्ति बहुत अर्से से चल रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और यह व्यवस्था अभी कितने समय तक और चलाई जावेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

नगरपालिका, गाजियाबाद के भूतपूर्व शिक्षा अधीक्षक की सेवानिवृत्ति के कारण 8–1–1971 से इस रिक्त पद पर तत्कालीन प्रशासक ने उसी पालिका के ही एक सहायक उपस्थिति अधिकारी को स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया है। शासन द्वारा इस पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

15—श्री कल्याण सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

16--श्री कल्याण सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ की बैठकें

17—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ लिमिटेड, के कार्यकारिणी प्रादेशिक कमेटी तथा उप-समितियों की 1-1-1969 से 25-11-71 तक कितनी बैठकें हुई ?

डाक्टर सीताराम--

जनवरी 1, सन् 1969 से 25-11-71 तक उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ की कार्यकारिणी, प्रादेशिक कमेटी तथा विभिन्न उप समितियों की हुई बैठकों की संख्या निम्न प्रकार है :--

नाम समिति/उप समिति	बैठकों की संख्या
1—कार्यकारिणी समिति	17
2—प्रादेशिक कमेटी	3
3—स्थापन उप समिति	17
4—प्राशासकीय उप समिति	7
5--खाद उप समिति	21
6—प्रेस तथा स्टेशनरी उप समिति	6
7--अर्थ समिति	4

विकास क्षेत्र सकीट, जिला एटा के अन्तर्गत सेनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा लिये गये सेम्पुल

18--श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र सर्कीट, जिला एटा के अन्तर्गत सेनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा सन् 1970-71 तक कितने सेम्पुल लिए गए, उनमें से कितने सेम्पुल पास हुए और कितने खराब पाए गए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सम्बन्धित क्षेत्र के सैनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा वर्ष 1970 में 25 सेम्पुल लिये गये जिसमें 21 पास हुए और 8 खराब पाए गये। वर्ष 1971 में 26-12-71 तक 21 सेम्पुल लिय गये, जिसमें अभी 12 की जांच हो सकी है उसमें 8 पास किये गये और 4 खराब पाए गय। वित्तीय वर्ष 1970-71 में कुल 24 सेम्पुल लिये गये, जिनमें 20 पास हुए तथा 4 खराब पाए गय।

19—श्री कल्याण सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश के जिलों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण

20—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दियेगये परन्तु वहां पर भवन अदि की व्यवस्था नहीं है ? क्या वहां भवन बनवाने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए गए हैं। इनमें से 57 केन्द्र, जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है, का चिकित्सा विंग उपर्युक्त भवन आदि की व्यवस्था न होने के कारण अभी कार्य नहीं कर रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन बनवाने की स्वीकृति दी गई है। अतिरिक्त धन की व्यवस्था होने पर और भवन भी बनावाए जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 1229 पर)।

मंत्री द्वारा तथा कथित गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत्)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह ने अभी एक प्रश्न लिखित मेरे पास भेजा है। मैं समझता हूं कि प्रश्नों के बीच में एक क्षण का भी समय नष्ट नहीं होना चाहिये। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गए प्रक्रिया सम्बन्धी करण, द्वितीय अंक के पृष्ठ 46 पर नम्बर 207 पर दी गई व्यवस्था की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है:—

> "सदन में शासन की ओर से दी जानें वाली सूचना की सत्यता का दायित्व—सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जाएगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।"

तो मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है, यह साफ है। (श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर) अब इसमें आपको बोलने की क्या आवश्यकता है? मंत्री को दायित्व से बरी तो नहीं किया गया लेकिन अगर गलतबयानी हुई है तो उस अधिकारी को दंडित करेंगे जब यह सिद्ध हो जाएगा कि यह बयान गलत है.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

सवाल यह है....

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो आपने लिखकर दे दिया है....

श्री मैनेजर सिंह--

मेरी बात तो सुन लें....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके कागज पर ही व्यवस्था दे रहा हूं। पूरी बात सुन लें।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरी बात तो सुन लें·····

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता। आप कृपा कर बैठें····

श्री मैनेजर सिंह---

पहले मेरी बात सुन लें····

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपको इतना भी औचित्य का ज्ञान नहीं है कि जब मैं कोई बात कह रहा हूं, बिना उसको पूरी तरह से····

श्री मैनेजर सिंह---

आप मास्टर रहे हैं। आप समझते हैं कि सब अज्ञानी बैठे हैं···

श्री उपाध्यक्ष---

आपको औचित्य का ज्ञान नहीं है····

श्री मैनेजर सिंह---

आपको नहीं है। आप मेरी बात सुन लें···

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप आसन ग्रहण करें।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरी बात तो आप सुन लें···

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैं इस तरह से इजाजात नहीं देता। आप आसन ग्रहण कर। यह सदन है···

श्री मैनेजर सिंह---

आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिये····

श्री उपाध्यक्ष---

यदि कोई सदस्य यह समझे कि वही सब कुछ जानता है····

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

आप सदन की मर्यादा कम कर रहे हैं। आप इतने क्रुद्ध होकर बोलते हैं कि सदन का वातावरण दूषित हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मैनेजर सिंह--

आप सुनिये·····

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

आप धमकी मत दीजिये मार्शल की, आप विवेक से सदन को चलाइये। आप हमें इतना मूर्ख समझते हैं, यह आपकी कमजोरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो इस तरह से कार्य करता है तो उसके लिए दन्ड है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री मैनेजर सिंह और श्री बांके लाल इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो दंडनीय है।

श्री बांके लाल--

आप दण्ड देंगे, आपका व्यवहार उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सजा देंगे। मैं डर नहीं सकता। सदन नहीं चलेगा इस उद्दन्डपन के सबब से।

श्री बांके लाल--

तो सदन एक दिन भी नहीं चलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आप तो शान्त हो जाइये, ये तो अज्ञानी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह कह रहा था कि विशेषाधिकार के भंग के सवाल को मैं खारिज करता हूं। यह विशेषाधिकार के भंग की कल्पना क बाहर की चीज है।

श्री मैनेजर सिंह--

आपकी सब बात लिखी जायेगी। आप प्रलाप कर रहे हैं। एक एक शब्द लिखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों बार-बार हल्ला कर रहे हैं। आपका हल्ला, आपकी आवाज दबा दी जायेगी।

श्री बांके लाल--

सबसे ज्यादा हल्ला आप कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

वह मुझसे कह गये हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उपस्थित कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं हो सकता है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये उसी को खड़ा होना चाहिये।

श्री राम कुमार दीक्षित--

वह मुझसे कह गये थे कि पढ़ देना।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको पहले सचिवालय को सूचित करना चाहिये था कि माननीय सदस्य ने मुझे अधिकृत किया है। ऐसी हालत में अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10-1-72 की बैठक में सदन के दिनांक 11, 12 18, 19 व 20 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की :--

(1) दिनांक 11 जनवरी, 1972 को उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण विधेयक, 1972 तथा उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि वे विधान परिषद् द्वारा पारित हुए हैं, पर वचार एवं उनका पारण हो।

(2) दिनांक 12 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 3 बजे तक भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1970, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण हो।

(3) दिनांक 12 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 3 बजे से 18 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 4 बजे तक उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार तथा उसका पारण हो।

(4) दिनांक 18 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 4 बजे से 19 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 5 बज तक तथा 20 जनवरी, 1972 को, अपरान्ह 2 बजे तक संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, 1971 क अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण हो।

(5) दिनांक 20 जनवरी, 1972 को अपरान्ह 2 बजे से (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार समाप्त करके उसका पारण हो, तथा

[श्री उपाध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 के उपनियम (घ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1971–72) के प्रथम प्रतिवेदन के, जो दिनांक 19 जुलाई, 1971 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पृष्ठ 1 पर प्रस्तावित नियम 14 और पृष्ठ 7 पर नियम 216 के प्रस्तावित उप नियम (4) पर श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, सदस्य, विधान सभा की आपत्ति और उनमें संशोधन पर विचार हो।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

श्रीमन, मैं आपका ध्यान पिछली बार माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार पर भी विचार के लिये वे समय देंगे, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ने पहले तो डिस्कशन के लिये साढ़े 3 घंटे का समय रखा था, किन्तु बाद को कहा कि यह किताब छपवाकर बाट दी जायेगी उसके बाद विचार होगा। तो यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इस पर भी विचार होना चाहिये। उस पर विचार कब होगा? उसे तो अध्यक्ष जी ने तय कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष––

कार्यमंत्रणा समिति में जो तय हुआ वह मैंने आपके सामने रखा, अब अध्यक्ष जी ने क्या कहा है उसको हम देख लेंगे।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी)––

श्रीमन्, यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विधान सभा के 11, 12, 18, 19 व 20 जनवरी, 1972 के कार्य क्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को, जिनकी सूचना सदन को आज दी गयी, स्वीकार करता है।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विधान सभा के 11, 12, 18, 19 व 20 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गयी शिफारिशों को, जिनकी सूचना सदन को आज दी गई, स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

वित्त मंत्री (श्री नारायण तिवारी)––

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं कि 13–17 जनवरी तक बैठकें नहीं होंगी क्योंकि कुछ माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि क्या सदन बराबर चलता रहेगा? कुछ साथियों ने पूछा था इसलिय यह स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

श्रीमन् मैंने कल भी प्रार्थना की थी कि बहुत से महत्व के कार्य ऐसे बाकी पड़े है कि जिन पर विचार होना बाकी है जैसे लोकलेखा समिति की रिपोर्ट पर विचार, अपने इस सचिवालयके पुनर्गठन से संबंधित रिपोर्ट पर विचार, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार तथा इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की बैलेन्सशीट पर विचार करना आदि इतने महत्व के विषय जो सदैव एजेन्डे के आखिर में डाल दिये जाते रहे हैं और बाद को इन पर विचार के लिये कभी समय नहीं मिला है। मेरी आपसे प्रार्थना है और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना है

कि वे इसके लिये समय दें। मैं चाहता हूं कि आपसे इस अधिकार पर कोई आघात से नहीं आये, आप स्वयं इसके लिये कोई समय निर्धारित करें।

कल यहां यह विचार व्यक्त किया गया कि हम इतने दिन तक सदन चलायेंगे वह ठीक है आप बहुमत में है जो चाहें निर्णय लें, आपका अधिकार है। लेकिन जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार से हमारे हित की रक्षा करें और विरोधी दल के लोग जो अपने विचार प्रकट करना चाहते है, उनको अवसर दें। कार्यमन्त्रणा समिति के इस निर्णय क बाद ऐसा न हो कि दूसरी मीटिंग न होकर सदन उठ जाए और जो उन्होंने कहा था वहां नहीं जा सकते, उसको मैं दुहराना नहीं चाहता, मैं नहीं जानता उसका क्या कारण था।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, बावजूद इसके कि कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम को सदन ने स्वीकर किया है और हम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और हम मानते हैं, लेकिन जो कुछ त्रिपाठी जी ने कहा है, यह सवाल आपके सामने आया था। हम लोगों की यह राय थी, जैसा बंशीधर पांडेय ने कहा, सहकारी फेडरेशन की रिपोर्ट पर विचार या दूसरी रिपोर्टों पर बिचार जिनकी चर्चा त्रिपाठी जी ने की, अवश्य होना चाहिये। इन सभी विषयों पर विचार के लिये माननीय सदस्यों को समय मिलना चाहिये। सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इन रिपोर्टों पर यदि विचार नहीं होगा, सब कमेटियों की रिपोर्टों पर विचार नहीं होगा तो श्रीमन्, जो भावना उन अधिनियमों में इस सदन के सामने वित्तीय विवरण रखने की है, वह खत्म हो जाती है। इससे प्रजातंत्रीय पद्धति को आघात पहुंचता है। आप मेहरबानी करके कोई न कोई समय सरकार से निश्चित करायें और इस सदन को कल तक इस बात की सूचना आ जाये कि फिर से सदन कब बैठेगा और अब इन रिपोर्टों के बारे में चर्चा हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि जो सवाल प्रस्तुत किये गये हैं। उन पर विचर किया जाये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम के आधार पर जो प्रस्ताव आया है, वह सर्वसम्मत है। लेकिन जो काय बाकी रह गया है कार्यसूची के अनुसार, वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका सम्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिये लोक लेखा समिति की सन् 67–68 की रिपोर्ट अभी तक सदन के विचार के लिये बाकी पड़ी है। जिस तरह से जन-धन की क्षति हो रही है जिसका उदाहरण हमारे सामने माननीय विद्युत मंत्री के विभाग में 31 लाख रुपये का केवल एक जगह गबन हुआ है, इसका कुछ कहना नहीं है। इस तरह से लोक लेखा समिति और दूसरी समितियों की रिपोर्टों पर विचार का हम मौका नहीं मिलेगा तो जन-धन की बड़ी भारी हानि होती चली जायेगी। इसके अलावा वीरभद्र कृषक सहकारी समिति के संबंध में आश्वासन समिति की रिपोर्ट भी बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, उसमें हरिजनों के नाम पर 11 हजार एकड भूमि ले ली गई है। तो एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जनहित की रक्षा करें और सरकार को मजबूर करें कि वह हमको मौका दे उन पर भी विचार करने के लिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जो यह प्रस्ताव कार्य-मंत्रणा समिति का आया है उससे पता चलता है की यह सदन 20 तारीख से आगे नहीं चलेगा कार्यमंत्रणा समिति ने एक कार्यक्रम पास किया है। लेकिन

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इस सदन के भी कुछ अधिकार हैं । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्टें आई है, उनमें कुछ अनियमिततायें कही गई हैं। यह सदन उन पर विचार न करे तो आप की पी० ए० सी० ही बेकार हो जाती है । लोग यह समझने लगेंगे कि वह कमेटी चाहे तो भी संस्तुति कर, शासन उन पर विचार नहीं करेगा । यह आपका अधिकार है । आप सदन के अधिकारों की रक्षा करें । कहीं यह न हो कि सरकार 20 तारीख से आगे न चलना चाहे और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और अश्योरेंस कमेटी की रिपोर्टें बेकार हो जायं । हमारा आपसे निवेदन है कि आप सदन के अधिकारों की रक्षा करें और मान्यवर आप इसमें सक्षम भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब की राय वही है ।

"सभा के उपवेशन---(1) सत्र के प्रारम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देखकर तथा सदन-नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करें ।" नियम 14 है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

"परामर्श" है याद रखिये । अंतिम निर्णय आपका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

हमको क्या बता रहे हैं आप । अगर आप सब से सुनें तो यह साफ है, जो आपकी आशंका है दूर हो जायगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपको आज्ञा से एक इंटरफेरेंस करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सुनें कृपया । आपने जो विचार व्यक्त किया, गवर्नमेंट की राय आवश्यक है, इस पर मुझे कहना था । यह जो नियम की स्थिति है उसके बारे में मैं अवगत करा रहा हूं । "सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देख कर" आपका भी यही कहना है कार्य की स्थिति देख कर ।

श्री महीलाल---

यही निवेदन मैं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह क्यों निवेदन कर रहे हैं, क्यों बीच में खड़े होते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

जो आप कह रहे हैं वही हम लोग निवेदन कर रहे हैं । जो हम लोग कह रहे हैं उसकी आप पुष्टि कर रहे हैं । आपका अधिकार अंतिम है ही । आपको व्यापक अधिकार है । आप हुक्म दे दें तो दो दिन बहस हो जाय । बहस करवा दीजिये । यह प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम की स्थिति के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसका क्या अभिप्राय है । यह मैं रख रहा हूं आपके सामने जो आशंकायें उठी हैं । एक आशंका उठी है, कार्य है और हम उठ जायेंगे । उसी का निवारण इससे कर रहा हूं, "काय की स्थिति को देख-

कर" फिर "सदन नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करेंगे" मान लीजिये कल आपको आभास लगा कि 20 तारीख को विधान सभा समाप्त हो रही है। अगर काम बढ़ जाय, सरकार और आप भी बैठना चाहें, तो मुझे उठने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यहीं पर, आपने कहा बैठना चाहें। जब कार्यक्रम मौजूद है, जिसको आप आवश्यक समझते हैं, तो आपका निर्णय होगा, परामर्श तो आप करेंगे, परामर्श करने के बाद निर्णय तो आप देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अंतिम निर्णय आपका है। परामर्श आप ले लीजिये।

श्री मैन्जेर सिंह--

हम लोग मानते हैं। तिवारी जी मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं तो सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कार्य-मंत्रणा समिति में कल ढाई घंटे मेहनत करके सारी विषयावली को बनाया। मैं अनुगृहीत हूं। सबको मिलकर कार्य को चलाना है सरकार का ही कार्य नहीं है। सारे सदन का कार्य है। मैं उन सब बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जिन्हें कल कह चुका हूं। आपको भलीभांति ज्ञात है कि पहले निर्णय यह था कि 12 जनवरी तक सदन चले लेकिन सम्मानित नेताओं की आज्ञा पर सदन को 20 जनवरी तक चलाने का निर्णय हुआ। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं समय निर्धारित कर दें लिहाजा जो प्राथमिकतायें निर्धारित की गयीं वे सर्वसम्मति से हुई और उनके आधार पर समय का आवंटन किया गया। यह सही है कि कुछ कार्यक्रम बाकी रह गया है उसके लिये यह नहीं है कि बाद को नहीं मिलेंगे अथवा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उस पर हम बाद में मिलेंगे और तभी विचार कर लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस संबंध में मैं दोबारा नहीं कहना चाहता था लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि जो चीज रह गयी है उसको बाद में देख लेंगे क्योंकि उनके पास समय होगा, इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछली बार कुछ कार्यक्रम रह गया, आज फिर कुछ कार्यक्रम रह गया और आगे भी रह सकता है। मेरा निवेदन है कि कई बार हम इस तरह से छोड़ चुके हैं, लिहाजा इस बार न छोड़ें।

अध्यक्ष की कुर्सी निष्पक्ष रहती है क्योंकि वह किसी दल से संबंधित नहीं रहते और उसका कारण यही है कि वह हमारे हित की रक्षा करते हैं। हमारा हित क्या है, यही कि सरकार के छिद्र सामने लावें जिनसे जनहित की हानि होती है। जो महत्वपूर्ण रिपोर्टस होती हैं, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट्स वे व्यर्थ नहीं होतीं और उनके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इससे महत्व का कौन सा अन्य समय आयेगा जब कि हम उन पर विचार कर सकें। आपका कर्त्तव्य है कि आप परामर्श अवश्य कर लें लेकिन आपके लिये आबलिगेटरी नहीं है। एमर्जेंसी खत्म हो चुकी है, फिर अब कौन सा कारण आ गया कि आगे नहीं बैठ सकते। इस पर आप विचार कर लें कि जो कारण दिये जायें वे मुनासिब हैं या नहीं लेकिन इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि अगर इन बातों पर चर्चा नहीं हुई तो निश्चित है कि आगे बजट सेशन आने वाला है फिर उन पर चर्चा नहीं हो सकती और न कोई महत्व ही उन पर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

दलों के नेताओं के आग्रह को मैं समझ गया ।

(श्री राजबिहारी सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक बात मुझे कहनी थी । अगर गैर सरकारी दिनों के संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं । वह चीज मेरे दिमाग में है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मुझे भी यह निवेदन करना है कि श्रम मंत्री जी की ओर से सूचना चाहिये थी क्योंकि 40 लाख से ऊपर का गबन का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दे सकता । सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मैं बुला चुका हूं । चर्चा का विषय था तो प्रश्नों के अन्त में आपको उठाना चाहिय था । कक्ष में बातचीत कर लीजियेगा ।

उजियार घाट, जिला बलिया के घाट को एक व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिये ठेका दिये जाने के संबंध में वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

जिला बलिया में उजियार घाट फेरी पर टोल एकत्रित करने के ठेके के संबंध में वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है :—

वाराणसी जिले में रामनगर-विश्वविद्यालय घाट के पथ-कर वसूली का ठेका 3—6—69 से तीन वर्ष के लिये श्री बृजेंद्रनाथ उपाध्याय को दिया गया था । इस पुल पर पथ-कर वसूली विरुद्ध अरसे से आन्दोलन चल रहा था । इस आन्दोलन का आधार यह बताया जाता था कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा था कि इस पुल पर पथ-कर वसूल नहीं होगा । शासन ने निश्चित किया कि इस पृष्ठ भूमि में पथ-कर वसूली बन्द की जाय, यह पुल विभागीय प्रबन्ध में लिया जाय, और वर्तमान ठेकेदार को ठेके की अवशेष अवधि समर्पण करने के एवज किसी अन्य फेरी का ठेका दिया जाय । ठेकेदार से अवशेष अवधि के संबंध में मुकद्दमेबाजी होने से निर्णय के कार्यान्वयन में बिलम्ब होता इसलिये उससे समझौता करके व्यवस्था करना उपयुक्त समझा गया । ठेकेदार ने रामनगर घाट के उजियार घाट के ठेके की मांग की, जिस की अवधि और शर्तों का तय करने का अधिकार आयुक्त वाराणसी मंडल को दिया गया । नार्दन इंडिया फैरीज अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसी व्यवस्था बिना नीलाम के करने की सक्षमता है । आयुक्त, वाराणसी मंडल ने 30 नवम्बर को आदेश दिया कि जब तक इस घाट पर पुल न बन जाये उक्त अवधि तक का घाट का ठेका श्री बृजेंद्र नाथ उपाध्याय को 1,40,000 रु0 प्रति वर्ष पर देकर विभागीय प्रबन्ध हटा लिया जाय । यह रकम उन्होंने इस घाट पर वसूली के पिछले 15 वर्ष की औसत आय पर निश्चित किया । इस आदेश के आधार पर ठेकेदार ने 1 दिसम्बर, 1971 से घाट पर पथकरवसूली का कार्य ले लिया और रामनगर फेरी के ठेके की अवशेष अवधि को समर्पित किया । श्री बृजेंद्र नाथ उपाध्याय एक नवयुवक स्नातक हैं और इनके विरुद्ध कोई बात प्रमाणित नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह घाट इसी ठेकेदार के पास इसके पूर्व काफी दिनों से था और इस बात को देखते हुये कि वहां पर बड़ी ज्यादती होती है पिछली सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने यह फैसला लिया था कि इस घाट को कभी भी इस ठेकेदार को न दिया जाय, यदि हां, तो जनता की इस भावना को देखते हुए इसके विपरीत इस ठेकेदार को यह घाट क्यों दिया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह--

इस ठेकेदार के पास बलिया के उजियार घाट का ठेका इसके पहले नहीं था । सरकार जन-प्रतिनिधियों का आदर करती है । वहां के जितने भी प्रतिनिधि हैं वह इसके बहुत पक्ष में थे कि इसी ठेकेदार को यह ठेका दिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पूर्व उनका ठेका कैंसिल हुआ था या नहीं ? यदि कैंसिल हुआ था, वह किस आधार पर हुआ था ?

श्री राजबिहारी सिंह--

पहले ऐसा नहीं हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या यह सही है कि जब घाट इस ठेकेदार को देने का विचार चल रहा था तो मा० राजस्व मंत्री ने अपना विचार इसके विपरीत प्रकट किया था कि इसको घाट न दिया जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह--

वह मैंने अपनी राय दी थी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घाट से पी०डब्यू० डी० को 71-72 में 1 लाख 72 हजार रुपय की आमदनी हुई और इस वर्ष 1 लाख 45 हजार की आमदनी हुई है तो ऐसी सूरत में इतने कम पर देने का क्या औचित्य है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

यह सही है कि इसके पहले इससे अधिक आमदनी हुई है लेकिन पिछले 15 वर्षों में सरकारी व्यय को घटाने में के बाद इस ठेके से आमदनी कभी भी 50 हजार से ऊपर नहीं हुई है । इस बात को देखत हुय 1 लाख 45 हजार शुद्ध लाभ पर ठेका दिया गया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मंत्री जी ने जो अपनी राय दी थी वह किस आधार पर पलट गई उसके क्या कारण थ ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह विभाग पूर्णरूप से मुख्य मंत्री के अधीन है । राज्य मंत्री या उप मंत्री उनकी ओर से काम करते हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

उनकी राय तो अपनी जगह पर बहुत महत्व रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कैबिनेट स्तर के मंत्री की जिम्मेवारी है । राज्य मंत्री या उपमंत्री उनके सलाह मशविरे के लिये हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

राय तो नहीं है किन्तु किस आधार पर उन्होंने नहीं कहा और किस आधार पर हां कहा गया है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

मैंने तो माननीय मुख्य मंत्री जी को राय दी थी और यह कहा था कि ठीक ही है । विभाग को किसी प्रकार से नुक्सान नहीं होना चाहिये । ठेके का जो पैसा है उसके आधार पर दिया जाय.....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह बात साफ हो गई कि इस ठेके को पी० डब्लू० डी० अबतक चलाता रहा है । अभी भी मुझे जानकारी है कि सारे पुल वगैरह बनाने का काम पी० डब्लू० डी० ही कर रहा है । मैं निवेदन करूं कि सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वे मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि यह घाट जिसे आज पी० डब्लू० डी० ले रहा है तब आप उसकी सारी चीजें खत्म कर रहे हैं और व्यक्तिगत ठेकेदारी की तरफ क्यों जा रहे हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब पी० डब्लू० डी० ही इसको चलाता है उसकी नाव वगैरह बनाता है तो टैक्स की वसूली पी० डब्लू० डी० क्यों नहीं करता है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है । जब यह चीज तय हो जायेगी तो ठेकेदारी कैंसिल कर दी जायेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री....

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, यह सवाल तो नियम 52 में चर्चा के लिये दिया गया था.... (व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस पर चर्चा होनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रश्न केवल वक्तव्य के लिये होते हैं उस पर आप सिर्फ स्पष्टीकरण ही मांग सकते हैं । अब माननीय पांडेय जी ने उम्मीद की बात कही उसके बारे में मंत्री जी ने बता दिया । अब हम आगे चलते हैं....

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, केवल एक सवाल पूछ लूं शायद उससे स्थिति साफ हो जाय कि क्या श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी० ने कोई पत्र इस संबंध में सरकार को लिखा है ? अगर हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो हम आगे चले गये हैं । आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं । जोकि इससे ताल्लुक रखता हो ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसी से वह ताल्लुक रखता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरे पक्ष से निराकरण चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इसमें नियम 52 के अन्तर्गत इजाजत दे दें । हमने आपको इसे चर्चा के लिये दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस पर 40 आदमियों की राय थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मालूम है कि मैंने इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था और वही वक्तव्य यहां पर दिया गया है । अब इसमें तथ्यों के प्रकाश में आप नया सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । आप कृपा कर इसमें चर्चा का मौका दें ।

बदायूं नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन तथा वर्दी न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

इस मामले में जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं से जो रिपोर्ट 8 जनवरी, 1972 को प्राप्त हुई है उसके अनुसार बदायूं नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग 200 है, द्वारा 3 जनवरी, 1972 से कोई हड़ताल नहीं की गई है, और न ही इस संबंध में दफा 144 जा० फौ० ही लगाई गई है । इन कर्मचारियों ने सफाई का कार्य बन्द नहीं किया है । नगर की सफाई की स्थिति सामान्य है । इस संबंध में किसी प्रकार के तनाव का वातावरण नहीं है ।

2—उपर्युक्त कर्मचारियों ने नगरपालिका, बदायूं को अपनी कुछ मांगें पेश की हुई हैं जैसे सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ी हुयी जन संख्या के आधार पर वृद्धि किया जाना, शासन द्वारा निर्धारित शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन वर्दियों का नियमित रूप से दिया जाना, महंगाई

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

भत्ता, नगरपालिका के अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति दिया जाना आदि । यह कहना सही नहीं है कि इन सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है । वस्तु-स्थिति यह है कि सितम्बर माह का वेतन 26 अक्टूबर, 1971 को तथा सितम्बर व अक्टूबर, 1971, दो महीनों का वेतन इन कर्मचारियों को वितरण हेतु दिसम्बर 2, 4 व 6, 1971 को निकाला गया था, परन्तु इन कर्मचारियों ने अपनी अन्य मांगें अपने हिसाब से मनवाने के हठ में वेतन लेने से इंकार कर दिया और 7 दिसम्बर, 1971 को उक्त वेतन को बिना वितरित किये वापस जमा करना पड़ा । पिछले कुछ महीनों के इन कर्मचारियों के वेतन के वितरण की स्थिति निम्नवत् हैं :—

वेतन का माह	माह जिसमें निकाला गया तथा वितरित किया गया
जून, 1971	14-7-1971
जुलाई, 1971	11-8-1971
अगस्त, 1971	21-9-1971
सितम्बर, 1971	26-10-1971 (सफाई कर्मचारियों द्वारा इंकार किया गया तथा 17-11-1971 को वापस जमा किया गया)
सितम्बर व अक्टूबर, 1971	दिसम्बर 2,4 व 6,1971 (लेने से इंकार किया गया तथा 7-12-71 को वापस जमा किया गया)
सितम्बर व अक्टूबर 1971	30-12-71 को पुनः निकाला गया } (नवम्बर 1971 का वेतन 15-1-1972 तक तथा दिसम्बर 1971 का वेतन 25-1-1972 तक निकाला जायगा)

उक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस विषय में जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं से कई बार मिल चुके हैं । दिनांक 24 दिसम्बर, 1971 को जब वह जिला मैजिस्ट्रेट से अंतिम बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वह दो माह (सिम्तबर तथा अक्टूबर, 1971) का वेतन ले लेंगे और शेष वेतन (नवम्बर तथा दिसम्बर, 1971 का) उन्हें जनवरी, 1972 में दे दिया जाये । अतएव, माह सितम्बर व अक्टूबर, 1971 का वेतन वितरण हेतु नगरपालिका, बदायूं द्वारा 30 दिसम्बर, 1971 को पुनः निकाल लिया गया है तथा पालिकाध्यक्ष ने माह नवम्बर, 1971 का वेतन 15 जनवरी, 1972 तथा माह दिसम्बर, 1971 का वेतन 25 जनवरी, 1972 तक भुगतान करने का आश्वासन दिया है । जिला मजिस्ट्रेट ने शासन को सूचित किया है कि उक्त सफाई कर्मचारीगण अपने हठ पर अड़े हुये हैं और सितम्बर तथा अक्टूबर, 1971 माह का वेतन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब कुछ ऐसी जिद हो गई है कि वे चारों माह सितम्बर से दिसम्बर, 1971 का वेतन एक साथ ही लेना चाहते हैं ।

3--सफाई कर्मचारियों की वर्दी की मांग सर्कुलर शासकीय आदेशों के अनुसार है । नगरपालिका ने अपनी आर्थिक स्थितिवश पिछले वर्षों की वर्दी देने में असमर्थता प्रकट की है । नगरपालिका ने 15 दिसम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए प्रस्ताव के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि पिछली वर्दी देना संभव नहीं है और वर्तमान वर्ष की ठंडी व वर्ष 1972 की गर्म वर्दी शासकीय अदेशानुसार इन सफाई कर्मचारियों को दी जावेगी ।

4--मंहगाई भत्ते के बारे में नगरपालिका, बदायूं ने अपने प्रस्ताव दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 द्वारा यह निश्चय किया है कि सर्कुलर शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 1962 व सर्कुलर

शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1966 के अन्तर्गत क्रमशः रु० 4.50 व 10.00 रुपये के भत्ते जनवरी, 1972 की तनख्वाह से बजट की स्वीकृति के बाद दिया जावे ।

5--नगरपालिका, बदायूं के सफाई कर्मचारियों की उपर्युक्त मांगों के प्रति शासन जागरूक है । दिसम्बर, 1971 में शासन ने जिला मैजिस्ट्रेट बदायूं को यह आदेश जारी किय थ कि वे उपर्युक्त कर्मचारियों को शासन के सामान्य आदेशों के द्वारा स्वीकृत सभी सुविधायें जो उनको इस समय प्राप्त नहीं ह, नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें और उक्त आदेश के अनुक्रम में शासन ने इस माह के आरम्भ में जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं को पुनः लिखा है कि वह व्यक्तिगत रुचि लेत हुय इन कर्मचारियों की उक्त मांगों की पूर्ण जांच करायें तथा नियमानुसार उचित मांगों को नगरपालिका, बदायूं से पूरा करायें और इस संबंध में की गई कायवाही से शासन को दो सप्ताह के भीतर अवगत करायें ।

6--जिला मैजिस्ट्रेट से मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर शासन यथोचित कार्यवाही करगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में वे स्वयं बदायूं गये और उन्होंने जिलाधीश को आदेश दिये थे कि इन मांगों को तुरन्त स्वीकार करे और उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्या यह सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बदायूं का मामला बहुत पुराना इश्यू है और बड़ा गम्भीर है । चार महीने से वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला बावजूद इसके मंत्री जी स्वयं फैसला करके आये और यह आश्वासन दिया कि तुमको तनख्वाह मिलेगी और 13 तारीख को डिप्टी होम मिनिस्टर ने भी यह हिदायत जारी की कि इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिये । लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हो रहा है और सदन के अन्दर चेयरमैन के बारे में सवाल चल रहे हैं कि यह नादिरशाही चलाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि केवल वक्तव्य से काम चलने वाला नहीं है । अगर आप एक घंटे की चर्चा करा दें तो हम लिख कर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा का समय कहां है ?

श्री रियासत हुसैन--

आज नहीं, फिर किसी दिन दे दें । यह बड़ा गम्भीर सवाल है । मंत्री जी गये और डिप्टी होम मिनिस्टर गये लेकिन कुछ नहीं हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जब जिलाधीश को मंत्री जी ने आदेश दिया कि इनकी मांगें न्यायोचित हैं, उनको पूरा करायें तो जिलाधीश के कहने पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या मंत्री जी नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, इसकी जांच की जा रही है और यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डाला गया कि वह मसले को तय करें । मुझे आशा है कि इन मसलों का निपटारा होगा और जो अनियमितता के कार्य हैं उनके लिये कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी इस नगरपालिका को भंग करके अपने हाथ में लेने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिये विचार करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, अगर ऐसा होगा तो यह भी किया जायेगा और सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 62-66 के अन्तर्गत दिलाया था वह वहां के लोगों को उस समय दिया गया लेकिन इन सफाई कर्मचारियों को आज तक नहीं दिया गया और अब दे रहे हैं तो 1 जनवरी, 1972 से दे रहे हैं तो क्या कारण है कि एक प्रकार के सफाई कर्मचारियों को मिला और दूसरों को नहीं मिल रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

शासनादेश के बाद जो महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिये था यदि अध्यक्ष नहीं देंगे तो उनको बाध्य किया जायेगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

3 जनवरी को वे हड़ताल करेंगे इसकी सूचना उन्होंने शासन को दी और मुख्य मंत्री को दी और वे हड़ताल कर रहे हैं और वक्तव्य में कहा गया कि हड़ताल नहीं रही । सफाई कर्मचारी जो काम पर नहीं आये हड़ताल की वजह से उनकी गैर हाजरी लगाई गई जबकि उन्होंने हड़ताल की पूर्व सूचना दे दी थी और वे हड़ताल पर रहे तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिलाधीश से जानकारी प्राप्त की जायेगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

हमने नियम 56 में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि एक श्री ज्ञानेंद्र सिंह कैप्टेन थे जो इलाहाबाद में डिमांस्ट्रेटर हो गये थे वे लड़ाई पर चले गये लेकिन जब वापस आये तो उनको सर्विस में नहीं लिया गया । ऐसा व्यवहार इनके साथ हो रहा है जिन्होंने देश के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बिल्कुल व्यक्तिगत है इसलिये अस्वीकार किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, जो लोग लड़ाई में गये और वीरता दिखाई उनको वीरता के लिये महावीर चक्र वगैरा मिल रहे है और इनको नौकरी से निकाल दिया गया, यह कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वे नौकरी से निकाले गये तो उसके लिये कानूनी उपचार है उसको वे इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, देश पर संकट के समय उन्होंने अपनी सरविसेज दे दीं तो यह बड़ी गम्भीर बात है । अगर यही बात रही तो कौन आदमी इस तरह से जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात तो आप कह रहे हैं यदि सही भी है....

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, यह बिलकुल सही है इसलिये इसको उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में कैसे इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

गन्ने के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप देवरिया जिले की चीनी मिलों के बन्द होने की सम्भावना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना माननीय रामधारी शास्त्री, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री बांकेलाल की गन्ना मूल्य नीति निर्धारण न होने के कारण प्रदेश में विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश (देवरिया) के चीनी मिलों के बन्द होने की संभावना के बारे में है । इसमें केवल आशंका है और केवल पिछली घटना के संबंध में है, इसलिये इसको अस्वीकार किया गया है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत ज्यादा है और पूर्वी में कम है । देवरिया जिले के सभी गन्ना यूनियनों ने यह प्रस्ताव पास किया है कि गन्ने की कीमत 15 रुपया क्विंटल नहीं की गयी तो गन्ना मिलों का चलना बन्द कर दिया जायगा । सारी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं । चीनी 3 रुपया किलो में भी नहीं मिल रही है औ गन्ने की कीमत केवल 8.50 रुपया प्रति क्विंटल ही है। उस पर भी जब सेंटर पर गन्ना ले जाते हैं तो 32 पैसा प्रति क्विंटल काट लिया जाता है । इस पर विचार करके आप कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दें वरना जब तक गन्ने की कीमत पर विचार नहीं हो जाता हम सदन को चलने नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक दो दिन ही हुए इस बारे में सरकारी नीति का स्पष्टीकरण किया जा चुका है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहस में स्वयं हिस्सा लेते हुये स्थिति से अवगत कराया था । आपका यह कहना कि चीनी मिलें बन्द हो जायेंगी, यह नियम 56 में नहीं आता ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि गन्ने का दाम सरकार तय करती है और केन कमिश्नर ने गोरखपुर में यह घोषणा की कि मिल मालिक और गन्ना किसानों की पंचायत करके दाम तय करा दिया जायगा । पश्चिम में तो 11-12 रुपया करा दिया गया लेकिन पूर्व में 8.50 रु० ही बना हुआ है । इसलिये इसका महत्व और भी बढ़ गया है कि सरकार ने

[श्री रामधारी शास्त्री]

दो प्रकार के निर्णय क्यों लिये । उसका क्या औचित्य है, उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । एक बात यह और है कि सारे गन्ना यूनियनों के चेयरमैनों ने यह लिखकर दिया है कि गन्ने का दाम 13 रुपया क्विंटल कर दिया जाय वरना 24 जनवरी से हड़ताल कर दी जायगी । उससे अव्यवस्था हो जायगी, इसलिये इसको नियम 56 के अन्तर्गत लिया जा सकता है । अगर न हो सके तो नियम 52 में एक घंटे की चर्चा के लिये रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष- -

नियम 58 में यह है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।

श्री बांकेलाल - -

इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और विषय क्या हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में यह कैसे आयेगा । इसमें तो आशंका की स्थिति है जो बात आप कह रहे हैं वह सही तो है लेकिन अविलम्बनीय लोक-महत्व का वह कैसे है ।

श्री बांकेलाल--

चीनी का उत्पादन बन्द हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि 24 जनवरी को हड़ताल हो जायगी, उसके बाद तो वह आ जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री---

नियम 58 (3) में यही तो है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा । तो हाल में घटित घटना यही है कि इसी सरकार ने पूर्व में तो 8.50 रुपया कुंटल और पश्चिम में 11.50 रुपये कुंटल गन्ने का दाम नियत किया है । यह घटना निश्चित है और सरकार ने अन्याय किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ । इसलिये हमें इस मामले को सदन के समक्ष रखने की आज्ञा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह घटना नहीं है, क्रम है । वह क्रम संतोषजनक न हो यह दूसरी बात है।

श्री बांके लाल--

यह घटना नहीं दुर्घटना है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

चीनी मिलों की तो ऐसी घटना हो गयी है कि इसने तीन, चार सरकारों को ले डूबी और फिर भी हल नहीं होती है इनके राष्ट्रीयकरण की समस्या । ये रोजाना कहते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे । तो समाजवाद के आचार्य तो भुट्टो हो गये वर्ल्ड में । यूनाइटेड नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि "आई एम नाट गोइंग टु बी ए स्लीपिंग सेक्रेटरी जनरल" मैं एक्सरसाइज करूंगा अपनी पावर्स को। तो आप भी नियम अपनी पावर को इस्तेमाल कर लीजिये । चीनी मिलों से बढ़ कर कोई मामला नहीं । तीन-तीन सरकारों ने कहा और एक भी नहीं कर पायीं और चली गयीं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपके लिये सुगम स्थिति होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय--

अच्छा हो आपकी अध्यक्षता में वह शुभ घड़ी आ जाय।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल --

इसे स्वीकार कर लें क्योंकि इसी सदन में मुख्य मंत्री ने 10.50 रुपये की घोषणा की थी।

श्री रामधारी शास्त्री--

एक जरूरी बात उठाने की भी इजाजत नहीं देते। अगर इसको भी नहीं उठा सकते तो हम अपने मित्रों के साथ दस मिनट के लिये सदन से बाहर जाते हैं।

(श्री रामधारी शास्त्री अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय नित्यानन्द स्वामी की सूचना कार्यवाही के लिये भेज दी गयी है। इस पर कोई अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, यह जो अख्तर बेगम नाम की महिला है इसके तीन नाम हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपका सवाल सही है तो आपका यह वक्तव्य गलत है। आप चाहते थे कि पाकिस्तान के लिये जो जासूसी हुई है वह मामला मैंने लिख दिया है कि इसमें कार्यवाही सरकार करे। तो अब आप बात क्या करना चाहते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी की बात नहीं, आपकी बात है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो जासूसी हो रही है उसके बारे में कार्यवाही हो तो वह हो जायगी।

श्री नित्यनन्द स्वामी--

कार्यवाही होती नहीं है आपके लिख कर देने पर भी। मैं उदाहरण देता हूं कि कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही तो होती ही है कि अगर यह राष्ट्रीय महत्व की चीज है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर आपकी आज्ञाओं का महत्व कम हो गया तो यह सरकार हावी हो जायगी।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

इसकी जांच होगी और पूरी जांच होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक कल्पनाथ सिंह जी और माननीय बंशीधर पांडेय का है त्वरित योजनाओं को ठीक तरह से लागू न किये जाने के संबंध में । यह जनरल है । इसको भी अस्वीकार किया गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक मिनट सुन तो लीजिये । जनरल मैंने इसलिये कहा कि प्रदेश भर का मामला था । अतिवृष्टि और बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रदेश के किसानों और मजदूरों की हालत दयनीय हो गयी । सरकार ने कहा था कि वह उनको काम देने की व्यवस्था करेगी । फिर नियोजन मंत्रालय ने कहा कि त्वरित कार्यक्रम चालू होंगे । वह खटाई में पड़ गया । राजस्व मंत्री का दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत कार्यक्रम भी खटाई में पड़ गया । मार्च का महीना मजदूरों के लिये बड़ा भयावह महीना होता है। यदि कामरोको प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत हो तो आप कृपा करके मंत्री जी से पूछकर नियम 52 की ही चर्चा करा दें, ढाई घंटे की । इस म सरकार की बेइज्जती का कोई सवाल नहीं है । जिस तरह से सरकार सूबे के बाढ़ पीड़ितों को तबाह कर रही है और जिस तरह से आजतक इस सरकार ने उन को कोई काम देने की कोई व्यवस्था नहीं की है इस सरकार के निकम्मेपन को बरदाश्त करने के लिये सूबे के किसान और मजदूर अब तैयार नहीं हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि पूर्व के सभी जिलों में और पच्छिम के भी बाढ़ पीड़ित जिलों में अब यह परिस्थिति पैदा हो गई है और इसलिये आप कृपा करके इस विषय पर चर्चा का अवसर हमें प्रदान करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी श्री कल्पनाथ सिंह जी की बात का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि मैं भी पूर्व के ही जिलों से संबंधित हूं । इस संबंध में आज जो ज्यादती यह सरकार कर रही है वह बतायी नहीं जा सकती । एक परेशानी वहां की हो तो बतायी जाय, हालत वहां यह है कि आजतक जबकि रबी एक फुट की खड़ी हुई है वहां रबी के लिये बीज तक नहीं दिया गया और अब बीज वहां दे रहे हैं और जबरदस्ती अब किसानों पर वह लादा जा रहा है और फंड की तरह उसमें वसूली की जा रही है । अभी आप के सामने प्रश्न आया था, मैं उस समय नहीं था, उत्तर दिया गया कि 4 मास के भीतर कुल 12 हजार रुपया पूर्व में बांटा गया है । ऐसी स्थिति में यह जो प्रस्ताव किया गया है वह उचित और अति आवश्यक है । मुझे अवसर नहीं मिला, मेरे पास चिट्ठी आई है जिस में लिखा है कि धोखा देकर पैसा चीफ मिनिस्टर्स फंड में वसूल किया जा रहा है । एक फौजी सिपाही से 150 रुपया यह कह कर लिया गया कि यह रकम दे दो तो हम तुम्हारा चक ठीक से बनवा देंगे । इस तरह की ज्यादती, बाढ़, अकाल और वर्षा से पीड़ित लोगों पर हो रही है। इसलिये मेरी भी आप से प्रार्थना है कि इस पर चर्चा का अवसर दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जिला भी पूर्व का ही जिला है । अब तो सरकार बंगला देश में जीत गई और सब बातें हो चुकीं लेकिन बाढ़ पीड़ितों और रिफ्यूजीज की तरफ उस का ध्यान इस सरकार का नहीं गया । जो अभी श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी व श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं और चर्चा की इस पर मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने तो इसकी परिधि को बहुत बढ़ा दिया, यह तो केवल त्वरित योजना के बारे में है और इस का भी उपचार आप के हाथ में है । अगर सरकार की नीतियों से आप को असंतोष

है तो उस की बहस तो दूसरी होती है बजट में सामान्य बहस होती है । लेकिन अगर वह तयार होंगे तो मैं त्वरित योजना के बारे में बात कर लूंगा, यह भी देखना होगा कि क्या प्रदेश भर की यह योजना है....

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा मतलब यह है कि चाहें वह सूबे भर का हो या आसमान भर का हो ....

श्री उपाध्यक्ष---

आसमान भर का सवाल कैसे होगा ? जमीन का ही होगा ।

श्री कल्पानाथ सिंह---

मैंने यह इसलिये कहा कि इस सरकार के वादे सब आसमानी हैं । आज बाढ़ पीड़ितों की जो दशा है और जो तबाही अतिवृष्टि से फैली है इसके निवारण हेतु आप कोई समग्र चर्चा का निर्धारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो नहीं किया लेकिन पहले आप दिमाग बनायें कि आपका प्रस्ताव क्या है और आप क्या चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हमारा दिमाग साफ है । हमारे यहां टेस्ट वर्क और त्वरित योजना दोनों चल रही थीं और लोगों को काम मिल रहा था, लेकिन आज कोई भी काम जारी नहीं है और इस सरकार ने पूरी ढील पैदा कर दी है। पूरे प्रदेश के पैमाने पर इस तरह से मुसीबत जदा लोगों को काम मिलना चाहिये और उनकी सहायता की जो व्यवस्था होनी चाहिये थी वह व्यवस्था नहीं हुई और इतना हां नहीं, इस सरकार ने किया यह कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये सदन नहीं, की यहां सदस्यों की समिति बनाने की बात कही और वह न बनाकर माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री उस पर एक सदस्यों की कमेटी बनायें जो अपने सुझाव दें और उनको सरकार माने। सरकार ने इरादा इसलिए छोड़ दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि शायद प्रदेश में अब बाढ़ नहीं आयेगी। उनको अब कुछ करना नहीं है। ये इस प्रकार गरीबों का गला घोंटने पर उतारू हो गये हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन गरीबों और मजलूमोंकी आवाज को बुलन्द करने के लिए हम गरीबों को भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। सरकार इस बात का एलान करे कि वे एक कमेटी अविलम्ब बनाने जा रहे हैं जो विस्तार में देखे कि प्रदेश भर में कहां-कहां किस बात की आवश्यकता है और अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो प्रदेश में इस सरकार के रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपका भाषण है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, यहां पर भाषण ही तो होता है कोई लाठी डंडा नहीं चलता है।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में जो इस समय मुद्दा उठ रहा है अगर भाषण दूसरा होता है तो अवश्य रोका जाता है, अन्यथा मरी मंशा किसी को भाषण देने से रोकने की नहीं होती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके आप माननीय जगन्नाथ जी को न बुला कर माननीय राजस्व मंत्री जी को बुलाइये जो सदन म सदस्यों को बताय कि बाढ़ और अतिवृष्टि के बार में आप कौन सा काम करन जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रश्न भी नहीं किया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यही तो प्रश्न किया गया है। अगर कोई शब्दावली में दिक्कत हो तो हमें बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप चाहते हैं वह तो कह चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न है। कल भी आपने टाल दिया। आज मैंने लिख कर दिया है।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियम तथा वैधीरकण) विधेयक, 1971

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लंबित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1971, को जिसे वापस लेने की अनुमति देने के लिए विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो गयी है, वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विविध प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी मनमानी करने लगे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन् मैंने कल भी यह प्रश्न उठाया था लेकिन आपने कल भी टाल दिया। आज मैंने आप को लिख कर दिया है। यह सरकार जनहित के सवालों को टाल रही है।

(माननीय राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अतः मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972†

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, 1951 में हमने जमींदारी विनाश और भूमि सुधारक अधिनियम पारित किया था। उसके पश्चात् जितनी भी जमींदारी थी वह समाप्त होनी थी और उसके साथ जमींदारों के अधिकार भी समाप्त होने थे। तो जमींदारों ने उसके विरुद्ध यह कहकर कि यह अवैधानिक है एक रिट याचिका दायर की। यह रिट याचिका कहीं जाकर सन् 1952 में फैसल हुई। श्रीमन्, यह देखते हुए कि इसमें अधिक समय लग रहा है और यह देखते हुये कि जिस समय आरम्भ में रिट याचिका दाखिल की गई थी उस समय उसी रिट याचिका में स्टे-आर्डर ले रक्खे थे और उसके कारण जो जमींदारी हकूक उनके थे वे उनके पास बने रहे। उन अधिकारों का वे दुरुपयोग न कर सकें इसलिये हमने यह संक्रामण अधिनियम, 1952 पास किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि उस बीच यदि कोई पट्टे किये जायं या भूमि का हस्तान्तरण किया जाय तो वे वैध नहीं होंगे। वे समझे जायेंगे जैसे कि नहीं किये गये हों।

श्रीमन्, उसके पश्चात् अधिनियम पास हो गया लेकिन जब यह संक्रामण अधिनियम बीच में बन गया था इसके विरुद्ध भी रिट याचिका दाखिल की गई और वह बहुत दिनों तक चलती रही। 1962 या 63 में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से फैसल हुई और उन्होंने यह तय किया कि यह संक्रामण अधिनियम अवैध था। यह विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई उस बीच बहुत से काम किये गये थे। पहले पट्टे ऐसे किये गये थे जिससे अवैधानिक या गलत इस संक्रामण अधिनियम के मातहत करार दिया जाना चाहिये था वे नहीं दिये जा सकते थे और दूसरी परिस्थिति यह पैदा हो गई कि अगर संक्रामण अधिनियम नहीं माना जाता और उसके बीच में जो जमीन गांव समाज को मिल गई और दूसरे पट्टे उनकी बजह से कर दिये गये उन पर भी प्रभाव पड़ने वाला था और पड़ रहा था। इसलिये श्रीमन्, बाद में इसको वैधीकरण देने के वास्ते एक अधिनियम लाया गया। वह पहले यहां पुरःस्थापित कर दिया गया था। वह परिषद् में पास हो चुका था और आपके समक्ष उस पर पुनः विचार हो उसके पहले कुछ हाई कोर्ट के ऐसे फैसले हुए जिसके अनुसार पहले जो अधिनियम ला रहे थे, जिसमें केवल कतिपय धाराओं का संशोधन कर रहे थे जिनके वजह से यह समझा गया था कि वह अवध करार दिया गया था उनको हम फिर से रखकर उस अधिनियम को बना रहे थे।

श्रीमन्, उसी बीच में दूसरी हाई कोर्ट को जिस नजीर का जिक्र किया उसके मातहात यह भी ख्याल जाहिर किया गया कि इस तरह से पुनः वैधीकरण किया जाता है तो ज्यादा अच्छा है। हम पूरे अधिनियम को वैधीकरण के रूप में लाये न कि कतिपय धाराओं को टु बि आन दि सेफ साइड हम लोगों ने आपसे अनुमति मांगी और सम्मानित सदन ने अनुमति अभी दी। उसको वापिस ले लिया। अब यह सदन में उपस्थित है। मैं इसमें निवेदन कर दूं कि इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा अधिनियम है जिसे सभी पसन्द करेंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि जिमीनदारी उन्मूलन जब हो गया और अधिनियम बन

---

†6 जनवरी, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

गया तो उसके बाद अगर अब कुछ जमीनों का स्टे हुआ था, हाई कोर्ट में रिट याचिकायें चल रही थीं, उसका नाजायज फायदा उठाया लोगों ने और उसका फायदा उनको न मिलने पाये ।

श्रीमन् एक निवेदन और कर दूं कि सन् १९६२ को जब इसको अवैध करार दिया गया था उसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने यह कहा था कि इसमें जब तक हम उनको मुआविजा नहीं दें तब तक उन पट्टों की जमीन नहीं ले सकते । उनको गलत नहीं करार दे सकते । उस जमीन पर कब्जा नहीं ले सकते। श्रीमन्, उसके बाद में 31 अनुच्छेद में संशोधन हुआ और एक और अनुच्छेद 31(ए) के रूप में लाया गया जो हमारे संविधान के चौथे और सत्तरहवें संशोधन हैं उनके जरिये से जो प्राविधान किये गये उसके अनुसार फिर इस मुआविजे को देने की जरूरत नहीं रह गई ।

श्रीमन्, जिस समय सुप्रीम कोर्ट से यह रिट याचिका फैसल हो रहा थी इसके ऊपर वैधानिकता के ऊपर विचार किया जा रहा था । उस समय भी वह संशोधन किया जा चुका था लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह राय हुई कि यद्यपि यह आज मौजूद है लेकिन जिस तारीख को यह संक्रामण अधिनियम बनाया गया था उस तारीख को यह मौजूद नहीं था इसलिये आज उनके जरिये से उसको वैध करार नहीं दिया जा सकता। उसी में यह भी उन्होंने कहा था कि यदि उसके पहले यह संशोधन हो गया होता तो यह आपत्ति नहीं उठायी जा सकती थी । श्रीमन्, यह आज ला रहे हैं अब वे संशोधन पास हो चुके हैं । आज कोई दिक्कत नहीं है । थोड़ा सा औपचारिक हेरफेर हुआ है । उनके साथ यह इस सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत है । सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि इस अधिनियम की बड़ी आवश्यकता है और इसे आप पास करने की कृपा करेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, उसके पहले कि मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करूं, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस विधेयक के प्रति कितनी उदासीन है यह आप स्वयं देख लें । कोरम हीं नहीं है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

1 और 2 के बीच में कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं, "उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा बैधीकरण) विधेयक, 1972" को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दे और उसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो ।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

श्रीमन्, यह जो विधेयक उन्होंने पेश किया है उसकी धारा 2 का खंड (क) आप देखें । उसमें लिखा है विनाश अधिनियम का तात्पर्य 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और और भूमि व्यवस्था अधिनियम से है । श्रीमन्, 1950 का कोई विनाश अधिनियम है हीं नहीं । यह अधिनियम 1951 का है । ऐसा कोई विनाश अधिनियम नहीं है जो सदन ने 1950 में पारित किया हो । श्रीमन्, इसी प्रकार जब आगे चलेंगे तो और भी खामियां मिलेंगी । इसमें जो कलेक्टर की परिभाषा दी गयी है वह मूल अधिनियम की परिभाषा से भिन्न है । मूल अधिनियम में कलेक्टर की परिभाषा इस प्रकार थी:—कलेक्टर के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो । मूल अधिनियम

में तो गजट वाली बात है लेकिन इस अधिनियम में उसका जिक्र ही नहीं है। फिर यह समस्या खड़ी होगी अदालतों में और जो मूल अधिनियम में विनाश की परिभाषा थी वह अब बिल्कुल विपरीत है जो कि नहीं करनी चाहिये थी। ऐसा करके आपने दुविधा में डाल दिया। अब धारा 3 देखें जिसमें कहा गया है कि मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा जो नियत दिनांक या उसके पश्चात् दिया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वह अवैध होगा।

मान्यवर, मैं निजी तौर पर बात कह रहा हूं कि जब जमींदारी समाप्त हो गई तो अधिकांश भूमि छोटे और गरीब किसानों ने ली है। क्योंकि श्रीमन, जो बड़े-बड़े जमींदार थे जो यह समझते थे कि वह अपने पास अधिक भूमि नहीं रख सकते है। इस तरह आप देखेंगे कि मध्यवर्ती ने जो जमीन दी, जो रजिस्ट्री की, जो ट्रांस्फर किया वह अधिकांश छोटे काश्तकारों के साथ किया और छोट काश्तकारों न उसे रजिस्ट्री के द्वारा ली, पैसा दिया। कहीं-कहीं श्रीमन्, ऐसा हुआ कि जो काबिज काश्तकार चले आते थे क्योंकि जमीदारी खत्म होने के पहले उनको कोई हक नहीं था और जब जमींदारी उन्मूलन के बाद उनको हक दिया। इसलिये फसली 56,59 वाली बात कहीं कि 56 में खसरा और खतौनी में जिसका इन्दराज हो उन सब की कल्टीवेटर की पोजीशन रहेगी। ऐसे लोग जो 56, 59 या इससे पहले से खेतों पर काबिज चले आते थे और उन जमीनों पर काबिज थे उन लोगों ने भी रजिस्ट्री या ट्रांस्फर या सुलहनामा कराया जमींदारों से। उन किसानों के पास 56 फसली से पट्टे चले आ रहे है या उसके बाद 1959–62 से काबिज हैं और अगर आपने उनको शिकमी काश्तकार कह दिया और कह दिया कि वह शून्य हो जायेंगे तो निश्चित रूप से जो मूल अधिनियम की भावना थी वह उसके विपरीत हो जायेगी। ऐसे काश्तकारों ने जिन्होंने 56 फसली में जमींदारों से सुलहनामा किया, ट्रांस्फर किया या कोई अन्य समझौता किया तो आप उसे अधिकारों से बंचित कर देंगे।

श्रीमन्, यही नहीं, आप देखेंगे कि धारा 209 या 180 जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, 1939 की है उसमें भी कोई अधिकार नहीं देंगे। तो श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उस गरीब किसान ने कौन सा पाप किया कि 56 फसली के पहले से जो काश्त करते चले आये हैं और अदालत में जाने के बजाय, मुकदमा से बचने के लिये उन्होंने जमींदारों से सुलहनामा कर लिया, उनके साथ क्यों ज्यादती की जा रही है।

सारे अधिकार उससे छीन कर आप कलेक्टर के हाथ में सौप देंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इससे गरीब का हित आप नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी यह बात कहूंगा कि जो सन् 1952 में यह था विधेयक की रीति करें। केवल एक अधिनियम आप ने पास किया देहातों की जमींदारी उन्मूलन के लिये। अब तो 1956 में आप ने पास कर दिया कि नागर क्षेत्र में भी जमींदारी उन्मूलन का। आप कुछ बात कहते हैं कि वह हित की बात है जो आप ने अपनी तरफ से की है।

मैं आप से कहूंगा थोड़ा सा उसमें फर्क है। जो जमींदारों ने मध्यवर्ती का कार्य किया है देहाती क्षेत्रों में वही कार्य होंगे शहरी क्षेत्र में भी। तो क्या कारण है कि वहां की जमींदारी खत्म हो गई तो आप देहाती क्षेत्र में उसको लागू करने जा रहे हैं। इसके द्वारा सबसे ज्यादा कुकर्म शहरों में हुए ह क्योंकि शहरों में जमींदारी उन्मूलन की बात बाद में हुई तो जमींदार सतर्क हुये। सन् 1951 वाले इतने सतर्क नहीं थे। लेकिन देहाती जमींदारी खत्म करने के बाद शहरों की जमींदारी आपकी खत्म होने के बाद उसमें पांच वर्ष लग गये और इन पांच-पांच वर्षों में शहरों के जमींदारों ने कौन-कौन से और कहां-कहां पर इल्लीगल कार्य और क्या-क्या नहीं किया और फिर मन्त्री जी की मंशा यह है कि हम देहात वालों में कुछ कर दें और शहर वालों को छूट देते चले जायें तो छूट का नतीजा और बुरा होने वाला है।

अब आप इसमें देखें कि इसमें धारा 5 आती है। मालूम होता है कि सरकार के दिमाग में यह है कि जो सीलिंग से कम है उसे नहीं निकालना चाहिये। केवल दिमाग में

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

है। लोग करते क्या हैं? छोटे गांवों में छोटे काश्तकार जो ट्रांसफर कर देते हैं उसका फैसला वह अधिकारी उसके खिलाफ दे देगा और फिर वह काश्तकार कलेक्टर से मांग करेगा कि साहब हमारे पास कम जमीन है, हम भूमिहीन हैं, सीलिंग में कम हैं, जमीन दे दीजिये। यह अधिकार आप कलेक्टर के हाथ में दे देंगे तो ऐसा मालूम नहीं होता है कि सरकार के दिमाग को क्या हो गया है, क्या सोचा जा रहा है। अगर श्रीमन्, आप इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था करते वह जमीन सीलिंग की जो कुछ भी है वह गांव वालों के पास से ट्रांसफर से या स्थानान्तरण से या समझौते से जितनी जमीन चली गई है शिकमी में तो इतनी कम जमीन काश्तकार के पास रहेगी उसका तो अधिकार वहीं तक होगा जहां तक सीलिंग की जमीन है तो शायद हम सरकार के मंशा पर विचार करते। लेकिन श्रीमन्, अभी हम यह विचार कर सकते। आजकल कलेक्टर्स को बाढ़ के लिये कितना पैसा मन्त्री जी दिये हैं वह कलक्टर्स खा गये हैं। श्री कल्पनाथ सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ का पैसा जो गरीबों के लिये देने जा रहे हैं वह अधिकारियों ने कैसे उन गरीबों का हक ले लिया। तो माननीय मन्त्री जी यह आप कैसे समाजवादी हो जो गरीब का हक छीने ले रहे हो।

एक सदस्य—

समाजवादी तो आप हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

गरीबों का भला करें तो ठीक है लेकिन आप तो एक ही कोड़े से गरीब और अमीर सबको मार रहे हो। जो कुछ कमाई उसके बाप दादों ने की यह आप कलेक्टर के हवाले करने जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि संख्यासुर के बल पर आप यह तुषारापात प्रदेश पर न करें। मैं आप से यह कहना चाहता हूं।

मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी समाजवादी कहलाने वाले व्यक्ति का यह दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। पहले तो यह कहा कि जमीन छोड़ दो फिर हम सोचेंगे तुमको देने की बात। बाप दादों की कमाई जमीन को तुम छोड़ दो हम कलेक्टर को देंगे और फिर तुमको देने की बात सोची जायेगी। कलेक्टर सुनवाई करेगा, जज के पास जाना होगा और फिर हाई कोर्ट में जाना होगा और इस तरह से करते-करते उसका हाड़ मांस बिक जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपके इस विधेयक में बड़ी कमियां हैं और उनकी केवल पुनरावृत्ति करते चले जा रहे हैं। 1952 से आप यह कहते चले आ रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और अब केन्द्र के राज्य मन्त्री जी ने कहा कि द्विज राज हो गया है और उसी 1952 की चीज को आप ला रहे हैं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिये और इसमें आपको कोई एतराज भी नहीं होना चाहिये।

यह सही है कि जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने परिवारों के सदस्यों को वितरित किया और मन्त्री जी अगर इस पर कोई व्यवस्था लाते तो इस पर सोचा भी जा सकता था। जमींदारों ने अपनी पतोहू, बहू, लड़की और तमाम रिश्तेदारों में बांटा है, उनके नाम कर दिया है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम भूमि की गई जो अब इस धरती पर नहीं है उनके नाम कर दिया। मन्त्री जी को मालूम है कि जमींदारों ने तरमीम जमाबन्दी मुकदमा दाखिल कर दिया और पतोहू आदि सभी को उसमें डाल दिया। क्या उस खाते में जो नाम हो गये हैं तरमीम जमाबन्दी के जरिये से, जिन लोगों ने 229-बी में मुकदमा करवाया, गलत ढंग से खाते में दर्ज करवाया, क्या यह मंशा इस विधेयक के जरिये से हल हो जायेगी। कतई नहीं। मन्त्री जी महसूस करते होंगे कि इस विधेयक से यह मंशा कभी हल होने वाली नहीं है। 176 के द्वारा, जमींदारी एबालीशन के द्वारा अपने खाते में सह खातेदार जिन्होंने बना दिये

हैं क्या उनके हकों से आप उनको मुक्त कर पायेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे प्रदेश में वह है जो फर्जी काम हुआ है उसको दुरुस्ती करना। ट्रांसफर और पूंजी देकर तो गरीबों ने लिया उनको कोई पूछने वाला नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह पीठासीन हुए।)

एक बात पेड़ों के बारे में भी आई। आप दण्ड भी देंगे। अब तक तो मुकदमा चलता था लेकिन अब दण्ड भी देंगे। इस विधेयक के जरिये से। दण्ड क्या देंगे? कोई पेड़ गिराता है, काटता है, ठूठ बनाता है, जलाता है, छाल उतारता है उसका दण्ड दिया जायगा इस विधेयक के जरिये से। हमारे यहां गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना बहुत सा काम इन पेड़ों से चलाया करते हैं। नीम, बबूल की छाल हमारे बहुत से कामों में आती है और लोग उनको उतारा करते हैं ताकि अपनी औषधि के काम में ला सकें। इन छालों से हमारे देश की बहुत सी औषधियां बनती हैं। गरीब चाहेगा कि वैद्य जी ने नीम से धोने के लिए कहा है तो ले आऊं और मन्त्री जी का जो हाकिम है वह कहेगा कि छाल उतारते हो, हम तुम्हारा चालान करेंगे। मन्त्री जी आखिर इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं।

व्यवस्था कर दी कि तीन वर्ष की सजा या अर्थ दण्ड दिया जायगा। अर्थ दण्ड दिया जाता है तो लिख दिया जाता है कि कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना। कितना अर्थ दण्ड होगा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। एक आदमी को, राजस्व विभाग को दण्ड देने का प्राविधान है, छोटे-छोटे कार्यों के लिये, जिसने ट्रांसफर से लिया हो, भले ही उसको लगाया हुआ हो, पेड़ उसने लगाया लेकिन आप कहते हैं कि तुम छाल उतारोगे तो हम तीन वर्ष की सजा देंगे। यह बात यह समाजवादी सरकार ही सोच सकती है। हमारे जैसे लोग जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं वह इस बात को नहीं कर सकते।

सारे हमारे यहां जो अपील के प्राविधान है, जमींदारी एवालीशन ऐक्ट में या दूसरी जगह भी—अब मन्त्री जी एक यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो कुछ भी करेगा कलेक्टर और उससे जो असन्तोष होगा, फिर उसकी आपत्ति की सुनवाई भी कलेक्टर के यहां ही होगी। सारे कुकर्म कलेक्टर से करायेंगे और किसान से कहेंगे कि उसके खिलाफ यदि कोई आपत्ति करनी हो तो फिर कलेक्टर के यहां ही करो। जो रावण उसी के यहां न्याय की फरियाद। श्रीमन्, मैं इसे पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है—"कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो, उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा।" यानी कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से हम क्षुब्ध हैं और फिर हमसे कहते हैं कि उसी कलेक्टर से आपत्ति करो। यह कौन से न्याय की बात है। हमारी समझ में नहीं आया। फिर आपने प्राविधान किया कि जज के यहां अपील होगी। इसमें आप कहते हैं—"कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के विरुद्ध एसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है..."। श्रीमन्, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में भी प्राविधान है, 1901 वाले में।

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी प्राविधान है कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या जे० ओज० जो पहले होते थे, के निर्णयों के खिलाफ अपील होती थी और इस सम्बन्ध में मियाद रिवीजन के लिए 3 महीने है और अपील के लिए 1 महीना है। इस ऐक्ट में माननीय मन्त्री जी व्यवस्था करने जा रहे हैं। फिर सरकार अभी सोचेगी, निर्णय कुछ नहीं, वही लकीर की फकीर, सदन में आ गया तो हाई कोर्ट चला गया और क्या हो गया। अपील वाले प्राविधान की जो बात है उसका आप निश्चय करेंगे। क्या करेंगे, फिर अन्धकार में डालने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा इस विधेयक पर आज विचार भी नहीं हो सकता था क्योंकि सन् 1950 का जो ऐक्ट कहा है सो सन् 1950 का कोई ऐक्ट ही नहीं है। यही एक प्वाइंट है, इस पर तो विचार होना ही चाहिए।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

दूसरी बात में सुझाव के रूप में माननीय मन्त्री जी से कह दूं। मैं नहीं कहता कि आपकी नियत खराब है, नियत अच्छी हो सकती है, आप चाहते होंगे कि शायद इससे कुछ जमीन निकल आये और वह गरीबों में वितरित हो जाय, लेकिन जो मौजूदा विधेयक आप लाए हैं वह सबसे बड़ा कुठाराघात गरीबों पर ही कर रहा है। मैंने कहा कि गरीब ने रजिस्टरी करायी है, समझौता कराया है। जिसके पास जमीन नहीं है वह दौड़ रहा है जमीन लेने के लिए और जिसके पास जमीन थी वह नहीं दौड़ रहा है। मन्त्री जी, मुझे आपकी नियत पर विश्वास है परन्तु एक बड़ी खामी है। आप गरीबों के लिए काफी कर देना चाहते हैं—समाजवादी हैं। हमने कहा कि तमाम दलों के नेताओं को बिठाइये। इसमें सचमुच विचार होना चाहिए क्योंकि बहुत से गलत हस्तान्तरण मध्यवित वालों ने किये हैं। मध्यवर्ती ही नहीं, हम तो कहते हैं कि बड़े-बड़े काश्तकारों न भी, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, चाहे देहाती क्षेत्र के हों, गलत हस्तान्तरण किय हैं। जो खामियां हैं उन पर एक उप समिति विचार कर और अपना प्रतिवेदन दे।

यह उत्तर प्रदेश की कुल 9 करोड़ जन संख्या के 80 प्रतिशत के हित में होगा और गरीबों के हित में होगा। अगर ऐसा प्राविधान नहीं होता है तो जो भौमिक अधिकार गरीबों को मिले हुए हैं आज वे सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। उनको मन्त्री बचा नहीं पायेंगे और फिर वही कलेक्टर होंगे जिनको वे देंगे। कलेक्टर क्या करते हैं, इसकी पूरी व्याख्या करने लगूंगा कि हमारे जिले में क्या हुआ है, तो देर लगेगी। मैं एक परिधि में ही रहना चाहता हूं। इसीलिए मेरा यह सूक्ष्म निवेदन है कि समिति का गठन हो और समिति में बैठ कर हम लोग अच्छी तरह से विचार करें ताकि कोई रिट वगैरह में न जाए। जो जमीन सीलिंग से बचे उसे गरीब किसानों के पास रहना चाहिए और किसी भी हालत में वह कलेक्टर या और किसी के पास नहीं जानी चाहिए।

मन्त्री जी ने वादा किया है कि वे सीलिंग बिल लाने जा रहे हैं। अच्छा हो आप वादे पर खड़े रहें—आप लोग भागने में बड़े तेज हैं। भागने की रफ्तार आपकी तेज है। कब तक भागेंगे, जनता अब भागने नहीं देगी। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे हमारे प्रवर समिति के प्रस्ताव को मान लें ताकि वहां पर ठण्डे दिल से विचार हो सके।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी से कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर 21 मई से 30 जून के बीच जमींदारों तथा मध्यवर्तियों ने जो पट्टे कर दिये हैं उनको छीने जाने की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी जमींदार ने अपने किसी रिश्तेदार के नाम या किसी किसान से पैसा लेकर उसके नाम पट्टा कर दिया है तो आप उसको समाप्त करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि उसमें यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नहीं होगा। उन ऐक्ट्स के अन्तर्गत जो उनको अधिकार प्राप्त थे आप उन्हें भी खत्म करने जा रहे हैं। आप यह भूल गये कि उन एक्ट्स में ही आपने उनको कुछ अधिकार दिये हैं जिससे कि वे आदिवासी और फिर सीरदार बन जाते हैं।

आज 20 वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया है इसे भी हमें देखना पड़ेगा। चकबन्दी का क्या प्रभाव पड़ा है यह भी देखना होगा। मान लीजिये राधेश्याम की जमीन थी, उसने किसी सीताराम को दे दी फिर सीताराम ने गंगाराम को दे दी और वह भूमिधर बन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। अब आप कहते हैं कि उसका अधिकार शून्य में चला जायगा, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे होगा। जमीन आज ट्रांस्फर होत-होत 'ए' से 'जड' के पास चली गयी है। तो आप किसके अधिकार को शून्य करेंगे। फिर चकबन्दी के कारण उसकी नवैयत ही बदल गयी है। क्या यह सरकार की जानकारी में नहीं है। अगर है तो फिर इस विधेयक में जो आप व्यवस्था कर रहे हैं यह कैसे सम्भव है? चकबन्दी के कारण जमीन की नवैयत बदली है, उसकी मिलकियत बदली है, तमाम तब्दीलियां हुई हैं, अगर आप यह विधेयक पारित करते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा।

इसमें बड़े भारी लीगल इम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी फिर ठंडे दिल से इस पर विचार करने की कृपा करें। किसान से अगर किसी ने पैसा ले लिया है और अब आप उसके अधिकार को शून्य कर देंगे तो कौन भरेगा? वह गरीब किसान ही मारा जायगा? आखिर उस गरीब किसान के लिये आपने क्या सोचा है? यदि यह केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता जिन्होंने मध्यवर्ती नहीं दिया, उन्हीं के पास अब तक जमीन मौजूद हो। किन्तु आज की स्थिति देखते हुए यह कानून हास्यास्पद हो जाता है। इसमें बहुत कुछ सोच समझकर कोई कदम उठाने की बात है। इसलिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए, जिसमें सोच विचार कर विचार किया जा सके। इसमें यह भी पता नहीं है कि इसके द्वारा कितनी जमीन निकलने वाली है। यह विधेयक बिल्कुल रिडेंडेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप प्रवर समिति में भेजिए, वहां इस पर पुनर्विचार करें, जिससे हमें मालूम पड़ सके कि कितनी जमीन इससे निकलनी है। अन्यथा इस तरह से कानून बनाने से तो मुकद्दमेबाजी ही बढ़ जायगी और हाथ हमारे कुछ लगेगा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शम्भूनाथ जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय शम्भनाथ चौधरी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो विधयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं जिस शक्ल में यह प्रस्तुत किया गया है, न तो इसकी कोई उपयोगिता रह गई है और न इस शक्ल में इसे उपस्थित करना उचित है। यह मौजूदा विधेयक दो बातों के लिए रखा गया है। एक तो यह कि 1 जुलाई, 1952 से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम जो लागू हुआ उसके पहले कुछ लोगों न अपनी जमीनों को पट्टे पर दे दिया या बांट दिया। कुछ ने ऐसा किया होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 21 मई, 1952 को पट्टे अनियमित करार देने का कानून क्यों रखा गया? यदि वह समझते हैं कि इससे गरीबों को जमीन मिलेगी तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 8 अगस्त, 1946 को जमींदारी विनाश अधिनियम पर विचार हुआ और उसे समाप्त करने का संकल्प पारित किया गया, तो आपको चाहिए यह था कि जिन लोगों को मालूम हुआ था कि 8 अगस्त, 1946 को इस तरह का ऐक्ट पास हो रहा है और हमारी जमीन निकल सकती है, तो बड़ी तादाद में जमींदारों ने ऐसी जमीनें दूसरों को दे दी या पट्टे पर दे दी, ट्रांस्फर करने के लिये।

इस विधेयक की उपयोगिता तब होती जब 8 अगस्त, 1946 की बात मान ली जाये और इसको रख दें कि उसके बाद के पट्टे अनियमित समझे जायेंगे। यदि वास्तव में गरीबों का हित करने का उनका उद्देश्य है तो बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे जो 1946 से 1952 तक सोये रहे होंगे। यद्यपि आपने समाजवादी समाज का नारा बुलन्द किया है, लेकिन यह बड़ी-बड़ी जमीन वालों को कानून के द्वारा हिमायत करने जा रहा है, क्योंकि जमींदारी विनाश अधि-

[श्री रामधारी शास्त्री]

नियम में इस बात का उल्लेख है कि 8 अगस्त, 1946 के बाद किसी सार्वजनिक भूमि में यानी पब्लिक यूटिलिटी की भूमि में अगर किसी जमींदार या आदमी ने अधिकार कर लिया हो तो वह गैर-कानूनी समझी जायगी। अगर 8 अगस्त, 1946 से किसी ने अधिकार किया या जमींदार ने पट्टा कर दिया तो वह गैर-कानूनी हुआ, लेकिन आप ऐसे लोगों को 6 साल का मौका क्यों देना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसे सरकार को बताना चाहिए।

इसलिए अगर सचमुच आपका उद्देश्य है कि कुछ जमीन निकालें तो आप इसकी मियाद रखें 8 अगस्त, 1946 के बाद जितने पट्टे हुए सब गैर कानूनी होंगे। तब आप अपने को समाजवादी कहने के हकदार होंगे या आपकी नीति यह जाहिर होगी कि आप वाकई जमीन निकालना चाहते हैं। वरना 21 मई, 1952 क्यों आपने तारीख कर दिया? सरकार के पास क्या आंकड़े हैं, कितनी जमीन निकलेगी, कितने परिवारों का भला हो सकता है। सरकार को स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिये। सरकार ने वित्तीय ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि यही पता नहीं है कि ऐसी भूमि का कितना क्षेत्रफल होगा, कितने प्रार्थना पत्र आयेंगे, क्या इस पर खर्चा होगा, और प्रतिकर की शक्ल में क्या देना होगा। बिलकुल अनिश्चितता की स्थिति है।

मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के गरीब किसानों का भला करने की हिम्मत करें और 8 अगस्त, 1946 के बाद जैसा सार्वजनिक भूमि के लिए प्रतिबन्ध लगा रखा है उसी तरह से रखिए। वरना खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आपके हाथ जमीन आने वाली नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करें। पट्टों को आप गैरकानूनी करार देंगे। इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। आपने इस विधेयक में जिसने गैर कानूनी ढंग से पट्टा दे दिया उसको दंड की कोई व्यवस्था नहीं की है। पट्टा गैर कानूनी करार दे देने से सजा उसको मिल जायगी जिसने पैसा देकर जमीन खरीदा, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसा दिया और जमीन ले ली। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिश्तेदारों के नाम कर दिया। ऐसे पट्टा करने वालों को क्या सजा है?

इस ऐक्ट में जिन्होंने पट्टा कर दिया किसी के हक में पैसा ले कर या यों ही उनको कोई सजा नहीं दी गयी है। उनको छोड़ दिया गया, जो बड़े-बड़े पुराने जमींदार हैं। सजा किस को है, अगर किसी ने जमीन को ले लिया और जोत हदबन्दी अधिनियम जिस सीमा तक इजाजत देता है उससे अधिक जमीन रखता है। शायद सीलिंग ऐक्ट में 'ए' क्लास की जमीन 40 एकड़ एक परिवार के पास रहनी चाहिए। इस एक्ट से किसी की 45 एकड़ जमीन अलहदा हुई, तो पांच एकड़ जमीन सरकार ले लेगी। उनके साथ आप क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में दफा 154 में इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को उसी हद तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि जो आदमी जमीन खरीदे उसके पास पहले की जमीन और खरीदी हुई जमीन या दान में मिली हुई जमीन साढ़े 12 एकड़ से अधिक की सीमा न हो।

कोई भी नया काश्तकार चाहे दान की शक्ल में या खरीद करके साढ़े 12 एकड़ से अधिक का काश्तकार नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री को फिर यह द्विविधा क्यों, दफा 154 की अवहेलना क्यों की जा रही है? 21 मई, 1952 के बाद जिन्होंने पट्टा दिया या लिया दोनों गैर कानूनी हैं। जिन्होंने कानून के खिलाफ काम किया उनको हक है कि नम्बर की 40 एकड़ जमीन, दो नम्बर की 60 एकड़ जमीन और नम्बर तीन की 80 एकड़ तक जमीन रख सकेंगे? क्योंकि उसने गलत काम किया और गलत काम करने वालों को ज्यादा जमीन रखने की इजाजत है, इस कानून में सेक्शन 5 का यही अर्थ व्यावहारिक रूप में होगा।

जो पैसा दे कर जमीन खरीदना चाहे, या जिसे दान में अथवा उत्तराधिकार में जमीन मिल जाय तो वह साढ़े 12 एकड़ तक जमीन रख सकेगी। यह दुविधा की स्थिति है। यह मौलिक प्रश्न है कि आप इस संशोधन के जरिये से जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की व्यवस्था है उसे तोड़ना चाहते हैं। नम्बर दो चीज यह है कि 21 मई की तारीख क्यों मुकर्रर की जा रही है। 46 में ऐक्ट आया था विधान सभा में, उसी वक्त से गैर-कानूनी पट्टे हुए तो आप हिम्मत करके समाजवादी होने के नाते 1946 से ही इसे ले आइये। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दीजिये ताकि वहां से एक निखरा हुआ रूप सदन के सामने आ सके जो कि समाज के लिये उपादेय होगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चौधरी साहब द्वारा जो इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं। यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है कि 21 मई, 1952 के बाद जो पट्टे जमींदारों द्वारा हुए हैं उनमें कोई भेद नहीं रखा गया है। उसको कहना चाहिये था कि अगर किसी हरिजन अथवा भूमिहीन को पट्टा दिया गया है या डिफेंस पर्सोनल को जमीन दी गयी है तो उनकी जमीन नहीं ली जायगी यानी पट्टा खारिज नहीं किया जायगा।

इसके साथ ही मैं मिर्जापुर जनपद की जटिल भूमि व्यवस्था की ओर भी माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे बड़ा खेद तथा दुख है कि 1967 से जो सरकार आई और गुप्ता जी जब इस इलाके में गये तो वायदा किया कि हम यहां की भूमि समस्या को हल करेंगे, लेकिन वह नहीं की गयी। बीच-बीच में अन्य सरकारें बनीं उन सबने यही कहा कि 'राबर्टसगंज दुद्धी की समस्या को वह संभालेगी' लेकिन किसी ने भी उसको हल नहीं किया। 9 सितम्बर, 1969 को राजस्व विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा गया जिसके उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि वहां की जमीन की समस्या है और उसको हल होना चाहिये।

अभी माननीय उप मन्त्री राजस्व विभाग भी वहां गये थे और उन्होंने कहा कि वर्ग 4 की समस्या को वह हल करेंगे। वहां के अखबारों में भी यह बात छपी लेकिन आज भी राबर्टसगंज तथा दुद्धी क्षेत्र की जनता तबाह हो रही है। जमींदारों ने वहां कि जमीन को खेती बाड़ी के लिये किसानों को पट्टे पर दे दी थी लेकिन उसका कोई रिकार्ड नहीं था। जमींदारी समाप्त हुई तो वह जमीन ज्यों की त्यों उनके पास बनी रही। अब जब विभाग ने सर्वेक्षण किया तो उन भूमियों को जो किसानों के नाम में नहीं थीं वर्ग चार में दे दिया और उस सारी जमीन को सरकार ने बिना सोचे समझे वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया। राजस्व मन्त्री हंस रहे हैं। वह वहां जांय और देखें। नियम 51 के अन्तर्गत अनेक बार प्रश्न इस सम्बन्ध में सदन में उठाये गये, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में प्रश्न उठाये गये। आप के विभाग के कारनामे का एक रूप में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, इसी सदन में नियम 51 के अन्तर्गत मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया था मैं उसको उदाहरण के लिये पढ़ देना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया है कि "जहां तक वन विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग की भूमि का प्रश्न है, ऐसी भूमि पर जनधिकृत तौर पर काबिज व्यक्तियों को तो भूमि से बेदखल कर दिया जाय किन्तु जहां तक गांव सभाओं में निहित भूमि का सम्बन्ध है उसके उन अनधिकृत काबिजों को तो, जो 1 जुलाई, 1967 के बाद से काबिज है, बेदखल कर दिया जाय किन्तु जो लोग ऐसी भूमि पर 1 जुलाई, 1967 के पूर्व से काबिज हैं उनके कब्जे एक निश्चित क्षेत्र सीमा तक नियमित कर दिये जायं और उस निश्चित क्षेत्र सीमा से अधिक भूमि उनके अनधिकृत कब्जे में होने की दशा में उस निश्चित क्षेत्र सीमा

[श्री राम प्यारे]

के अतिरिक्त जो भी भूमि उनके अनधिकृत कब्जे में हो उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाय।

कब्जा नियमित किये जाने के लिये यह क्षेत्र सीमा 6 सही 1 बटा 4 एकड़ निश्चित की गई है जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 337 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिये इसके ड्योढ़े के बराबर अर्थात 9.38 एकड़ होगी।"

असेम्बली में तो यह बात कही गई कि उनको 15 बीघा तक उस क्षेत्र के लोगों को जमीन दी जायगी। लेकिन यहां से आदेश क्या जाता है कि केवल उनको 7 सही 1 बटा 2 दिया जाय। पहले तो राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि 15 बीघा तक दी जायगी जो ऐक्ट के मुताबिक है लेकिन बाद को उन्होंने उसको ड्योढ़ा कर दिया। दुगुना भी नहीं किया जैसा कि बुन्देलखंड में होता है पर इन्होंने और कम कर दिया। तो इस तरह से यह समस्या हल नहीं होगी। जो जमीन जंगल को ट्रांसफर की गई है उसमें बाग, कुयें, मकान, बने हुए हैं। उस जमीन को उन लोगों ने बहुत डेवलप किया है। इससे बुद्धी और राबर्टसगंज में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। अगर यह सरकार उन गरीब लोगों की प्रसन्नता देखना चाहती है तो उनके लिये कुछ उपलब्धि होनी चाहिए।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भोली भाली जनता है और आदिवासी लोग हैं जिनमें हरिजन भी हैं। उनको बसाने के लिये उनकी भावनाओं का सरकार को आदर करना चाहिये। मैंने राजा साहब को भी लिखा और एक 10 सूत्री कार्यक्रम माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास भी बनाकर भेजा। यहां के अधिकारियों ने उन सुझावों को देखा और कहा कि ये सुझाव अच्छे हैं। हमारे जिलाधीश को यहां पर बुलाया गया। उससे भी कहा गया कि यह समस्या हल होना जरूरी है और इसी आधार पर वह हल होना चाहिये जिस प्रकार से मैंने सुझाव दिये थे। मेरा पहला सुझाव यह था कि राजस्व एवं वन विभाग द्वारा जो बेदखल किये गये हैं उन सूचनाओं को अविलम्ब वापस लिया जाय। वहां पर हजारों लोगों को नोटिस दी गई है। तीन चार सौ मुकदमे इस प्रकार से चल रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट 4, 5 सौ मुकदमे रोज निपटा देता था। होता यह था कि मजिस्ट्रेट आता नहीं था और पेशकार रुपया लेकर सब तरह से निपटा देता था। मन्त्री जी को जब बताया गया तो उन्होंने उसको स्थगित कर दिया लेकिन स्थगन मात्र से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन मुकदमों को मन्त्री जी अपने हाथ में ले और उनको अविलम्ब अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत सीरदारों के अधिकार दिये जायं मैं निवेदन करता हूं यदि सरकार ने ऐसा किया तो मैं उनको सहयोग दूंगा और उस क्षेत्र की जनता उनको सहयोग देगी।

लेकिन मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि आपने असेम्बली में नियम 51 के अन्तर्गत उत्तर दिया था उसमें माननीय राजस्व मन्त्री की ओर से कहा गया था कि वहां की जटिल समस्या को हल करने के लिये एक क्लास-1 का आफिसर दे दिया गया है और दो-दो नायब तहसीलदार भी आपने दिये किन्तु म पूछना चाहता हूं कि एक भी काश्तकार की भी जमीन नियमित रूप से उसको नहीं लौटी। इसका क्या कारण है। आपने इस समस्या को हल करने के लिये टाइम भी दिया था और कहा था कि हम 30 जून, 1970 तक ऐसे सभी मामलों को हल कर लेंगे किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक एक भी काश्तकार का मामला हल नहीं हुआ है। हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वे शासन के हों अथवा चाहे राजस्व परिषद् के वे सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आपने वहां पर एक ए० डी० (ई) भेज दिया इन मामलों के देखने के लिये किन्तु जो आपके आदेश हैं वे इतने डिफेक्टिव हैं कि ये अधिकारी उनको कर नहीं पा रहे हैं। वहां के जिला अधिकारियों ने आपके पास सुझाव भी भेजे और कहा कि बुद्धी और राबर्ट्सगंज का क्षेत्र बहुत ही

पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सीरदारी लगान न होने के कारण वहां पर दिक्कत है क्योंकि वहां पर लोग बहुत गरीब है और एक पैसा भी लोग नहीं ले सकते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। जो जमीन है वह वन विभाग की है या राजस्व विभाग की है।

मैं माननीय मन्त्री जी से मांग करता हूं कि आप उस क्षेत्र की अहम समस्या को और वहां के पिछड़ेपन को देखते हुये उसे हल करें। इस समस्या के हल करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है और जिसे कि रेवेन्यू बोर्ड की बैठक ने भी स्वीकार किया है जिसमें कि सेटिलमेंट के आफिसर, टंडन साहब, तथा चेयरमैन शुक्ला जी भी थे, उसमें इन्हें स्वीकार किया गया है। आज आप यह बिल लाना चाहते हैं इससे जनता को संरक्षण नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आप मौके पर जायं और वहां के लोगों की समस्याओं को देखें उनकी दशा को सुधारें ताकि वहां के पिछड़े लोग भी विकास कर सकें। मैंने जो अन्य मांगें की थीं वे इस प्रकार हैं :—

2—उक्त समस्या के सम्बन्ध में चल रहे मुकदमें अविलम्ब स्थगित किये जायं एवं जिन मुकदमों की कार्यवाही हो चुकी है, फैसला रोक दिया जाय। मान्यवर, मैं सरकार का आभारी हूं कि वे सभी मुकदमें रोक दिये गये।

3—एक सेटिलमेंट आफिसर नियुक्ति किया जाय जो मौके पर काश्त होने वाली भूमि पर उस सीमा तक भूमि पर सीरदारी अधिकार प्रदान करे जो अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत हो।

4—वन विभाग द्वारा की जा रही डिमारकेशन की कार्यवाही तक के लिये रोक दी जाय जब तक कि सेटिलमेंट की कार्यवाही पूरी न हो जाय।

5—भूमि का लगान जिस दिन से सीरदार अधिकारी को दिया जाय उसी दिन से निर्धारित किया जाय।

6—राजस्व विभाग द्वारा ग्राम समाज की वर्ग 4 भूमि के सम्बन्ध में की जा रही व्यवस्था रोक दी जाय और अभी तक नियुक्ति अधिकारी को सेटिलमेंट अधिकारी बना दिया जाय।

अतः मेरी मांग है कि जो आदमी आपने भेजा है उसे ही आफिसर बना दिया जाय।

7—सेटिलमेंट करते समय मौके पर सही कब्जा ही देखा जाय। सेटिलमेंट करने हेतु कोई तिथि से कब्जा का प्रश्न समाप्त किया जाय क्योंकि उक्त क्षेत्र में बहुत सी भूमियों पर शिफ्ट कल्टीवेशन होने के कारण तथा जंगली क्षेत्र होने के कारण वर्षों से कब्जे में चली आ रही भूमि पर कब्जा इन्द्राज नहीं है।

अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की हमारी समस्यायें हैं। वहां क लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़ा इलाका है, वहां पटवारी गांव में नहीं जाता है। इसलिये अगर सन् 67 के पहले वाले लोगों की सीरदारी नहीं करेंगे तो इससे समस्या हल नहीं होगी। वहां की जमीन उपजाऊ भी नहीं है। एक साल तो वहां की जमीन की फर्टीलिटी को बढ़ाने के लिये छोड़ दिया जाता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप मौके पर एक अधिकारी जो कि वहां पर ए० डी० (ई०) के हैं उसको सेटिलमेंट का अधिकार दें।

मौके पर जाकर वह देखें और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे जंगल से प्रेम है, आपसे ज्यादा प्रेम है। अगर आप बाग काट कर किसानों को दें तो मैं उसका विरोधी हूं, मैं नहीं चाहता कि जंगल काट कर दें, लेकिन कम से कम जो जमीन बाप-दादा से चली आ रही है, उनकी जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है अगर उसको आप छीन लेंगे तो उनके पास क्या बचेगा? इसलिये मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता वहां के लोगों के लिए विषाक्त बन गयी है।

[श्री राम प्यारे]

इतना ही नहीं जमीनों के बाद ही सारी जंगल की सुविधाएं जो जमींदारों के समय में उनको मिलती थीं वह छीनी जा रही हैं। सूखी लकड़ी नहीं ला सकते, मरम्मत के लिए भी नहीं। सारी जंगलों की सुविधाएं आप ले रहे हैं तो क्या जमीनों को भी लेंगे जो उनकी जीविका का एक मात्र साधन हैं? मैंने दो-तीन साल से रचनात्मक प्रयास किया है समस्याओं को हल करने का। वहां के लोग तो भोले-भाले हैं। अगर कठिनाई न हो तो बिल में ही व्यवस्था कर दें कि जमींदारों के इलाकों में जहां सर्वेक्षण बाद में हुआ वहां की जमीनों का फिर सेटिलमेंट करेंगे और सेटिलमेंट आफिसर मुकर्रर करके भूमिधरी अधिकार देंगे। यह राजनैतिक झगड़ा नहीं है, जनता की समस्या है और चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के कोई अन्तर नहीं पड़ता उसके सुलझाने में।

राजस्व मन्त्री जी के हृदय में भी दया है, बुन्देलखंड से आते हैं जहां की कंकरीली जमीन है सिंचाई के साधनों का अभाव है। आपने सवा छः एकड़ मान लिया है अनइकोनामिक, लेकिन हमारे यहां 15 एकड़ अनइकोनामिक हुई, तो वहां के किसान को क्या सर्वदा के लिय नंगा बनाना चाहते हैं जोकि खेती करके रहता है? उपमन्त्री जी तो दौरे पर गए थे, राबर्ट्सगंज में ऐलान किया था कि वर्ग 4 भूमि की समस्या का हल करने की निश्चित कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो मैं उनके उस आश्वासन को दोहराना चाहता हूं और विभिन्न मन्त्रियों द्वारा सदन में और बाहर भी जो आश्वासन दिये और अधिकारियों द्वारा भी जो आश्वासन दिये गये हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि जमीनों की समस्या के लिये वहां सेटिलमेंट आफिसर नियुक्त करें। अभी भी साढ़े सात बीघा के अलावा आप देखें कि राजस्व मन्त्री पहुंचे और दुद्धी तहसील में सभी मुकदमे चालू कर दिये।

जब आपने समस्या समझकर एक बार रोका तो उसको रोके रहिये जबतक सेटिलमेंट न कर लें, इसलिये पुनः आग्रह करता हूं कि मिर्जापुर जनपद की, राबर्ट्सगंज दुद्धी और जंगलों के उन इलाकों में जमीन की समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलायें। फारेस्ट मिनिस्टर साहब से आज ही मुलाकात की। वह 25–26 को जा रहे हैं। आप तो उनका सही ढंग से पट्टा करने के लिये तैयार हैं तो फारेस्टेशन होने पर समस्या को हल कीजिये। आप चलकर देखिये, मैं निमंत्रित करता हूं। आप प्राविधान कीजिये इन बातों का विधेयक में, उसमें यह नहीं है। आपने तो फर्क किया नहीं, आपने तो कह दिया कि 21 मई के बाद के पट्टे रद किये जायं? आपने क्या प्राविधान रखा कि अगर जमींदार ने उस आदमी से रुपया लेकर पट्टा किया है, किसान ने कीमत देकर पट्टा करवाया हो तो उसके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जायगा? इसलिए इसको प्रवर समिति के सामने भेजें।

जमींदारों ने जरूर गलत पट्टे किये लेकिन उन्होंने जेनुइन पट्टे भी किये हैं और रुपया लेकर किये हैं। तो अगर उनकी जमीन आप लेते हैं तो मार्केट रेट पर उनको मुआवजा दीजिए, अगर बिना मुआवजे के जमीन लेते हैं तो यह एक तरह से अन्याय होगा और मैं समझता हूं कि इस कानून को जो आप बना रहे हैं लोग हाई कोर्ट में ले जायेंगे और वहां से स्टे ले आयेंगे और आपको फिर से संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिये चौधरी साहब ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है यह बिलकुल ठीक है। इसी प्रकार से बुन्देलखंड में है, पहाड़ों में है। हमारे उप मन्त्री जी और डिप्टी फारेस्ट मिनिस्टर भी वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि सरकार तत्काल जमीन छोड़ देगी। इन चन्द शब्दों के साथ में मांग करता हूं कि मिर्जापुर के उन लोगों के साथ न्याय किया जाय जिनकी समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। आप समस्त अधिकारियों को और जिलाधिकारी को बुलाकर उनकी समस्याओं का हल करायें।

(श्री अधिष्ठाता के श्री छेदीलाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 198 की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में यह है कि विधान परिषद् में धन विधेयक पुरः स्थापित नहीं किया जायेगा। यह विधान परिषद् में पेश किया गया है और वहां से पारित होकर यहां आया है और प्रक्रिया नियमावली के नियम 149 को देखिये। इसमें है कि "यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित" फिर 150 में है कि "जब धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक. . . " इसका मतलब यह है कि धन विधेयक केवल विधान सभा में पुरः स्थापित होकर और पारित होकर विधान परिषद् में भेजा जा सकता है न कि वहां पुरः स्थापति होकर हमारे यहां आयेगा। इस प्रकार संविधान और प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन हुआ है और मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर अविलम्ब विचार स्थगित कर दिया जाय और जो विचार हुआ है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह विधेयक ऐसा नहीं है जो प्रत्यावर्तित किया जा रहा हो और जितने विधेयक होते हैं वे किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने संविधान के अनुच्छेद 198 का हवाला दिया है कि विधान परिषद् में धन विधेयक परिषद् में पुरःस्थापित नहीं किया जायगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह धन विधेयक नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, अगर यह धन विधेयक नहीं है तो वित्तीय ज्ञापन क्यों दिया है। आपके इस पर हस्ताक्षर हैं और आपने लिखा है कि यह अनुमान है कि यह धनराशि बहुत अधिक नहीं होगी। यह वित्तीय ज्ञापन की शब्दावली नहीं है तो क्या है। अगर यह वित्तीय विधेयक नहीं है तो वित्तीय ज्ञापन कहां से इसमें आ गया। मैं चाहता कि आप इस मामले में सदन को स्थगित कर दीजिये और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से राय मशविरा करके अपना निर्णय दें क्योंकि निश्चय पूर्वक यह धन विधेयक है और 198 संविधान के अनुच्छेद के अनुसार यह विधान परिषद् में पुरः स्थापित नहीं हो सकता।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मन्त्री जी को दो मिनट का मौका दे दीजिये क्योंकि वे कत्ल के मुकदमें लड़ते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें जो वित्तीय पहलू बताया गया है, ऐसा तो सब बिलों के सम्बन्ध में बताया जाता है लेकिन वित्तीय पहलू बता दिये जाने से यह मतलब नहीं है कि वह मनी बिल हो जायगा। मनी बिल तो बिलकुल दूसरी ही चीज है।

श्री अधिष्ठाता—

आप संविधान की धारा 199 को और पढ़ लें, उसमें दिया हुआ है कि मनी-बिल कैसा होता है। मैं अपनी रूलिंग देता हूं कि यह मनी बिल नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

ऐसे विधेयक जिनमें पैसा खर्च होता है और जो मनी बिल नहीं है, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता हो जायगी।

श्री छेदीलाल चौधरी (जिला खीरी)---

माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर) माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है कि यह मनी बिल नहीं है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने में अब कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन, मैं यह जानना चाहता था कि आपकी इस व्यवस्था का आधार क्या है?

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन, आपकी व्यवस्था कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता।

श्री उदित नारायण शर्मा---

वैसे तो आधार नहीं पूछा जा सकता लेकिन अधिष्ठाता महोदय ने तो आधार भी बता दिया कि कांस्टीट्यूशन की धारा 199 को देख लें उससे तो माननीय सदस्य को यह ज्ञात हो जायगा कि यह मनी बिल नहीं है।

श्री छेदालाल चौधरी---

माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय मन्त्री जी का उद्देश्य इस विधेयक से यह है कि गरीबों को भूमि दी जाय। उस सिलसिले में खीरी जिले की समस्या की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कानून की मंशा तो सही है लेकिन उस का अमल-दरामद ठीक प्रकार से नहीं होता। खीरी में हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला गोकरनाथ की जमनाबाद फार्म की, खंजन नगर फार्म की, और अवध शुगर हरगांव की, हजारों एकड़ भूमि सीलिंग से निकली है।

सीलिंग की जमीन निकलने के बाद यह कहा गया था कि जो वहां के मुकामी भूमिहीन हैं जो उन फार्मों पर काम में लगे हुए हैं उनको दी जायेगी। आज हजारों ऐसे मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और दरबदर ठोकर खा रहे हैं। इस सरकार के पास भी और इससे पहले जो सरकार थी उसके पास भी मेरी मार्फत कितने ही बार वे लोग आये हैं और मैंने मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्रीजी का कितनी ही बार ध्यान आकर्षित किया है कि वह भूमि जो वहां के भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिल रही है। मंशा तो यह है कि सीलिंग की भूमि मजदूरों को दी जायेगी लेकिन उस मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। वहां पर कहीं एग्रीकल्चर फार्म के नाम से, कहीं रिसर्च फार्म के नाम से वह जमीन दी जा रही है और उसमें भी कामयाबी नहीं है। मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि खीरी जिले में राजकीय फार्म के नाम से जो फार्म खोला गया है वह बिल्कुल घाटे पर चल रहा है। जो गोला मिल का फार्म है उसमें भी थोड़ी जमीन जोती हुई है और बाकी में जानवर चर रहे हैं। इस तरह से जो मंशा थी वह बिल्कुल फेल हो रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं फिर अपनी व्यवस्था को आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके द्वारा 199 (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। उसमें लिखा है :

"राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से संबद्ध विधि के संशोधन करने का विनियमन ;"

श्री अधिष्ठाता--

यह इसके ऊपर किस प्रकार लागू होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप विधेयक का वित्तीय ज्ञापन पढ़िए। इसमें लिखा है :--

"इसलिये प्रतिकर के रूप में देय धनराशि का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।" इसीलिये वित्तीय ज्ञापन इसमें शामिल किया गया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप व्यवस्था इस समय न दें और हमारा प्वाइंट आफ आर्डर स्टैंड करने दें।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 199 (ख) किस प्रकार इसके ऊपर लागू होगा यह आप मुझे समझा दें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसमें लिखा है, "किन्हीं वित्तीय आभारों से संबद्ध विधि" "वित्तीय आभार" शब्द है, बात यानी फाइनेंशियल आब्लीगेशन्स। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया वित्तीय ज्ञापन-पत्र में यह साफ दी हुई है "प्रदेश में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होंगे और ऐसी भूमि का कितना क्षेत्रफल होगा इसका अनुमान इस समय लगाना कठिन है। इसलिये प्रतिकर के रूप में कितनी धनराशि सरकार को खर्च करनी पड़ेगी इसका ठीक अन्दाजा इनको नहीं है। फाइनेंशल आब्लीगेशन इस मामले में इन्वाल्व होगा या नहीं। हमारा निवेदन है कि इस मामले में फाइनेंशन्यल आब्लीगेशन इन्वाल्व है। क्योंकि आपको मुआवजा देना होगा। केवल इतनी बात है कि निश्चित धनराशि सरकार बताने में असमर्थ है क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि कितनी जमीन इसमें आयेगी। लेकिन अगर मान लिया जाय कि एक एकड़ जमीन भी इसमें आती है तो उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा और उसका बोझ पब्लिक एक्सचेकर पर ही पड़ेगा और इस तरह से जो भी विधेयक इस संबंध में आयेगा वह धन विधेयक की परिभाषा में आ जायगा और उसे विधान सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है, यह मेरा निश्चित मत है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मैं अपनी बात को फिर आपके सामने दोहरा दूं कि इसी तरह से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना था, उसमें भी वित्तीय इम्पलीकेशन्स थीं और उसमें भी कितना मुआवजा देना पड़ा था।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

जमींदारी अबालिशन का विधेयक तो यहां आया था न कि परिषद् में...

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं अभी निवेदन कर रहा था कि संविधान में मनी बिल एक टेक्निकल शब्द है और उसके अनुसार जो बिल मनी बिल के रूप में आता है वह 199 (ख) के अन्तर्गत होता है। मेरे पास यह अंग्रेजी की किताब है आप माफ करें मैं उसमें से पढ़े देता हूं :

> (*b*) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State ;"

तो यह जो गारन्टी की बात है इट मस्ट बी एक्चुअली इन टर्म्स आफ मनी। वर्ना तो कोई भी बिल ऐसा न होगा कि जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन न हो। ऐसी बात नहीं है कि जहां भी वित्तीय शब्द आ जाय वहीं मनी बिल हो जायगा, यदि इस तरह का अर्थ आप करेंगे तो वह तो आप अनर्थ ही करेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि यह तो आपने अन्धेरे में गोली चला दिया। आप वित्तीय ज्ञापन में निश्चित मात्रा लिख रहे हैं कि इससे अनधिक धनराशि व्यय न होगी....

श्री उदित नारायण शर्मा---

हर बिल में यह लिखा जाता है।

श्री बंशीधर पांडेय---

हर बिल में वह नहीं होता, आप देखें कि इसमें कामा के बाद 'आर' कर के दिया है कि फाइनेंशियल आबलिगेशन के रेसपेक्ट में यदि कानून का संशोधन किया जाय तो वह मनी बिल होगा। इसमें वह फाइनेन्शियल आबलिगेशन कि स्टेट को प्रतिकर के रूप में पे करना होगा।

श्री अधिष्ठाता---

मैं इस संबंध में आपको जो हमारी नियमावली है उसे के नियम 118 को देखें, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ---

> "विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड--जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्गस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

तो कोई भी ऐसा विधेयक बिना वित्तीय ज्ञापन के नहीं आ सकता....

श्री बंशीधर पांडेय---

लेकिन आप यह देखें कि शब्द 'जिस' है, हर बिल में नहीं बल्कि जिसमें व्यय अन्तर्गस्त होगा.....

श्री अधिष्ठाता---

आप इसका हेडिंग देख लें, उसमें है कि विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन चार विधेयकों में धन खण्ड.....

श्री बंशीधर पांडेय---

यदि यहां यह 'जिस' शब्द न होता तो साफ होता कि बिल में ज्ञापन नहीं होगा.....

श्री अधिष्ठाता--

वह दोनों चीजें अलग-अलग हैं, आप जरा सुन लें, विधेयकों में शब्द है.....

श्री बंशीधर पांडेय--

एक बात पहले आप हमारी सुन लें....

श्री अधिष्ठाता--

मैं पहले समाप्त कर लूं संविधान की धारा 199-क (ख) के आधार पर यह बिल्कुल भी मनी बिल नहीं हो सकता है। यही व्यवस्था मैंने पहले भी दी है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यह ग्रामर का शब्द है। इसको इससे काट नहीं सकते हैं। जरा आप नियम 118 पढ़ लीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अब यह व्यवस्था दे दी। प्रक्रिया नियमावली या संविधान के अनुसार यह धन विधेयक नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो यह अन्याय होगा। इसमें साफ है कि जिस विधेयक में वह अन्तर्ग्रस्त हो, नाट आल ऐक्ट्स।

श्री अधिष्ठाता--

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 118 को देखें। इसमें लिखा है कि विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन। इसमें धन विधेयक नहीं लिखा है।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इसके मायने यह हैं कि सारे विधेयक वित्तीय ज्ञापन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होंगे। जिसमें फाइनेन्शियल आब्लीगेशन्स होंगे, वे पर्टिक्युलरली क्वालिफाई कर रहे हैं, उस विधेयक के लिये। श्रीमन्, आप संविधान के विपरीत जो रूलिंग देंगे, वह गलत हो जायेगी। इसलिये मैं आपको सुधारना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपकी बात सुन ली है। भारतीय संविधान की धारा 199 के उपखण्ड (3) को देखें। उसमें यह लिखा है कि माननीय अध्यक्ष जो निर्णय देंगे इस संबंध में वह अन्तिम होगा। मैंने निर्णय दे दिया है कि यह मनी बिल नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, यह प्रश्न उठता है कि....

श्री अधिष्ठाता--

अब वह प्रश्न नहीं उठता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री छेदा लाल चौधरी--

श्रीमन्, कानून की जो मंशा है और उद्देश्य हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं। भूमि लेने की मंशा यह है कि गरीबों को दी जाय। कानून बनने के बाद जो भूमि मिले वह गरीबों को मिले। जिले खीरी में जो हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला गोकरन नाथ का जमनाबाद फार्म है, अवध शुगर मिल्स का पिपरा फार्म है और महौली शूगर मिल्स का खन्जन नगर फार्म्स हैं उनकी हजारों एकड़ भूमि जो निकली है, वह वहां के मुकामी भूमिहीनों को दी जाय। जो मजदूर वहां पर 20 सौ वर्षों से इन पर काम कर रहे थे, वे अब बेरोजगार हो गये हैं। जो लोग 25-30 साल से वहां पर काम कर रहे थे वे बेरोजगार होकर कहां जायेंगे। उनके सामने अपने भरण-पोषण की समस्या आय उन्हें, इन रिसर्च फार्मों में रोजगार दिखलायें।

हमारे जिले में भूमि की समस्या बड़ी विकट है, वहां पर नक्सलपंथियों और कम्युनिस्टों ने आन्दोलन चलाया था। उसके बाद शासन ने यह आश्वासन दिया कि भूमि वितरण होगी। इस सिलसिले में एक आन्दोलन चलाया गया, भूमि बांटी गयी लेकिन उन दिनों में लोक सभा के चुनाव आ गये, नोटिफाइड एरियाज आदि के चुनाव आ गये और भूमि के वितरण का काम नहीं हो पाया और जो हुआ, वह भी फर्ज अदायगी के रूप में हुआ। भूमि जो बांटी गयी उसका डिमारकेशन एक्चुअल पोजेशन वालों को नहीं दिया गया और अमल दरामद खतौनी कागजात के अन्दर नहीं हो पाई है। मैं चाहूंगा कि वह जमीन जो खीरी जिले में है उसको वितरण करा दिया जाय और मौके पर जमीन भूमिहीन लोगों को दिला दी जाय। सबसे बड़ी समस्या यह है और जो अधूरा वितरण पड़ा हुआ है उसको पूरा कर दिया जाय। जैसे कि जमीन्दारों को जमींदारी अब्रालिशन के नियम खत्म कर दिया गया है। जिला खीरी के अन्दर ओयल, बिजुआ रियासतों की जो सीलिंग की जमीन निकली उस पर काश्तकार काबिज हैं। उन जमींदारों ने इसके बाद उन काश्तकारों के नाम से ट्रांसफर कर दिया। और उनसे बड़ी बड़ी रकमें ले लीं। उनकी जमीन सीलिंग में सरप्लस डिक्लेअर हो चुकी थी। और उन्होंने उस जमीन का मुआविजा भी ले रक्खा है। इस सीलिंग की भूमि बागात भी है और जोत की जमीन भी है। जिन भूतपूर्व जमींदारों ने सैंकड़ों काश्तकारों को रुपये ले लेकर (चोट) धोखा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही में समझता हूं सख्त से सख्त की जाय। उन्होंने जिस तरह से काश्तकारों को धोखा दिया है खीरी जिले में उनकी छानबीन होनी चाहिये और जिसका मुआविजा भी उन जमींदारों ने ले रक्खा है उन पर मुकदमा चलाया जाय जिनको जमीन दी गई वह तो सरकार की मंशा है ही कि भूमिहीन मजदूरों को जमीन दी जाय।

चकबन्दी के दौरान जो सार्वजनिक जमीन निकाली गई है उस पर भी जो अनाधिकार कब्जा कई लोगों ने कर रक्खा है उस जमीन का छुटकारा भी लिया जाना चाहिये और छोड़कर वह जमीन भी उनको दी जानी चाहिये तब यह मन्शा सरकार की पूरी हो सकती है। जमीन देने की जो मंशा है वह पूरी होनी चाहिये। ऐक्ट के परपज और उद्देश्य भी उसी हालत में पूरे होंगे। इसी तरह से जंगलात के नाम पर कुछ जमीनों अन्डर वाटर दे दी गई है परगना कुकरा, श्रीनगर में कुछ ऐसी जमीनें जंगलात के नाम से ही दे दी गई हैं। जंगलात को वह जमीन चली गई है लेकिन जगल उसमें नहीं हो सकते हैं। बीस बीस पच्चीस साल से करीब काश्तकार उन जमीनों पर काबिज हैं उन्होंने अपने घर पर मकान बना लिये हैं। मैलानी के आसपास वे काबिज हैं। उनको बेदखल न किया जाय। मुझे उम्मीद है कि इन बातों के साथ जो भूमि है और जैसा कि नेक्सलाइट आन्दोलन हो चुका है, कानून व व्यवस्था की बात भी आ चुकी है वह भूमि हीनों को दिलाई जाय। मुझे उम्मीद है कि राजस्व मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मैं माननीय श्री शंभूनाथ चौधरी का जो संशोधन प्रस्ताव है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में एक और खामी रह जायेगी अगर माननीय राजस्व मंत्री जी ने आज की परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जब सन् 62 में यह रद्द किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सन् 63 में इसको रद्द किया तो क्या सात आठ वर्ष तक यह सरकार सोती रही। आज की परिस्थिति में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन तमाम भूमिहीन हरिजनों के लिये या सही सैनिक परिवार या अपंग सैनिकों के लिये इसमें कोई प्राविजन नहीं किया गया है। मैं अब यह राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को मान लें और प्रवर समिति में इसको भेज दें। वहां इस विधेयक को इस दृष्टि से देखकर तरमीम करके फिर आप यहां लाकर कानून बना लीजिये तो शायद उससे कुछ भूमि हीन हरिजन या सही सैनिकों के परिवारों को जमीन मिल जाय। 21 मई, 1952 और 1 मई, 1952 के बीच जो पट्टे हुए होंगे वे हटाने होंगे। भूमिहीन बहुत से असैनिक परिवार के सदस्य होंगे तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी।

अगर सरकार की दृष्टि गरीबों पर है तो मान्यवर इसको प्रवर समिति में भेज दें और दस दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगा लें। इसमें बहुत खामी है। उसमें यह होना चाहिये था। इसका कोई भी प्राविधान नहीं किया है और जैसा इन्होंने कहा है खण्ड 3 में उससे यह सब वाइड माने जायेंगे। ऐसी परिस्थितियों में धारा 3 (1), (2) सैनिक या अपंग सैनिकों के लिये लागू नहीं होगी। जब विधेयक सन् 72 में पेश हो रहा है, जब शेख मुजीबुर्रहमान बंगला देश के राष्ट्रपति हो गये तब उनके लिये भी आपने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी परिस्थिति में उन तरमीमों के साथ इस विधेयक को पेश करते। इसमें ये खामियां हैं।

इसमें दूसरी खामी यह है कि आपने यह नहीं बताया कि ऐसे कौन से पट्टेदार होंगे जिनको अवैध घोषित किया जायेगा। जमींदार हो या बड़े लोग, जिन्होंने फर्जी लिये हैं अवैध घोषित करें लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो छोटे किसान हैं और जिन्होंने 21 मई के बाद और 1 जुलाई से पहले लिये होंगे। धारा 3 में कहा है कि "नियत दिनांक या उसके पश्चात्" जिसका मतलब यह हुआ कि जमींदारी नहीं टूटी उसके पहले जो पट्टे दिये गये उनके बारे में कानून बनाया जा रहा है। जहां जमीन बाद में टूटी है वहां और भी जमीन आपको मिलेगी।

कितना क्षेत्रफल सरकार को मिल रहा है अब तक पूरी रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिये थी। लकिन इन्होंन उद्देश्य तथा कारण में यह नहीं बताया और सदन को भ्रम में रखा है। उद्देश्य और कारण में क्या है जो भूमिहीनों को मिलन वाला है। आपने कोई कानून भी नहीं बनाया। जिन जमींदारों ने रिश्वत या पगड़ी लेकर जमीन दी है आप उन गरीबों की जमीन को छीन रहे हैं। इन गरीब किसानों ने पैसा देकर पट्टे पर जमीन ली है। इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था कि इसको प्रवर समिति को भेजदें जो इसकी खामियों को दूर करे और उसके बाद यह विधेयक आवे तो अच्छा होगा वरना यह अवैधानिक होगा और गैर कानूनी हो जायगा। जिस तरह देहरादून के मि० जैन ने हाई कोर्ट में याचिका पेश की उसी तरह कोई दूसरे सज्जन याचिका पेश कर देंगे और यह विधेयक रद्द हो जायेगा। तो ऐसा कानून आप क्यों बना रहे हैं जो कि चैलेंज हो जाय। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को मानकर इसको प्रवर समिति में भेज दें।

दूसरी चीज यह है कि आप मुआवजे की धनराशि भी निश्चित नहीं कर रहे हैं। इसको मर्जी पर छोड़ रहे हैं। कलक्टर सरकार के इशारे पर जो चाहेगा मुआवजा दे देगा। यह आर्बीट्रेरी पावर्स आफ नौकरशाही को दे रहे हैं। इससे भी लोगों में असंतोष होगा। इससे

[श्री कपनाथ सिंह यादव]

जो गरीब होंगे, जिनकी पहुंच नहीं होगी, वे प्रभावित होंगे। अगर इनको जमीन निकालनी है तो जैसा शास्त्री जी कह रहे थे, 8 अगस्त, 46 से पट्टा रद्द करवाते। उससे बहुत जमीन निकलती। आप दिखावे के लिये कह रहे हैं कि आप एक प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं लेकिन यह एक प्रतिक्रियावादी कानून है। इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप इसे प्रवर समिति को भेज दें।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 46 में एक संकल्प के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जमींदारी विनाश कर दिया जाय और उसके बाद 26 जनवरी, 1951 को यह अधिनियम बना जमींदारी विनाश का। उसी समय न्यायालय में कुछ मिडिएटर्स 'मध्यवर्ती' ने याचिका दायर कर दी और कोशिश इस बात की कि यह फेल हो जाय। खैर, किसी तरह से वह याचिका हार गये और राज्य सरकार विजयी हुई। इसके बाद यह घोषणा की गई कि पहली जुलाई, 1952 से आस्थान राज्य में निहित होंगे और निर्णय लिया गया कि 21 मई, 1952 के बाद से जो भी पट्टे किये जायेंगे वह अवैध होंगे। यह जो बीच का पीरिएड है जिसमें जमींदारों को अच्छा मौका मिल गया जब आपने कह दिया कि 21 मई, 1952 से सभी पट्टे अवैध करार समझे जायेंगे और 23, जून, 1952 को यह विधेयक पास होता है इस बीच में नाजायज पट्टे किये जाने की संभावना बढ़ गई।

आप जो यह बिल लाए हैं इस भावना से प्रेरित होकर लाये हैं कि जो मुकदमा लड़ा गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार कर दिया था। उसके बाद पार्लियामेन्ट ने अनुच्छेद 31 के अन्दर जो चौथा और 17वां संशोधन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप आप फिर से यह संशोधन ला रहे हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वह पीरिएड जिसमें मध्यवर्ती ने मिडिएटर्स ने सबसे ज्यादा गड़बड़ी की होगी, उस पीरिएड को आपने क्यों नहीं इन्क्लूड किया और इस तरह से जो यह संशोधन करने का मंशा है वह डिफीट हो जाता है। आपका मंशा तो यही था कि जो नाजायज पट्टे हो गये हैं उन पट्टों को खत्म कर देंगे। जिस काल में जो गड़बड़ी हुई होगी, उस काल को तो आपने मिलाया ही नहीं है।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन करने के बाद क्या आपको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सन् 1952 से 1972 हो गया। इस 20 साल में जमीन के बारे में कितने ही निर्णय लिये गये हैं, चकबन्दी हो रही है और इसके अलावा भूमिधर बन गये हैं, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जमींदारों को एक मौका मिला जिसमें उन्होंने नाजायज पट्टे किये—उस पीरिएड को क्यों नहीं कैंसिल किया गया। उस पीरिएड को कैंसिल करने की बात होनी चाहिये क्योंकि वह लोग आगाह हो गये थे कि जमींदारी एबोलीशन कानून पास होने वाला है और वह लोग जमींदार नहीं रहेंगे। जैसा कि अब आप करने जा रहे हैं सीलिंग के बारे में।

आपने सीलिंग की घोषणा कर दी जिससे कि प्रदेश के कोने-कोने में एक हल्ला मच गया है। आज राजा-महाराजा चौकन्ने हो गये हैं और इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे अपनी जमीन को फ्रेगमेन्टेशन कर दिया जाय। वह लोग अपनी बीवी के नाम से, अपने बच्चों के नाम पट्टे कर रहे हैं, लिखा पढ़ी हो रही है और जो आपका सीलिंग करने का मकसद है वह मकसद डिफीट हो जायेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीरियड छोड़ दिया गया है उसको भी आपको इन्क्लूड करना चाहिये था। अतः जो शम्भूनाथ चौधरी जी ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं अपने सभी सहयोगियों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा---एक तो माननीय मंत्री जी ने यह मान लिया कि चाहे सही या गलत पट्टे हुये, उन्होंने किसी दूसरे को अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं की। तो इस 19 वर्ष की अवधि में जिन लोगों के पास ट्रांसफर, पट्टे जमींदारों ने किये होंगे वह न मालूम किन-किन लोगों को ट्रांसफर हुई होगी। हो सकता है कि क ने ख को ग, घ को ट्रांसफर कर दिया हो

(इस समय 3 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

फिर क्या परिस्थिति होगी। फिर वह दीवानी में दौड़ता फिरेगा। इससे बड़ा बवन्डर मचेगा। आप चकबन्दी करने जा रहे हैं तो उन्हीं पट्टों के आधार पर लोगों के चक बनेंगे, फिर कैंसिल करेंगे वह जमींनें दूसरे के चक में चली गई उसको आप अधिकार में कैसे लेंगे। इसलिये माननीय मंत्री जी भावना का आदर करें। आप बड़ा बवंडर करने जा रहे हैं। आप सीलिंग लाने जा रहे हैं जिससे जो जमींन अधिक होगी वह निकल जायगी इस माध्यम से वह मिलने वाली नहीं है और किसानों को बड़ी परेशानी होगी। आप एक चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं उनके द्वारा व्यक्त किये विचारों एवं सुझावों के लिये। लेकिन मैं यह बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिस मंशा से यह विधेयक पेश किया जा रहा है उसे समझा ही नहीं। श्रीमन, यह एक सीमित समय के लिये एक सीमित परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये यह विधेयक आपके सामने है। आपने इस पर बड़ी चर्चा की कि 1946 के आरम्भ से यह जमींदारी एबालीशन ऐक्ट बना हुआ है लेकिन मैं यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि 1946 से 50 और 51 तक जो कुछ हुआ उसका जायजा चूंकि करना था अतः आपका जमींदारी एबालीशन एक्ट बना, सही किया या गलत किया वह ठीक करना चाहिये। इस सब का प्राविधान इसमें किया जा रहा है। इसमें इस बात का प्राविधान है कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट आप ने पास किया, उसके बाद कुछ लोगों ने रिट फाइल कर दी और रिट फाइल करने का बीच के समय में लोगों ने लाभ उठाने की कोशिश की। उसके बाद जब से ऐक्ट लागू हुआ है वह तारीख 21 मई, 1952 से 30 जून, 1952 के समय के लिये ही इस पर विचार किया है। वह विचार किया जा सकता है। आप यह देखने की कोशिश करें कि क्या वह विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके निराकरण के लिये आपके सामने यह विधयक पेश किया है। अगर आप 46 के बाद करें तो ठीक हो सकता है। सन् 52 से जो कुछ हुआ उसका उपाय क्या है, उसके वास्ते क्या कानून बनेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इसका एक स्पष्टीकरण हो सकता है। मान लीजिये इस अवधि में पट्टे हुये 19 वर्ष में क के तो क 19 वर्ष तक बैठा नहीं रहेगा और क लिखा है? तो क्या होगा ऐसी स्थिति में?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उसके सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है वह अवैध हुआ है। कानून के मंशा को खत्म करने के लिये हुआ है। कानून के मंशा को खत्म करने के लिये कोई भी काम पूरा नहीं हो पायेगा। इसी के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना सरल और सीधा विधेयक है।

श्री कल्पनाथ सिंह यादव—

जितने माननीय राजस्व मंत्री जी ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

दूसरा संशोधन प्रस्तावित हुआ है श्री रामधारी शास्त्री जी का जिसमें उन्होंने कहा है कि सीलिंग न लिख कर जो इसको अधिकतम जोत सीमा है 12।।एकड़ लिखी जाय । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सुझाव ठीक हो सकता है । इस भावना को हम समझते हैं। लेकिन हमारी कठिनाई है जो हम ने लिखा है । यह एक वैधानिक स्थिति का मुकाबला करने के लिये ही लिखा है । आप संविधान के अनुच्छेद 31 (ए) में पढें उसमें यह दिया हुआ है कि जो जमीन या लैंड जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है और जोत रहा है उससे जो सीलिंग से अधिक है वह ले सकते हैं लेकिन जो सीलिंग के अन्दर है वह नहीं ले सकते है और अगर लेंगे तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा ।

यह बड़ी सीधी सी बात है इस लिये इसमें 3 एकड़, 6 एकड़, साढ़े 12 एकड़ या 15 एकड़ हम लिख ही नहीं सकते हैं । सीलिंग की जो सीमा है उन्हीं शब्दों का उपयोग कर सकता हूं और तभी हम संविधान की मंशा को पूरी करेंगे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको माना जाय । एक बात और कही गई कि युद्ध के जो वीर जवान हैं और जो वीरगति को प्राप्त हो गये हैं उनके लिये तो यह तो परिस्थिति आज पैदा हुई है और उसको अलग से देखा जा रहा है । जो 2, 4 महीने के बीच में हुआ है उसको वैधीकरण करने की मंशा से इसको लाया जा रहा है । इसलिये जो संशोधन है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं और मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

एक सदस्य—

हमको कितनी भूमि मिलने वाली है इसका तो कुछ पता नहीं है । हमारी मंशा छोटे काश्तकार को ।

श्री उदित नारायण शर्मा —

यह विधेयक जो लाया गया है वह इसलिये कि संक्रमण अधिनियम, सन् 62 में अवैध करार दिया गया । आप जानते है कि जैन साहब के पास 1000 एकड़ का पट्टा है । खासतौर से वह पट्टा लोगों की दृष्टि में था आप यह विश्वास रखें कि किसी छोटे काश्तकार के ऊपर यह लागू नहीं होनेवाला है । अगर हम इसको नहीं बनावेंगे तो खासतौर से छोटे काश्तकारों के ऊपर बहुत ज्यादती हो जायेगी अगर हम इसका वैधीकरण नहीं करते हैं । साथ ही जो जमीन ग्राम सभाओं को मिल गई और उनके पट्टे कर दिये गये उनका क्या होगा यह प्रश्न तो बिल्कुल ही दूसरा है और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप पास कर दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह यादव —

उस अवधि के बीच में भूमि हीनों को पट्टा मिल गया है तो वे भी इसी कानून की गिरफ्त में आ जायेंगे । आपकी मंशा यह है जो हरिजन है और भूमिहीन हैं और जिनको यह मिल गया है उनका भी निरस्त कर दिया जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा —

भूमिहीन या हरिजनों को जो मिल गया है वह तो 3, 6 या 12 एकड़ मिला होगा और सीलिंग के अन्दर वह भूमि उन्हीं के पास रहेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह —

इस पर सदन में विचार नहीं होना चाहिये । आप वोट लेने से पहले हमारी बात को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष —

नहीं, अब बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री उदित नारायण शर्मा —

उपाध्यक्ष महोदय, आपके पूर्व अधिष्ठाता महोदय इस बात पर निर्णय दे चुके हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर जो पीठासीन अधिकारी होता है चाहे वह अध्यक्ष हों या अधिष्ठाता वह तो अपनी व्यवस्था दे देते हैं वह इस पीठ की महिमा के अनुसार ही देते हैं और वह मान्य है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दे और उसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

2—जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "विनाश अधिनियम" का तात्पर्य 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम से है,

(ख) "नियत दिनांक" का तात्पर्य 21 मई, 1952 से है,

(ग) "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी का सहायक कलक्टर भी है;

(घ) "जिला न्यायाधीश का न्यायालय" के अन्तर्गत किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय का भी है जिसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन कोई अपील अभ्यर्पित की जाय;

(ङ) किसी भूमि के सम्बन्ध में, "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार, से है ;

(च) "पट्टा" के अन्तर्गत माफी या रियायती लगान की काश्त भी है,

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १५, १९५२

(ज) "संक्रामण अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 से है ;

यू० पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

(झ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उनके लिए दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं खंड 2 को रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३ व ४

3—किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—

यू० पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

(1) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा, जो नियत दिनांक या उसके पश्चात दिया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत तथा शून्य घोषित किया जाता है, और पट्टेदार (चाहे उसने ऐसे पट्टे के अनुसरण में या उसकी प्रत्याशा में, नियत दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात कब्जा प्राप्त किया हो) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 180 और विनाश अधिनियम की धारा 209 के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर काबिज हो।

नियत दिनांक के बाद किये गए या रजिस्ट्रीकृत पट्टे और अन्य व्यवहार आरम्भ से ही शून्य होंगे

(2) किसी मध्यवर्ती और किसी काश्तकार के बीच किया गया ऐसा व्यवहार जिससे काश्तकार को अपने खाते या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा संक्रामण का अधिकार प्राप्त हो और जो नियत दिनांक को या उसके पश्चात किया या निष्पादित किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण---इस धारा में 'रजिस्ट्रीकरण' का तात्पर्य लेख्यों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से है और इसके अन्तर्गत यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 57 के अधीन प्रमाणीकरण भी है ! यू०पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

परिणाम तथा प्रक्रिया

4---(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पट्टा या अन्य व्यवहार शून्य हो जाय, तो उससे सम्बद्ध भूमि के या ऐसी भूमि पर किन्हीं वृक्षों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों के अधिकार और आभार, उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार समझे जायेंगे मानों ऐसा पट्टा या अन्य व्यवहार न कभी स्वीकृत किया गया था या न कभी उसकी अनुमति दी गयी थी।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा पट्टा दिया गया था अथवा जिसके साथ जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, अथवा उसके उत्तराधिकारी का ऐसे पट्टे या व्यवहार के अनुसरण में किसी भूमि पर कब्जा (चाहे अन्वयाश्रित या वास्तविक हो जिसमें कृषीय कब्जा भी सम्मिलित है) हो, तो इस आधार पर कि उसका किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित अवधि के लिये भूमि पर कब्जा रहा है अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख या रजिस्टर में इस प्रकार कब्जा रखने के किसी इन्द्राज के आधार पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं समझा जायगा। यू०पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके कब्जे में उपर्युक्त ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार के अनुसरण में कोई भूमि हो, ऐसी भूमि के संबंध में किसी लगान, मालगुजारी या अन्य लोक देयों के लिये उसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) कलेक्टर या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये---

(क) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित भूमि का और उस पर के किन्हीं वृक्षों का कब्जा और प्रभार लेना, और ऐसी कार्यवाही करना अथवा करवाना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग करना अथवा प्रयोग कराना जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में आवश्यक हों;

(ख) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका सर्वेक्षण करना अथवा उसका माप लेना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पुस्तिका या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना देने, जो निर्दिष्ट की जाय, की अपेक्षा करना; और

(घ) यदि अपेक्षित पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्य पुस्तक प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना और ऐसी पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत करना और उनका कब्जा लेना;

वैध होगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो, उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा और इस बात का अभिवेदन करेगा कि धारा 3 के और उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध उक्त भूमि या उसके किसी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते, और कलेक्टर सरसरी जांच करने के पश्चात आपत्ति पर निर्णय देगा ।

(6) कलेक्टर का निर्णय, उपधारा (7) के अन्तर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(7) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध हो, आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

खंड 3 का संशोधन देर से आया है, लेकिन फिर भी मैं उसको रखने की इजाजत दे रहा हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि "खण्ड 3 के उप खंड (1) व (2) के बाद एक परन्तुक वाक्य निम्नतौर से लिख दिया जाय:--

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) (2) की कोई बात भारत-पाक युद्ध में अपंग या शहीद सैनिक के वारिस अथवा कोई भूमिहीन हरिजन यदि एसा पट्टेदार व काबिज है, तो नहीं लागू होगी ।"

यह ऐसा संशोधन है जिसको कि आज के ऐतिहासिक काल में राजस्व मंत्री को मान लेना चाहिए । आपने घोषणा की है कि शहीद सैनिकों के वारिसों को हम जमीन देंगे और भूमिहीन हरिजनों को जमीन देंगे । यह उनकी पालिसी है और उन्होंने अधिनियम भी बनाया है । जब उनकी ऐसी पालिसी है तो उन्हें इस संशोधन को मान लेना चाहिए । इसको न मानने में उन्हें क्या आपत्ति है ? इसका औचित्य है और आज की परिस्थिति में उनको इंकार नहीं करना चाहिए अगर वे वास्तव में समाजवादी हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जो विधेयक हम लाएं हैं वह सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए लाए हैं । वह चीज अलग है और उससे इसका कोई संबंध नहीं है । इस लिए मेरी मजबूरी है, मैं इसको नहीं मान सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उप खंड (1) व (2) के बाद एक परन्तुक वाक्य निम्नतौर से लिख दिया जाय:--

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) और (2) की कोई बात भारत-पाक युद्ध में अपंग या शहीद सैनिक के वारिस अथवा कोई भूमिहीन हरिजन यदि ऐसा पट्टेदार व काबिज है, तो नहीं लागू होगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 व 4 इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 5

उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1961

निजी जोत के अधीन भूमि के संबंध में विशेष उपबन्ध

5--(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर किसी पट्टे या अन्य व्यवहार के शून्य हो जाने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से जिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो या जिसे कोई अधिकार प्रदत्त किया गया हो अपने निजी जोत के अधीन धृत किसी भूमि को सौंप देने की अपेक्षा की जाय, तो वह उक्त भूमि में से उतनी भूमि को, जो उक्त व्यक्ति द्वारा धृत किसी अन्य भूमि के साथ मिल कर (समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अर्थ में) अधिकतम जोत क्षेत्र से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने के लिए कलेक्टर को, ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायं, एक आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) तदुपरान्त कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसे वह, समस्त संगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निदिष्ट करे, पूर्वोक्त विमुक्ति का आदेश दे सकता है, और ऐसे प्रतिकर के लिए जो उसकी राय में उक्त भूमि पर कब्जे से अस्थायी रूप से वंचित होने के लिए दिया जाना चाहिए, तथा उक्त प्रतिकर को उन सभी व्यक्तियों के बीच जो ज्ञात हों या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि भूमि में उनका स्वत्व है और जिनकी या जिनके दावों की उसे सूचना हो, चाहे वे क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में अभिनिर्णय दे सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के आदेश से, विमुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में या स्वीकृत विमुक्ति की सीमा के सम्बन्ध में या इस प्रकार विमुक्त भूमि की निदिष्ट के सम्बन्ध में या प्रतिकर की धनराशि या जिसे वह देय हों, उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच उक्त प्रतिकर के विभाजन के सम्बन्ध में क्षुब्ध हों, तो वह आदेश के विरुद्ध, ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण पर जारी किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

1894 का ऐक्ट

(4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यथासम्भव लागू होंगे।

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

"खंड 5 (1) में कोष्ट में बन्द पंक्ति "(समय समय पर---के अर्थ में)" को निकाल दिया जाये तथा छठी पंक्ति में "अधिकतम जोत क्षत्र" के स्थान पर 12 1/2 एकड़" रख दिया जाए।"

यह संशोधन रखने का केवल एक अभिप्राय है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा 154 में यह व्यवस्था है कि अगर कोई आदमी जमीन खरीदता है, कहीं से एक्वायर करता है

[श्री रामधारी शास्त्री]

या कहीं से गिफ्ट में लेता है और पहली भी जमीन उसके पास है तो सब मिला कर उसके पास 12–1/2 एकड़ से अधिक नहीं रह सकेगी। और इस एक्ट में यह कहा गया है कि जो पट्टे गैरकानूनी होंगे वे उतनी भूमि रख सकेंगे जितनी कि सीलिंग एक्ट के अनुसार वे रखने के अधिकारी होंगे। मान लीजिये 40 एकड़ की सीलिंग आपने रखी, तो वे 40 एकड़ रख सकेंगे भले ही उनका पट्टा गैरकानूनी हो। तो जो पहले का कानून है उसमें और इसमें बहुत फर्क हो गया है जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में प्रतिबन्ध था वह अच्छा था और वह गरीब के हित में था। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मुझे खेद है कि माननीय रामधारी शास्त्री जी मेरे विचार को, जो मैंने अभी व्यक्त किये थे समझ नहीं सके। जोत सीमा तो एक बार बदली जा चुकी है, फिर बदलने की कोशिश हो रही है, उसको बदला भी जा सकता है, तो पता नहीं माननीय सदस्य क्यों भ्रम में पड़े हैं। मान्यवर, मैं पहले अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं, यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 (1) में कोष्ट में बन्द पंक्ति "(समय-समय पर. . . .के अर्थ में)" को निकाल दिया जाय तथा छठी पंक्ति में "अधिकतम जोत क्षेत्र" के स्थान पर "12 1/2 एकड़" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, सरकारी पक्ष का जो मौजूदा सीलिंग ऐक्ट है उसमें भी तरमीम करके हद को नीचे लाना चाहते हैं, यह तो उससे मिलता-जुलता रामधारी शास्त्री जी का है, इसको क्यों नहीं यह मान लेते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

21–ए के उसमें शब्द लिखने पड़ते हैं।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 (1) में कोष्ट में बन्द पंक्ति "(समय समय पर. . . .के अर्थ में)" को निकाल दिया जाय तथा छठी पंक्ति में "अधिकतम जोत क्षेत्र" के स्थान पर "12–1/2 एकड़" रख दिया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ से १०, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा 4 में अभिदिष्ट भूमि में वृक्ष गिराने इत्यादि के लिए शास्ति

6—कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष को गिराता है, विराम करता है, काट-छांट करता है, चुआता है, ठूठ बनाता है या जलाता है अथवा उसकी छाल उतारता है या किसी अन्य प्रकार से वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा धारा 4 में अभिदिष्ट किसी भूमि को खेती के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ता है या साफ करता है अथवा ऐसी भूमि पर किसी वन में अथवा वृक्षों में आग लगाता है या ऐसे वन के किसी वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा

पशुओं द्वारा किसी ऐसे वृक्ष को क्षति पहुंचाने देता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

7--(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिनों की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या संशोधन का उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

वैधीकरण

8--(1) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, या विनाश अधिनियम की धारा 4, 6 और 25 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भूमि या उस पर किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस आधार पर कि संक्रामण अधिनियम की धारा 3 के उपबन्ध वैध तथा प्रभावी थे, किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर किया गया या की गई समझी जायगी और सदैव से ही इस प्रकार वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम सदैव से प्रवृत्त था ।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने या धारा 6 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोग चलाने में कोई रुकावट नहीं होगी और न ही उसे रुकावट होना समझा जायगा ।

सद्भावना से किए गये कार्य के लिए संरक्षण

9--राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया जाय अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1952

10---उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० तथा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1971 का निरसन

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, 1952 ई० के उपबन्धों को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने का तथा उसके अनुसरण में किये गये कार्यों को वैध करने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जहां विनाश अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो ।

(3) यह धारा और धारा 2, 3, 4, 5 तथा 7, 23 जून, 1952 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और धारा 6, 8, 9 तथा 10 तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 6, 7, 8, 9 व 10 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो अभी सूचना दी गई है, उसके सम्बन्ध में कार्यक्रम इस प्रकार है।

(1) नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय---18 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक ।

(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा---18 जनवरी, 1972 को अपराह्न 4 बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--19 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 20 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972---(क्रमागत)†

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक में दो प्राविधान किये गये हैं। एक तो यह कि 31 दिसम्बर, 1971 को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इन तीन जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 27 सितम्बर को एक अध्यादेश द्वारा इनका कार्यकाल 1972 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा विधेयक में एक प्राविधान किया गया है कि अन्तरिम जिला परिषद् में गैर सरकारी व्यक्तियों को भी सम्बद्ध किया जाय और उसके कार्य में उनका भी योगदान हो। इसलिए एक उपाध्यक्ष मनोनीत करने का इस विधेयक में प्राविधान किया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

सरकार सारे गैर सरकारी लोगों को निकाल रही है तो यह ला कहां से रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक है। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस विधेयक पर विचार करके इसे पारित करेंगे।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन के सम्मुख

---

†6 जनवरी, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम यादव]

प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे) यह मेरा संशोधन है।

मान्यवर, जो मौजूदा विधेयक है इसमें दो बातों के बारे में प्राविधान किया जा रहा है। एक तो समय 31 दिसम्बर को समाप्त होने जा रहा था उसे 1973 तक करना चाहते हैं। दूसरी जो व्यवस्था की गयी है वह यह कि जिला अधिकारी जो अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष है उसके अधिकारों को यह मनोनीत करके गैर सरकारी आदमी को उपाध्यक्ष बना कर देना चाहते हैं। पहला जो प्राविधान किया गया है उसमें यह विचार करने की बात है कि यह जिला परिषद् जो है, प्रजातन्त्र प्रणाली की प्राथमिक इकाई है। इनका समय से चुनाव न करवा कर, समय बढ़ा कर जितना समय टाला जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। यह चुनाव छः महीने में हो सकता है। अगर छः महीने में नहीं कर सकते तो एक साल में चुनाव हो सकता है।

एक कठिनाई हो सकती है परिषदों के गठन में क्षेत्र समितियों का सम्बन्ध है, उनमें क्षेत्र समितियां अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। क्षेत्र समितियों का गठन गांव सभाओं के चुनाव द्वारा होता है। गांव सभाओं का चुनाव नहीं हुआ तो क्षेत्र समितियां नहीं बनती हैं। तो परिषदों का चुनाव कैसे हो? पहले गांव सभा का चुनाव हो, फिर क्षेत्र समितियों का गठन कीजिये। इसके बाद जिला परिषद् का चुनाव हो। ये चुनाव एक साल में भी किये जा सकते हैं। परिषदों पर जो सबसे बड़ा कुठाराघात करने की बात है वह मनोनयन करके गर-सरकारी आदमी की आड़ में किया जा रहा है। उसकी आड़ में सीधे-सीधे केवल अपनी पार्टी के आदमी को उपाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इनकी पार्टी का जो आदमी होगा उसको उपाध्यक्ष बना कर सरकार कह सकती है कि जिला अधिकारी के समस्त अधिकारों का वह प्रयोग करेगा।

मान्यवर, जिला परिषदों के अधिकार में यह प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था है जिसमें अध्यापकों को एक बहुत बड़ी संस्था है। पिछले अनुभव से देखा गया है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष रहा करता था तो जब अगले चुनाव का समय आया करता था तो वह अध्यापकों का अनिवार्य रूप से अपने प्रार्टी के नुमाइन्दों का चुनाव प्रचार करने के लिये बाध्य किया करता था।

मार्च, 70 में एक अल्पकालिक व्यवस्था के लिये संशोधन विधेयक लाया गया तो यह शंका प्रकट की गयी थी कि सरकारी दल अपने दल के प्रचार के लिये कलेक्टर के माध्यम से जिला परिषद् को अपने हाथ में लेना चाहता है और अब वह शंका पूरे तौर से साफ दृष्टि-गोचर हो रही है कि 74 के चुनाव को दृष्टि में रख कर यह व्यवस्था की जा रही है। यह जो जिला परिषद् संबंधी विधेयक है यह पूरे जिले से संबंधित है, सारे प्रशासन से संबंधित है। पुलिस, प्लानिंग इस सब की व्यवस्था का संबंध जिला परिषद से है। इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करके कानून में परिवर्तन किया जाय कि जिला परिषद् का गठन कैसे किया जाय, उसके चुनाव की प्रणाली किस ढंग से हो। ये सवाल ऐसे हैं जिन पर प्रवर समिति में गम्भीरता से विचार हो सकता है लेकिन सरकार यह न करके सीधे-सीधे थोड़े से समय के अन्दर इसे पास करा लेना चाहती है।

पहली आपत्ति तो मेरी इस पर यह है कि इस प्रकार इसका सरकारीकरण हो रहा है। आप जिला परिषद् का अपना पार्टीकरण करना चाहते हैं। चुनाव की दृष्टि से देखा जाय तो विधान सभा के चुनाव हुए हैं उन्हीं की पार्टी के लोग भारी बहुमत से हर जिले में नहीं जीते लेकिन जिला परिषदों में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष को मनोनीत करने के लिये कांग्रेस पार्टी के लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं, लखनऊ दौड़े चले आते हैं कि हमको मनोनीत किया जाय।

अभी से उनकी सूची बन गयी है । इसका मूल्यांकन किया जाय कि कलेक्टर के माध्यम से जो इन्तजाम किया गया था उसमें क्या दोष पाये गये, इस पर प्रकाश पड़ना चाहिये था । जिलाधिकारी ने किसी दल का काम न करके कुछ हद तक निष्पक्ष रहने की कोशिश की है । साल भर का पिछला अनुभव यह रहा । अब की बार जब मध्यावधि चुनाव हुये थे तो जिला परिषद के अध्यक्ष बहुत से अध्यापकों को मजबूर करके चुनाव का प्रचार कराना चाहते थे लेकिन जिला अधिकारियों ने शासन के आदेशानुसार एक सर्कुलर भेज दिया था कि किसी अध्यापक को किसी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिये नहीं जाना चाहिये हालांकि इसके बावजूद भी उनको चुनाव प्रचार के लिये भेजा गया लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि जिस पैमाने पर जिस पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे वे अध्यापकों से अपनी पार्टी के चुनाव का काम लेते थे उतना नहीं लिया गया । लेकिन अब यह जो उपाध्यक्ष की व्यवस्था की जा रही है उसमें सारे अधिकार उसके हाथ में दिये जायेंगे ।

74 के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें जिला परिषद् के माध्यम से उनके कर्मचारियों के द्वारा खास तौर से प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो हैं उनसे अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का कार्य कराया जायगा । सरकार की तरफ से विधेयक में जो उद्देश्य तथा कारण दिया गया है उसमें कहीं यह बात स्पष्ट नहीं है कि उपाध्यक्ष को रखने की जो व्यवस्था की गयी है उसमें उसको मनोनीत करने की क्या जरूरत पड़ी । प्रजातंत्र की प्रणाली के अनुसार वोट के जरिये से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाता है लेकिन यह जो आप उपाध्यक्ष को इस विधेयक के जरिये से मनोनीत कर रहे हैं यह प्रजातंत्र प्रणाली के विपरीत आचरण है और यह केवल दलगत उद्देश्य मात्र से प्रेरित होकर किया जा रहा है । इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जिला प्रशासन से संबंध है, क्योंकि जिले का सारा प्रबन्ध जिला परिषद् से सम्बध रखता है । इस कानून की व्यवस्था से जिले के ला एंड आर्डर का संबंध है। इस तरह से प्रजातंत्र की इकाई के साथ आप खेल नहीं कर सकते हैं । इस चुनाव को तुरन्त होना चाहिये । चुनाव किस तरह से कराया जाय, कौन से तरीके अपनाये जायं यह सब बातें विचारने के लिये प्रवर समिति में इस विधेयक का जाना नितांत आवश्यक है । मैं आशा करता हूं मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल सीमांत जिलों के लिये आया है यह अपना एक विशेष महत्व रखता है । यह बात हम उन जिलों के लिये कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमांत जिले हैं । इन जिलों के विषय में जब हम सोचते हैं या जब कोई विधेयक लाते हैं तो देश की सुरक्षा के विषय को सामने रखते हुये इस पर विचार करना चाहिये । इस सरकार ने इस सत्र में एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनतंत्र के लिये लाभ का हो । पहला काम तो उसने यह किया कि मैनेजरों की जगह पर सरकारी मैनेजर नियुक्त होगा । दूसरा काम यह किया कि सहकारी समितियों में अध्यक्ष पद के लिये सरकारी आदमी नामिनेट होगा । तीसरा काम उसने यह किया कि सीमांत जिलों में आप देखें कि एम०एल०ए० का या एम०पी० का चुनाव होता है लेकिन प्रमुख और अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। यह बात समझ में नहीं आयी ।

जब सब पदों के लिये चुनाव होता है तो अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव न हो यह बात किसी की समझ में नहीं आ सकती है । इसका परिणाम यह हुआ कि सीमांत जिलों को जो यहां से पैसा दिया गया नियोजन के लिये उसमें वहां के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणि]

मिला तो वहां के विकास के लिये वह खर्च नहीं किया जा सका । सरकारी कर्मचारियों ने उस योजना को बनाया और फिर बाद को उस रुपये का दुरुपयोग हुआ । इतना ही नहीं सीमांत जिले उत्तरकाशी में एक स्थान फतेह पर्वत नाम से है जहां पर आदमी कोई गांव में जाता है तो आदमी को आदमी देखकर भाग जाता है । वहां पर आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है । इसी तरह से छात्रवृत्ति के प्रिविलेज की बात आती है । वहां के जिलाधीश ने, जो लड़के लखनऊ में रहते हैं, उनको प्रमाणपत्र दे दिया कि वे पहाड़ के रहने वाले हैं । यहां विधान सभा में कहा गया कि पर्वतीय लड़कों को प्रिविलेज दिया गया पी०एम० टी० में बैठने का लेकिन उसका लाभ ऐसे लड़कों ने जिलाधीश के प्रमाणपत्र से उठाया। वहां के लड़के रह गये और वह उस लाभ को न उठा सके ।

इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार ऐसे लोगों की सलाह पर चलती है जो सरकारी कर्मचारी हैं और जनता से उनका संबंध नहीं है । वह अपनी इच्छा के अनुसार ही नियोजन बनाते हैं । इससे नियोजन बिलकुल गलत हो जाता है । सरकार ने यह कहा था कि आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं जिले के स्वायत्त शासन के कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने तथा निर्विघ्न संक्रमण सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषद् संघटित करेगी । इसका मतलब यह है कि विकास संबंधी समन्वय करने के लिये जिलाधीशों को अध्यक्ष बनाया गया था ।

उस समय जब हम लोगों ने कोई बात कही तो यह कहा गया कि इसको अध्यक्ष अच्छे ढंग से करेगा । इसलिये जिलाधीश को अध्यक्ष का काम दिया गया लेकिन आज सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है तो सरकार ने इस विधेयक को लाकर अपने आप अपनी बात को खत्म कर दिया है । इसलिये इसको पास करने की जरूरत नहीं है । इसमें सरकार यह कह रही है कि जिलाधीश की जगह पर उपाध्यक्ष का नामांकन करेगी । जब वहां पर किसी आदमी को नामजद होना है तो वहां पर प्रधानों का भी चुनाव हुआ है । वे भी जनता के लोग हैं वे ही अपने आप चुनाव करते हैं । इससे मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप इसकी अवधि बढ़ा दें किन्तु इसमें जो आप जिलाधीश को हटाकर अपने आदमी को रखना चाहते हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको अन्तरिम जिला परिषद् ही रखें ।

जनता द्वारा जो प्रधान यहां पर चुना गया है उसके द्वारा ही वह बने । यह पहले से ही प्रथा चली आ रही है इसलिये आप उसी प्रथा को वहां पर कायम रहने दें । मैं फिर इस सदन के माननीय सदस्यों और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन तीन जिलों को सही ढंग से नियोजित करें क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है। सरकार कहती है कि हमने 29 करोड़ रुपया तीन पंच वर्षीय योजनाओं में इन तीन सीमांत जिलों के लिये खर्च किया है ।

श्रीमन्, वहां पर उत्तरकाशी जिले में एक थराली नामक स्थान है वहां पर मैं गया था वहां पर मैंने देखा कि जो बेसिक स्कूल है छत दो साल पहले उड़ गई थी किन्तु अभी तक उसकी छत नहीं बनवाई गई है । कहा जाता है कि उ में बहुत खर्च होता है । मैं कहता हूं कि अगर आप पी० डब्ल्यु०डी० की रोड पर जायं तो आपको अच्छे से अच्छे उसके बंगले मिलेंगे और उर बंगले में अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगा होगा यहां तक कि 10- 20 हजार रुपये तक का फर्नीचस होगा किन्तु इस स्कूल की छत पर पैसा खर्च नहीं किया गया । इस उत्तरकाशी जिले को अलग कर के वहां का कोई विकास नहीं हुआ है और जहां का विकास नहीं होगा वहां के लोगों की देश के प्रति क्या भावना होगी इसका अन्दाज लगाया जा सकता है । उनके मन में कब यह

भावना होगी जब उनके काम में सरकार ज्यादे से ज्यादा सहयोग दे और आप सहयोग कैसे देंगे प्रजातंत्र के तरीकों का इस्तेमाल करके। जो कि आज के विकास के लिये बहुत जरूरी है। इन शब्दों को मद्देनजर रखते हुये हैं मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे इन सीमांत जिलों के प्रश्न के ऊपर जिला परिषदें ही रखें।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सामुदायिक विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सीमांत जिलों में शनैः शनैः गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों को स्थापित करने के लिये प्रजातंत्रीय कदम उठाया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यबाद देता हूं।

सीमांत जिलों में गत 10/12 साल से जिला परिषद् के अध्यक्ष वहां के जिला अधिकारी होते थे। हमारे माननीय बडोनी जी ने जो कुछ कहा, मैं भी पर्वती क्षेत्र का ही रहने वाला हूं, उसके संबंध में मैं भी इस बात को जानता हूं कि वहां के लोगों को इस बात की आकांक्षा थी कि जिलाधिकारी के साथ ही आम जनता में से भी इस जिला परिषद् के कार्यों में हाथ बटांने वाला कोई गैर सरकारी प्रतिनिधि हो। हर्ष की बात है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। अभी जैसा कि हमारे माननीय जयराम यादव जी कह रहे थे सरकार तो जिला परिषद में उपाध्यक्ष कुछ सदस्यों को नामजद इसलिए करना चाहती हैं ताकि आने वाले विधान परिषद् के चुनाव में अपने आदमियों को जिताने की कोशिश करें। जब चौधरी चरणसिंह इस प्रदेश में मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने एक ही छुरी से सारे उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों को साफ कर दिया था। प्रजातंत्र की हत्या कर दी थी किन्तु आज तो सरकार जिलाधिकारी के स्थान पर गैर सरकारी लोगों को रखकर प्रजातंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है। मैं समझता हूं कि इस सरकार की यह नीयत नहीं है। यह सरकार तो गैर-सरकारी सदस्यों और उपाध्यक्ष को लाने की कोशिश कर रही है। उस ओर अग्रसर हो रही है जिसमें सरकारी बात छूटे। इसी ओर माननीय मंत्री जी का सतत् प्रयत्न हो रहा है और यह उसी ओर कदम है, दूसरी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, उस संशोधन से सीमांत जिलों की बात ही नहीं आती है। बल्कि यह संशोधन पारित होने के बाद सारे सूबे की जिला परिषदों के सदस्यों और उपाध्यक्ष के नामजद करने की बातें आती हैं। तो मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से इतना जरूर कहुंगा कि गांव सभाएं और क्षेत्र समितियां बहुत पुरानी हो गयी हैं और यही हमारे विकास के कामों की एजेन्सीज हैं किन्तु उनका कार्यकाल 11 साल का हो चुका है और सभी लोगों का अनुभव है, मेरी तरह से कि हमारी जो ग्राम सभायें हैं वह करीब-करीब उदासीन, निष्क्रिय और बड़े लम्बे कार्यकाल होने के कारण वे अपनी ग्राम सभाओं का काम धंधा छोड़ चुकी हैं। तो मैं मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद यह सही है कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव नहीं होंगे, लोगों की मांग यह है कि इन गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों का चुनाव शीघ्र करा लिया जाय और नई जिला परिषदों को शीघ्र गठित कर लिया जाय। जितनी जल्दी ये हमारे विकास की इकाइयां ठीक प्रकार गठित हो जायं और उनके चुनाव हो जायं उतना ही उचित होगा और मंत्री जी धन्यबाद के पात्र होंगे और तभी सारा विकास का काम द्रुतिगति से अच्छी तरह से चालू हो सकता है। असल में उपाध्यक्ष और सदस्यों को जिला परिषदों में मनोनीत करने के बजाय समाजवाद की कदम तेजी से बढ़ाने में विकास के मार्ग तेज करने के हेतु चुनाव शीघ्र कराकर जिला परिषदें गठित की जाय इस प्रकार मैं विधयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं जयराम जी यादव के संशोधन का समर्थन करता हूं और यह खेद प्रकट करता हूं कि 1969 में मैं यहां आया । उस समय के तात्कालिक सामुदायिक विकास मंत्री ने कहा कि क्षेत्र समितियों का, गांव सभाओं का चुनाव होगा । 1970 में यही बात दोहराई इसी सदन में । सन् 71 में दोहराई गयी और आज 72 की जनवरी में फिर लगता है कि ग्राम सभाओं का भी चुनाव नहीं होगा और क्षत्र समितियों का भी नहीं होगा और पंचायतराज मंत्री उसके लिये इस प्रकार का बिल लायेंगे कि साल दो साल का और अधिकार दिया जाय । यह तो समझ में आता है कि मध्यावधि चुनाव न हो, क्योंकि सब 5 साल के लिये चुन कर आये हैं और सन् 74 तक यह सदन रहना चाहिये, लेकिन प्रजातान्त्रिक दृष्टि से सोचने पर यह समझ में नहीं आता कि सन् 60 में जो लोग क्षेत्र समितियों और गांव सभाओं में चुने गये उनका चुनाव कराने से यह सरकार क्यों कतराती है ।

चरण सिंह जी के लिये एक सदस्य ने एक उपालम्ब दिया कि उन्होंने मुख्य मंत्री होने पर जिला परिषदों को भंग कर दिया । मगर चरण सिंह जी ने एक काम नहीं किया कि भारतीय क्रांति दल के सभी लोगों को उनका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन आप एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । आप एक तरफ प्रजातंत्र और समाजवाद की दुहाई देते हैं और 11–12 साल हो गये चुनाव तक नहीं कराते हैं और दोषारोपण विरोधी दल के नेता पर करते हैं । आप बड़े लोकप्रिय हो गये हैं, बंगलादेश मुक्त करा लिया, हमने कुछ नहीं किया । आप कतराते क्यों हैं ? मार्च, फरवरी, जून में करा सकते थे । यह समझ में आ सकता था कि आप 6 महीने का अधिकार लेते और जून तक क्षेत्र समितियों, ग्राम सभाओं के चुनाव कराने की घोषणा करते और आश्वासन दिलाते कि जिला परिषदें गठित हो जायंगी और न केवल उपाध्यक्ष ही गैरसरकारी होगा बल्कि सभी जिला परिषदों के चुने हुए लोग आ जायेंगे और बड़े सुचारू रूप से हर जिला परिषद का काम चलेगा ।

मान्यवर, आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आप भली भांति परिचित हैं । यह दूसरी बात है कि आप उपाध्यक्ष हैं । मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर छोटी-छोटी जिला परिषदें रही हैं और जो भी चेयरमैन रहा हो, अध्यापकों का बड़ी दूर दूर तक स्थानांतरण करते हैं और करायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, सन् 78 तक चुनाव नहीं होगा ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों के उपाध्यक्ष जितने भी होंगे वह पिछले दरवाज से वही होंगे जो गाय बछड़े वाले कहलाते हैं, मान्यवर ।

इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव इसको प्रवर समिति में भेजने का है उसका समर्थन करता हूं और उसमें सभी दल के लोगों को रखा जाय और वहां पर इस पर विचार हो। दो साल का समय बहुत अधिक है । इससे प्रजातंत्र की हत्या होती है और उनकी मनोवृत्ति के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है । यह पिछले दरवाजे से तमाम अन्तरिम जिला परिषदों पर अधिकार पहाड़ी इलाकों का नाम लेकर करना चाहते हैं । इसलिये प्रजातंत्र की रक्षा के लिये मैं इसका विरोध करता हूं और प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 जो सामुदायिक विकास मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्री जयराम यादव के तथ्यों को बड़े ध्यान से सुना और मनन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तथ्य प्रस्तुत करते समय जो आरोप लगाने की भावना रहती है उसको रखा गया । इसका मर्म वह समझे नहीं और न उन्होंने समझने की कोशिश की है । जहां तक प्रजातंत्र और जनतंत्र का सवाल है सभी उसके हामी हैं और कोई विरोधी नहीं है।

मुझे दुख होता है, जैसा कि पहाड़ी इलाके के माननीय सदस्य ने कहा कि किस तरह से इनके अध्यक्षों द्वारा कार्य किये जाते हैं । समयाभाव के कारण वे कुछ नहीं कर पाते और उनका समय नहीं मिलता कि वे इस ओर देख पायें लिहाजा यह मुनासिब समझा गया कि इसको दूसरे व्यक्ति के सुपुर्द किया जाय जो गम्भीरता से कार्य को करे । 31 मार्च तक काफी बजट यूटिलाइज नहीं हो पाता है । इसलिये कि जिलाध्यक्ष के पास और बहुत से काम रहते हैं और यह इसको दूसरी जिम्मेदारी समझते हैं । इसलिये मंत्री जी ने ऐसा समझा ।

एक प्रश्न उठाया गया कि चुनाव को 1974 तक टालना चाहते हैं । क्यों टालेंगे ? सारी दुनिया जानती है कि चुनाव होने चाहिये और समय पर होने चाहिये । लेकिन इसकी भी कोई कोई प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करना होता है । परिषदों की गठन की एक प्रणाली है । पहले ग्राम सभाओं का चुनाव होता है । इसके बाद इनके सरपंचों का चुनाव होता है । इसक बाद विकास क्षेत्र समिति का गठन होता है । इसमें नामीनेशन्स भी होते हैं जो सदस्य चुनकर आते थे वे चेयरमैन का चुनाव करते थे । पहले ऐसी प्रणाली थी । लेकिन ऐसी परिस्थितियां आईं कि चुनाव रद्द करने पड़े । हम चुनाव को नहीं टालना चाहते हैं । अगर ऐसी परिस्थितियां न होतीं और चौधरी चरण सिंह के लिये भी कहा गया । उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं जिससे जिला परिषदों को एबालिश करने की कोशिश की गई उस समय इधर के और उधर के दोनों तरफ के लोग शामिल थे । मैंने कहा था कि इनको समाप्त नहीं करना चाहिये और इनको चलने देना चाहिये क्योंकि ऐसी परिस्थिति भविष्य में आ सकती है जिससे इनका दुबारा गठन करना हो। आज वही परिस्थिति है ।

जब मैं जानता हूं और आप मानते हैं कि हम प्रजातंत्र के पोषक हैं तो क्या यह जनहित नहीं होगा कि बजट का इस्तेमाल न हो, विद्यालयों की हालत बिगड़ती चली जाय, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की हालत बिगड़ती चली जाय, इसलिये कि जिलाध्यक्ष किसी और प्रकार से प्रशासन के दबाव से, इससे मेरा अभिप्राय यह है कि काम की अधिकता के कारण उनको अवसर न मिले कि वे इसको देख पायें। आप यह कह सकते हैं कि हम लोग अध्यापकों को किसी चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं । वर्तमान समय में बाप की बेटा भी तो बात मानता नहीं है । बाप एक दल में है और बेटा दूसरे दल में है । फिर एक कर्मचारी किसी की बात को कैसे मान सकता है । यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो सरकारी पक्ष में बैठा हो वह किसी जिला परिषद् के उपाध्यक्ष को कहे और वह उसकी बात मान जाय। वैसे तो कौन सी ऐसी सरकार रही है जिसने उपाध्यक्षों को नामीनेट न किया हो । आज तो सारी जगह यूनियनें बनी हैं अगर किसी भी कर्मचारी से कोई बात कही जायगी तो यूनियन तुरन्त ही शोर मचा देंगी और हम लोग भी सदा से अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसकी आवाज को सदन में उठाते रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप हमसे कम जनतंत्र के पोषक हैं लेकिन जनतंत्र का पोषण करने में हम आपसे कम नहीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय जयराम जी यादव अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्योंकि यह जो विधेयक लाया गया है वह जनहित में ही लाया गया है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और आपको भी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, 12 मार्च को इसी सदन में अल्पकालीन व्यवस्था के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसके माध्यम से सारे उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों का इन्तजाम जिलाधिकारियों को सौंप दिया गया था। उस समय सामुदायिक विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह यादव थे । उस समय जो विधेयक लाया गया था, उसके उद्देश्य और कारणों में से कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला

[श्री त्रिवेणी सहाय]

परिषद् अधिनियम में ऐसे संशोधन करने के बाद ही नये चुनाव कराने का प्रस्ताव है । इसमें कुछ समय लगेगा । इसलिये यह प्रस्ताव है कि जिला परिषदों का प्रशासन 2 साल की अवधि के लिये या जब तक जिला परिषद् पुनस्संगठित न हो जायं, इसमें जो भी पहले हो, जिला मजिस्ट्रेटों को सौंप दिया जाय।"

श्री शिवराज सिंह आजकल उसी दल में हैं जिस दल की यह सरकार है । उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जब तक दूसरी व्यवस्था न बन जायगी तब तक यही प्रबन्ध चालू रहेगा । लेकिन अभी डेढ़ साल भी पूरा नहीं हुआ है कि दूसरी व्यवस्था बनायी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि गैर सरकारी लोगों की नियुक्ति की जा रही है । 31 दिसम्बर से आज तक इस सदन में 3 बिल लाये गये हैं एक कोआपरेटिव्स के बारे में, दूसरा कृषि मंडी समितियों के बारे में, और तीसरा बिल यह हैं । इन तीनों बिलों को देखा जाय तो यह स्पष्ट रूप से दिखायी देता है कि सरकार अपने हाथ में सत्ता लेना चाहती है । कोआपरेटिव बिल के माध्यम से वे इंटरेस्टेड व्यक्तियों को उसमें लाना चाहते हैं ।

मंडी समिति बिल के द्वारा वे बी० के० डी० के लोगों को हटाना चाहते हैं और यह तीसरा बिल जो लाया जा रहा है उसमें उपाध्यक्षों की नियुक्ति ये करना चाहते हैं । जिस सरकार ने यह निर्णय लिया था इस बिल के जरिये से अल्पकालिक व्यवस्था की जा रही है और उसके द्वारा जिला परिषदों का इन्तजाम जिलाधीशों को सौंपा गया था और सोचा यह गया था कि जिलाधीश उनका इन्तजाम ठीक कर देंगे, फिर आज क्या आवश्यकता उसको बदलने की पड़ गयी । भानु प्रताप सिंह जी ने आज भाषण दिया । उनका पहला भाषण भी मौजूद है और उस समय उन्होंने उसी चीज को कन्डेम किया था फिर आज किस मुंह से वे उसी बात की बड़ाई करने चले हैं ।

उपाध्यक्षों की जो नियुक्ति की जा रही है वह राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की भावना से की जा रही है । आज इंडीकेटी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिला परिषदों में हमको बिठाया जाय । जिलाधीश से भी ज्यादा अच्छा कोई इन्तजाम पा सकते हैं अगर जिलाधीश जिला परिषदों का इन्तजाम ठीक से नहीं कर सकते तो क्या उपाध्यक्ष कर सकेंगे ? पिछले जो जिला परिषदों के अध्यक्ष रहे हैं उनके काले कारनामे आपको खा गये और आज आप उपाध्यक्षों को बिठाना चाहते हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी पार्टी के लोगों को बिठाना चाहते हैं ।

इसमें एक बात और भी है । जिला परिषदों के जो अध्यक्ष आज जिलाधीश हैं उनके इन्तजाम को देखते हुये आपको तो दूसरा विधेयक लाना चाहिये था कि जिला परिषदों का चुनाव जल्दी से जल्दी करायेंगे । इस बात का उल्लेख यहां नहीं है । अगर आप अच्छी व्यवस्था करना चाहते थे तो इस विधेयक के अन्तर्गत अपने अधिकार सीमित कर के चुनाव की बात करते । हमने देखा कि जिला परिषद का इन्तजाम जिलाधिकारी के हाथ में सौंपा गया और जो जिला परिषद ठीक से चल रहे थे आज जिलाधीशों के माध्यम से यहां बहुत खराब रवैया चल रहा है ।

मैं गोंडा जिले की बात कहता हूं । उस जिले में जिला परिषद् के अध्यक्ष ने 12 लाख रुपये का अनुदान 31 मार्च को खर्च किया । श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बजट में इस बात का उल्लेख किया है कि जो रुपया लैप्स किया जायगा वह इन अधिकारियों से वसूल किया जायगा । लेकिन 12,95,963 रुपया 5 अप्रैल को वहां के जिलाधीश महोदय ने अपने दस्तखत से निकाल कर खर्च किया । इतना ही नहीं, गोंडा जिला परिषद की आज बड़ी बद्तर हालत है । वहां के हाल का वर्णन यहां नहीं किया जा सकता । 8 लाख रुपये इसलिये निकाले गये कि एन०डी०सी० में वह रुपया दिखाया जायगा । भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये यह

तरीका नहीं है कि उपाध्यक्षों को नामिनेट कर दें । आप चुनाव करा लेते । अब तो दो साल के बजाय तीन साल होने जा रहे हैं । इससे साफ जाहिर है कि आप चुनाव कराना नहीं चाहते और अपने दल की राजनीति को जबरदस्ती जिला परिषदों पर थोपना चाहते हैं ।

चमोली और पहाड़ के तीन जिलों में 1972 तक ही समय दिया था । आप एक साल और बढ़ा लेते । लेकिन आप अपना दिलो दिमाग सही कीजिये कि चुनाव कराना है, नहीं तो इस तरह की नियुक्तियां कर के आप चाहेंगे कि छोटे छोटे स्थानों पर भी आपकी पार्टी के लोग बैठ जायं जैसे कि ऊपर से यह इच्छा है कि सारे प्रदेशों में हमारा साम्राज्य फैल जाय । इससे आपका मंशा पूरा नहीं होगा । इसलिये मैं इस बिल पर घोर विरोध करता हूं और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषदों की रचना इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि विकास के साथ चुने हुये नुमाइन्दों का संबंध रहे, लेकिन हम देखते हैं कि जिला परिषद् और इनके अध्यक्ष, बजाय इसके कि विकास के कामों के लिये प्राथमिक इकाई के आधार पर इनका संचालन किया जाता ये दलगत राजनीति के स्वार्थों का एक अड्डा बन चुके हैं । इस सदन के अन्दर पूर्व में भी इस पर विवाद किया जा चुका है । पिछले 8–9 वर्षों से जिला परिषदों और इन के अध्यक्षों का चुनाव नहीं किया गया । प्रदेश की राजनीति बदली । और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि चूंकि किसी विशेष दल के लोग जिला परिषदों के अध्यक्ष होते थे लिहाजा उनको अलग कर दिया गया और उनकी जगह पर जिलाधीश बिठा दिये गये।

आज सीमांत जिलों में यह हो रहा है कि जब से उन की रचना सन् 61–62 से हुई तब से आजतक वहां जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये और उन का गठन वहां नहीं हुआ है । वहां पर हमारे मित्र कहते हैं उपाध्यक्ष के बारे में कि वहां जितनी भी अन्तरिम जिला परिषदें बनाई गई उन में एक विशेष दल के ही लोग रखे गये हैं । जब पहले कांग्रेस एक ही थी तो उसमें कांग्रेस के लोग थे और जब इंडीकेट हो गई तो उसके लोग वहां रखे गये हैं । अगर आप वहां के विकास संबंधी कार्यों में वहां की जनता का सक्रिय सहयोग लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विकास का कार्य वहां जनता की इच्छाओं के अनुरूप हो तो आपका यह कर्त्तव्य है कि आप जो जिला परिषदें वहां के लिये नामांकित करें उनमें वास्तव में जनता के प्रतिनिधि रहें । लेकिन अगर आप इसमें भी दलगत भावना लायेंगे तो सीमांत जिलों के योजनाबद्ध कार्य में और वहां के निर्माण कार्य में भारी बाधा होगी । वहां इस तरह से विकास का कार्य नहीं होगा । यह जिला उत्तर काशी पहले राजा टीहरी की स्टेट की एक तहसील थी और बाद में अब उसको जिला बनाया गया है ।

हमारे यहां उस वक्त सीमांत शाही का राज्य तो खत्म हुआ लेकिन इस तरह से यह नई सामन्त शाही कायम की गई है । आज जिस नौकरशाही का वहां राज्य है उसके ही लिये जनता की भावना का कोई भी आदर नहीं, कोई भी कलेक्टर वहां जाता है वह केवल शासन करने जाता है वह कभी जनता की सेवा की भावना लेकर नहीं जाता । आप वहां ऐसे अधिकारियों को भेजते हैं जिस को वहां की स्थानीय समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं है, जिन की विकास समस्याओं की, वहां की कोई जानकारी नहीं होती और होता यह है कि उत्तर काशी में नलकूप और कुवों की ग्रांट जाती है जहां कि 3 हजार फुट से 12 हजार फुट की पहाड़ की ऊंचाई है । वहां इनके हुक्मरां ट्यूबवेल लगाने पहुंचते हैं । इसका कारण यही है कि वहां के विकास के संबंध में जनता की कोई राय नहीं ली जाती, उस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता और इसी कारण से जो विकास वहां उपेक्षित है उस की तरफ किसी की नजर नहीं जाती है । इन सीमांत

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

जिलों के विकास के लिये केन्द्र से हमें बहुत बड़ा अनुदान मिलता है और यदि उसको सही तरीके से व्यय किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रगति इन सीमांत जिलों की हुई है उससे चौगुनी प्रगति उसी धन में वहां हो सकती थी। कोई भी वन आधारित उद्योग-धंधे जो वहां खोले जा सकते थे उन में से कोई भी धंधा वहां नहीं खोला गया। जिन चीजों के लिये वहां के लोगों को ऋण दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। केवल राजनैतिक हितों को देखकर ही ऋण दिया गया है। मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि पिछले सालों में उत्तर काशी में जो ऋण दिया गया और जो उस की बकाया है वह केवल शासक दल के लोगों ही पर है और दुख इस बात का है कि उसको लेने के बाद कोई भी कारखाना या धंधा वहां नहीं खोला गया क्योंकि शासक दल के लोगों की और नौकरशाही की सांठगांठ हो जाती है और विकास के कार्य रखे रह जाते हैं। मैं मंत्री जी से बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि क्या इस तरह से इन सीमांत जिलों के भविष्य को आप नौकरशाही के हाथों में ही देने जा रहे हैं? वह कौन से कारण हैं कि आप को महसूस नहीं होता कि वहां 2 साल तक आप चुनाव नहीं करा सके? हमारे प्रदेश में 2 मास की तैयारी से ही संसद के चुनाव सम्पन्न करा दिये गये, संसद के चुनाव हो सकते हैं और आपद्कालीन स्थिति के बाद अब राज्यों में दोबारा चुनाव हो सकते हैं तो वह कौन से कारण हैं कि मंत्री जी को इन जिला परिषदों के गठन के लिये 2 वर्ष चाहिये, यह हमारी समझ में नहीं आता।

तीसरी बात यह है कि यह सम्भव है कि इस समय आप के सामने कोई दिक्कत हो और आप फौरन चुनाव न करा सकते हों लेकिन प्रदेश की जनता की लगातार मांग है कि जिला परिषदों के चुनाव कराये जायं और मैं जानता हूं कि आप के दिमाग में भी पंचायतों के चुनाव की बात चल रही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जिला परिषदों के चुनाव कराये जा सकते हैं तो क्या दिक्कत है कि सीमांत जिलों में आप चुनाव न करायें जिन दिनों में आप अन्य जिलों में कराने जा रहे हैं। आप सीमांत जिलों की परिस्थितियों और वहां के विकास की समस्याओं को जानते हैं। आपकी सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि वह जो भी हाकिम वहां पर भेजे, जिलाधीश या अन्य अधिकारी, ब्लाक डेवलपमेंट तो नियोजन अधिकारियों के हाथ में रहता है, वे ऐसे अधिकारी होने चाहिये, जो वहां की जनता की समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ हों, उन्हें उनकी जानकारी हो, हमदर्दी हो और वहां के विकास के बारे में हमदर्दी हो और जिला परिषदों का जो गठन कर रहे हैं, उसके लिये दलगत दृष्टिकोण या राजनैतिक दृष्टिकोण ध्यान में न रखें बल्कि जो विकास के कार्य में रुचि रखते हों, वे चाहे किसी भी दल के हों, उनको शामिल किया जाय।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन में आया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। 2 साल हुए चौधरी चरण सिंह साहब ने जिला परिषदों को समाप्त किया था और उसके बाद अगर आज जिला परिषदों की ओर नजर डालें तो मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 साल में इनकी बहुत बुरी हालत हुयी है। इस समय में इतनी खराब हालत हो गयी है कि जिला परिषदों के मास्टर्स निरंकुश हो गये हैं और न ही पाठशालायें चला पाते हैं। मैं श्रीमन्, 12 साल से जिला परिषद् का सदस्य रहा हूं, ब्लाक प्रमुख रहा हूं। उस समय जिला परिषद् में एक चेयरमैन होता था। इन 2 सालों में जो काम गत 20 वर्षों में बना था, वह सब खत्म हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा गया कि जिला परिषदों की हालत बहुत बिगड़ गयी है। वहां पर कोई नियंत्रण नहीं, तालीम नहीं, मास्टर्स बिल्कुल निरंकुश हो गये हैं, ओवरसीयर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। इन्हें जो जिलाधिकारियों को दे दिया गया है, वे इन्हें संभाल नहीं पाते हैं। मैं इलाहाबाद जिला परिषद् की बात करता हूं, वहां पर घूसखोरी इतनी बढ़ गयी है कि एक-एक मास्टर के तबादले

में खूब रिश्वत ली जाती है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सरकार चुनाव नहीं कराती है जिला परिषद् के कार्य को देखने के लिये एक समिति बना दी जाय जिसमें हर पार्टी के लोग रहें। यह एक सीधी सी बात है और बनायी जा सकती है।

जहां तक नेगी साहब ने कहा कि 3 जिलों का सवाल है, सीमांत जिलों का जहां तिब्बत का बार्डर लगता है यह बिल उन जिलों के बारे में आया है। इसमें प्रजातंत्र का हनन कहां होता है ? अगर लड़ाई न हुयी होती तो जिला परिषदों का गठन हो जाता। मान्यवर, आप ब्लाकों का, पंचायतों का चुनाव करायेंगे तभी जिला परिषदों का गठन होगा। कृपया आप एम0 पी0 और विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनायें ताकि जो 2 साल पहले जिलाधिकारियों को अधिकार दिये जाने के करण भ्रष्टाचार फैल गया था, वह समाप्त हो। अगर उस समय हमारे चौधरी साहब इन जिला परिषदों को एक अधिकारी के हाथ में न दे देते तो इतना अधिक भ्रष्टाचार न फैलता।

मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये यह बिल लाया गया है। ये कमेटी करना चाहते हैं जब तक चुनाव नहीं होते। (संड जी की ओर संकेत करते हुए) आपको भी जिला परिषदों में नहीं पूछा जाता था, जब कमेटी थी तब आप भी डंके की चोट पर कार्य कराया करते थे। जो अच्छी बात हो उसका समर्थन करना चाहिये। जो यह बिल लाया गया है उसके लिये मैं कहता हूं कि सन् 72 में चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषदों का गठन होने जा रहा है। कौन मैम्बर होगा ? जो यह बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो नेगी साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हुयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल तो केवल तीन महीनों के लिये किया है चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के लिये। वहां आज भी लड़ाई का खतरा है। जिला परिषदों के लिये अट्ठाइस तारीख लगी हुयी थी। संड जी आप वहां नहीं गये, आप वहां जाकर चुनाव लड़िये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य के बुलाये जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मैं निवेदन करता हूं कि मान लीजिये कि यह ऐक्ट पास ही हो जाय जैसा कि माननीय राजित राम जी पांडेय की मंशा लगती है, उपाध्यक्ष किसी दलबदलू को न बनाइयेगा।

श्री राजितराम पांडेय--

दलबदलू तो ठीक है लेकिन विचार-बदलू लोगों को नहीं बनायेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

इस विधेयक को जो भाई जय राम यादव जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मुझसे पूर्व हमारे इलाहाबाद के साथी माननीय राजित राम जी पांडेय जो इस विधेयक के समर्थन में भाषण दे रहे थे वे मुख्य रूप से यह आरोप लगा रहे थे कि जब से जिला परिषदें जिलाधीशों के पास पहुंची हैं तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिलाधीशों ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, मैं नहीं समझता कि यदि जिलाधीश आपके शासन काल में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे शासन को जिसके शासन काल में जिलाधीश अपना भ्रष्टाचार बढायें और जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ें उसमें दोष उतना जिलाधीश का नहीं है शासन का भी है और शासन के मंत्रियों का भी है। जिनके काल में जिलाधीश भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहयोगी हों आज इस विधेयक के द्वारा एक परामर्शदात्री समिति बनाई जा रही है जिसमें उपाध्यक्ष भी होगा जो जिला परिषद का कार्य करेंगे। जिस समय जिला परिषद् भंग की गई उस समय कहा गया था कि जिला परिषद् के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिये थोड़े समय के लिये जिला परिषदों को भंग करके जिलाधीश को अधिकार दिया गया। दो वर्ष बीत चुके

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

एक न एक बहाना लेकर ग्राम सभाओं के चुनाव टाले जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि 72 में भी चुनाव हो जायेंगे। यदि थोड़ी सी सूचना पर लोक सभा के चुनाव हो सकते हैं सारे देश की विधान सभाओं के चुनाव होने वाले हैं तो ग्राम सभाओं के चुनाव तथा क्षेत्रीय समितियों के चुनाव क्यों नहीं कराये जाते।

आज लोक तंत्र के अन्दर चुनी हुई संस्थाओं को एक-एक करके जिलाधीशों के सुपुर्द किया गया है। यह लोकतंत्र के लिये एक अच्छी परम्परा नहीं है और इस शासन काल में जो समाजवाद और लोकतंत्र में बाधक होने का ढिंढोरा पीटते हैं चुने हुए लोगों से अधिकार छीनकर और फिर जिलाधीश से ऐसी कमेटी बनाना जिसमें उनके दल के लोग और पार्टी के लोग चुने जा सकें। आज यदि परामर्श दात्री समिति बनानी थी तो वह बनाई जा सकती थी और उसमें केवल वे होते—संसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद् के सदस्य। केवल उन तक ही परामर्श दात्री समिति सीमित रखी जाती वे सात व्यक्ति उसमें कौन होंगे उनके नामिनेशन का आधार क्या होगा। शासकीय कांग्रेस के व्यक्तियों का नामिनेशन उसमें हो जायेगा। उपाध्यक्ष के लिये जिलाधीश को पावर डेलीगेट करने....

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें समिति नहीं है। समिति कोई नहीं होगी, उपाध्यक्ष होगा।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

सुना यह जा रहा है कि उस उपाध्यक्ष का जिलाधीश या कलेक्टर को पावर डेलीगेट कराया जायेगा। एक चोर दरवाजे से एक पिछले रास्ते से जिलाधीश से वह पावर छीनकर यह शासन अपने दल के किन्हीं व्यक्तियों को कांग्रेस के लोगों को जिला परिषद् में थोपना चाहता है। यह लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। आपको चाहिये था कि ग्राम सभाओं के तुरन्त चुनाव करायें जाते और जब तक चुनाव न हों जिलाधीश पर ही जिलाधीश को उसका कार्य दिया जाय। अभी हमारे साथी श्री भानुप्रताप सिंह जो इस विधेयक के संबंध में बोल रहे थे जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था जिला परिषदों को भंग कर के जिलाधीशों को अधिकार देने की बात थी उसके ऊपर एक अंश पढ़ना चाहूंगा जिसमें जोरदार शब्दों में कहा है। इस सरकार को शीघ्र ही चुनाव कराना चाहिये। जैसा कि अभी पार्लियामेंट के चुनाव की बात हुयी थी कि अगर पार्लियामेंट भंग हुई तो एलेक्शन कमीशन उसके चुनाव तीन महीने के अन्दर करा सकता है। यह बात गलत नहीं है। इसी हाउस में यह बात उठाई जा चुकी है।

सभी माननीय सदस्य उस बात को जानते हैं कि जिला परिषद् के अधिकारियों के हाथ में जो चीजें हैं उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जो गांवों में सबसिडी बटती है जिला परिषद् में अध्यक्ष के सामने उस सवाल को उठाया जाता है। आज अगर उनका अधिकार छीन लिया जायेगा तो फिर उन किसानों की सुनने वाला कौन वहां पर होगा ? उनकी बात कहने वाला यहां पर कोई नहीं रहेगा। क्या पंचायत के अन्दर जो गड़बड़ी हुयी है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो गड़बड़ी ब्लाकों के अन्दर हुई है क्या सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र पर कुठाराघात करके तानाशाही की प्रवृत्ति को जो सरकार बढ़ावा देती हो तो जनता के हितों के लिये और प्रजातंत्र की रक्षा के लिये जितने हम विरोधी पक्ष में बैठते हैं, सब अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हममें लड़ने की शक्ति है, अपनी बात कहने की शक्ति है। हम जनता के हिमायती हैं। तभी इस बात का निर्णय होगा कि जनता के अधिकारों का हिमायती कौन है। अगर इस कांग्रेस के अन्दर बुराई थी जिसने 20 साल तक देश के अन्दर प्रजातंत्र कायम किया और प्रजातंत्र की स्थापना की हो इस संस्था में रह कर इन

बुराइयों से लड़ नहीं सका, दूर नहीं कर सका और बराबर मंत्री बना रहा और जो जंगे मैदान छोड़ कर भाग गया उसे क्या कहते हैं ? उसे भगोड़ा कहते हैं, कायर कहते हैं ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

आप उसके मर्म को समझ लें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

जब उन्होंने यह भाषण इस विधेयक के विरोध में दिया था तब भी समझ कर नहीं बोले थे और जब आज समर्थन में बोले तब भी समझ कर नहीं बोले ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

मैंने कहा था कि इसको समाप्त न करें और आज भी यही कह रहा हूं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

अपनी कुर्सी बचाने के लिये आप इसको लाये हैं । आप चाहते हैं कि आपकी कुर्सी बरकरार रहे ।

श्री राम गोपाल संड--

तब वह उनको जयचन्द मानते थे, आज वह स्वयं बन गये हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

हमारे साथी जयराम यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह जो विधेयक है इसके द्वारा 73 तक अवधि बढ़ायी जा रही है । बार बार यह आश्वासन दिया गया कि चुनाव करायेंगे । लेकिन अब अवधि बढ़ाकर प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी ने जिला परिषद् को भंग किया तो वह इसलिए कि वह भ्रष्टाचार का अड्डा हो गयी थी और उन्हें खत्म किया जाना आवश्यक था । लेकिन कुछ लोग रिट में चले गये और वह नहीं हो सका ।

माननीय जायसवाल जी ने यह कहा उस समय कि सरकार चाहती है कि अपने दल के आदमियों को मनोनीत करे लेकिन चौधरी साहब ने स्पष्ट किया कि हमारा इरादा यह नहीं है । चौधरी साहब कुर्सी पर रहें तो मनोनीत करने का तरीका था लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखलायी और जो शंकाएं थीं वे दूर हो गयीं । अगर चाहते तो उसी समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मनोनयन हो गया होता । लेकिन कोई भी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मनोनयन की प्रणाली में विश्वास करे । जो मनोनयन की प्रणाली में विश्वास करता है वह जनतंत्रवादी नहीं है और वह जनतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है ।

हमारे राजितराम पांडेय बोल रहे थे तो वह समझ रहे थे कि कलेक्टर शायद हट जाय । कलेक्टर क्यों हटेगा । अगर भ्रष्टाचारी है तो और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा । श्रीमन्, माफ करेंगे, यह जो मनोनयन की सरकार की प्रणाली है उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । दो चार समितियों में जो मनोनयन हुआ है—आप देखेंगे कि उसमें खास कर एक ही जाति के लोगों का मनोनयन किया गया है और मैं उदाहरण के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं मान्यवर, कि नागरिक परिषद् में मंत्री हैं श्री राम नारायण त्रिपाठी और उपाध्यक्ष हैं श्री राम कुमार शास्त्री । राज्य विद्युत परिषद् में चेयरमैन हैं श्री रामकृष्ण द्विवेदी, मूल्यांकन

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

परिषद् में श्री नेकराम शर्मा उपाध्यक्ष हैं, इसी तरह आप देख लें ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में श्री जे० डी० शुक्ला को रख दिया। लोक सेवा आयोग में अवैध तरीके से श्री पांडेय को डाल दिया है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमन्, जो भी समिति बनी उसमें सरकार ने अपने दल के लोगों को एक जाति विशेष के लोगों को डाल दिया। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह सरकार इससे देश का नुक्सान कर रही है क्योंकि उन्होंने समझ रखा है कि उनकी शक्ति दिल्ली में बनी हुई है और इसलिए लखनऊ में भी उनकी कुर्सी बनी हुई है। उनके दिमाग में यह बात है कि वह सारे समाज को एक साथ नहीं उठा सकते हैं। महात्मा गांधी ने सारे समाज को एक साथ उठाने की बात कही तभी देश उठेगा यहां वह सारे समाज को न उठा कर एक गिरोह को पकड़ा और माननीय त्रिपाठी ने देखा कि एक गिरोह को नहीं उठा सकते तो वह जाति के दलदल में फंस गये। ऐसा मुझे कहते हुये तनिक भी शंका नहीं है। इसलिये मान्यवर, सैद्धान्तिक रूप से मैं मनोनयन की प्रणाली के विरुद्ध हूं और हर जनतन्त्रवादी आदमी को इसका आचरण करना चाहिये और उस किसी बात का समर्थन नहीं करना चाहिये जो मनोनयन पर आधारित हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो माननीय श्री जयराम यादव ने प्रस्तुत किया है।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मान्यवर, श्री जायसवाल बोलना चाहते हैं···

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप ही बोलिये।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, मनोनीत करने का जो अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है, उसके बारे में मुझे घोर आपत्ति है और प्रजातन्त्र के लिये घातक है। अगर इस मनोनयन की प्रणाली से समाज के किसी कमजोर अंग, किसी पिछड़ी हुई जाति या किसी महिला को मनोनीत करने की बात होती तो हमें उस पर कोई शायद आपत्ति न होती। लेकिन इस मनोनयन के पीछे अध्यक्ष को केवल अपनी पार्टी को बढ़ाने की जो भावना है जिससे भविष्य में जो चुनाव आयेंगे उन चुनावों में जिला परिषद् के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार कर लें और इसीलिये यह अधिकार ले रहे हैं।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव विधान सभा के कराने हों तो 3 महीने में कराये जा सकते हैं और जो लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ तो दिसम्बर में लोक सभा भंग हुई और एक महीने–दो महीने में चुनाव हो गये। लेकिन जिला परिषद् का चुनाव कराने के लिये तथा गांव सभा का चुनाव कराने के लिये इस सरकार की नीति समझ में नहीं आई। जिला परिषद् तथा ग्राम सभा के चुनाव अविलम्ब कराये जाने चाहिये। मैंने प्रवर समिति में भेजने की बात इसलिये कही जिससे इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा सके और खास तरीके से उस प्रावीजन को जोड़ा जाय जिससे चुनाव प्रजातांत्रिक प्रणाली से तय हो। प्रजातन्त्रीय प्रणाली का उदय हो और जिले का सारा प्रशासन ठीक हो इसके लिये विचार करें और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की संस्तुति स्वीकार करें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने जिस समय यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था तो मैंने अपने आपको बहुत सीमित रखा था। हमारे प्रदेश के तीन सीमान्त जिले चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में यह विधेयक मैंने प्रस्तुत किया था। किन्तु यहां पर भी माननीय सदस्यों ने पूरी जिला परिषदों के बारे में वादविवाद किया है। मैं माननीय सदस्यों को सचेत करना चाहता हूं कि शासन का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि चुनाव जल्दी न कराये जायें जिला परिषदों के। आप सभी माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैंने पिछले बजट के अवसर पर यह सदन को आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी ग्रामसभाओं के, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे। वह आश्वासन आज भी है। यदि देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न न होती तो अब तक गांव सभाओं के चुनाव बहुत हद तक आगे चुनाव करा दिये होते और क्षेत्र समितियां बना कर और आगे चल कर जिला परिषदों को गठित करने की तैयारी करते। किन्तु संकटकालीन स्थिति की वजह से यह चुनाव स्थगित करने पड़े। अब जो हमारे पी० ए० सी० के जवान और होम गार्ड्स के लोग हैं इनकी चुनावों की व्यवस्था कराने के लिये तैनाती आवश्यक है। मैंने गृह सचिव से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि अभी तक वह लोग जहां-जहां गये हैं वहां से लौटे नहीं हैं। कुछ थोड़ा सा समय और लगेगा। जैसे ही यह व्यवस्था हो जायगी तुरन्त ही चुनाव करा देंगे। हम तो चुनाव कराने के पक्ष में ही थे। शासन भी इस बात को पसन्द नहीं करता कि ग्राम सभाओं के चुनाव देर तक रुके रहें। उस बात को मैं आज भी दोहराता हूं।

शासन ने यह निर्णय लिया है कि जो तीन सीमान्त जिले हैं प्रदेश के उनमें भी निर्वाचित जिला परिषदें कायम की जायें। लेकिन जब तक कि हम निर्वाचित जिला परिषदों को कायम करते हैं तब तक के लिये अवधि बढ़ा दी जाय और वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं का अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों का बराबर यह आग्रह रहा है कि जिलाधीश को जिला परिषद् के काम के लिये फुर्सत नहीं मिलती जिससे वह उनके कार्य को भली प्रकार से देख सके। इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् में गैर सरकारी व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान होना चाहिये, इस दृष्टि से इसमें यह प्राविधान किया गया है कि उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाय और जिस समय तक हम निर्वाचित जिला परिषदों को गठित करते हैं तब तक वह उन छोटे मोटे कार्यों को जिनको जिलाधीश अपने अधिकार से देंगे वह अपने उन कामों को करते रहेंगे।

माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि यह राजनैतिक लाभ उठाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नाराज न हों और मुझे क्षमा करें। जिस समय यहां पर संविद की सरकार थी, पार्लियामेंट भंग हुई, आप जितना मशीनरी को तगड़ा कर सकते थे आप ने करने की कोशिश की लेकिन हवा का रुख कुछ दूसरा ही था इस लिये आप उसमें कामयाब नहीं रहे क्योंकि जनता शासन की प्रगतिशील नीतियों को समझती थी और वह उनके नेताओं के साथ थी। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ख्वाम ख्वाह ही वोट दे दे। इस भ्रम को आप अपने दिल और दिमाग से दूर कर दें।

दूसरी बात यह है कि आप इस बात को कैसे मान रहे हैं कि हम सिर्फ अपने ही आदमियों को मनोनीत करेंगे। अच्छा कार्यकर्त्ता जो भी होगा चाहे वह किसी भी दल या पार्टी का होगा उन कार्यकर्त्ताओं को काम करने का अवसर दिया जायगा। यह कहना कि सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिये ऐसा कर रही है तो यह बात तथ्यहीन है। दूसरी बात यह है कि हम पंचायतों के चुनावों से लेकर जिला परिषद् के गठन करने में कुछ न कुछ समय तो लगेगा ही। लगभग एक वर्ष इस गठन में लग ही जायगा। इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि हम चाहे कितनी जल्दी करें इसमें समय तो लग ही जायगा। जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

उन्हें मालूम है। अगर हम एक साल के भीतर अपने सारे एलेक्शन पूरे करवा सकें तो जो अवधि हमने ली है वह अपने आप समाप्त हो जायेगी।

मेरा इरादा चुनाव को टालने का नहीं है और पक्का इरादा है। मैंने यह जितनी बातें आदरणीय सदन के सदस्यों के समक्ष और उनकी शंकाओं के निवारण करने के लिये प्रस्तुत की हैं उसके तहत में मुझको यह विश्वास है कि यादव जी ने जो संशोधन रखा है उसको वे वापस ले लेंगे क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तीन जिलों का ही मसला है और आप लोगों ने सारे जिला परिषदों को इसमें ले लिया है। हमने सभी जिलों में सलाहकार समितियों का गठन किया है। किसी भी जिले में 7 आदमियों का मनोनयन नहीं हुआ है। संसद और विधान मंडल के सदस्यों को इन सलाहकार समितियों में लगाया गया है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या अधिक है और वे सदस्य भी उसमें मनोनयन किये जायेंगे। मैंने तो सभी को इसका अवसर दिया है। जिला परिषद् के कार्यों में उनकी सलाह की आवश्यकता है और उनकी सलाह पर ही जिलाधीश कार्य का संचालन करेगा। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अपील की गई है वह एक साल के लिये और इस बीच में सभी जगहों पर चुनाव हो जायेंगे। यह तीन जिलों के लिये ही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

रिसीप्रोसिटी....

श्री जयराम यादव—

आपने एक साल कहा है। आप 1973 के बजाय 1972 कर दें। मनोनयन के बारे में आप यह कर दें कि सत्ताधारी दल के लोगों को इसमें नहीं लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। समिति को बिधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1958 की धारा 1 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) में अंक, "1971" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 की पंक्ति 2 में "अंक" के स्थान पर "संख्या" और "1973" के स्थान पर "1972" रख दिये जायं।

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि तुरन्त चुनाव कराने की स्थिति में वह नहीं हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक साल काफी है। बजाय 73 के 72 म ही करा दें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन म बड़े ताव से कह दिया था कि अगर चाहें तो कल विधान सभा का चुनाव करा दें जबकि यह उनकी मर्जी पर नहीं बल्कि प्रधान मंत्री की मर्जी पर था। जिला परिषद् का चुनाव तो उनकी मर्जी पर है, तो 72 में क्यों नहीं करा देते हैं? मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर ल। उनका तो बहुमत है। उन्हें क्या डर है। यह बहुत प्रगतिशील कदम नहीं है जो आप करने जा रहे ह। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, मैं 24 साल से देख रहा हूं। तो मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार कर लें। मेरा सदन से निवेदन है कि मंत्री जी को सदन मजबूर कर द कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यादव जी ने जो संशोधन दिया है, उसके बारे में मैं एक कठिनाई उनके समक्ष रख देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहल निवेदन किया, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें अधिक समय लग सकता है। फिर मुझे दूसरी बार संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और फिर आपको कष्ट देना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि दो साल का समय रहने दिया जाय। जैसे ही हम इलैक्शन कराने की स्थिति में होंगे, इलैक्शन कराया जायगा और इसकी अवधि उससे पहले ही अपने आप समाप्त हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 की पंक्ति 2 में "अंक" के स्थान पर "संख्या" और "1973" के स्थान पर "1972" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3

3--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये:-- धारा 4 का संशोधन।

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कलेक्टर पूर्व प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्राप्त अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित कर सकता है।"

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के प्रतिबन्ध में शब्द "किन्हीं अधिकारों को" के पश्चात् और "एक उपाध्यक्ष" के पूर्व शब्द "राज्य सरकार द्वारा मनोनीत" निकाल दिये जायं।

खंड 3 में जो प्रस्तावित प्रतिबन्ध मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में है उसके पश्चात् निम्नलिखित वाक्य बतौर स्पष्टीकरण के जोड़ दिया जाय--

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

"स्पष्टीकरण--कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा मनोनीत किया हुआ उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग का ही होगा।"

मान्यवर, आज चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि सब के वश की बात नहीं है। जो हरिजन और निर्बल लोग हैं वह निर्वाचन में नहीं आ पाते हैं। जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में वह किसी संस्था में नहीं आ पाते हैं। लोक सभा के चुनाव में 35 हजार के खर्चे की सीमा है लेकिन इनकी पार्टी के लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। यही हाल विधान सभा और जिला परिषदों के चुनावों का है। तो चुनाव में जीत कर आना हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए असम्भव सा हो जाता है। संविधान भी उनके संरक्षण के लिए इजाजत देता है। इस लिए मंत्री जी इस संशोधन को मान लें, यह प्रगतिशील कदम होगा।

पर्वतों में तो बहुत ही हालत खराब है। वहां हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत इतनी खराब है कि वह लोग कभी निर्वाचन में नहीं आ सकते। तो कम से कम दो साल के लिए जो यह करने की आपका मंशा है, इसमें उन लोगों को मनोनीत कर दें। यह प्रगतिशील कदम है। मंत्री जी इसका विरोध न करें। हमेशा यहां कहा करते हैं कि हरिजनों के लिए कुछ करेंगे और उन्हें जमीन देंगे। चाहे सड़कों का काम हो, सफाई का काम हो, खेत का काम हो, हर जगह यही लोग कर रहे हैं। उनके प्रति उपेक्षा की नीति बरती जा रही है और यह सरकार उनकी बिल्कुल शत्रु हो गई है। अधिक श्रम लेकर उन्हें कम मजदूरी देते हैं और उनका हक छीनते हैं। संविधान की धारा 330 के अन्तर्गत उनके लिए लोक सभा में और विधान सभाओं में स्थान आरक्षित रहेंगे। विधान सभा में उनके लिए एक कानून बन सकता है और वह कानून एन्टी कांस्टीट्यूशन नहीं होगा। इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लें। इससे तमाम पिछड़े हुए लोगों का और हरिजनों का भला होगा।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं यादव जी का बहुत ही आभारी हूं। उन्होंने कम-अज-कम इस विधेयक पर पिछड़ी हुई जातियों का और हरिजनों का प्रश्न उठाया है। मैं श्री यादव जी को यह बताना चाहता हूं कि शासन हरिजनों के लिए और पिछड़ी हुई जातियों के लिए बराबर काम कर रहा है, खाली संशोधन रखने और उसे मान लेने से ही हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण होने वाला नहीं है। यह पार्टी और यह शासन हरिजनों के हित का काम बराबर करता रहा है और आगे भी करेगा। जहां कहीं उपयुक्त व्यक्ति हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों में मिलेगा और उसको उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के पद पर भी बिठाया जा सकता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। खाली संशोधन को स्वीकार कर देने से पिछड़ी जातियों का या हरिजनों का कोई विशेष हित होने वाला नहीं है। मैं यादव जी से कहूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें और सरकार के ऊपर छोड़ दें कि यह सरकार पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ कर रही है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अगर संविधान में यह प्राविधान न होता तो इतनी संख्या में लोक सभा में और विधान सभा में सदस्य नहीं आ सकते थे। क्या सरकार आपको अपनी मर्जी से बिठाती?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा, केवल 1 मिनट ही लूंगा। यादव जी का जो संशोधन है वह हमारे समाज की सामाजिक स्थिति में देश की जो दुर्दशा हो रही है उसको दूर करने के लिए खाली एक कदम है।

अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई मुसीबत नहीं हो जायेगा। आपके माध्यम से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे मौके जिन्दगी में बार-बार नहीं आते हैं जिनमें खाली 'हां' कर देने से बात बन जाए। ऐसा मौका उनको मिल गया है, जिन्दगी में फिर नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 के प्रतिबन्ध में शब्द "किन्हीं अधिकारों को" के पश्चात् और "एक उपाध्यक्ष" के पूर्व शब्द "राज्य सरकार द्वारा मनोनीत" निकाल दिये जायं।

खंड 3 में जो प्रस्तावित प्रतिबन्ध मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में है उसके पश्चात निम्नलिखित वाक्य बतौर स्पष्टीकरण के जोड़ दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण:---कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा मनोनीत किया हुआ उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग का ही होगा।"

(विभाजन की मांग होने पर प्रश्न पुन: उपस्थित किया गया और लिखित विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---)

पक्ष में 51

अनन्तराम जायसवाल, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
इन्द्रमणि, श्री
उदयनाथ, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
किशनलाल, श्री
गंगासिंह यादव, श्री
जयराम यादव, श्री
त्रिलोक चन्द, श्री
नैनसिंह, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगेलू सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महीलाल, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
राम सागर, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सबसुख सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हिम्मतसिंह, श्री

विपक्ष में 93

अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमद लूत खां, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
गजेंद्र सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
चंचल सिंह 'गिल' सरदार
चेतराम गंगवार, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, भंडारी श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
प्यारे लाल, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी राम, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगवती सिंह विशारद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
महराम सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
रियासत हुसन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शमीम आलम, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवराज सिंह, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर डाक्टर,

श्यामलाल, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सुखपाल पांडेय, श्री
सुख लाल कोरी, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंस राज उर्फ हंसा, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हुकुमसिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

4---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२, १९७१ का निरसन

श्री उपाध्यक्ष---

यह आगे खंड 3-क पर जो संशोधन है यह सदन के अधिकार को बढ़ाता है । इस विषय में मैं अपनी व्यवस्था द चुका हूं ।

श्री शिवराज सिंह---

मैं इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं । केवल शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब किसी अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायं तो 30 दिन के भीतर वह सदन के पटल पर रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--- संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

श्री शिवराज सिंह---

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :-

"1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (नवम् संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।"

[श्री शिवराज सिंह]

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि संशोधन विधेयक जब सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं उनका संख्यांक की प्रणाली डालनी चाहिये। जब कोई अधिनियम यहां बनता है तो उसमें 24वां या 25वां अधिनियम बन गया ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार से संशोधन विधेयक में यह संख्यांक होना चाहिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से भ्रम उत्पन्न हो सकता है क्योंकि नवम संशोधन से सर्व साधारण यह अर्थ लगाये कि एक वर्ष में 9 संशोधन हुये हैं। मैं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री शिवराज सिंह—

मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें मिली हैं और सातों अस्वीकार हुई हैं। इसमें सर्वश्री चौधरी रामपाल सिंह यादव ने त्वरित योजनान्तर्गत कानपुर के मजदूरों को वेतन न मिलने से उनमें असन्तोष के सम्बन्ध में सूचना दी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रश्न पूछा है इसलिये इसे अस्वीकार किया है। दूसरे श्री अवधेश सिन्हा और भगेलू सिंह ने सीतापुर जिले के एक पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायपालिका के एक जज का अपमान किया है, के सम्बन्ध में सूचना दी है। तो यह तो किसी व्यक्ति के मान-अपमान का प्रश्न है। इस पर हाईकोर्ट और दूसरी जगह सवाल जा सकता है। इसके लिये अन्य उपचार हैं।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक जज का अपमान किया गया है। यदि एक न्यायपालिका के अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किया जायेगा तो दूसरे साधारण अधिकारी के साथ क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये तो उपचार है । मान-अपमान का सवाल है इसलिये इसे अस्वीकार किया गया है। इस पर यहां बहस नहीं हो सकती है। किसी अधिकारी द्वारा किसी जज का अपमान किया जाय तो उसके लिये विधि है । उस पर वहीं विवाद चलेगा ।

माननीय रामधारी शास्त्री तथा रूपनाथ सिंह यादव ने लखनऊ के समाजवादी कार्यकर्ता श्री नीलकन्ठ की हत्या के सम्बन्ध में दिया है वह भी अस्वीकार किया गया है। क्योंकि इस पर भी नियमानुसार कार्यवाही होगी ।

माननीय महराम सिंह, श्याम लाल रावत तथा शिवलाल जी ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के डा० ज्ञानेन्द्रसिंह की सेवा समाप्त किये जाने पर सूचना दी है तो इस पर भी सेवा क जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार चलना होगा । इसलिये इसे भी अस्वीकार किया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने तहसील महाराजगंज (गोरखपुर) के विभिन्न स्थानों पर बसे विस्थापितों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उजाड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे आप अल्प सूचित प्रश्न से पूछ सकते हैं । इसलिये यह भी अस्वीकार किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

आपने कहा था कि इसे आप स्वीकार कर लेंगे । इसमें यह है कि नैपाल से कुछ लोग आये थे और उनको यहां पर बसा दिया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो वन विभाग की जमीन है । उजाड़ तो नहीं दिया है और निकाला भी नहीं है। यदि निकाला होता तो यह विषय यहां उठ सकता था । इसलिये आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें माननीय मंत्री जी जवाब दे दग।

श्री सर्वसुख सिंह ने होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में अशांति एवं दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना दी है । यह भी स्वीकार नहीं किया गया है.....

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, होमियोपैथिक कालेज एक महीने से बन्द पड़ा है। वहां पर गुंडागर्दी बहुत हो रही है और उस कालेज में बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं जिनके साथ कि अभद्र व्यवहार किया गया है और तमाम इलाहाबाद में सनसनी फैली हुई है । इसलिये आप इस पर वक्तव्य दिलाने की कृपा कर ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त तो कालेज बन्द पड़ा है हड़ताल हो रखी है ।

श्री सर्वसुख सिंह--

मान्यवर, वहां पर अभी छात्रों द्वारा प्रदर्शन हो रहे हैं । यह मौसम पढ़ाई का है और विद्यार्थियों का समय नष्ट हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न कर दें इसके ऊपर ।

श्री सर्वसुख सिंह—

उचित तो यही था कि मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिला दें। वहां पर आर० बी० मिश्र प्रिंसिपल ह। उसका रवैया यह है कि छुट्टियों में लड़कियों को बुलाता था, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था। सारे शहर में सनसनी फैली हुई है। जिन मौलिक सिद्धान्तों को लेकर आप बठे हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

कालिज तो बन्द है। आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें इसके बारे में। अगर फिर भी संतोष नहीं होगा तो वक्तव्य के सम्बन्ध में देखा जायगा।

अब माननीय कल्पनाथ सिंह, माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय रामकुमार दीक्षित और माननीय बंशीधर पांडेय का है, "बिजली काटन मिल एवं हाथरस काटन मिलों" के बन्द होने के फलस्वरूप मजदूरों की बेकारी है। यह तो सामान्य सा विषय है, कोई अविलम्बनीय नहीं मालूम होता।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इसमें यह केवल एक ही बात है कि आप इसको अविलम्बनीय नहीं समझ रहे हैं। हजारों २ मजदूर हाथरस में बेकार पड़े हुये हैं। सरकार ने इन मिलों को नहीं खुलवाया, न अपने कब्जे में लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मजदूरों की बेकारी जनरल है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

बिजली काटन मिल और हाथरस काटन मिल के बारे में ही है। वहां के 5000 मजदूर बेकार हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका मामला तो आर्बिट्रेशन में होता है, श्रम न्यायालय है। इसमें कुछ चला है मामला....

श्री कल्पनाथ सिंह—

दिक्कत यह है कि कि श्रम न्यायालय की और सारी चीजों की बात नहीं है। बात तो यह है कि सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिये। ये सारी प्रक्रियायें तो समाप्त हैं। अगर सरकार कोई दूसरी बात सोचती हो तो इस मामले में उसे देखना चाहिये। इसको आप स्वीकार कर लें, इस पर बयान आने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल इसको दे दीजिये लेकिन जनरल न बनाइये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

केवल हाथरस की दोनों मिलों के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दे दीजिये।

गोरखपुर जिला परिषद् की जीप पर तांबे के तार पकड़े जाने के विषय पर नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष---

इस 15वें आइटम पर अभी मुझ से कहा गया कि जिन्होंने इस पर नाम दिया है इससे ज्यादा जानकारी एक दूसरे माननीय सदस्य--माननीय रामकरन को इस विषय में है.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष जी, वह तो सरकार के ही आदमी हैं। इस पर हमारी बात सुनिये। हक तो हमारा है।

श्री उपाध्यक्ष---

हक तो सभी सदस्यों का है। अगर आप नहीं राजी हैं तो.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम --

अध्यक्ष जी, गोरखपुर जिला परिषद् की बी० एस० सी० जीप नं० 3014 को जिला परिषद् के सेक्रेटरी के साथ मिल कर ए० डी० एम० (पी०) अपने कब्ज में कर लिये थे। उससे नैपाल में जाकर, बहरावा में तस्करी करते थ। शासन में रिपोर्ट मौजूद है। बराबर तस्करी का काम करते रहे और करते-करते ऐसा हुआ कि देवरिया पहुंचे। जब देवरिया पहुंचे तो वहां इसको गौरी बाजार में पुलिस कप्तान ने मय तांबे के तार पकड़ लिया जो कि टेलीफोन के खम्भे और रेलवे के जो खम्भे होते हैं उनसे काट कर लादा हुआ था और ड्राइवर के बयान करवाये। ड्राइवर से जब अपने तरीके से पूछ तांछ की तो उसने कबूल किया कि यह जीप तस्करी कर रही है और ये जो सीमा पर चौकियां बनी हुई हैं इस पर एंट्री है। वहां और बहरावा बाजार और नैपाल बराबर आती रहती है और ताम्बे के तार, ट्रांजिस्टर आदि चीजों की तस्करी कर रही है। जब उसे पकड़ लिया गया तो शासन को और जिलाधिकारियों को सूचना दी गयी और कमिश्नर गोरखपुर ने इसकी जांच की, मुख्य मन्त्री के आदेश से की होगी।

उन्होंने अपनी जांच में शासन को सिफारिश की कि निष्पक्ष जांच इस काण्ड की तभी हो सकती है जबकि सेक्रेटरी जिला परिषद् और ए० डी० एम० (पी०) को वहां से तबदील कर दिया जाय। तो उनका जिलाधीश और कमिश्नर की सिफारिश के अनुसार ट्रांसफर हुआ। ए० डी० एम० (पी०) और सेक्रेटरी का ट्रांसफर हुआ। सेक्रेटरी तो चले गए लेकिन ए० डी० एम० (पी०) जिनका तबादला हुआ था उन्होंने दौड़ धूप की और उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया है जबकि दूसरे आफिसर वहां पहुंच गये थे तब रोका गया। मिस्टर डल थे जिनको केवल पांच महीने वहां आये हुये थे उनको वहां से हटा दिया गया। इन ए०डी० एम० (पी०) की जीप पकड़ी गई और उन्होंने भी किया कि उनकी वाइफ जीप ले जाती थीं। जब जिलाधीश और कमिश्नर की सिफारिश पर भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो वे उनको गालियां देते हैं और कहते हैं कि जब तक पंडित जी हैं तब तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उनको वहां से हटा सके। यह बड़ी गम्भीर बात है।

जब से वे गोरखपुर पहुंचे हैं तब से हरिजन विभाग में साढ़े तीन लाख का घुटाला है और इसमें एक शासकीय दल के एम० पी० हैं, उनकी शरारत बताई जाती है। उनके प्रेशर से उनका तबादला रोका गया है। यह कोशिश हो रही है कि जब तक जीप वाले मामले की सारी कार्यवाही समाप्त न हो जाय जब तक उनको वहीं रखा जाय। मुख्य मन्त्री जी बैठे

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

हुये हैं और यह बड़ा गम्भीर मसला है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकल सी० आई० डी० जांच नहीं कर पायेगी। इसलिये सी० बी० आई० को जांच दी जाय।

इनका जो तबादला पोलिटिकल प्रेशर से रोका गया है उसकी भी जांच होनी चाहिये। गोरखपुर में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के जो तबादले हुए उनमें से एक दो छोड़ कर, प्रायः सभी रोक दिये गये। दरोगा से लेकर डी० आई० जी० के स्थानान्तरण हुए। ए०डी० एम० (ई०) का स्थानान्तरण और ए० डी० एम० (पी०) का स्थानान्तरण हुआ और उसको तुरन्त रोक दिया गया। म्युनिसिपल कर्मचारियों के सभी स्थानान्तरण रोक दिये गये। शासन के आदेश से थानेदारों की नियुक्तियां की गई। मार खाने एवं रिवाल्वर छिनवा देने के बाद भी एक सब इंसपेक्टर को सौ रुपये का पुरस्कार दिया गया और अन्य सिपाहियों की मुअत्तली की गई। श्री पी० पी० सिंह थानेदार का स्थानान्तरण किया और पुनः वहीं भेजा गया।

इसी तरह से गगहा थाने के थानेदार का तबादला हुआ और तुरन्त रोका गया। गोरखपुर के कोतवाल का तबादला हुआ। उसको रोका गया। एक इंस्पेक्टर को गोरखपुर म ही तरक्की देकर वहीं डी० एस० पी० नियुक्ति किया गया। एक इंसपेक्टर जो गोरखपुर म ही थे दूसरे रेंज से साल भर में फिर वहीं भेजना। बस्ती के एक बी० डी० ओ० को अपनी प्रार्थना पत्र पर बड़हलगंज गया उस को तीन घंटे के अन्दर हटाना और दूसरा बी० डी० ओ० सरकारी खर्चे पर पहुंचाया गया। बड़हलगंज के एक थानेदार का 15 दिन में ही तबादला कर दिया। जहां से एक थानेदार को उससे सटे थानेदार को ही पहुंचाया गया अनेक थानेदारों का तबादला किया गया और उनको रोका गया। जिला कृषि अधिकारी का तबादला किया और पुनः दूसरे अधिकारी का भी तबादला किया गया। बांस गांव के एस० डी० एम० का तबादला किया और तुरन्त रोका गया। ऐसी कई मिसालें हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम --

मैं लिखकर दे दूंगा। बड़हलगंज के थानेदार का 15 दिन में स्थानान्तरण कर दिया गया। यह सब मिसालें मैंने दे दी हैं। अब मैं जीप के मामले पर आता हूं। यह जीप बराबर नैपाल जाती थी और इसकी इंट्री चेक पोस्ट पर है। वह जीप देवरिया में पुलिस कप्तान द्वारा पकड़ी गई और ड्राइवर ने बयान दिया है और पोलिटिकल प्रेशर से उनका स्थानान्तरण रोका गया। जिलाधीश और कमिश्नर की सिफारिश की भी अवहेलना की गई। मैं चाहूंगा कि सारी बातों की जांच होनी चाहिए और सारी बातें सदन में स्पष्ट होनी चाहिये। (मन्त्री जी को पुकारने पर कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इसके सम्बन्ध में नियम है कि पहले माननीय सदस्य बोलेंगे। इसके बाद सम्बन्धित मन्त्री कहेंगे। इसके बाद आपको समय मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, इसके बाद सवालों का भी मौका देंगे।

उपाध्यक्ष--

नियम यह है "49 (5) सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का

पुरःस्थापन करेंगे। सम्बद्ध मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।"

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गोरखपुर जिला परिषद् की जीप से सम्बन्धित प्रश्न पर गोरखपुर की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जिनका सम्बन्ध इस विषय से नहीं था। किन्तु जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, गोरखपुर जिला परिषद् में दो जीपें हैं। एक जीप जिलाधिकारी जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, उनके पास थी और दूसरी जीप जिला परिषद् के कार्याधिकारी के अधीन थी। जो जीप जिला परिषद् के कार्याधिकारी के अधीन थी वह जीप देवरिया में पकड़ी गयी। और वहां पुलिस में रिपोर्ट हुई। गोरखपुर में कार्याधिकारी को जब इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने गोरखपुर में भी पुलिस में एक रिपोर्ट की। पुलिस की कार्यवाही चल रही थी लेकिन परिस्थिति विशेष गम्भीर थी। माननीय सदस्य ने जिस गम्भीरता की ओर शासन का ध्यान दिलाया, शासन ने भी उसकी गम्भीरता को देखते हुए जो भी अच्छी जांच की व्यवस्था हो सकती थी, उसके अन्तर्गत सी० आई० डी० जांच के लिये इस मामले को सुपुर्द कर दिया गया। अब गुप्तचर विभाग द्वारा इसकी जांच हो रही है। जांच शीघ्र होकर और उससे सदन को अवगत कराया जा सके, इसके लिये गृह विभाग से यह आग्रह किया गया है कि वह जल्दी से जल्दी जांच की कार्यवाही समाप्त कर दे और उसके बारे में अन्तिम सूचना शासन को दें।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उस दिन भी सवाल में यह था कि 6 सितम्बर, 1971 को गाड़ी पकड़ी गयी तथा गाड़ी पर ड्राइवर के साथ में दो आदमी और थे। तीनों के बयान लिये गये। उनके सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि ड्राइवर ने यह बयान दिया कि सेक्रेटरी साहब को हम 700 रुपया दे चुके हैं और आज का किराया 50 रु० भी दिया जा चुका है और जीप के बारे में हमें यह छुट्टी है कि हम उसको किसी काम में लायें और पैसा कमा कर उनको दें। सेक्रेटरी साहब को इसकी सूचना है। इस बयान की दोनों लोगों ने पुष्टि की है तो उन कार्याधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाह की गयी है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

पुलिस में ड्राइवर ने जो बयान दिया है, उसकी पुष्टि की गयी है। लेकिन जो बयान अभियुक्त पुलिस में दे, वही बयान वह अदालत में भी देगा, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस गाड़ी में ड्रायवर के अलावा जो और दो आदमी थे उनमें एक आदमी निशातगंज, लखनऊ का था उसने भी अपने बयान में कहा है कि हम लोग बराबर यही काम करते थे और उसके लिये एक रिलायबिल गाड़ी की आवश्यकता थी और उसके लिये यही गाड़ी ली गई थी। सेक्रेटरी साहब को भी इसकी जानकारी थी। फिर क्या जब अदालत में भी ड्राइवर का बयान हो जाय तभी कार्याधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, जिस कार्याधिकारी का जिक्र ड्राइवर ने किया, उस कार्याधिकारी का ट्रांसफर वहां से कर दिया गया है।

श्री राम करन सिंह---

कार्याधिकारी का स्थानान्तरण हुआ, यह सही है। लेकिन जो जीप पकड़ी गयी और जिस जीप के सम्बन्ध में उन तीनों व्यक्तियों के बयान हुये क्या वह ड्राइवर जिला परिषद् का पुराना कर्मचारी है या वह किन्हीं तरीकों से उनका सम्बन्धी पड़ता है और उन्होंने केवल 2-3 महीने पहले उसकी नियुक्ति की थी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वह पुराना कर्मचारी था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या यह सही है कि कलेक्टर और कमिश्नर गोरखपुर ने शासन से यह संस्तुति की है कि वहां का ए० डी० एम० (पी०) हटा दिया जाय और उसको मान कर उसका ट्रांसफर किया भी गया और बाद में रुक गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

ऐसी कोई संस्तुति वहां से नहीं आई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, पूरा जवाब मिलना चाहिये। मेरा प्रश्न यह था कि क्या ऐसी संस्तुति की गयी और ए० डी० एम० (पी०) का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद रुका ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

कोई संस्तुति आयी इसकी जानकारी तो नहीं है। ऐसा सुना है कि उसका ट्रांसफर हुआ था और बाद में वह किन्हीं कारणों से रुक भी गया।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

मन्त्री जी ने कहा कि ऐसा सुना गया है उसका ट्रांसफर हुआ था पर किन्हीं कारणों से रोक दिया। तो किन कारणों से उसका ट्रांसफर रोका गया और किस से उन्होंने सुना था कि उसका ट्रांसफर हुआ था ?

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा कि सुना यह गया है। अगर वह साधिकार मन्त्री होते हुए जवाब नहीं दे पाते तो आगे क्या उम्मीद की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आपका बल्कि अव्यवस्था का प्रश्न है। एक दूसरे ने प्रश्न किया उसके बीच में आप रुकावट बन गये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

चूंकि यह विषय सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित है इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि मुझे पता चला कि उसका ट्रांसफर हुआ था और बाद में किन्हीं कारणों से रुक गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मन्त्रि परिषद् का कोई भी सदस्य इस प्रकार से जवाब नहीं दे सकता कि चूंकि यह मामला दूसरे विभाग से सम्बन्धित है। ठीक से जवाब दें जैसा कि होना चाहिये। पहले सवाल हो चुका है, अब उस पर चर्चा मांगी गयी है तब यह हालत है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मैंने तो स्वीकार किया कि ट्रांसफर हुआ था और वह रुक भी गया था प्रशासनिक कारणों से।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या जिलाधिकारी गोरखपुर ने कार्याधिकारी, जिला परिषद् के स्थानान्तरण के बारे में भी कोई सिफारिश की थी या नहीं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

मैंने सीधा प्रश्न किया था कि किन कारणों से उसका ट्रांसफर रोका गया। यह प्रश्न हो चुका है। इस पर आध घंटे का विवाद मांगा गया। मन्त्री जी को पूरा समय मिला, उन्होंने जानकारी की होगी। अगर उनको जानकारी नहीं है तो इसपर आप व्यवस्था दें और उनसे कहें कि वह हमारे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें कि क्या कारण है कि उसका ट्रांसफर रोका गया?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं समझता हूं कि इसमें मन्त्री जी की थोड़ी सी लाचारी है और इसीलिये वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित विषय है। जब अधिकारियों का तबादला होता है और वह रोका गया होगा तो सामान्य प्रशासन विभाग ने उसे रोका होगा और किन कारणों से रोका होगा इसकी जानकारी उस विभाग को होगी, इनको नहीं होगी और अब मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और आप की आज्ञा होगी तो सदन के सामने रख दूंगा।

श्री चरण सिंह---

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या किसी सुपरिंटेंडेंट पुलिस का तबादला बिना मुख्य मन्त्री के आदेश के हो सकता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि कुछ आदेश उस पर मुख्य मन्त्री के हुये होंगे क्योंकि सामान्य प्रशासन की नीति अधिकारियों के तबादले के विषय में चौधरी चरण सिंह जी जानते होंगे क्योंकि वह बहुत दिन तक मुख्य मन्त्री यहां रह चुके हैं। मुझे तो थोड़े दिन का ही अवसर मिला है, इतने बड़े अधिकारियों का जब तबादला होता है तो मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग के सचिव और मुख्य मन्त्री के हस्ताक्षर उस पर होते हैं और उन की आज्ञा से ही ऐसे तबादले होते हैं। इसीलिये मैंने कहा कि उस का सम्बन्ध मुझ से होगा और आप की आज्ञा होगी तो मैं इस की तफसील से जानकारी करके उसकी सूचना सदन को दे दूंगा।

श्री चरण सिंह---

माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, माननीय मुख्य मन्त्री से यह मालूम कर के हम को कब तक बतायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कमलापति त्रिपाठी मुख्य मन्त्री से जानकारी कर के बहुत जल्दी ही चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल को यह जरूर बता देंगे ।

श्री चरण सिंह---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि पुलिस के सामने जो बयान होता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्या मन्त्री जी को मालूम है कि पुलिस के सामने जो बयान होता है उस पर अदालत सिर्फ एक बयान पर आम तौर पर सजा नहीं दे सकती, एक्सेप्शनल केसेज में उसमें भी दे सकती है लेकिन पुलिस के लिये यह लाजमी नहीं है कि एक्यूज्ड जो एक्यूज्ड के खिलाफ बयान देता है तो कार्यवाही की जाय, एफ० आई० आर० पर जरूर सब इंसपेक्टर कार्यवाही करते हैं। यहां तो एक एक्यूज्ड ने दूसरे एक्यूज्ड के खिलाफ बयान दिये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

पुलिस के सामने जो एक्यूज्ड ने बयान दिया उस पर तत्काल कार्यवाही की गई और कार्य अधिकारी का तबादला किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर मसले को गम्भीर समझकर सी० आई० डी० के सुपुर्द किया गया और जांच हो रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह मामला बहुत गम्भीर है और पुलिस के सामने ड्राइवर और दूसरे लोगों ने बयान दिया यह भी मन्त्री जी तसलीम करते हैं। तो ड्राइवर के अलावा ए० डी० एम० (पी०), सेक्रेटरी या और कितने आदमी इससे सम्बन्धित हैं और जो मोअत्तल भी हुए हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, जब मामला सी० आई० डी० की इंक्वायरी में दे दिया गया तो जब तक इस बात का पता न चल जाय कि वास्तव में दोषी कौन है और किसके खिलाफ कार्यवाही की जाय, तबादले और निलम्बन की कार्यवाही करने का कोई औचित्य न होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जब शासन को यह जानकारी है कि ए० डी० एम० (पी०) निर्दोष है और वह चाहते हैं कि सारे मामले का उद्घाटन हो जाय, दिन के प्रकाश में सारा मामला आ जाय और वहां के डिप्टी कमिश्नर भी इसमें इनवाल्व हैं, उन का तबादला रोका गया तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसी कोई बात हुई नहीं कि दोषी कौन है और कौन निर्दोष है। ए० डी० एम० (पी०) दोषी हैं या कार्याधिकारी दोषी हैं, जो निर्दोषी हैं। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने पर, जो शीघ्र ही आने वाली है, फसला हो सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, इस गम्भीर मामले में सदन की दिलचस्पी को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नियम 52 के अन्तर्गत 2 घंटे की चर्चा आप एलाऊ कर दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी और ए० डी० एम० (पी०) में अपने निजी तरीके से मतभेद चल रहा है, जिसके कारण ए० डी० एम० (पी०) को बदनाम करने की वजह से यह सब कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि सी० आई० डी० की इंक्वायरी हो रही है। रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक नीति का प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसा देखा गया है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप होते हैं, वे उसी जिले में रह जाते हैं ताकि उन्हें अवसर मिल सके कि वे शहादत तोड़ सकें और केस का रंग ही बदल देते हैं। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी राय व्यक्त करेंगे या ऐसी नीति अपनायेंगे कि ऐसे अधिकारियों को जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनते हैं, भले ही बाद को वे दोषी सिद्ध भी न हों, जैसे इस केस में जिलाधिकारी का, न्याय के हित में, अवश्य ट्रांसफर कर देंगे ताकि सही तरीके से जांच पड़ताल हो सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि यही नीति है सरकार की।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या गोरखपुर के जिलाधिकारी ने यह सिफारिश की है कि उस कार्याधिकारी का ट्रांसफर न किया जाय और ए० डी० एम० (पी०) कार्यवाही करना चाहते हैं, इसलिए उसके ट्रांसफर के लिए लिखा था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर इन प्रश्नों ने इस मसले को इतना उलझा दिया है कि एक अच्छी जांच करना आवश्यक है क्योंकि जिलाधिकारी ने कार्याधिकारी के बारें में लिखा, ए० डी० एम० (पी०) के ट्रांसफर के लिए लिखा कि उसका ट्रांसफर रोका गया। ऐसे प्रश्न आये हैं जो बहुत उलझे हुए हैं तो मैं इस बारे में जरूर छानबीन करूंगा कि कलेक्टर ने किस के ट्रांसफर के बारे में और किसको रोकने के बारे में लिखा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन, मैंने जब आरम्भ में भाषण किया कि इस जीप से पिछले 3 महीनों से बराबर तस्करी हो रही है नैपाल से और इन अधिकारियों का इसमें हाथ है। यदि ऐसा है तो यह शासन के लिए बड़ी बदनामी की बात है और जब इसकी जांच करायें तो सदन को इससे भी अवगत करा दें। तो श्रीमन्, इस किस्म की तब्दीली होती है तो ठीक ही है। अगर ऐसा है कि कमिश्नर ने और जिलाधिकारी ने यह लिखा है कि ए० डी० एम० (पी०) का तबादला होना चाहिए तो मन्त्री जी उसकी भी जांच करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर कमिश्नर ने ऐसा लिखा है तो उनका भी तबादला कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कमिश्नर एक जिम्मेदार आदमी है और उनकी राय माननी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जब मन्त्री जी जांच कर लें तो उससे सदन को भी अवगत करा दें। निष्पक्षता से जांच हो, इसका भी कुछ प्राविधान करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जांच के बाद सदन को अवगत करा दें। मुनासिब तो यह होगा कि यह वक्तव्य का मामला था और जो कुछ जांच करेंगे उसको श्रीमन् की सेवा में भेज देंगे। यदि आप चाहें तो सदन में प्रस्तुत कर दीजियेगा।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन फालतू जमीन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के जरिये यह मालूम हुआ कि 28 अगस्त, सन् 71 को प्रदेशीय सरकार का जिलाधीशों के नाम एक आदेश गया। उसके लफ्ज में पढ़े देता हूं—"आपके जिले में जहां भी सीलिंग की, ग्राम समाज की अथवा और बंजर भूमि उपलब्ध हो उसे भविष्य में औद्योगीकरण के लिए सुरक्षित कर दें और इस प्रकार सुरक्षित की गयी भूमि के सम्बन्ध में सूचना शासन को यथाशीघ्र समय से भेजने की कृपा करें।" यह यहां से गया। जो यहां गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया गया प्रश्नों और उप प्रश्नों के उत्तर में उससे जाहिर होता है कि यह मामला प्रदेशीय सरकार की अत्यन्त इंएफिशियेंसी का प्रमाण है, एक सबूत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जाहिर बात है।

श्री चरण सिंह—

क्या उधर से कहा जा रहा है। अगर ऐसा जाहिर होने लगे और तस्लीम करने लगें तो हमारा सिरदर्द दूर हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, बतलाया यह गया और जो वक्तव्य माननीय राजस्व मन्त्री जी की तरफ से दिया गया है उससे भी जाहिर है कि यह हुक्म उद्योग विभाग से निकला और माननीय राजस्व मन्त्री को इसका इल्म नहीं था। आपके जरिये मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरा यह इंफरेंस सही है, अनुमान सही है। इसके बाद मैं कुछ कहूंगा।

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

मेरे माध्यम से नहीं गया था।

श्री चरण सिंह—

मैं भी यही समझता था कि आपके माध्यम से नहीं गया। तो यह कैसे सम्भव हो गया कि जो चीज राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखती थी वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में चली गई। इसमें किसकी लापरवाही है। मामूली लापरवाही नहीं, किसी क्लर्क के हुक्म से यह नहीं गया। सेक्रेटरी के हुक्म से गया। अगर सेक्रेटरी ने भी भेजा होगा तो बिना उद्योग मन्त्री के एप्रूवल के नहीं भेज सकता। अगर बिना उद्योग मन्त्री की स्वीकृति के गया तो और भी अचरज की बात है। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने अधिक महकमे हैं, गवर्नमेंट के काम चलाने के कुछ नियम हैं। अगर उन नियमों की अवहेलना की जायेगी तो सारे प्रशासन में कंफ्यूजन हो जायगा। तहसील या जिले के लेवेल पर गलती हो जाय तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन सेक्रेटेरियट के स्तर पर, सचिवालय के स्तर पर यह गलती हो, यह मामूली बात नहीं है।

तो एक तो यह जानना चाहूंगा कि किसकी इसमें गलती हुई, और अगर यह गलती हुई—यह सबको मानना पड़ेगा, राजस्व मन्त्री जी को और मुख्य मन्त्री जी को भी और सदन को

भी---मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कार्यवाही की गई उस सेक्रेटरी के खिलाफ ? जो भी सेक्रेट्री हो, क्या कदम उठाये गये । 28 अगस्त को हुक्म जारी हुआ और 6 जनवरी को कैंसिल हुआ । मेरे पास उसकी नकल रखी है । इसका मतलब यह है कि 4-5 महीने तक किसी की नोटिस में नहीं आया और जब नोटिस में आया तो 6 जनवरी को आदेश जारी किये गये । तो एक बात यह राजस्व मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें क्या कार्यवाही हुई और मेरी बात पर मुझे उम्मीद है रोशनी डालेंगे । जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें कहा गया है कि सरकार उद्योग खोलना चाहती है और भूमि अर्जन करने में काश्तकारों से बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उसमें उनके जीविका के साधन को हटाया जाना पड़ता है जिससे उद्योगीकरण में बाधा पड़ती है । उद्योग विभाग ने इन कठिनाइयों को देखते हुए यह जारी किया है । यह उद्योग विभाग की तरफ से सफाई दी गई है ।

मान्यवर, कारण इसमें यह बताया गया कि किसानों से भूमि अर्जन में कठिनाई पड़ती है । क्यों कठिनाई पड़ती है---क्या जरूरी है किसान की भूमि लेना ? आज से नहीं सन् 1938 से लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट का रूल बना हुआ है । माननीय राजस्व मन्त्री जी राजस्व सचिव से पूछ लें । उसमें कहा गया है कि जिस संस्था के लिये जमीन की जरूरत हो, जहां वह जमीन चाहती है---जैसे विद्यालय हो, फैक्ट्री हो, अस्पताल हो---तो उसके 3 फर्लांग के अन्दर या 4 फर्लांग के अन्दर हो तो किसान की जमीन न ली जाय । मुझे याद पड़ता है जब मैं माननीय पन्त जी के जमाने में उनका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था तो मुझे बतलाया गया कि किसानों की जमीनें ली जा रही हैं । जबकि पड़ोस में ऊसर और बंजर भूमि पड़ी हुई थी मैंने उनको सुझाव दिया कि इसको एक मील कर दिया जाय कि एक मील की परिधि के अन्दर जमीन है तो किसान की जमीन नहीं ली जायेगी । माननीय पन्त जी ने 4 फर्लांग के लिए कहा और कहा कि इसका एक नियम बन जाय और उसकी नियमावली मौजूद है । इसके बाद लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में जब कानपुर के एक उद्योग पति का किस्सा हुआ तो श्री एस० के० पाटिल जब वह कृषि मन्त्री थे उन्होंने भी सेन्ट्रल में भी इस प्रकार का कानून बनाया । तो यह रूल तो आलरेडी है ही कि किसान की जमीन न ली जाय जब ऊसर और बंजर भूमि पड़ी है ।

दूसरी बात यह है कि लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा है 17, उसमें अगर बहुत जरूरी बात हो तो वो महीने के अन्दर जमीन ली जा सकती है । लिहाजा ऐक्ट में प्राविजन पहले से मौजूद है । तो फिर उद्योग विभाग ने इन गलत आदेशों को क्यों जारी कर दिया ? मैंने पहले भी कहा था कि आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्री चाहते हैं या छोटी ? जवाब मिला कि दोनों । ठीक है, लेकिन हमें बल देना चाहिये छोटे उद्योग धंधों पर न कि लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज पर । और लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज का निर्माण हमें करना चाहिये । केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये जिनका निर्माण हम छोटे पैमाने पर नहीं कर सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी हैवी इंडस्ट्रीज आज निर्माण करना चाहते हैं और कितने दरख्वास्त आपके यहां पड़ी हुई हैं ? लेकिन आपने हुक्म दिया 72 हजार गांव सभाओं के लिये---यह एक गांव सभा के लिये नहीं पूरा स्टेट के लिये हैं । ठीक है उद्योग लगें 10-12 और बड़े उद्योग के लिये तो आसानी से भूमि उद्योग विभाग उपलब्ध कर सकता है । लेकिन यहां तो उन सभी गांव सभाओं को आदेश दे दिया गया ।

जमीन गरीब को नहीं दी जा सकती है, भूमिहीन को नहीं दी जा सकती है, अवकाश प्राप्त सैनिक को नहीं दी जा सकती है और जो शहीद हो गया है सैनिक उसके लड़के को जमीन नहीं दी जा सकती है, जमीन नहीं दी जा सकती है राजनैतिक पीड़ित को । शिक्षालयों में और सब को सब रिजर्व कर दें । उद्योगपतियों को आप जमीन देते हैं विदआउट रिजर्वेशन कोई क्वालिफिकेशन्स उसमें नहीं है । यहां से हुक्म चला गया । सवाल यह होता

[श्री चरण सिंह]

है कि कैसे चला गया। आप ने बयान में लिखा है व माननीय सदस्यों को मालूम है कि ला के खिलाफ डी० ओ० नहीं जा सकता है। ला दिया गया है। ला के खिलाफ एक्जीक्यूटिव आर्डर आपके ऐक्ट की मंशा के खिलाफ, अल्फाज के खिलाफ, उसकी स्पिरिट और लैंग्वेज के खिलाफ है आपका वह आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि उस हुक्म से भ्रम पैदा हो गया। मैंने कहा था कि आप अपनी गलती उन अफसरों पर क्यों डालते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे तो आप क्या और अर्थ लगायेंगे? कहां भ्रम की गुंजायश है? भ्रम हुआ। यहां पर यह हो सकता है तो आप कहते कि हम से गलती हो गई, क्या बात हो गई? भ्रम हो गया इसलिये हुक्म चला गया। क्लियर आर्डर्स हैं। मैंने अल्फाज को पढ़ कर सुना दिया। इसमें भ्रम की क्या बात है। जब सवाल पूछा गया कि आप मुख्य मन्त्री हैं और कोई आपके मन्त्री हैं तो बात सही कहना चाहिये। आफिसर इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। वह चिट्ठी नहीं लिखने वाला है। बतलायें कि भ्रम कौन-सा है?

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। जैसा कहा गया है कि उद्योग विभाग से अगर हुक्म निकला है तो कोई सवाल नहीं है कि उद्योग मन्त्री जी के एप्रूवल से न निकला हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब गरीबों के लिये ही है कि हम सब मन से ही एक जगह पढ़ लेते हैं। हमारी नीति है, हमारा दृष्टिकोण है, डिक्लेरेशन है, गरीबों के हक में कानून बना हुआ है, तो माननीय उद्योग मन्त्री जी को यह क्यों नहीं सूझा कि वह क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी जनरल पालिसी है उसके विरुद्ध करने जा रहे हैं, यह क्यों नहीं सोचा? उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल इसलिये नहीं सूझा कि हमारी जितनी नारेबाजी है वह ऊपर से है। मैं यह दोहराता हूं कि अभी हमारे दिल का अंग नहीं हुआ, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला। खैर उस पर दस्तखत कैसे हुये? उद्योग मन्त्री जी की सूझ में आर्डर जारी करते समय यह बात नहीं आई कि भूमिहीनों और मजदूरों के लिये गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसके खिलाफ वह आर्डर देने जा रहे हैं। तो इससे यह मालूम होता है कि हमारे डिक्लेयरेशन्स और सोशल और एकोनोमिक रिवोल्यूशन करने के इरादे थोथे हैं। आखिर में मैं उन्हें बधाई दूं और क्या करूं यह शिष्टाचार का तकाजा है कि आपने छः तारीख को उसे कैंसिल कर दिया।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जितने सूचना देने वाले सदस्य हैं पहले उनको सुन लें। यह नियम में है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप नियम के बारे में कह रहे हैं। उसमें तो यह दिया हुआ है "सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा"। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अधिक लम्बा नहीं हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---

आप नियम सुन लें। इसमें आगे दिया हुआ है "किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।"

अतः माननीय सदस्य मूव करेंगे, उसके बाद संक्षेप में उत्तर होगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यदि चौधरी साहब को इस बात से सन्तोष हो तो मैं इसको मान लूं कि कलेक्टरों को भ्रम नहीं हुआ और मुझको ही भ्रम हो गया और मेरी ही गलती है, गलती ही नहीं इनइफीशियेंसी भी है। यदि इसको स्वीकार कर लेने से उनको सन्तोष होता है तो मैं यह सभी स्वीकार किये लेता हूं।

श्री चरण सिंह—

यदि शब्द आपने लगा दिया और वह सब मिट गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यदि स्वीकार करूं तो और न स्वीकार करूं तो भी डांट खाऊं। उनकी डांट को तो मैं आर्शीवाद मानता हूं। गलती होती रहेगी तो डांटते रहेंगे और मैं अपना रास्ता ठीक करता रहूंगा और सावधान रहूंगा कि गलतियां न हों। मंशा वही है जो चौधरी साहब ने कहा है कुछ बातों को छोड़ कर। इसकी एक आधार पीठिका है हमारे सामने। हमारे सामने कई फैक्ट्रीज की बात आई। कुछ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को लाइसेन्स मिल गया है, पब्लिक सेक्टर में यह फैक्ट्री लगेगी। कुछ फैक्ट्रीज यहां आना आरम्भ हो गई हैं उनके बारे में भी बात आई। पहली बात उसमें यह आई कि इनको लगाने के लिये जमीन दी जाय क्योंकि फैक्टरियां लगेंगी तो जमीन पर ही। क्या आप इस राय के हैं कि यहां पर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगनी चाहिये और छोटी छोटी ही लगनी चाहिये। मैं तो केवल इसी राय का नहीं हूं। मैं तो यह समझता हूं कि यहां पर बड़ी २ फैक्ट्रीज को भी लगना है क्योंकि प्रदेश में बराबर यह चर्चा होती रही है कि इसका उद्योगीकरण होना चाहिये। कुछ की राय थी कि काटेज इन्डस्ट्री और कुटीर उद्योग लगें।' यह ठीक है कि हमारे प्रदेश का उसके बिना प्रश्न हल नहीं हो सकता है और न तो धरती पर लदा हुआ बोझ ही उतर सकता है। परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि हमारे यहां बड़ी फैक्ट्रीज न लगें। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर जो पुरानी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो गल सड़ गई हैं वे ही चलें और नई न आवें। हमको अपने प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा करना है और हमारा ऐसा विश्वास है कि हमको सभी प्रकार के उद्योग धन्धों को अपने प्रदेश में बढ़ावा देना होगा। यह माना कि कुछ किसानों ने यह मांग पेश की है ऐसा न हो। परन्तु नये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हमारे सामने प्रश्न था और उद्योग विभाग के सामने भी यह प्रश्न आया और हमारे सामने भी आया।

अभी मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है डिफेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई करोड़ रुपयों की वह फैक्ट्री है। जहां तक हवाई जहाज के लिये बहुत से कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स बनाये जायेंगे। वह एक बड़ी फैक्ट्री होगी। उस फैक्ट्री के लिये जमीन की बात थी। उसमें काफी जमीन ली गई है। कुछ मुकदमा भी चल रहा है। हमने यही कहा था कि किसानों की भूमि नहीं ली जायगी परन्तु अब वह मामला समाप्त हो चुका है। प्राइवेट नेगोशियेशन्स करके जमीन का लिया गया है। कुछ मामला हाई कोर्ट के सामने है। वह पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्री है और उन्होंने कोशिश किया कि प्राइवेट नेगोशियेसन्स करके उस जमीन को ले लें और उसके दाम दे दें। हमने सचिव से कहा कि कोशिश होनी चाहिये कि फैक्ट्रीज हमारे प्रदेश में आयें और हम उनको लगवाने की सहूलियत दें। इसके लिये हमारा ढंग होना चाहिये। इस बात की भी कोशिश की जाय कि खेती की जमीन इसके लिये न ली जाय।

जो जमीन बंजर हो, ऊसर हो, पापर हो, ऐसी जो जमीनें हों पहले उनका एक खाका हमारे सामने आना चाहिए कि कहां-कहां इस तरह से जमीन पड़ी हुई है और उन जमीनों का एक नक्शा बनाया जाय, कलेक्टरों से मांग लिया जाय। कोई अगर फैक्टरी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लगाने आये तो उससे हम कह सकें कि यह ऊसर जमीन पड़ी है, यहां फैक्टरी लगायें। किसानों से जमीन एक्वायर करने को, जहां तक सम्भव हो सके, बचाया जाय। हमने यह भी कहा कि ऊसर, बंजर, पापर जमीन पर अनधिकृत कब्जा भी हो जाता है। कुछ जिलों में तो ऊसर, बंजर, पापर जमीन जल्दी मिलेगी ही नहीं। जैसे पंडित बंशीधर जी हैं, इनके यहां वाराणसी में जाइए तो कहीं जल्दी-जल्दी गज भर भी ऊसर नहीं मिलती। खेती करते-करते गांव के नीचे तक ले गये हैं। और भी पूर्वी जिलों में यह हाल है...

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय त्रिपाठी जी की तारीफ करता हूं कि किस खूबी से असल मामले को टाल रहे हैं। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन ट्रेसपास जो हो जाता है वह इस हुक्म से कैसे रुकता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ठीक है, हजारों ट्रेसपास हुए हैं, इससे नहीं रुकेंगे। लेकिन हजारों ट्रेसपास हुए हैं और हजूरेवाला के मुख्य मन्त्रित्वकाल में होते रहे हैं। तो मैं कोई बात टाल नहीं रहा हूं, केवल थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। तो मैं यह कह रहा था कि कलेक्टरों से मांग लिया जाय कि कितनी ऊसर, बंजर और पापर जमीन है और यह भी आदेश दे दिया जाय कि ऐसी जमीनों का अब कोई बटवारा न हो। क्योंकि अगर कल-कारखाने लगाने के लिए जमीन देनी है तो इस तरह की जमीन को हम दें और किसानों की जमीन को हम न दें। कल-कारखाने लगने जरूरी हैं, इसलिए इन बंजर-कंजर और ऐसी फालतू जमीनों का नक्शा आ जाना चाहिए और तत्काल उसका बन्दोबस्त किसी के साथ न किया जाय। मैं समझता हूं कि जिलों से इसके नक्शे आ भी गए हैं कि जिलों में कितनी जमीन ऊसर, बंजर वगैरह है।

अब श्रीमन्, एक पत्र, एक जी० ओ० चला गया सेक्रेटेरिएट से। मैंने उस रोज भी कहा था कि भ्रम हुआ। वह इस ख्याल से कहा था कि भ्रम मुझे हुआ हो या कलेक्टरों को हुआ हो, या सभी को भ्रम हो गया हो। यह जो पत्र है इसकी शब्दावली से ऐसा लगता है कि और जिन लोगों को कानून के मुताबिक जमीन दी जाती है वह सब बन्द कर दी जाय। सीलिंग से या गांव समाज की जो जमीन निकल रही है, उन जमीनों का भी बटवारा न किया जाय, क्योंकि इस पत्र में इस तरह का संकेत है। इरादा उसके पीछे यह था कि जो जमीन जोत में नहीं है और निकल आयी है उसकी जानकारी आ जाय, इसलिए कि जो उद्योग-पति आवें तो उनको हम जमीन सजेस्ट कर सकें। जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उसको भी रोकने का इरादा था। ऐसा न हो कि सारे कल-कारखाने कानपुर में ही लग जायं या गाजियाबाद में ही लग जायं। कुछ बुन्देलखंड में, कुछ पहाड़ी इलाकों में और कुछ पूर्वी जिलों में भी जायं और पूंजीपति जब आएं तो उनसे कहा जाय कि इन जगहों पर लगाइए, हम जमीन देते हैं। इसके लिए उन्हें प्रेसराइज भी किया गया और तब उन्हें इजाजत दें यहां कारखाने लगाने की। इस इरादे से यह मांगा गया था।

उसमें जैसा मैंने कहा, जो पत्र गया उससे इस प्रकार की भ्रांति हो सकती थी, मंशा यह नहीं था। जरूर कलेक्टर उस पत्र को देखकर यही अर्थ लगाते जो आज हमने भी लगाया है और जो चौधरी साहब भी लगा रहे हैं। इसके माने यह हुए कि जमीन किसी को बांटी ही नहीं जायगी, न शिक्षणालयों को दी जायगी, न सैनिकों को दी जायगी और यह सारी जमीन जो है रोक रखी जायेगी इसलिए कि यहां कल-कारखाने लगेंगे। इतनी जमीन में कल कारखाने लग भी नहीं सकते हैं। कहीं-कहीं पर गांव सभाओं की कुछ जमीन सीलिंग से निकल सकती है। गांव-गांव में कल-कारखाने जायंगे ही नहीं। यह मंशा भी नहीं

था। इस प्रकार की भ्रान्ति थी और इस प्रकार का जो पत्र प्रसारित हुआ है उसकी जिम्मेवारी मेरी है—गलती है तो, भूल है तो। मैंने सचिव से कहा कि इस प्रकार कलेक्टरों को लिखा जायेगा कि वे अपने यहां से नक्शा बना कर भेजें कि कितनी बंजर-कंजर भूमि मिल सकती है। कहीं नजूल की जमीन हो सकती है। उन सब का एक नक्शा वे दे दें कि कितनी जमीन उनके यहां एवेलेबिल है ताकि फैक्टरियों के लाइसेन्स वालों को उसको बता सकें कि वहां पर तुम जाओ, वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जायेगा और वहां तुम अपने कारखाने लगाओ। उन्होंने यह जी० ओ० इश्यू कर दिया। अब इसकी जिम्मेवारी और किसी के ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है हालांकि वह इस इरादे से ईश्यू किया गया था। जिस तरह से वह गया है उससे भ्रान्ति हो सकती है। इनएफिशन्सी है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। अगर भ्रान्ति है, मुझे ही भ्रम हुआ, तो वह भी मैं स्वीकार कर लूं। इरादा हमारा ऐसा था और इसी इरादे से इसे इश्यू किया। इसी इरादे से काम किया है ताकि हमारे यहां उद्योग धंधे आवें और ऐसी जगहों में उनको लगावें।

श्री चरण सिंह—

लीपापोती कर दी आपने।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब गलती ऐसी हो जाती है कि उसे छिपाया न जा सके या उसका जवाब न दिया जा सके तो यही रास्ता हमारे त्रिपाठी जी ने अख्तियार किया है। उन्होंने झट स्वीकार कर लिया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं कह रहा था कि थोड़ा-सा हृदय को उदार कीजिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस हृदय के उदार का लाभ उठाने के लिए जल्दी से अपनी गलती स्वीकार कर ली हालांकि मैं उनकी बात मानता हूं, सचिव का कोई दोष नहीं है, न मैं सचिव को दोष देता हूं। संबंधित मंत्री ने यह आदेश दिया होगा और उनक आदशानुसार सचिव ने इस जारी किया होगा। इसके पढ़ने से दो निष्कष निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि बड़ी घुड़दौड़ थी उद्योगीकरण की। उत्तर प्रदेश में इतने उद्योग धंधे आ गये हैं कि मुख्य मंत्री जी पता नहीं लगा पा रह हैं कि कितने उद्योग लग जायेंगे और कितनी जमीन की जरूरत होगी। दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि अगर यह सत्य नहीं है तो उनके दिमाग में कोई चीज साफ नहीं कि उन्हें कितनी जमीन चाहिए, किस प्रकार के उद्योग लगने हैं और कहां पर लगने हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि आपने 72,000 गांव सभाओं को आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी करते हुए आपने किंचित मात्र यह न सोचा कि हमने सीलिंग ऐक्ट बनाया, हमने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बनाया और दोनों में इस बात का प्राविधान किया कि हम लैण्डलेस को जमीन प्रोवाइड करेंगे, हम भूमिहीनों को बंजर भूमि देंगे और सीलिंग से जो भूमि बचेगी वह भूमिहीनों को देंगे। यह इनके मस्तिष्क से कहां निकल गया? ये किस चीज की चिन्ता कर रहे थे? एकदम 72,000 गांव सभाओं को आदेश जारी करके गलती कर दी। न मालूम कितने वर्ष लग रहे थे भूमिहीनों को जमीन देने में। इसके बाद क्या स्थिति होगी उसे कहा नहीं जा सकता।

मान्यवर एक बात और है और इसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में उलझा दिया कि 72,000 गांव सभाओं को क्यों आदेश दिया। अगर आप उद्योगों की बात करते हैं तो उनक निकट रेल चाहिए, सड़क चाहिए। अधिकांश गांव ऐसे ह आपकी सरकार की कृपा से कि जहां पिछले 24 वर्षों में सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। वहां कोई रास्ता नहीं है, बांध नहीं है

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

और नदी के किनारे हैं। वहां भी रोक दिया आदेश जारी करके। कुछ तो ख्याल करते। 10 बीघे को रोक लेते, 50 बीघे को रोक लेते—कुछ तो सीमा बांध देते। आपके मस्तिष्क में एक बात आ गई—एक ब्रन वेव आ गई और आपने आदेश जारी कर दिये। सीमा बांधनी चाहिए थी। क्या गलती हो जायगी इसके बारे में बिल्कुल चिन्ता नहीं की। चिन्ता की आपने काश्तकारों की। इसके पीछे क्या दलील है? दलील यह है कि काश्तकारों की जमीन नहीं लेंगे क्योंकि वे रिट कर देते हैं और करा देते हैं। ठीक बात है। आपने और जगह ऐसी क्यों चिन्ता नहीं की। अब अगर सड़कें बनेंगी तो क्या उसी प्रकार बनेंगी जहां पर बंजर की भूमि रहेगी, सीलिंग की भूमि रहेगी—उन्हीं पर? तारीफ तो यह है, मैं वकील भी हूं और प्रैक्टिस भी करता हूं—सीलिंग की भूमि 1 बीघा यहां हो सकती है, 2 बीघे वहां हो सकती है।

सीलिंग की जमीन जो ओरीजनल टेन्योर होल्डर होता है वह वहीं छोड़ता है जहां जमीन इस्तेमाल के लायक नहीं होती। बेकार होती है। फिर अगर किसानों के लिये इनके हृदय में दर्द था तो पी० डब्लू० डी० की सड़कों के लिये, नहरों के लिये जो बीसियों बर्षों से आपने किसानों की जमीनें ले ली हैं, किसान रोता है, मगर आज तक उसका उनको मुआवजा न दिया गया, आज तक उसका म्यूटेशन नहीं हुआ। माननीय सदस्यों ने सैकड़ों बार यह प्रश्न भी किये, कभी आपको किसान का दर्द महसूस नहीं हुआ? सड़क पर दसियों साल से मोटर चल रही हैं, मगर वह जमीन किसान के नाम दर्ज है, वह मालगुजारी भी दे रहा है। तो जो गलती हो गयी उस गलती को आज रफू करने के लिये किसान के लिये इनके हृदय में दर्द भर आया।

अभी मेरठ के एक मामले में एक दलील रखी गयी थी कि लैंड एक्वायर न की जाय, मगर सरकार ने एक मिनट बात नहीं सुनी। तो केवल दलील देने के लिये ही बात नहीं कहना चाहिये, सोचना भी चाहिये कि क्या सही है क्या गलत है। जसा माननीय चौधरी साहब ने कहा कि भूमि अर्जन करने में अगर कठिनाई है तो उसके लिये तो सेक्शन 17 है। फिर अगर जरूरत पड़ेगी भी किसी कारखाने के लिये जमीन की तो वह जमीन ऐसी जगह होनी चाहिये जहां रेलवे स्टेशन पास हो, रेलवे लाइन हो। सड़क आदि भी हो। मैं जब उद्योग मंत्री था तो मैंने कुछ जगह उद्योग लगाने के लिये लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब, आप जहां के लिये कह रहे हैं वहां बड़ी लाइन है या नहीं, रेलवे स्टेशन है या नहीं पास में, आदि कई बातें सामने रखीं। तो उद्योग हर जगह नहीं लगाये जा सकते। आखिर आपके जमाने में कितनी रेलवे लाइन बिछीं, कितनी सड़कें बनीं? उद्योगों के विकास के लिये आपने क्या किया? दो परसेंट भी तो विकास नहीं हुआ है। मैं जनहित में यह सब कह रहा हूं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं।

आज की परिस्थिति में आपकी यह दलील कहां लागू होती है जो आपने अभी दी। आपको तो स्पष्ट यह स्वीकार करना चाहिये था कि हां, भूल हो गयी। अगर मगर नहीं लगाना चाहिये था। साहित्यकार भी अपनी भाषा से रफू कर देते हैं, तो मैं उनके सामने मस्तक नीचा करता हूं। मगर इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी दलील मुनासिब नहीं थी। एक जगह तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगों के लिये कारपोरेशन की एप्लीकेशन्स पड़ी हैं, लेकिन रेवीन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में नहीं हैं। जो इनका वक्तव्य है अगर इसे देखा जाये तो मान्यवर, मालूम होगा कि इसमें विरोधाभास है। जो इनका तर्क है वह कहीं भी लागू नहीं होता है। सरकार कहती है कि हम गरीबों और भूमिहीनों के लिये कुछ करना चाहते हैं, मगर कागज पर कुछ और रहता है, किन्तु सरकार कर कुछ और बैठती है। क्योंकि उनके मन में सदैव अनिश्चितता रहती है। उसका परिणाम यह हुआ है कि यह सर्कुलर घुमाया गया। इसके अलावा और भी कुछ इस विषय में नहीं कहना चाहता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, 21 अगस्त, 71 को जो सरकार ने आदेश दिया, उसको देखने से मालूम पड़ता है कि इसके रहते जानबूझकर बड़े उद्योगपतियों को रियायत देने की सरकार की मंशा है। बड़ उद्योगपतियों को रियायत देने में हमेशा यह सरकार जागरूक रही है। यह गल्ती आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आज जो भारत में 75 परिवारों के हाथ में देश की अधिकांश पूंजी केन्द्रित हो गई है, यह उसी नीति का परिणाम है, जिस पर इनकी सरकार आजादी के बाद स चल रही है। क्या हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद इस विधान सभा में या लोक सभा म कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जिससे हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों, मुसलमानों या अन्य गरीबों का कोई फायदा हुआ हो? जिनके पास न खाने को है, न पहनने को है, न रहने की व्यवस्था है और न शिक्षा की कोई व्यवस्था है।

जमींदारी एबालीशन कानून जो बनाया गया, उसमें भी बाग वगैरह के नाम पर तमाम जमीन निकाल ली गई, उन व्यक्तियों द्वारा जो आज सरकारी पक्ष में बैठे हैं। यह जो सन् 60 से सीलिंग की जमीन निकली, उसमें से भी निकली जमीन का आज तक 10-12 वर्षों में कोई बटवारा नहीं हुआ है। रोज भाषण में हरिजनों और गरीबों की बात कही जाती ह, लेकिन करनी में कुछ है नहीं। इतने मुख्य प्रश्न को मुख्य मंत्री जी इतने हल्के तरीके से निकाल दना चाहते हैं, चूंकि जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा है वह साहित्यिक वाकचातुरी से अपनी बात बना लेने में होशियार हैं। वह क्रोध और उत्तेजना के वातावरण में--आग में पानी फेंक देते हैं। किन्तु इससे देश में काम नहीं चलेगा।

गरीबी मिटानी है, तो यह कार्य भाषण से नहीं होगा। इसके लिए हमको सक्रिय कदम उठाना होगा। आपको सदन और जनता को जवाब देना होगा। आपने सन् 60 से लेकर 72 तक हजारों एकड़ जमीन गरीबों और हरिजनों को नहीं बांटी है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद में 8 हजार एकड़ जमीन सीलिंग में प्राप्त हुई है, किन्तु केवल उसमें से 2 हजार एकड़ सम्बन्धित व्यक्तियों को बांटी गई है और 6 हजार एकड़ यों ही पड़ी हुई है। उसी तरह से लखीमपुर में डालमियां, सिंहानिया, साहु, जैन ऐसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ भूमि दे दी गई हैं। जब कि पहाड़ के किनारे पर बसे गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। हरिजनों के लिए कोई मजबूत पालिसी नहीं बनाई गई है। उनके लिए रिजर्वेशन का जो 18 प्रतिशत का कोटा नौकरियों के लिए निर्धारित किया गया है, वह भी पूरा नहीं हुआ है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। उद्योग सचिव श्री नारायण आचार्या ने अपने पत्र में ठीक ही कहा है। उन्होंने लिखा है--राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। यह कैबिनेट या मुख्य मंत्री का फैसला रहा होगा, तभी यह सर्कुलर भेजा गया है। सेक्रेटरी का कोई कसूर नहीं है। आपने भी साफ शब्दों में अपनी गल्ती नहीं मानी है। इफ, ऐण्ड बट कह कर अपनी बात को रखा है। इसे 6 जनवरी को आपने रद्द किया है, जब कि श्री शास्त्री जी ने इस प्रश्न को उठाया तो आपने कहा कि इसे रद्द कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन तक आप कहां रहे? इससे मालूम होता है कि सरकार हमेशा अमीरों के लिए है, गरीबों और हरिजनों के लिए नहीं है। इसमें स्पेशफिक आदेश हैं कि सीलिंग जमीन को रोक दिया जाए। उसमें लिखा गया है "मुझे आपसे यह अनुरोध करना अभीष्ट है कि आपके जिले में जहां-जहां भी सीलिंग की, ग्राम समाज की अथवा ऊसर बंजर भूमि उपलब्ध हो उसे भविष्य में उद्योगीकरण के लिए सुरक्षित कर दें।" जो अच्छी जमीन है उसको भी आपने रुकवा लिया।

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

कितने लघु उद्योग हुए गरीबों के लिए ? महज नारा है समाजवाद का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किस रिक्शे वाले, किस तांगे वाले, गरीब आदमी को रुपया मिला ? आज्ञा दे दी कि भूमिहीन हरिजनों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाय लेकिन किसी को बटवारा नहीं हुआ। आप अपनी फाइलों पर आदेश दे दिया करते हैं लेकिन गांव के किसानों को, भूमिहीनों को, खेतिहर मजदूरों को भूमि न दें तो आप कहते रहेंगे कि हम हरिजनों के हिमायती हैं लेकिन हैं गरीबों के अहित करने वाले, और दुश्मन। जब नकशा हमारे सामने आता है, जो बिल्कुल निर्बल है, करोड़ों लोग जो गंगा जमुना के किनारे, बनारस घाट के किनारे पड़े हुए हैं, उनका दृश्य सामने आता है तो मजबूरन कहना पड़ता है। हरिजनों की नौकरियों के बारे में कहा कि विचाराधीन है। माननीय मुख्य मंत्री को बार-बार मैंने पत्र लिखा, सदन में सवाल हुए, जवाब मिलता है कि विचाराधीन है। जहां गरीबों का सवाल होगा, छोटे-छोटे कर्मचारियों, मजदूरों का हित होगा, वहां हमेशा विचाराधीन रहेगा। जहां उद्योगपतियों का सवाल आयेगा, वहां एक दिन बैठ कर ऐसा आदेश रख देंगे कि अगर विरोधी दल न ध्यान खींचता तो कंसिल भी न होता, यह हमेशा आर्डर चला आता। मान्यवर, मैं स्पष्ट इस विचार का हूं कि सरकार का इरादा मालाफाइड है, इन का इरादा है कि बड़े उद्योगपतियों को हमेशा बढ़ावा दिया जाय। न गरीबों को जमीन देनी है न छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ाना है। अगर यह होता तो गरीब का उद्धार हो गया होता। हम जापान से बीस साल पीछे पड़े हुए हैं। गरीबी दूर करने के लिए हम को शीघ्र कदम उठाना पड़ेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं केवल इतना निवेदन करना चाह रहा था कि सर्कुलर 21 अगस्त, 1971 को हुआ और 6 जनवरी, 1972 को निरस्त हो गया। यदि उसको निष्पक्ष रूप से देखें तो दो बातें स्पष्ट हैं। जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा और शायद चौधरी साहब को भी इनकार न हो, कि जो आज्ञापत्र, जी० ओ० भेजा गया, वह दो भावनाओं पर आधारित था। एक भावना यह थी कि किस को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किसान की उपजाऊ भूमि अक्वायर होने से बचायी जा सके, अगर वहां पर औद्योगिक केन्द्र स्थापित किया जाय। दूसरे यह कहा गया कि इसमें सीलिंग की भूमि भी जो बांटी जा रही थी उसको रोक दिया।

मुझे याद आ गया हाल में मथुरा जिले में इसी प्रकार की बात हुई। बहुत दिनों से किस्सा चल रहा था। उसमें कुछ किसानों की भूमि ली जा रही थी। हम लोग सभी इस राय के थे कि किसानों की भूमि न लकर यद्यपि औद्योगिक केन्द्र एक धार्मिक संस्था द्वारा स्थापित किया जा रहा था, पास में पड़ी हुई बंजर भूमि को ले लिया जाय। मेरे मित्र ने सवाल उठाया, उसमें यह बात स्पष्ट है कि औद्योगिक केन्द्रों के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि न लें अगर और भूमि है, क्योंकि उसमें बंजर और खल्लड़ भूमि का जिक्र है। और बंजर तथा खल्लड़ भूमि का जिक्र इसलिये है कि उसे आवंटित किया जाय औद्योगिक केन्द्रों के लिये। यदि बंजर और खल्लड़ भूमि की रिक्वीजीशन की जाय और लैंड एक्वीजीशन की धारा 17 के अन्तर्गत उसे लिया जा सके तो उसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से उसमें भावना यह निहित थी कि किसानों की उपजाऊ भूमि को बचाया जा सके।

बहस अगर यह हो कि जो मेरे मित्र ने कहा वही ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन इसमें यदि चौधरी साहब की बात को ही स्वीकार कर लें तो उनको कवल एक चीज का एतराज रहा और वह अपने तौर पर शायद सही हो कि जिस समय यह जी० ओ० भजा गया और जिस व्यक्ति ने जी० ओ० भेजा और जिसने इस जी० ओ० की आज्ञा दी उसके दिल में

यह क्यों नहीं आया कि भूमिहीनों को, राजनीतिक पीड़ितों को या मरे हुए सिपाहियों की बेवा अथवा उनके वालदैन को भूमि मिलने में रुकावट पड़ जायगी ? (व्यवधान) मैं शायद शब्द को इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस जी० ओ० को बहुत तोड़ मरोड़ कर पढ़ने की चेष्टा की जा रही है। बहुत स्पष्ट रूप से उस जी० ओ० में कहा गया है कि बंजर और खल्लड़ भूमि जो है उसे हमारे औद्योगिक विकास के लिये रोका जा सके तो उसमें शायद की गुंजायश नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर उस जी० ओ० का अर्थ यही निकलता है कि नीयत खराब है तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या किसानों के हित की बात कुछ ही लोगों के दिल में पैदा हो सकती है ? (व्यवधान) मुझे क्षमा करेंगे मेरे मित्र यदि जायसवाल साहब के दिल में यह बात पैदा हो सकती है तो हम में से प्रत्येक के दिलमें भी वह भावना है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जिनके आदेश से यह सर्कुलर निकाला था उसको तोड़ मरोड़ कर भले ही यह अर्थ लगायें, वर्ना मुख्य मंत्री के कहने के बाद इस सब की क्या उपयोगिता है सिवा इसके कि वकील जैसी बहस उनकी यह हो सकती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि जिस समय यह जी० ओ० निकल गया उस समय हमारा इरादा यह था कि भूमिहीनों को भूमि न दी जाय और उद्योगपतियों के लिये सारी भूमि रिजर्व कर दी जाय और बाकी को बन्द कर दो ? कृपा करके ऐसा खयाल मत करिये। मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मुझे तीन मिनट दे दीजिये। मैं तीन बातें कह कर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आचार्य जी का समाप्त हो जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी बात को मेरे मित्र सुनना नहीं चाहते। जरा इस बात का अन्दाज लगाया जाय कि मेरे मित्र माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि लैंड एक्वीजीशन में भूमि चली गयी, उसका मुआविजा नहीं मिला ? किसी ने कहा कि रोड्स के लिये भूमि की जरूरत पड़ेगी। बहुत सी बातें कही गयीं। एक चीज जरूर है जिसे मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया।

(व्यवधान)

मेरे मित्र मेरी बात को सुनें। सारा सदन कृपा करके इस बात पर विचार करे, जैसा कि चौधरी साहब ने जिक्र किया और इस सदन के माननीय सदस्यों ने कितनी बार इस चीज का जिक्र किया है कि क्या हमारे पास इतनी भूमि है जिसके जरिये से हम इस देश की गरीबी की समस्या को दूर कर सकते हैं। यदि भूमि नहीं है तो निश्चय रूप से.....

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

मुझे भी थोड़ा समय दिया जाय मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। सदन का कार्य व्यवस्थित रूप से ही चलेगा। इस तरह से बीच में व्यवधान करने से सदन का कार्य नहीं चलेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अन्ततोगत्वा किसी न किसी प्रकार से उद्योग विकास की क्रान्ति के द्वारा इस प्रदेश और देश की गरीबी का इलाज यदि कहीं मिल सकता है तो उसके लिये उद्योगीकरण को प्रोत्साहन देना होगा। एक समय आयेगा कि प्रत्येक गांव सभा में और प्रत्येक ब्लाक में किसी न किसी प्रकार के उद्योग को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आवयकता पड़ेगी तो उसके लिये यदि बंजर और खल्लड़ को लिया जाय तो ऐसी बात नहीं है। यदि हम विचार करें तो किसी प्रकार से यह बुरी नीति का द्योतक नहीं है बल्कि उसके विपरीत ऐसी नीति का द्योतक है जो कल की दिशा है और जिसके लिये सदन को और, देश को चिन्तित होना पड़ेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं तो थोड़ा ही समय लेना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारे दल को कोई समय अभी तक नहीं मिला है। इसलिये हमको भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ही बोल लीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस पत्र की इन लाइनों की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि "राज्य सरकार ने द्रुतगति से राज्य में औद्योगीकरण हेतु जो विभिन्न सुविधायें एवं रियायतें नये उद्योगों को देने का निर्णय लिया है उसके परिणामस्वरूप दिन प्रति दिन उद्योगपतियों से नये नये उद्योग इस प्रदेश में लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।" उद्योगपतियों से उद्योग लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उसके परिणामस्वरूप सरकार ने उद्योगपतियों को रियायतें देने का फैसला किया है। इसमें अब यह कहा जाय कि इसका यह मंशा नहीं है तो मैं उसको समझने में असमर्थ हूं बावजूद इसके कि मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि आखिर क्या कारण है सरकार को इस प्रकार का परिपत्र जारी करने का फैसला करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई अनायास ही यह परिपत्र जारी हो गया। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि किसी नीति के न होने की दशा में यह जारी हो गया।

श्री चरण सिंह—

आप जो बात कह रहे हैं वह चीज सही हो सकती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह सोचता हूं कि इसकी भाषा मुझको यह सोचने के लिये मजबूर कर रही है कि अब सवाल यह है कि यह पत्र क्यों जारी किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं और यह जानने की इच्छा रखता हूं कि क्या जितने औद्योगिक संस्थान इसके पूर्व इस प्रदेश में कायम किये गये उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें आज भी एक आध जगह ऐसी है जो कि डेवलप की गई थी और जिसमें सड़क वगैरह बना कर तथा बिजली पानी आदि की व्यवस्था सारी की सारी पूरी कर दी गई हो। अगर पूरी कर दी गई है तो जो नीति सरकार ने इन औद्योगिक संस्थाओं को चलाने के वक्त रखी थी और अगर यह भी मान लिया जाय कि ऐसे

संस्थान जहां थे जहां कि कोई उद्योग नहीं लग सके वहां सारी की सारी भूमि बेकार पड़ी हुई थी। हो सकता है कि सारे उद्योग खड़े हो गये हों।

मैं यह मान कर चलता हूं कि सारे उद्योग पूरे हो गये तो जिस दृष्टिकोण से ये उद्योग पूरे हो गये उसको देखते हुये इस पत्र के अन्तिम पैरे को यदि आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि आप एक नक्शा भी बना कर भेजें, जिलाधिकारियों को यह लिखा गया है, जिसमें कि सड़कें, रेलवे लाइन, पड़ोस के नगर, कस्बा इत्यादि भी हों। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार का नक्शा बनाने के लिए और इस प्रकार की बात तय करने के लिये सारे के सारे जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया तो वह किस लिहाज से। क्या प्रत्येक नगर में और प्रत्येक कस्बे में हर जगह उद्योग खोलने के लिये इतने उद्योगपति आ गये थे कि जिसका फैसला सरकार ने विभिन्न स्थानों पर उद्योग खोलने के लिये कर लिया था। अगर यह सही है तो यह पत्र तो 6 जनवरी को निरस्त किया गया अभी 4 दिन ही हुए हैं। इतने दिनों के बीच में यानी अगस्त से लेकर 6 जनवरी तक इस प्रदेश में कितने उद्योग कायम हुये। मैं पूछता हूं कि क्यों यह आदेश दिया गया और इस आदेश के तहत कितने उद्योग इस प्रदेश में कायम हुये। किन्तु श्रीमन् यह बात नहीं है। ये जितनी शंकायें हमारी हैं इन सब का उत्तर शायद नकारात्मक ही आये .... (लाल बत्ती होने पर) मुझे मालूम है श्रीमन्, मुझे कितना समय मिला है।

श्रीमन्, इसमें उपजाऊ और अनुपजाऊ भूमि की बात भी है। अभी जो बयान माननीय मंत्री जी ने दिया है इस पत्र में, उसमें कहीं ऊसर, बंजर और कृषि कार्य में आने वाली खेती का जिक्र नहीं किया गया है। अगर उसमें यह कहा गया होता कि ऊसर जमीन का नक्शा भेजा जाय तब तो बात हो सकती थी निश्चयपूर्वक इस आदेश को प्रसारित करने में वही सारी भावनायें हैं। मान लीजिये कि ऊसर, बंजर जमीन लेने का सवाल है तो उसमें कहां दिक्कत की बात है। मैं साफ तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो कहा गया है कि प्रदेश में एक बड़ा औद्योगिक वातावरण तैयार हो गया है, छोटे-बड़े उद्योग लगाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है कि किन-किन स्थानों पर बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे और जितने भी लाइसेन्स प्राप्त होंगे उन सभी को आबंटित किया जायेगा। इसका जवाब शायद हमको नकारात्मक ही मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब जरूर मिलेगा कि इसका आबटन इस तरह से हुआ है। क्योंकि औद्योगक नीति का सीधा साधा इस पत्र से संबंध है।

उद्योग पतियों को इस प्रकार की सुविधा देने का जो दिखावा किया गया है, हो सकता है कुछ उद्योगपति इससे आकर्षित हुए हों, लेकिन जो भूमि बांटी जा सकती थी, जैसे कि सीलिंग की जमीन है, गांव की उस जमीन का सवाल है और औद्योगिक वातावरण से उसको दूर रहने का सवाल है, इस पत्र में यह भी नहीं लिखा गया। इससे नुकसान हुआ उन व्यक्तियों और वर्गों का जो माल विभाग या गांव समाज मैनुअल के अन्तर्गत इस जमीन को देने के अधिकारी थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह आदेश निरस्त कर दिया गया, लेकिन अगर मुझे सही जानकारी हो जायगी कि इस आदेश के अन्तर्गत कहीं इसका सही ढंग से उपयोग किया गया तो वह भी निरस्त कर दीजियेगा। इसके अन्दर जो उद्योगपतियों को सुविधाएं देने की बात सोची है और हरिजन और पोलिटिकल सफरर, फौज के आदमी या दूसरे वर्ग के लोगों को ही यह जमीन प्राप्त होने का हक है, उसके बावजूद भी अगर मान लिया जाय कि उनके सारे हक काट दिये जायं तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जो नीति सरकार ने निर्धारित की उसके तहत इस प्रकार के आदेश कैसे प्रसार करने की बात आयी। यह नीति-गत बात समझने में मैं असमर्थ हूं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति को स्पष्ट कर दे तो इससे इस सदन में और बाहर फैले हुए भ्रम का निवारण हो जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दो मिनट सिर्फ। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल से लेकर कल्पनाथ सिंह जी ने जो भावनाएं व्यक्त कीं इस प्रश्न गत आदेश के संबंध में उनसे अपने को संबद्ध करके मैं एक बात जोर से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद से दिल्ली जाने आने की कहानी दोहराई गयी।

श्री चरण सिंह—

यह तो अकेली बात काफी है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

बस यही काफी है और इस तरह का आदेश करने में और कोई नुकसान नहीं हुआ तो शासन का, सचिवालय का समय इसमें गया और कम से कम जिले तक जो दो दो आदेश भेजने का सरकार के ऊपर अनावश्यक खर्चे का भार पड़ा। तो सीधी बात है जो चौधरी साहब ने पहले कही थी कि भला और सीधा आदमी अपनी भूल के लिए, गलती के लिए माफी मांग कर और बड़ा होता है और जो माफी देता है मान्यवर, अपने बड़प्पन को और बढ़ा ले जाता है। तो फिर यहां पर तो दूसरी बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी मर्यादा सेवक हैं इस सदन के और यह सदन मालिक है। तो यहां पर अगर गलती मान लें तो सारी बातें यों ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि जहां तक कि शासन मंत्रियों का संबंध है वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बताते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम किस चीज को हासिल करना चाहते हैं। फिर अधिकारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी डिटेल में जायं। फिर आपके पास भेजें और आप समझें तो उसको कानूनी रूप दें या उस पर आपके हस्ताक्षर होते हैं, तब आदेश जारी होता है।

मान लीजिये, वह नुक्स है जो आपने बताया, तो उस अधिकारी की भूल है, कि आपकी नीति के मुताबिक इस डाक्युमेंट को उसने तैयार नहीं किया। क्योंकि आप खुद मानते हैं कि डोकूमेंट्स स्पष्ट नहीं थे और जो स्पष्टीकरण आपने दिया वह समाविष्ट नहीं हुआ और फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट आया होगा उस पर आपने असावधानी से या गल्ती से दस्तखत कर दिये तो सारी बात के लिये खाली एक चीज है और इससे चौधरी साहब और सदन की तबीयत भी बढ़ेगी और आपके लिये शोभा की चीज होगी कि जो उचित व्यवहार है वह होना चाहिये।

डाक्टर हरी प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक प्रपत्र के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी कि वह निकला उसकी भावना क्या थी। उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने सदन को अवगत कराया। उसके प्रत्यक शब्द और वाक्य की चर्चा की गई और व्याख्या की गई। उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। केवल एक बात कहनी है कि वह यह कि मुख्य मन्त्री ने अवगत कराया कि वह सम्भवतः चिंतित ह कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो। इसकी पृष्ठ भूमि में वह प्रपत्र निकला और इसको समझने बूझने के बाद वह निरस्त भी हो गया और अब कोई प्रश्न नहीं रह गया। लेकिन चिन्ता की बात है कि कैसे प्रदेश का उद्योगीरण किया जाय। हम समझते हैं कि सदन को उस पर विचार करना होगा।

हमारे विरोधी दल के नेता भी मानते हैं कि प्रदेश की प्रगति का प्रश्न है, इसके विकास का प्रश्न है। इसका हल तो यह है कि उद्योग और कृषि का विकास साथ-साथ होना चाहिये। इस पर कोई विवाद नहीं है। केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। केवल मुख्य मन्त्री जी के ही पास नहीं है अपितु सदन के सामन आंकड़े आयग तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में चौथी पंच वर्षीय योजना में यह रखा गया है कि एग्रीकल्चर 5 प्रतिशत

बढ़े और 9 परसेंट उद्योग बढ़ें और इसमें विशेषतः छोटे उद्योगों की बात कही गई है। जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते थे वह नहीं हो रहा है। इससे भी ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि हमारे यहां केन्द्र में बहुत सी संस्थायें कार्य कर रही हैं कि विनियोजन के लिए वित्त देती हैं। और इन संस्थाओं का जब से प्रादुर्भाव हुआ है उसने करीब 1893 करोड़ का विनियोजन देश में किया और हमारे प्रदेश में केवल 126 करोड़ का हुआ है। बैंकों ने भी प्रदेश की करीब 425 करोड़ की धनराशि जमा रूप प्राप्त किया और 190 करोड़ कहीं का ऋण दिया चार संस्थायें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, इंडिया इंडस्ट्रियल बैंकिंग आफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐंड इंनवेस्टमेंट कारपोरेशन वगैरा का कुल विनियोजन केवल 3 परसेंट का ही है। प्रदेश में विनियोजन कम हुआ है। यह चिन्ता का विषय होना चाहिये ।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

आप कहां ले गयें। इसका विषय से क्या सम्बन्ध है?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

और मुख्य मन्त्रीजी चिंतित हैं। इसी भावना से जमीन रिजर्व करने का परिपत्र निकाला गया। हमारे यहां से सबसे बड़ी कठिनाई जमीन की है जमीन नहीं मिल सकती है। आप दफा 4, 6, 17 की बात करें। कानून द्वारा ले सकते हैं? किन्तु कठिनाई तो यह है कि किसी के पास पांच बिस्वे जमीन है और उसको लेना चाहते हैं तो वह जिल के सभी विधायकों को लेकर मुख्य मन्त्री जी के पास पहुंच जाता है कि हमारे पास केवल पांच बिस्वे जमीन है उसको भी आप ले रहे हैं। गोरखपुर में बाग लगाने और गवेषण के लिये एक बार 3 लाख रुपया दिया गया और दूसरी बार 5 लाख दिया गया लेकिन सब लैप्स हो गया क्यों कि जमीन नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार जो यहां के लिए धनराशि देती है उसका भी उपयोग नहीं हो पाता बकों द्वारा 490 करोड़ रुपया प्रदेश के लोग जमा करते हैं और 180 करोड़ ही यहां पर ऋण के रूप में प्राप्त होता है। और सरकार औद्योगीकरण के जरिये से उसको उपभोग करना चाहती है तो क्या बुरा करती है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

श्रीमन्, संगत और असंगत वकालत में तो होता है शायद शिक्षा में न होता हो।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

परिपत्र का सम्बन्ध ही औद्योगीकरण से है और आपने कहा भी कि वह क्यों भेजा गया। सरकार उसके द्वारा इस प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहती थी। रुपया तो प्राप्त हो सकता है लेकिन जमीन किस प्रकार से प्राप्त हो? एक प्रश्न है चाहे आप दफा 17 कहें, या और कोई दफा लगावें, उसका प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी की पृष्ठिभूमि में यह परिपत्र भेजा गया था। हमको औद्योगीकरण के लिय यह सोचना होगा कि उसको किस प्रकार से किया गया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि क्या उद्योग सब गांवों में फलाना चाहत ह? हां, अगर गांवों को उठाना है तो गांवों में छोटे-छोट उद्योगों को लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिय क्या जमीन कहीं बाहर से आयेगी? जब तक इस भूमि का प्रश्न हल नहीं किया जायगा, प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो मुझको यह मालूम था उद्योग मन्त्री मेरे और कोई साथी होंगे। लेकिन मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ जब मुझे यह मालूम हुआ कि माननीय मुख्य मन्त्री ही उद्योग मन्त्री भी हैं। आमतौर पर मुख्य मन्त्री के पास होम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरा हुआ करते हैं लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वर्तमान मुख्य मन्त्री जी के पास ला विभाग, गन्ना विभाग, और उद्योग विभाग भी है। इतना बड़ा काम आपको करना पड़ता है। उसको आप किस प्रकार से अंजाम देते होंगे। इसके साथ ही मुझे तकलीफ इस बात की हुई यह आर्डर आपके हुक्म से गया, आपकी इच्छा से गया। किसी और साथी की इच्छा से जाता तो आपसे कहा जाता कि उनसे पूछें कि क्यों गया। लेकिन अब किससे पूछें।

अब व्याख्या सुननी पड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। मैं मानता हूं उसकी जरूरत है। बिलकुल ठीक है। क्या माननीय हर प्रसाद शाही को यह मालूम है कि 60 लाख एकड़ से कम जमीन ऊसर बंजर में नहीं है।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

अब 60 के बजाय 12 एकड़ हो गयी है।

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। 91 लाख एकड़ जमीन गांव समाजों को दी गयी थी उसमें से 10–20 लाख कम हो गयी होगी। गालिबन आप उस जमीन की बात कह रहे हैं जो किसी प्रकार से भी काबिले काश्त नहीं है लेकिन ऊसर बंजर में वह जमीन शामिल है जो अनकल्टीवेटेड है। मुझे मेरे दोस्त से यह मालूम हुआ कि ऊसर जमीन का रिजर्वेशन नहीं हुआ, इसलिये औद्योगीकरण नहीं हुआ, यह आपकी सारी स्पीच का मतलब था। मान्यवर, दलील यह दी गयी कि ऊसर जमीन का रिजरर्वेशन नहीं हुआ इसलिये इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही यह कह दिया और बड़े उद्योगों पर व्याख्यान दे डाला कि बड़े उद्योगों से ही गरीबी मिटेगी। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा उद्योग हैं और सबसे गरीब सूबा है। मैं बड़े उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि बहुत कम बड़े उद्योगों की जरूरत होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर उद्योगीकरण पर बहस करनी है और सारी औद्योगिक पालिसी पर बहस करनी है तो उसके लिये कोई दूसरा दिन रख दिया जाय या जब दूसरी बार बैठेंगे तब इस पर बहस हो जाय। इस सर्कुलर पर तो आपने एक घंटे की बहस रखी थी। अब एक घंटे के बजाय डेढ़ घंटा हो गया। तो इस वक्त जितना प्रश्न है उतने पर ही बहस हो।

श्री चरण सिंह—

नहीं। मैं तो उस बात को सुनता रहा। आपने बड़े उद्योगों की बात कही। मैंने कहा कि अगर बड़े उद्योग लगने वाले होंगे तो 8–10–12 दरख्वास्तें होंगी लेकिन आपने 72 हजार गांव सभाओं की जमीन क्यों रोकी। इसके अलावा बड़े उद्योग सिटीज में लगते हैं और आपने जमीन रोकी है विलेजेज की। 72 हजार गांव सभायें जिसमें 82 हजार गांव और 12 हजार पहाड़ के, एक लाख गांव की जमीन आप रोक कर बठ गय उद्योग धन्धों के लिये। इसके अलावा ट्रेसपास होता है। मैंने कहा कि ट्रेसपास कैसे रुकेगा। आपने कहा कि ट्रेसपास

आपके जमाने में भी हुआ। अब मैं इसका क्या जवाब दूं ? लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। उसमें ट्रेसपास कर के क्या करेगा। यह काबिले काश्त नहीं है। वहां फैक्टरीज लगवाइये।

मुझे नहीं मालूम था बल्कि मेरे साथी ने कहा। और जो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने हुक्म दे दिया, नक्शा भी मंगाया। मेरे मित्र कल्पनाथ सिंह ने पढ़ कर सुना दिया। मैंने तो पढ़ा भी नहीं था। तो आपके इसमें यह लिखा है कि खसरा, प्लाट नम्बर, क्षेत्रफल, गांव, तहसील, इत्यादि भेजने की कृपा करें और उसका एक नक्शा भी भेजें जिसमें सड़कें, रेलवे लाइन, पड़ोस के नगर, कस्बा इत्यादि। ओफ्ओह। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह प्रदेश कैसे चलेगा ? यह क्या नक्शा है आपके दिमाग का ? यह कोई मुमकिन है भेजना ? और क्या एक लाख गावों के नक्शे मंगा कर आप यह करेंगे कि यहां उद्योग धन्धे दिये जायं। जिस शख्स ने यह हुक्म दिया उससे जाहिर होता है कि प्रदेश की समस्याओं का ज्ञान उसे नहीं है। कितनी यह नामुमकिन बात है। इस तरह का आपने आर्डर दे दिया और न आपने यह जानने की कोशिश की कि 5 महीने हो गये इस पर कोई अमल भी हुआ। कलेक्टर कैसे भेज सकता था? वह मजाक उड़ाते होंगे आपकी गवर्नमेंट का।

इन्होंने कहा कि हमारा इन्टेन्शन किसान की जमीन बचाना था। बहुत सोचा लक्ष्मी रमण जी ने, यह दलील मिली कि किसान की जमीन बचानी थी। पहले तो इसमें सब बंजर, कल्लर जमीन है। तो उसमें किसान की जमीन कैसे बचती। दूसरी बात यह कि आप किसान की जमीन नहीं बचाना चाहते। सीलिंग से जो जमीन आयेगी वह किसान की है और गरीब आदमी को जाने वाली थी। आप उसे उद्योग-धन्धों को दे रहे हैं। इसके अलावा आप भेज रहे हैं इस आर्डर को। जो फक्टरी वाला जमीन लेगा तो आर्डर यहां से होगा न कि कलैक्टर देगा। आप न दीजिये किसान की जमीन। तो फिर यह कि जमीन बचाने के लिये हमने आर्डर भेज दिया कहां तक ठीक है ? आपके जहन में उस गरीब आदमी की शक्ल क्यों नहीं आयी जिसके लिये रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड के लिये आपका सीलिंग का बिल आने वाला है। जब हम बहुत बड़े समाजवादी नहीं थे और आप भी नहीं थे तो सन् 51 में जब हमने उन गरीबों के लिये किया था तो उस ऐक्ट की मंशा आपके सामने क्यों नहीं आयी ? क्यों यह आपको नहीं खटका और क्यों आप ने यह नहीं सोचा कि ऐसा आर्डर दें या न दें ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है और मुझे नहीं मालूम कि आज कल उद्योग सचिव कौन है, मेरी जब जिम्मेदारी थी सूबे की थोड़ी बहुत तो एक बहुत योग्य आदमी श्री ज्ञान प्रकाश यहां इस पद पर थे, जो कलक्टर भी रह चुका हो और जिसका वस्ता रेवेन्यू एडनिमिस्ट्रेशन से हो वह हरगिज ऐसा आर्डर नहीं दे सकता लेकिन अगर दिया है और उसके दस्तखत से हुआ है, या जिसके दस्तखत से भी यह हुआ है वह सब आई० ए० एस० आफिसर हैं और सब लैन्ड रि-फार्म के कानून को जानते हैं। मुख्य मंत्री जी ने जब यह आर्डर दिया तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है कि उस सेक्रेटरी को कहना चाहिये था कि आप का यह आर्डर गलत है। अगर आप इन अफसरों में वह मारल करेज नहीं छोड़ेंगे तो एडमिस्ट्रेशन इन विभागों का नहीं चलेगा क्योंकि मुख्य मंत्री से यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्हें सब कानूनों का ज्ञान हो। उन का काम था कि यदि मुख्य मंत्री ऐसे आर्डर देते हैं तो वह प्वाइंट आउट करें कि यह आप की गलती है। लेकिन मेरा तजुर्बा है और मैं समझता हूं कि उन्होंने जरूर कहा होगा कि ऐसा करना मुनासिब होगा लेकिन फिर भी हुक्म जारी किया गया, या तो वह कहें कि हुक्म नहीं हुआ और अगर उन्होंने किया है तो आपने हुक्म दिया और ऐसा आर्डर जारी हुआ केवल नक्शे यहां भेज दें हमारे ज्ञान के बाहर है कि ऐसा हुक्म जाय, सेक्रेटरी भेज दे और वह एतराज न करे।

मैं ज्यादा समय न लेकर इतना और कहूंगा कि जो प्वाइन्ट मैं ने उठाये थे उनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, मैं कहूं कि लीपपोत दिया तो ठीक ही होगा। सारी बातें इस तरह से

[श्री चरण सिंह]

उन्होंने बता दी कि मीठी बात कह दी कि यदि ऐसा हुआ तो गलती हो गई। लेकिन प्वाइंट यह नहीं है, इतना बड़ा सूबा है, इतनी ज्यादा यहां की प्राबलम्स हैं हमें बहुत सोचसमझ कर काम करना होगा। हमारे दिमाग में सारा नक्शा होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो आर्डर दे रहे हैं उस का क्या असर होगा, वह प्रैक्टिकेबिल है या इमप्रैक्टिकेबिल है। यह तो हमारी नजर में यह एक चीज आ गई, न मालूम ऐसी कितनी चीजें हो रही होंगी। इन शब्दों के साथ में अपने कथन को समाप्त करता हूं और इसे सूबे की खुशकिस्मती समझता हूं कि ऐसा आर्डर कैन्सिल हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता यह था कि जब मैंने यह कह दिया कि कभी यह मनशा नहीं थी और जो मनशा हमारी नहीं थी उस प्रकार का भाव इस सर्कुलर मे चला गया जिससे कि हम सब को भ्रम और भ्रान्ति पैदा हुई और उसकी जिम्मेदारी मेरी है और वह गलती हुई है। वह गलती हुई है तो मुझ से हुई है इस सबके बाद इतनी बड़ी बहस की आवश्यकता मैं नहीं समझता था। हमारे चौधरी साहब जब बोलते हैं तो उनके बोलते वक्त उन की मुखमुद्रा से ऐसा लगता है कि वह बड़े क्रोध मे बोल रहे हैं और मैं उससे डर जाता हूं।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी टीका टिप्पणी हो गई, उन्होंने भी और दूसरों ने भी कहा कि आप तो बहुत मधुर बोलते हैं लेकिन क्या करें कड़ा बोले और आस्तीन चढ़ायें तो यह होगा कि आस्तीन चढ़ाते हैं और मधुर बोलत हैं तो रूप नाथ जी को लगता है कि मधुर बोलते हैं तो फिर हम कैसे बोलें, हमे तो बोलना जैसा मां–बाप ने सिखाया है उसी तरह से बोलते हैं। इस सर्कुलर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हमारे भाई कह रहे थ कि आपकी क्या औद्योगिक नीति हैं, इस पर भी यहां बहस हो गई।

लोग यहां औधोगीकरण चाहते हैं, हमारा ऐसा इरादा है और केवल आशय यह था कि हमें मालूम हो कि किस किस-जिले में कितनी जमीन हमें मिल सकती है ताकि कोई उद्योग लगाने आये तो हम बता सकें कि उस जिले में जाओ। रिफाइनरी आ रही है। बहुत लड़ाई हुयी। उसको गाजियाबाद में लगाने का विचार था। हमने उनसे कहा कि अगर दिल्ली के ही नजदीक लगाने का विचार है तो मथुरा में लगाइये जो अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ इलाका है और राजस्थान के बार्डर पर भी है।

फार्टिलाइजर की फैक्टरी की और छोटे छोटे स्टील प्लान्टस की हम मांग कर रहे हैं। एक मैगनेसाइट की फेक्ट्री को अल्मोड़ा में लगाने का हमने प्रस्ताव किया है। उन्नाव म, जो कि लखनऊ के नजदीक एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, एक ट्रैक्टर की फक्टरी लगाना चाहत हैं, वे उसे और कहीं लगाना चाहते थे। फैक्टरी कोई 2–4 माह में नहीं लगती है। माननीय कल्पनाथ जी न अभी कहा कि जमीनें दे दी। मैंने यह सजेस्ट किया, कोई जमीन नहीं दी है और हम कोशिश कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह—

मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि बड़ी फैक्टरी की आपकी मंशा थी और ये शहरों में लगती हैं। ये गांव में नहीं लगायी जाती हैं। 1–2 मील के एरिया में।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो गोरखपुर में लगायी गयी है क्या वह शहर में लगी है? अगर कोई रिफाइनरी लगायी जायेगी तो क्या वह किसी शहर में लगायी जायेगी। इसके लिए 5 या 6 सौ एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। गाजियाबाद में जो फक्टरीज लगी हैं, वहां

बड़ा भारी संकलन हो गया है। हजारों बीघे जमीन आपके किसानों की ले ली गयी है। आपके किसान वहां पर उजड़े पड़े हैं, चिल्लात फिरते हैं, तब वहां पर उतनी फक्ट्रीज आयीं। गाजियाबाद एक छोटा सा कस्बा था लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि लोनी और मोदीनगर तक फैक्ट्रियां लग रही हैं। अगर देहात में किसी फैक्ट्री को लगाते हैं तो सड़क का किनारा देखा जाता है।

यहां पर नक्शे का बड़ा भारी जिक्र किया गया। जब कोई जमीन सड़क के किनार होगी, वहां पर बिजली पहुंच सकेगी, जब हमें इन सब की जानकारी होगी तभी तो हम कहेंगे कि अमुक स्थान पर कोई उद्योग की फक्ट खोली जा सकती है। माना कि हमें सूबे की अधिक जानकारी नहीं है। अभी यहां पर माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि 20 वर्ष की अवधि में आपन क्या किया। हमें तो आये हुए 8 महीने ही हुए है। हमारे भाई त्रिपाठी जी ने कहा कि 20 वर्ष हो गये लेकिन मुआबिजा तक नहीं दिलवा सके। सब लोग सरकारों में रह चुके है। तो हमारी ही नहीं आपकी भी तो जिम्मेदारी रही है। अगर कोई तर्क करने के लिए कुतर्क कीजिए तो कोई उत्तर नहीं हो सकता है। यह मंशा इस सरक्यूलर की नहीं थी। यह सरक्यूलर चला गया बिना किसी इसे इरादे के कि जिनकी जमीन के बन्दोबस्त होंगे, वे रोक जायं और एक जानकारी हासिल करन के लिये कि कितनी-कितनी भूमि बन्जर हो सकती है, यह भेजा गया था। साथ ही इरादा यह भी था कि जो सीलिंग से जमीन निकली है, हमको उसकी जानकारी हो ताकि हमारे सामने उद्योग को लागने की जो श्रंखला बनती है तो उसको ल ल।

एटामिक पावर संस्थान स्थापित कराने के लिए तय हुआ कि नरौरा जिला बुलन्दशहर में लगाया जाय लेकिन यह कहा गया कि भूकम्प आने की आशंका से वहां पर नहीं लग सकता है। तब हमने कहा कि इसे आप यहां न स्थापित करके और कहीं पर स्थापित कर दें लेकिन अब वे मन्जूर कर रहे हैं और शायद वह लेंगे। हमने उनसे यह भी कहा कि एटौमिक पावर स्टेशन जापान में बन हैं, जहां पर भूकम्प अक्सर आते हैं। दूसरे हमने यह भी सुझाव दिया कि आप बुन्देलखंड में झांसी के पास जहां पर रिक्त हैं, वहां इसे स्थापित करें पर इस प्रोजेक्ट को जाने नहीं देंग। एक फक्ट्री प्रतापगढ़ में लगाई है ....

अब प्रतापगढ़ में कहते हैं कि यहां बड़ी दिक्कत पड़ेगी। हमको दूसरी जगह दीजिये नहीं तो हम स्टेट के बाहर ल जायेंग। हमने कहा कि अगर वहां दिक्कत पड़ती है तो लखनऊ या उन्नाव के जिले में लगा लो। (व्यवधान होने पर) मुझे कह लेने दें। मेरी मंशा सिर्फ इतनी रही है कि हम लोगों को जानकारी हो जाय कि कहां कितनी जमीन है। 400 एकड़ जमीन ट्रक्टर क कारखाने के लिए एक्वायर की गयी। वह कारखाना हट गया तो वह जमीन भी वापस कर दी। बनारस में कोई फक्टरी बनान के लिये है। हमने पूछा कि वह जमीन क्या हुई जो एक्वायर की थी। मालूम हुआ कि वापस हो गयी। मैंन शुरू में ही कहा कि हमसे गल्ती हो गयी। उसकी वार्डिंग उस तरह की हो गयी। अब यह कि हमारे मन में है, दिल में दर्द नहीं तो उसका कोई उत्तर नहीं है। किसके मन में कितना दर्द है अगर उसको दोहराऊं तो उसको म नहीं चाहता। मधुर बोलने की मरी आदत है चाहे कोई कितनी ही टीका-टिप्पणी करे। जैसा कि रहीम जी न कहा है कि 'रहिमन कडुवे मुखन को चहियत यही सजाय, खीरा के मुंह काटक मलियत लोन लगाये'। हम तो कड़ुवा नहीं बोल सकत चाहे जितना आप डांटें। जो बात सच्ची थी वह मैंने कह दी। जब ध्यान में आया कि इस प्रकार का अर्थ लग सकता है तो उसको निरस्त कर दिया गया। मैं मानता हूं, गल्ती मरी है। मैंने कहा था सेक्रटरी से कि इस प्रकार से निकलनी चाहिये। शायद मैं अपनी बात उनको नहीं समझा सका और वह सर्कुलर चला गया। उससे भ्रांति हो गयी। वह भूल हुई है, गल्ती हुई है। उसे मैंने आपके सामने स्वीकार किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 जनवरी, 1972।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1083 पर)

व्यक्ति का नाम	पद
1—श्रीराजन्द्र नाथ	.. लिपिक, शिक्षा विभाग
2—श्री दयानन्द राय	.. लिपिक, शिक्षा विभाग
3—श्री कपिल देव प्रसाद	.. सेक्शन हेड क्लर्क, शिक्षा विभाग
4—श्री सुरेंश सिंह	.. टौल मुहर्रिर
5—श्री राम नाथ	.. टोल मुहर्रिर
6—श्री जयराम प्रसाद	.. टोल मुहर्रिर
7—श्री वृन्दा बनराय	.. चपरासी
8—श्री सच्चिदानन्द सिंह	.. चपरासी
9—श्री हरेराम सिंह	.. चपरासी
10—श्रीमती सुशीला गुप्ता	.. अध्यापिका
11—श्री शिवानन्द	.. अध्यापक

बिहार विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकि प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1085 पर)

तालिका

फर्मों को वितरित डिस्कों का विवरण

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम	वितरित डिस्कों की संख्या
1	मैसर्स इस्टर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी, 54, सिविल लाइन्स, बरेली ..	120
2	मैसर्स एग्रोमेक, बी 7, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पस्तापुर मेरठ ..	300
3	मैसर्स बन्सल इन्डस्ट्रीज, बागपतरोड, मेरठ	80
4	मैसर्स हरीश इन्डस्ट्रीज, बागपतरोड, मेरठ	680
5	मैसर्स शिव इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रथानी, मेरठ	220
6	मैसर्स रमेश इन्जीनियरिंग वर्कस 216 ए, गन्ज स्ट्रीट, मेरठ ..	200
7	मैसर्स हन्स इन्जीनियरिंग वर्कस, सूरज कुन्द मेरठ ..	200
8	मैसर्स किशोर इन्जीनियरिंग वर्कस बागपतरोड, मेरठ	240
9	मैसर्स मित्तल इन्जीनियरिंग वर्कस बागपत रोड, मेरठ	760
10	मैसर्स मीरा स्टील एसोसिरीज, 4 स्पौट कालोनी, मेरठ। ..	80
11	मैसर्स हिमको 5 इन्डस्ट्रियल इस्टेट बलअर लक कैन्ट, बरेली ..	160
12	मैसर्स फर्म इन्जीनियरिंग वर्कस किच्छा, नैनीताल	90
13	मैसस कृषि यन्त्रालय, रुद्रपुर, नैनीताल	20
14	मसर्स अग्निहोत्री इन्जीनियरिंग वर्कस, रुद्रपुर, नैनीताल ..	60
15	मैसर्स लाइट कार्टस (पी) लि० चन्द्रनगर, मेरठ	780
16	मैसर्स मेटल फैब्स इन्डस्ट्रीज (आई) लि० मेरठ	560
17	मैसर्स दयाल ब्रदर्श, कशानगंज, मेरठ	240
18	मसस आर० के० मित्तल एड सन्स कैसानगंज मेरठ	440
19	मैसर्स मित्तल ट्रैक्टर्स, बागपतरोड मेरठ	120
20	मसर्स मुकेश इन्जीनियरिंग वर्कस, बागपतरोड, मेरठ	80
21	मैसर्स डीजलोक इन्टरपराइज (पी) लि०, भोपाल हाउस, लखनऊ ..	80
22	मैसर्स प्रान इन्जीनियरिंग वर्कस नैनीताल रोड, बरेली ..	80
23	मैसर्स इन्दु इजीनियरिंग एड फौन्डरी वर्कस, बरेली	120
24	मैसर्स रवी इन्डस्ट्रीज 172, ए 'आबू' लाइन्स, बरली ..	380

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1090 पर)

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की सूची

1—डा० श्याम किशोर मिश्र, एम० एल० ए०, सीतापुर ।
2—डा० चन्द्र प्रकाश, बिजनौर ।
3—डा० डी० के० सरकार, आगरा ।
4—डा० छोटे लाल सैनी, कानपुर ।
5—डा० रमेन्द्र वर्मा, एम० एल० सी०, लखनऊ ।
6—डा० सोहन लाल, गोरखपुर ।
7—डा० एस० सी० बनर्जी, अलीगढ़ ।
8—डा० रामनाथ ठाकुर।
9—डा० एच० एन० मिश्रा ।
10—डा० एन० बी० सिंह ।
11—डा० लाजपत राय अरोड़ा ।
12—डा० हरीशचन्द्र गौड़ ।
13—डा० ब्रह्मदेव नारायन सिन्हा ।
14—डा० प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तवा ।
15—डा० रतीश मोहन रस्तोगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1093 पर)

वित्तीय वर्ष 1971–72 में खोले गये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की सूची

क्रम० सं०	स्थान का नाम	जिला	आयुर्वेदिक/यूनानी
1	2	3	4
1	फूलपुर	उन्नाव	आयुर्वेदिक
2	शुकी कुण्डियार गांव	टेहरी गढ़वाल	,,
3	यादवपुर	कानपुर	,,
4	माध पुर	मुरादाबाद	,,
5	ताखा	बलिया	,,
6	रामपुर चकरिया	मिर्जापुर	,,
7	आमधार	अल्मोड़ा	,,
8	दवलगढ़	गढ़वाल	,,
9	लवदी	इटावा	,,
10	पिपरी हंडिया	इलाहाबाद	,,
11	रोकड़ी करछना	इलाहाबाद	,,
12	मितई	अलीगढ़	,,
13	मेढ़	अलीगढ़	,,
14	हरौनी	लखनऊ	,,
15	पतारा	जौनपुर	,,
16	मंदू	इटावा	,,
17	दुवारी	आजमगढ़	,,
18	भांकड़ी	बुलन्दशहर	,,
19	अहरौली रानीमऊ	फैजाबाद	,,
20	वारिकी खुर्द	गाजीपुर	,,
21	जमनियां कला	झांसी	,,
22	पंनगांव	मथुरा	,,
23	दोमनपुर	मिर्जापुर	,,
24	केशवपुर	वाराणसी	,,
25	राई आगर (विकास क्षेत्र बरीनाग) ..	पिथौरागढ़	,,
26	बिसाबजड़ (विकास क्षेत्र मुनाकोट) ..	,,	,,
27	डोर (विकास क्षेत्र मुन्सियारी) ..	,,	,,
28	चध्ज (विकास क्षेत्र, गंगोली हाट) ..	,,	,,
29	पलद्वाड़ी (विकास क्षेत्र, उखीमठ) ..	,,	,,
30	रांलक (विकास क्षेत्र, ऊखीमठ) ..	,,	,,
31	ठदौली (विकास क्षत्र, कर्ण प्रयाग) ..	,,	,,

योग :– 31

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1094 पर)

पांच प्रतिशत रिजर्व कोटे से पहली जनवरी 1971 से 3 नवम्बर सन् 1971 तक जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टर दिये गये हैं उनकी तालिका

क्रम सं०	व्यक्तियों का नाम		जिला	दिये गये ट्रैक्टर का विवरण
1	2		3	4
1	श्री सुरन्द्रपाल सिंह मान	..	मुजफ्फरनगर	जीटर 2011
2	श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता	..	देवरिया	जीटर 2011
3	श्री रामचन्द्र शुक्ला	..	सीतापुर	जीटर 2011
4	श्री राजन्द्र सिंह	..	बुलन्दशहर	जीटर 2011
5	श्री रमेश चन्द्र पचौरी	..	इटावा	जीटर 2011
6	श्री बलराम सिंह यादव	..	इटावा	जीटर 2011
7	श्री सत्य सागर शर्मा	..	बदायू	जीटर 2011
8	श्री रामेश्वर गिरी गोस्वामी	..	बरेली	जीटर 2011
9	श्री शिव नाथ सिंह	..	बिजनौर	टी-25
10	श्री नत्था सिंह	..	मथुरा	टी-25
11	श्रीमती रघुराज कुंवर	..	बाराबंकी	टी-25
12	श्री हरेन्द्र सिंह	..	आगरा	टी-25
13	श्री प्रेम राज पुत्र श्री दुली सिंह	..	बदायूं	जीटर 5511
14	श्री शीतला प्रसाद विधायक	..	गोन्डा	जीटर 5511
15	श्री राम प्रकाश, पुत्र श्री लाल चन्द्र	..	लखीमपुर खीरी	रोमानियन 50 हा० पा०
16	श्री वंशीधर विधायक	..	रामपुर	यूरिसस सी-328
17	श्री चिरंजी लाल पटेल	..	आगरा	यूरिसस सी-328
18	श्री तोरन सिंह	..	आगरा	यूरिसस सी-328
19	श्री हरी सिंह	..	आगरा	यूरिसस सी-328
20	श्री राम गोकुल सिंह	..	गोन्डा	टी-25
21	श्री सनेही लाल व रघुबीर सिंह	..	आगरा	टी-25
22	श्री रणवीर सिंह	..	आगरा	टी-25
23	श्री जगन्नाथ प्रसाद श्री भगवान	..	लखीमपुर खीरी	टी-25
24	श्री देश राज सिंह	..	हरदोई	टी-25
25	श्री बलराम सिंह, पुत्र श्री शिवराज सिंह	..	बदायू	आई० एम० टी० 555
26	श्री सुकुमार चन्द्र	..	आगरा	जीटर 2011

अग्रिम प्रतिलिपि

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1095 पर)

आजमगढ़ जनपद के पंचायत मंत्रियों के अवशेष वेतन का विवरण

क्र० सं०	नाम पंचायत सेवक	विकास खण्ड	अवधि	वेतन शेष रहने का कारण
1	2	3	4	5
1—श्री राम कृपाल राय	.. ..	जहानागंज	जुलाई, 70 दिसम्बर, 70 जनवरी 71	क्षेत्र से अनुपस्थित रहे
2—,, पलक धारी यादव	.. ..	मिर्जापुर	नवम्बर 70, दिसम्बर 70, जनवरी 71 सितम्बर 71।	,, ,,
3—,, जंगबहादुर सिंह	.. ..	हरैया	मई 70, सितम्बर 70, नवम्बर 70, दिसम्बर 70, एवं मार्च, 71।	,, ,,
4—,, राम हृदय दूबे	.. ..	,,	नवम्बर 63, मई 70, दिसम्बर, 70	,, ,,
5—,, भूवाल यादव	.. ..	,,	जून 70, दिसम्बर 70, जनवरी 71	मुक्त आदेश का पालन न करने के कारण।
6—,, राम आधार गिरि	..	मुहम्मदपुर	नवम्बर–दिसम्बर 70	कार्य अधूरे होने के कारण
7—,, राम सेवक राम	.. ..	,,	,, ,,	,, ,,
8—,, श्याम नाथ चौहान	.. ..	,,	,, ,,	,, ,,
9—,, लल्लन सिंह	.. ..	,,	,, ,,	,, ,,
10—,, श्रीराम राय	.. ..	,,	,, ,,	,, ,,
11—,, भगवती सिंह	.. ..	,,	,, ,,	,, ,,
12—,, जगदीश नरायन सिंह	.. ..	बड़रांव	दिसम्बर 70, अप्रैल, 71	स्पष्टीकरण न देने के कारण वेतन रोका गया।
13—,, कमला पाठक	.. ..	बिलरियागंज	नवम्बर दिसम्बर, 70 जनवरी 71	आडिट शुल्क न जमा करने के कारण।

अवैध प्रकाशन सभा

14—श्री राम विनय सिंह	.. ..	"	" "	" "
15—,, लालता राय	.. ..	"	फरवरी 69, दिसम्बर 70, जनवरी 71 अगस्त 71 सितम्बर 71	अवकाश स्वीकृत न होने के कारण।
16—,, साजन राम	.. ..	घोसी	नवम्बर 70 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
17—,, मारकण्डे राय	.. ..	"	दिसम्बर 70 ..	कार्य पूर्ण न करने के कारण
18—,, हरदेव राम	.. ..	"	दिसम्बर 70 ..	" "
19—,, दरदेव प्रसाद	.. ..	"	दिसम्बर 68, दिसम्बर 70, अगस्त 71 सितम्बर 71।	क्षेत्र से अनुपस्थित कार्य पूर्ण न करने के कारण।
20—,, राम सावित मिश्र	.. ..	"	दिसम्बर 68, दिसम्बर 70, अगस्त 71 सितम्बर 71।	अनुदान का धन वापस न करने के कारण।
21—,, राम लोचन पांडे	.. ..	मुहम्मदाबाद	अक्तूबर 70, दिसम्बर 70 ..	कार्य पूरा न करने के कारण।
22—,, मिथिलेश सिंह	.. ..	मुहम्मदाबाद	दिसम्बर 70, जनवरी 71 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
23—,, चन्द्रवीर सिंह	.. ..	लालगंज	जून 64, अगस्त 64, सितम्बर 64, नवम्बर 64, दिसम्बर 64, जनवरी 65, जनवरी 71, फरवरी 71, मार्च 68 से मई 68 तक।	"
24—,, बृजवासीलाल	.. ..	"	मार्च-अप्रैल 70 एवं जनवरी, 171	"
25—,, युगल किशोर सिंह	.. ..	दोहरीघाट	नवम्बर 70, दिसम्बर 70 ..	बिना अवकाश अनुपस्थित रहने के कारण।
26—,, जयनाथ राय	.. ..	"	नवम्बर 63, मई 70, दिसम्बर 70	अनुपस्थित के कारण
27—,, रमाशंकर राय	.. ..	जहानगंज	फरवरी 70 ..	"
28—,, जगदीश सिंह	.. ..	रानी की सराय	फरवरी 71 ..	अवकाश स्वीकृत न होने के कारण।
29—,, द्वारिका सिंह	.. ..	मारटीन गंज	फरवरी 71 ..	" "
30—,, जगदीश सिंह	.. ..	बड़रांव	" " ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
31—,, पतिराम सिंह	.. ..	परदहां	जुलाई 71 ..	" "
32—,, वृज भूषण पाण्डेय	.. ..	कोपागंज	मार्च 71 से सितम्बर 71 ..	वेतन रोका गया है।

अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

1	2	3	4	5
33—श्री बलिराम सिंह	.. ..	हरैया	सितम्बर 70, अप्रैल 71, से सितम्बर 71 तक।	क्षेत्र से अनुपस्थित
34—,, रामकुमार यादव	.. ..	मिर्जापुर	मार्च 71 अप्रैल 71 ..	अवकाश पर रहे
35—,, जमुना राय शर्मा	.. ..	मिर्जापुर	मार्च 71 अप्रैल 71 अगस्त 71 ..	,,
36—,, गुरूप्रसाद	.. ..	घोसी	अगस्त 71 ..	वेतन रोका गया है
37—,, दूधनाथ मल	.. ..	,,	अगस्त 71, सितम्बर 71	,,
38—,, जगदीशचन्द्र शर्मा	.. ..	दोहरीघाट	सितम्बर 71 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
39—,, हर्ष नारायण पांडे	.. ..	अजमतगढ़	,, ..	बैठक से अनुपस्थित
40—,, शमशेर सिंह	.. ..	अजमतगढ़	अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर 68, जनवरी 69, एवं सितम्बर 71।	,, ,,
41—,, शोभा प्रसाद यादव	.. ..	,,	सितम्बर 71 ..	बैठक से अनुपस्थित
42—,, चन्द्रपति राय	.. ..	तहवरपुर	सितम्बर 71, जनवरी 69 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
43—,, गोविन्द राम	.. ..	परदहा	सितम्बर 71 ..	,, ,,
44—,, इन्द्रदेव सिंह	.. ..	मारटीनगंज	सितम्बर 71 ..	,, ,,
45—,, केदार नाथ राय	.. ..	विलरियागंज	मार्च 70 से जून 70 ..	एल० पी० सी० के अभाव में
46—,, इन्द्रासन राय	.. ..	,,	मार्च 70 से अप्रैल 70 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
47—श्री विदेशी राम	.. ..	मुहम्मदाबाद	मार्च 70 से मई 70 ..	अवकाश पर रहे हैं
48—,, ईश्वरदेव गुप्ता	.. ..	,,	मई 70, जून 70, अक्तूबर 70, नवम्बर 70।	,, ,,
49—,, अकबाल नरायन सिंह	.. ..	लाल गंज	मार्च 70, अप्रैल 70 ..	,, ,,
50—,, त्रिवेणी मिश्र	.. ..	,,	मार्च 70, अप्रैल 70 से जुलाई 70 तक सितम्बर 70।	क्षेत्र से अनुपस्थित
51—,, पंचानन्द राय	.. ..	मेहनगर	मई 68, जुलाई 68. जून 70 ..	,, ,,
52—,, सगरजीत राम	.. ..	,,	जून 70 ..	,, ,,

अवर सचिव विधान सभा

53—श्री विष्णुचरित्र दुबे	बिलरियागंज	दिसम्बर 63, मार्च 65, अप्रैल 65, सितम्बर 65, नवम्बर 65, मई 70, जून 70।	,, ,,
54—,, राम बुझारत यादव	रौनापार	जून 70 ..	अवकाश पर हैं।
55—,, कमला प्रसाद पाठक	बिलरियागंज	जुलाई 70 ..	चार्ज न देने के कारण
56—,, रमाकान्त शर्मा	लालगंज	मई 70, अक्तूबर 70 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
57—,, लौटूसिंह	फूलपुर	मई 70 ..	अवकाश पर रहे हैं
58—,, जमुना प्रसाद	लालगंज	सितम्बर 70, दिसम्बर 69 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
59—,, चन्द्रदेव सिंह	घोसी	अक्तूबर 70 ..	जांच हेतु कागज न दिखाने के कारण।
60—,, बाल चन्द्र तिवारी	हरैया	सितम्बर 70, नवम्बर 70 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
61—,, राम बुझ तिवारी	हरैया	मई 65, नवम्बर 70 ..	,, ,,
62—,, फतेहबहादुर सिंह	,,	नवम्बर 70 ..	कार्य न करने के कारण
63—,, बनारसी राम	,,	नवम्बर 70 ..	,, ,,
64—,, दशरथ सिंह	मेहनगर	अप्रैल 68 से जून 68 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
65—,, ईश दत्त पाठक	फूलपुर	जून 68 ..	,, ,,
66—,, दीनानाथ श्रीवास्तव	दोहरीघाट	सितम्बर 68 ..	स्थानान्तरित होकर दोहरीघाट आये हैं।
67—,, राम करन सिंह	मेहनगर	अक्तूबर 68, नवम्बर 68, जनवरी 69 फरवरी 69।	अवकाश पर हैं जो अभी अनिर्णित है।
68—,, राम समुझ यादव	मोहम्मदाबाद	दिसम्बर 68 ..	क्षेत्र से अनुपस्थित
69—श्री वासुदेव सिंह	मेहनगर	जनवरी 69 ..	क्षेत्रसे अनुपस्थित
70—,, राम खेलावन चौ०	मारटीन गंज	फरवरी 69 ..	,, ,,
71—,, हरिहर सिंह	,,	फरवरी 69 ..	,, ,,
72—,, राम शेष	,,	फरवरी 69 ..	,, ,,
73—,, ईश्वर नारायन गौड़	सठियांव	जुलाई 64, अक्टूबर 64, अगस्त 64, सितम्बर 64, दिसम्बर 64, मई 64 जनवरी 64, फरवरी 64।	अवकाश पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
74—श्री पारसनाथ राय	.. ..	रानी की सराय	अगस्त 65 ..	अवकाश अनिर्णित
75—,, देवी प्रसाद त्रिपाठी	.. ..	तरवां	सितम्बर 64 ..	,,
76—,, मुहम्मद नजीर हुसैन	.. ..	अतरौलिया	सितम्बर 65 ..	स्थानापन्न नियुक्ति वेतन रोका गया।
77—,, घनश्याम राय	.. ..	मिर्जापुर	नवम्बर 65, जनवरी 66, फरवरी 66	अवकाश पर रहे हैं।
78—,, शिव कुमार मिश्र	.. ..	दोहरीघाट	मार्च 66 ..	क्षेत्र से अनुपस्थिति।
79—,, कपिल देव राय	.. ..	,,	मार्च 66 ..	,, ,,
80—,, सूरज प्रसाद गुप्ता	.. ..	,,	मार्च 66 ..	,, ,,
81—,, केदार नाथ उपाध्याय	.. ..	तरवां	मई 65, जुलाई 65 ..	,, ,,
82—,, रघुनाथ प्रसाद	.. ..	महराजगंज	जून 64, अक्तूबर 63, नवम्बर 63, फरवरी 64, मार्च 64। ..	,, ,,
83—,, विद्याधर सिंह	.. ..	मारटीनगंज	जुलाई 64 ..	,, ,,
84—,, मु० इलियास खां	.. ..	अतरौलिया	जुलाई 64 ..	अवकाश अनिर्णित।
85—,, पुरुषोत्तम सिंह	.. ..	कोपागंज	अगस्त 64 ..	क्षेत्र से पलायित।

अवर सदन विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1097 पर)

दिनांक 1 जनवरी, 1962 से 30 सितम्बर 1971 तक गोरखपुर जिले के बांसगांव विकास खंड के गांवों की सूची जिनमें हैन्ड पम्प लगाये गये तथा गांव समाओं/व्यक्तियों के नाम जिन्हें यह हैन्ड पम्प स्वीकृत किये गये

क्रमांक	गांव का नाम	गांव सभा/व्यक्ति का नाम जिन्हें हैंड पम्प स्वीकृत किये गये हैं	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	कुंडा बुजुर्ग	प्रधान गांव सभा	
2	ढढौना	,, ,,	
3	जमौली खुर्द	,, ,,	
4	भुसवल	,, ,,	
5	करहल	,, ,,	
6	सरसोंपार	,, ,,	
7	डाडी	,, ,,	
8	कल्याणपुर	,, ,,	
9	गोडसेरा	,, ,,	
10	जमौली	,, ,,	
11	डोमरघाट	,, ,,	
12	कूडाभरथ	,, ,,	
13	रतसही	,, ,,	
14	उनवल	,, ,,	
15	धनईपुर	,, ,,	
16	कुडनी	,, ,,	
17	लालपुर	,, ,,	
18	जुमनी जौत	,, ,,	
19	मसहापार	,, ,,	
20	पकड़ी दामोदर	,, ,,	
21	सरवनपुर ग्राम सभा दोनखर	,, ,,	
22	भूसाडीह, ग्राम सभा धोबोली	,, ,,	
23	टोला गडेरी, ग्राम सभा लेडुआ वारी	,, ,,	
24	परसिया	,, ,,	
25	धनईपुर	,, ,,	
26	देवरारबाबू	,, ,,	
27	छोटा माल्हनवार	,, ,,	
28	चतुरबन्दुआरी	,, ,,	
29	केथवलिया	,, ,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
30	गोहली बसन्त ..	प्रधान ग्राम सभा	
31	बाडा	"	"
32	काटा	"	"
33	लकुडी निसकीराय ..	"	"
34	भसेही	"	"
35	कनइल	"	"
36	देवकली	"	"
37	पाली	"	"
38	धनौड़ा खुर्द	"	"
39	भिटहा	"	"
40	महाडीह, ग्रामसभा खम्हुआ ..	"	"
41	अतरोलिया	"	"
42	चाण्डी	"	"
43	साईताल	"	"
44	दौनखर	"	"
45	भरवटिया	"	"
46	वगही	"	"
47	हटवार	"	"
48	कैंदोली मोहन हरिजनबस्ती ..	"	"
49	नसीरपुर	"	"
50	दुबौली प्रा० स्केल ..	"	"
51	दोनखर पड़ाव ..	"	"
52	बहीडाडी	"	"
53	शिनपुर	"	"
54	मटिहनिया	"	"
55	अमरपुर	"	"
56	धौबोली	"	"
57	मलिवार	"	"
58	पिडिया	"	"
59	तिकरी बु०	"	"
60	कनइचा	"	"
61	जंगल सरिया उफ बेलवरिया ..	"	"
62	टेगरी	"	"
63	देवरार खुर्द	"	"
64	बहुरीपार	"	"
65	सहसी	"	"
66	हरिहरपुर	"	"
67	हर्दीचक	"	"
68	गोपालपुर	"	"
69	डागीपार	"	"
70	उसवाबाबू	"	"
71	सिनवा उर्फ सिवआ ..	"	"
72	कटधर	"	"

विधान सभा प्रदेश

1	2	3	4
73	मसुरिया	प्रधान ग्राम सभा	
74	भगता	,, ,,	
75	धहुआ	,, ,,	
76	कोटिया डाड ..	,, ,,	
77	सुरेनी	,, ,,	
78	खम्हुआ	,, ,,	
79	लोनाव	,, ,,	
80	लेडुआवारी	,, ,,	
81	भिटहा पांडेय	,, ,,	
82	सखरुआ	,, ,,	
83	गोहली बसन्त ..	,, ,,	
84	टेकवार	,, ,,	
85	कुआ बुजुर्ग	,, ,,	
86	गुआर	,, ,,	
87	बभनौखी	,, ,,	
88	मऊधर मंगल ..	,, ,,	
89	सेमरी डाड	,, ,,	
90	डोडा	,, ,,	
91	रुद्रपुर	,, ,,	
92	खुटहना	,, ,,	
93	बरपारबरगाह ..	,, ,,	
94	रामपुर पांडेय ..	,, ,,	
95	भेरोडिया	,, ,,	
96	तिधरा रुद्रमन ..	,, ,,	
97	हुडरा	,, ,,	
98	माल्हनपार	,, ,,	
99	टडवा	,, ,,	
100	केराडिह	श्री बसन्त सिंह	
101	तियर	सवश्री लोचई, असगर, बेचन, (प्रत्येक ने एक हैन्ड पम्प लगवाया)	
102	भटौली	श्री रामनरेश सिंह	
103	चतुरबन्दुआरी ..	श्रीबसहरि हरिजन	
104	चाण्डी	श्री रामसरन	
105	भरवटिया	श्री बुधनाथ सिंह	
106	छेदीडडवा	श्रीरामजनत यादव	
107	सहदोडाड	श्री कैलाश प्रसाद	
108	टडवा	श्री फेकू	
109	डोहरिया प्राणनाथ ..	श्री सिद्ध	
110	सेमरडाड	श्रीसत्यदेव मिश्र	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1097 पर)

1 जनवरी, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक व्यक्तिगत नलकूपों हेतु स्वीकृत किये गये ऋण का विवरण, विकास खंड बांसगांव (गोरखपुर)

क्रमांक	कृषक का नाम एवं पता			स्वीकृत धनराशि	अन्य
1	श्री गोरख राय	..	विशुनपुर	1,800-00	
2	,, रामधनी राय	..	लालपुर	3,900-00	
3	,, सिंहासन	..	जादापाली	2,000-00	
4	,, राजेन्दर	..	बांसगांव	2,000-00	
5	,, राम लखन	..	भोटी तिवारी	4,700-00	
6	,, वृन्दावन	..	सेमरडाड़ी	4,800-00	
7	,, मुल्लुरु	..	पिपरागंगा	5,000-00	
8	,, मनहर्षन	..	बांसगांव	4,800-00	
9	,, भैरों	..	नसीरपुर	4,400-00	
10	,, नकछेद	..	कुलहरु बुजुर्ग	3,000-00	
11	,, राजबली राय	..	बधराई	4,200-00	
12	श्रीमती जिलेबा	..	पाली	5,000-00	
13	,, सरस्वती	..	,,	5,000-00	
14	श्री माता प्रसाद	..	डोड़ों	5,000-00	
15	,, कमला	..	बधराई	4,800-00	
16	,, रामपाल सिंह	..	कस्बासंग्राम पुर	4,600-00	
17	श्रीमती फुलवारी	..	बसीयाखोर	4,600-00	
18	श्री राम सूरत	..	जिगिना तिवारी	4,000-00	
19	,, दुर्गा शंकर	..	अतरोली	2,800-00	
20	,, विश्वम्भर	..	कोठा	4,100-00	
21	,, मोहन	..	महिलवार	4,800-00	
22	,, जगन्नाथ सिंह	..	भरकटिया	4,500-00	
23	,, शशीन्द्र कुमार	..	अतलोली	5,000-00	
24	,, राम अवध	..	ढढोना	5,000-00	
25	,, रामदेव पुत्र राधे गोविन्द		बांसगांव	5,000-00	
26	,, सीताराम	..	बांसगांव	5,000-00	
27	,, रामदेव पुत्र	..	विजय बहादुर बांसगांव	5,000-00	
28	,, ब्रह्मदेव	..	किसुनपुर बगड़ी	5,000-00	
29	,, गोपाल सिंह	..	खुटहना	3,500-00	
30	,, ऋषदेव सिंह	..	बांसगांव	5,000-00	
31	,, चन्द्र प्रताप सिंह	..	खुटहना	5,000-00	
32	,, पोहारी	..	टकवार	4,500-00	
33	,, भिमल	..	रुद्रपुर	3,200-00	
34	,, गंगोत्री	..	भरवलिया	3,400-00	
35	,, राम जतन	..	सरसापार	2,400-00	

1	2		3	4
36—	श्री काशी राम	..	कोठा	4,500—00
37—	,, मु० बलिराजी	..	गोछावन	5,000—00
38—	,, बदरी	..	भरवलिया	2,000—00
39—	,, अनिरुद्ध	..	टकेवार	3,700—00
40—	,, शिव पूजन	..	रुद्रपुर	5,000—00
41—	,, गुरु प्रसाद सिंह	..	मरवटिया	5,000—00
42—	,, रामदीन	..	बिहारी खुर्द	5,000—00
43—	,, शिव शंकर सिंह	..	डोड़ों	5,000—00
44—	श्रीमती धमराजी	..	सहदोडाड़	5,000—00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1098 पर)

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की सूची, जनपद इलाहाबाद

क्र०सं० नाम खंड	मातृ एवं शिशु कल्याण	
	मुख्य केन्द्र	उप–केन्द्र
1 2	3	4
1—करछना ..	करछना ..	बसही, खाई, वीरपुर
2—चाका ..	चाका ..	महुआरी, घूरपुर, बोगी
3—जसरा ..	जसरा ..	जारी, अकोडा, खीरी
4—शंकरगढ़ ..	शंकरगढ़ ..	बसेहराउपरहार, वारा, गोईसरा
5—मेजा ..	मेजा ..	गोहडार, जानकीगंज, खूटा
6—कोरावं ..	कोरावं ..	लसियारी, खीरी, करपिया
7—माण्डा ..	माण्डा ..	गोहामी, ऊंचडीह, भारतगंज
8—उरवा (सिरसा)	सिरसा ..	सुकुलपुर, रामनगर, औता
9—हंडिया ..	हडिया ..	अर्जुनपट्टी, बड़ौत, हरिपुर
10—धानूपुर ..	धानूपुर ..	मरों, दमगढ़ा, मुई
11—प्रतापुर ..	प्रतापपुर ..	बारी, उग्रसेनपुर, जानकीगंज
12—सदाबाद ..	सैदाबाद ..	असडिया, पुरषोत्तमपुर, उतरावं
13—झूलपुर ..	झूलपुर ..	हेंमापुर, थानापुर, मुबारकपुर
14—बहादुरपुर ..	बहादुरपुर ..	झूसी, देवरिया, भोगीपुर
15—बहरिया ..	बहरिया ..	करनाईपुर, गारापुर, सरायबसे
16—सोरांव ..	सोरांव ..	भदरी, जैसवारडीह, शाहपुर
17—मऊआईमा ..	मऊआइमा ..	रामनगर, गदियानी, सुर्दनीपुर
18—होलागढ़ ..	होलागढ़ ..	सैबराडीह, बानपुरा, पूर्वनारा
19—कौड़िहार ..	कौड़िहार ..	लालगोपालगंज, सरायजराम, फतेहपुरकायस्थान।
20—चायल ..	चायल ..	पीपलगांव, बमरौली, तियरा
21—नेवादा ..	नेवादा ..	सरायअकिल, दूलहापुर, पनारागोपालपुर
22—मूरतगंज ..	मूरतगंज ..	बिरौली, बसेडी, सय्यदसरावां
23—मंझनपुर ..	मंझनपुर ..	खैजवापुर, करारी, टेवा
24—कनैली ..	वारा ..	मैथुहर, बिदावं, मकोंदा
25—सिराथू ..	सिराथू ..	ककटा, देक्सरपुर, मुहम्मदपुर अमेठा
26—सरसवां ..	सरसवां ..	टिकरा, गढ़ी, पछिन शरीरा
27—कड़ा ..	कड़ा ..	रसीद मई, संबरईबुजुर्ग, दवी गंज।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1099 पर)

सूची—अ

मंत्रियों की सूची जो बलरामपुर चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड में जनवरी, 1970 से नवम्बर 30, 1971 तक भर्ती रहे ।

क्रम-संख्या	रोगी का नाम व पता जो चिकित्सा के समय दिया गया था	चिकित्सा का समय	बीमारी	बकाया धनराशि यदि कोई हो
1	श्री मुनेश्वर दत्त उपाध्याय, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, 49 सुन्दरबाग, लखनऊ . .	3–1–1970 से 12–1–70	पायरेसिया	
2	श्री चन्द्रभानु गुप्ता, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, पानदरीबा, लखनऊ . .	26–1–70 से 26–1–70	अन्डर आब्जरवेशन	
3	श्री गोपीनाथ दीक्षित, राज्यमंत्री, स्वायत्त शासन लखनऊ . .	1–7–70 से 17–7–70	ब्रांकियल अस्थमा	
4	श्री महमूद अली खांन, राजस्व मंत्री (राज्य) उत्तर प्रदेश 1–दारुलशफा, लखनऊ	21–7–70 से 22–7–70	पेन इन अबडोमेन	
5	श्री बी० बी० सिंह, उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश . .	6–8–70 से 13–8–70	पाइरेक्सिया	
6	श्री हबीब-उर-रहमान, नोमानी, परिवहन उप मंत्री, उत्तर प्रदेश . .	25–8–70 से 5–9–70	पाइरेक्सिया	82.50
7	श्री बल्देव सिंह आर्य, मंत्री खाद एवं रसद, उत्तर प्रदेश	2–9–70 से 8–9–70	पाइरेक्सिया	
8	श्री अनन्त राम जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ . .	30–11–70 से 15–1–71	फाइलेरियल बुखार	

उत्तर प्रदेश विधानसभा

1	2	3	4	5
9	श्री अनवार अहमद, कृषि मंत्री, 136, घसियारी मंडी, लखनऊ	..	5-12-70 से 12-12-70 अन्डर आब्जरवेशन	
10	श्री महीलाल, उपमंत्री, 22 रायल होटल, लखनऊ	..	19-8-70 से 30-8-70 हाइपोकनड्रियोसिस	82.50
			(रुपया एक सौ पैंसठ मात्र)	165.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची—ब

एम० एल० ए० की सूची जो बलरामपुर चिकित्सालय के प्राईवेट बार्ड में जनवरी, 1970 से नवम्बर 30, 1971 तक भर्ती रहे।

क्रम-संख्या	रोगी का नाम व पता जो चिकित्सा के समय दिया गया था		चिकित्सा का समय	बीमारी	बकाया धनराशि यदि कोई हो
1	2		3	4	5
1	श्री नयन सिंह, एम०एल०ए०, 70 ए दारुलशफा, लखनऊ	..	9–1–70 से 12–1–70	पायरिया	
2	श्री श्याम लाल, एम०एल०ए०, 59 ए दारुलशफा लखनऊ	..	9–1–70 से 10–1–70	अन्डर आवजरवेशन	
3	श्री राम कुमार सिंह, एम०एल०ए०, रायल होटल, लखनऊ	..	14–1–70 से 1–2–70	इन्जरी	165.00
4	श्री राम लखन शुक्ला, एम०एल०ए०, रुम नं० 39 ओल्ड काउन्सलर रेजिडेन्स, लखनऊ।		7–2–70 से 14–5–70	सेरेबरलथ्राम वोसिस	723.75
5	श्री उमाशंकर तिवारी, एम०एल०ए०, वाराणसी	..	9–2–70 से 21–3–70	डायबेटिजमेंलेटस	
6	श्री बांके लाल, एम०एल०ए०, 96 बी, दारुलशफा, लखनऊ	..	10–2–70 से 2–3–70	पेन इन अबडोमेन	
7	श्री राम प्रसाद, एम० एल० ए०, रायबरेली	..	17–2–70 से 18–2–70	रिनालकालिक	7.50
8	श्री बद्री प्रसाद, एम०एल०ए०, 79 बी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ	..	21–2–70 से 2–3–70	काकसलंग	

1	2		2	4	5
9	श्री धर्मवीर सिंह, एम०एल०ए०, 483, बी, दारुलशफा, लखनऊ	..	23–2–70 से 2–3–70	अंगजायटिस नियूरोसिस	
10	श्री महेन्द्र सिंह, एम०एल०ए०, 74, ए ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ	..	1–3–70 से 4–3–70	फिवर	
11	श्री गुप्तार सिंह, एम०एल०ए०, रूम नं० 3 बी, ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ	..	10–3–70 से 20–4–70	माइट्रल इनप्रगकशन विट कारडियक हार्ट फ्लेवर	
12	श्री एन० एस० बिस्ट, एम०एल०ए० दारुलशफा, लखनऊ	..	10–3–70 से 3–4–70	डायबिटीजमेलेटस	
13	श्री लल्लू राम, एम०एल०ए०, 135–ए, ब्लक दारुलशफा, लखनऊ	..	13–3–70 से 26–3–70	यू०आर०टी०सी०	
14	श्री राम प्यारे शुक्ला, रूम 94–ए, दारुलशफा, लखनऊ	..	14–3–70 से 26–3–70	डायरिया विद डिहाड्रिडेशन	
15	श्री डी० एन० एम० त्रिपाठी, एम०एल०ए०, देवरिया, 80 बी–ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ।		16–3–70 से 19–3–70	नेजल पालिप	
16	श्री राधा कृष्ण गोस्वामी, एम०एल०ए०, 50, बी–दारुलशफा, लखनऊ	..	17–3–70 से 25–3–70	हाड्रोसील राइट साईट	
17	श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता, एम०एल०ए०, दारुलशफा, लखनऊ	..	7–4–70 से 13–4–70	पेन इन अबडोमेन	48.75
18	श्री श्याम लाल, एम०एल०ए०, आजमगढ़ 59 ए, दारुलशफा, लखनऊ	..	10–4–70 से 13–4–70	इन्जरी	
19	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, एम०एल०ए०, 7–ए, लारेन्स टेरेस, लखनऊ	..	21–4–70 से 3–6–70 तक	एमोलिक हेपेटाइटिस	
20	श्री मंगल उपाध्याय, एम०एल०ए०, न्यू काउन्सिलर रेजीडेन्स, लखनऊ	..	27–4–70 से 1–6–70	इन्डोजेनिक डिपप्रेशन	
21	श्री आर० पी० शुक्ला, एम०एल०ए०, दारुलशफा, लखनऊ	..	28–4–70 से 5–5–70	इन्जरी	

22	श्री राज बहादुर चन्द्र, एम०एल०ए०, 20, रायल होटल, लखनऊ	..	29–4–70 से 18–5–70	टाइफाइड फविर	
23	श्री राम लाल चतुर्वेदी, एम०एल०ए०, रूम नं० 10, रायल होटल, लखनऊ	..	2–5–70 से 2–6–70	डेपप्रेशन	
24	श्री मही लाल, एम०एल०ए०, 22 बी, रायल होटल, लखनऊ	..	8–5–70 से 18–5–70	मायलजिया विद जेनरल डेबिलिटी	
25	श्री भारत सिंह, एम०एल०ए०, 154–ए, दारुलशफा, लखनऊ	..	14–5–70 से 24–6–70	मल्टीपिल इन्जरी	
26	श्री एच० डी० कान्डपाल, एम०एल०ए०, रायल होटल, लखनऊ	..	27–5–70 से 8–6–70	इनफेक्टिव हेपाटाइटिस	
27	श्री काजी मसूद अहमद, एम०एल०ए०, 9–बी, दारुलशफा, लखनऊ	..	28–5–70 से 29–5–70	अन्डर आब्जरवेशन	
28	श्री काजी मसूद अहमद, एम०एल०ए० 9–बी, दारुलशफा, लखनऊ	..	30–5–70 से 11–6–70	हारनिया	
29	श्रीमती आशासिंह, एम०एल०ए०, हरदोई	..	30–5–70 से 31–5–70	डायबेटीज मेलेटस	
30	श्री शिव शंकर सिंह, एम०एल०ए० 5–ए, दारुलशफा, लखनऊ	..	2–6–70 से 7–6–70	इन्जरी	41–25
31	श्री राम सूरत सिंह, एम०एल०ए०, गाजीपुर	..	2–6–70 से 21–6–70	इन्जरी	146.25
32	श्री आर० पी० शुक्ला, एम०एल०ए०, 94–ए दारुलशफा, लखनऊ	..	3–6–70 से 4–6–70	एक्सीडेन्ट इन्जरी	
33	श्री आर० पी० शुक्ला, एम०एल०ए०, 94, दारुलशफा लखनऊ	..	7–6–70 से 20–6–70	एक्सीडेन्ट इन्जरी	97.50
34	श्री मोती लाल यादव, एम०एल०ए०, 62–ए, दारुलशफा, लखनऊ	..	10–6–70 से 1–7–70	पेन अबडोमैन	165.00
35	श्री राम सिंह, एम०एल०ए०, रूम नं० 137 ए, दारुल शफा, लखनऊ	..	12–6–70 से 30–6–70	डायबेटिक अबसेस	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
36	श्री रामलखन शुक्ला, एम०एल०ए०,30, ओल्ड काउन्सिल रूम रेजिडेन्स, लखनऊ	17–6–60 से 27–6–70	कान्सटीपेशन	75.00
37	श्री शिव कुमार मिश्रा, एम०एल०ए०, 77/ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	25–6–60 से 27–6–70	इस्टेन्गुलेटेड हरनिया	
38	श्री एम० के० किदवई, एम०एल०ए०,डी–3, रायल होटल, लखनऊ ..	2–7–70 से 9–7–70	डायबेटीज	
39	श्री शिव कुमार मिश्रा, एम०एल०ए०, ए–77, दारुल शफा, लखनऊ ..	4–7–70 से 18–7–70	ओमेंटिंग	
40	श्रीमती शान्ती देवी, एम०एल०ए०, रूम नं० 22, रायल होटल, लखनऊ ..	18–7–70 से 20–7–70	अक्यूवट यू०टी०आई०	
41	श्री मुन्शी लाल चमार, एम०एल०ए०, 55 रायल होटल, लखनऊ ..	17–8–70 से 30–8–70	इन्डोजेनिक डिप्रेशन	101.25
42	श्री एस०ए० खान, एम०एल०ए०, बरेली, जिला बरेली ..	21–8–70 से 25–8–70	पायरेक्सिया	
43	श्री बलराम सिंह यादव, एम०एल०ए०, 63, दारुलशफा, लखनऊ ..	28–8–70 से 5–9–70	कोलाइटिस	
44	श्री शिव सम्पति शर्मा, एम०एल०ए०, 61–ए ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ ..	31–8–70 से 14–9–70	डायबेटीज	
45	श्री राम सिंह, एम०एल०ए०, 137–ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	19–8–70 से 20–9–70	डायबेटिक कारबन्कल	225.00
46	श्री गुप्तार सिंह, एम०एल०ए०, रायबरेली, 3–बी, दारुलशफा, लखनऊ ..	22–7–70 से 27–9–70	कारडियक हार्ट फेलेवर	41.25
47	श्री गुलाब सिंह, एम०एल०ए०, 45–बी ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ ..	9–10–70 से 5–11–70	माइट्रल इन्प्रक्शन	
48	श्री गुप्तार सिंह, एम०एल०ए०, रामपुरकला, तहसील बालामऊ, जिला रायबरेली	20–10–0 से 4–11–70	हाइपर एसीडिटी	144.50

49	श्री एस० एन० बक्सी, एम०एल०ए०, 158–ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	7–11–70 से 5–12–70	फ्रैक्चर	
50	श्री राम सूरत सिंह, एम०एल०ए०, 12–ए ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ ..	10–11–70 से 24–11–70	कांट्रक्ट लेफ्ट आई	
51	श्री चतुर्भुज शर्मा, एम० एल० ए०, पानदरीबा, लखनऊ ..	3–12–70 से 13–12–70 11–12–72	क्रानिक ब्रान्क्रायटिस	75.00
52	श्री घासी राम, एम०एल०ए०, 25, ए–दारुलशफा, लखनऊ ..	14–12–70	अबसेस	
53	श्री जे० एन० सिन्हा, एम०एल०ए०, रुड़की ..	18–12–70से	डायबेटिक अलसर	
	..	17–1–71		
54	श्री ए० सलाम खां, एम०एल०ए०, जापलिंग रोड, लखनऊ	22–12–70 से 2–1–71	अक्यूट कारोनरी इन सफीसियन्सी	
55	श्री त्रिवेनी सहाय, एम०एल०ए०, 11–रायल होटल, लखनऊ	22–12–70	पायरेक्सिया	
	..	23–12–70 से		
56	श्री चतुर्भुज शर्मा, एम०एल०ए०, पानदरीबा, लखनऊ ..	27–12–70 से 13–1–71	ब्रान्काइटिस	127.50
57	श्री गुप्तार सिंह, एम०एल०ए०, रूम नं० 3, बी ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ ..	9–12–70 से 10–1–71	कन्जेस्टिव हार्ट फेलेवर विद मायोकारीडियल इनफाक्शन	243.75
58	श्री बन्शीधर, एम०एल०ए०, 148, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ..	2–1–71 से 14–1–71	सी०यच०एफ० विद एम०आई०	
58	श्री काजी मसूद अली, एम०एल०ए०, 9–बी ब्लाक, दरुलशफा, लखनऊ ..	27–1–71 से 6–2–71	हाइड्रोसिल	
60	श्री गुप्तार सिंह, एम०एल०ए०, दारुलशफा, बी ब्लाक, लखनऊ ..	5–2–71 से 7–4–71	कन्जेस्टिव हार्ट फेलेवर विद मारोका रडियल इनफ्रेक्शन	457.50
61	श्री ए०सी० ग्राइस, एम०एल०ए०, सी–3, फेमिली क्वार्टर रायल होटल, लखनऊ	7–2–71 से 11–2–71	पायरेक्सिया	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
62	श्री ललसा प्रसाद मिश्र, एम०एल०ए० ग्राम रक्सा पीथस मेहदावल–जिला बस्ती	23–3–71 से 7–4–71	आरथराइटिस	116.25
63	श्री शिव कुमार मिश्रा, एम०एल०ए०, 77–ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	12–4–71 से 14–4–71	हारनिया	
64	श्री धर्मवीर सिंह, एम०एल०ए०, 4 रायल होटल, लखनऊ ..	17–7–71 से 19–4–71	पायरेक्सिया	
65	श्री राजेन्द्र सिंह, एम०एल०ए०, 153–ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	23–4–71 से 7–5–71	पायरेक्सिया	105.00
66	श्री वंश गोपाल शुक्ला, एम०एल०ए०, लाटूश रोड, लखनऊ ..	20–6–71 से 26–7–71	इनलार्ज–प्रास्ट्रेट विद पाइलस	
67	श्री माखन लाल मिश्रा, एम०एल०ए०, 131 दारुलशफा, लखनऊ ..	15–7–71 से 22–7–71	फोलेनाइटिस	
68	श्री उमा शंकर तिवारी, एम०एल०ए०, रूम नं 30 सी दारुलशफा, लखनऊ ..	23–7–71 से 30–8–71	डायबेटीजमेलाइटिस	
69	श्री राम विलास पाण्डे, एम०एल०ए०, 148–ए, दारुलशफा, लखनऊ ..	27–7–71 से 1–8–71	इपीडरनोकायटिस	
70	श्री सुखलाल, एम०एल०ए०, 43, बी ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ ..	31–7–71 से 4–8–71	कैंनसर	
71	श्री अजब सिंह, एम०एल०ए०, रूम नं० 5, दारुलशफा, लखनऊ ..	4–8–71 से 18–8–71	ओल्ड० एम० आई०	
72	श्रीमती शान्ती देवी, एम०एल०ए०, 22 रायल होटल, लखनऊ ..	5–8–71 से 6–8–71	पायरेक्सिया	
73	श्री राम लाल राही, एम०एल०ए० 38, रायल होटल, लखनऊ ..	18–8–71 से 23–8–71	कारडियक निवरोसिस	37.50

अमर प्रदेश विधान सभा

74—श्री शिव शंकर शर्मा, एम०एल०ए०, सम्पत्ति भवन, कालपी, जिला जालौन ..	18–8–71 से 28–8–71	डायबेटीज		
75—श्री धर्मवीर सिंह, एम०एल०ए०, नं० 4 रायल होटल, लखनऊ ..	24–8–71 से 30–8–71	अक्यूट अबडोमेन		
76—श्री दुर्जन भाई, एम०एल०ए०, 132 रायल होटल, लखनऊ ..	2–9–71 से 10–9–71	काकस अबडोमेन		
77—श्री एम० के० किदवई, एम०एल०ए०, डी–3–दारुलशफा, लखनऊ ..	6–9–71 से 12–9–71	डायबेटीज		
78—श्री मही लाल, एम०एल०ए०, 98, रायल होटल, लखनऊ ..	10–9–71 से 21–9–71	साइनोसाइटिस	7.50	
79—एम० के० किदवई, एम०एल०ए०, डी–3 दारुलशफा, लखनऊ ..	21–9–71 से 6–10–71	डायबेटीज		
80—श्री माखनलाल मिश्रा, एम०एल०ए०, लखीमपुर खीरी, ..	23–9–71 से 9–10–71	कोलिससीसटाइटिस		
81—श्री मही लाल, एम०एल०ए० 98–रायल होटल, लखनऊ ..	16–10–71 से 26–10–71	इन्डोजेनिक डिप्रेशन		
82—श्री रामकरन सिंह, एम०एल०ए०, 38 ए–दारुलशफा, लखनऊ ..	10–11–71 से 19–11–71	कोलाइटिस	71.25	
83—श्री उमा शंकर तिवारी, एम०एल०ए० 3–सी, दारुलशफा, लखनऊ ..	23–11–71 से 9–12–71	डायबेटीज, मलाइयटिस		
		कुल योग ..	3223.25	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1,099 पर)

वर्षवार रोगियों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	रोगी सख्या
1	1965	28,733
2	1966	26,236
3	1967	21,807
4	1968	23,914
5	1969	22,789
6	1970	26,036
7	1971 (30 नवम्बर तक)	35,476

गत वित्तीय वर्षों में दी गई औषधियों के मूल्य का विवरण

क्रमसं०	वर्ष	दी गई औषधियों का मूल्य
		रु०
1	1965-66	2,500
2	1966-67	2,500
3	1967-68	2,500
4	1968-69	2,500
5	1969-70	2,750
6	1970-71	4,500
7	1971-72	4,500

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1102 पर)

ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सूची जो विभिन्न कारणों से अभी कार्य नहीं कर रहे हैं।

क्रम सं०		क्रमसं०	
1	इतमादपुर, जिला आगरा	30	चिनहट, जिला लखनऊ
2	सिराथू जिला इलाहाबाद	31	राजापुर, जिला मेरठ
3	मेजा, जिला इलाहाबाद	32	दौलाना, जिला मेरठ
4	पयागपुर, जिला बहराइच	33	जनीखद, जिला मेरठ
5	भहसी, जिला बहराइच	34	राजपरा, जिला मेरठ
6	फकरपुर, जिला बहराइच	35	दौराला, जिला मेरठ
7	वलहा, जिला बहराइच	36	गढ़मुक्तेश्वर, जिला मेरठ
8	बांसी, जिला बस्ती	37	हापुड़, जिला मेरठ
9	जोगिया, जिला बस्ती	38	हस्तिनापुर, जिला मेरठ
10	उस्का, जिला बस्ती	39	माल्हाहार, जिला मिर्जापुर
11	विक्रमजोत, जिला बस्ती	40	नगवा, जिला मिर्जापर
12	बिनावर, जिला बदायूं	41	वमनी, जिला मिर्जापुर
13	असोली, जिला फतेहपुर	42	भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद
14	कोंट, जिला पौड़ी गढ़वाल	43	छाजलट, जिला मुरादाबाद
15	पमऊ, जिला पौड़ी गढ़वाल	44	रुद्रपुर, जिला नैनीताल
16	इकश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल	45	बाजपर, जिला नैनीताल
17	कोटद्वारा, जिला पौड़ी गढ़वाल	46	रामनगर, जिला नैनीताल
18	रिखलीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	47	भीमताल, जिला नैनीताल
19	पोखरा, जिला पौड़ी-गढ़वाल	48	काशीपुर, जिला ननीताल
20	सादात, जिला गाजीपुर	49	कालाकांकर जिला प्रतापगढ़
21	मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर	50	रिवरों, जिला रायबरली
22	मुझेना, जिला गोंडा	51	तिलहर, जिला शहजहांपुर।
23	परतावल, जिला गोरखपुर	52	कटरा, जिला शाहजहांपुर
24	लक्ष्मीपुर, जिला गोरखपुर	53	लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर
25	सरदारनगर, जिला गोरखपुर	54	कुरवार, जिला सुल्तानपर
26	गगहा, जिला गोरखपुर	55	थोलाहार, जिला टेहरी गढ़वाल
27	बलघाट जिला गोरखपुर	56	रुड़की, जिला सहारनपुर
28	सहजनवां, जिला गोरखपुर	57	बांगरमऊ, जिला उन्नाव
29	बरखनी, जिला हरदोई।		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 261 एल० ए०—1972—845।